

आठवीं पंचवर्षीय योजना
1992-97

खंड-1
उद्देश्य, परिदृश्य, बृहद आयाम,
नीति संरचना और संसाधन


भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली



योजना आयोग

| | |
|-------------------|-----------|
| पी.वी. नरसिंह राव | अध्यक्ष |
| प्रणब मुखर्जी | उपाध्यक्ष |
| मनमोहन सिंह | सदस्य |
| शरद पवार | सदस्य |
| बलराम जाखड़ | सदस्य |
| एच.आर. भारद्वाज | सदस्य |
| सुखराम | सदस्य* |
| चित्रा नायक | सदस्य |
| डी. स्वामीनाथन | सदस्य |
| वी. कृष्णामूर्ति | सदस्य |
| सी. रंगाराजन | सदस्य |
| जे.एस. बजाज | सदस्य |
| जयंत पाटिल | सदस्य |
| एस.जैड. कासिम | सदस्य |
| एन.के. सेनगुप्ता | सचिव |


* योजना आयोग के पदेन सदस्य के रूप में 3.7.92 से एच. आर. भारद्वाज के स्थान पर सुख राम



आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97

विषय-सूची

| | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------|--------------|
| 1. उद्देश्य और दिशा निर्देश | 1 |
| 2. विकास परिदृश्य | 22 |
| 3. वृहद-आर्थिक आयाम | 45 |
| 4. नीति संरचना | 86 |
| 5. योजना की वित्त व्यवस्था | 100 |
| 6. रोजगार परिप्रेक्ष्य | 118 |



प्राक्कथन

आठवीं योजना विश्व तथा भारत में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के समय शुरू की जा रही है. अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की प्रतिदिन पुनर्संरचना की जा रही है तथा 20वीं शताब्दी की समाप्ति के साथ-साथ इसकी कई विशिष्ट विचारधाराओं और लक्षणों का लोप हो गया है. इस गतिशील विश्व में हमारी नीतियां भी बदलती हुई वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए. हमारी मूलभूत नीतियां हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं तथा उनमें आवश्यक लचीलापन है जिससे हम अपने देशवासियों के समृद्ध एवं न्यायपूर्ण जीवन के लिए सतत प्रयत्नशील रह सकते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से आयोजना हमारी नीति स्तंभों में से एक रही है तथा हमारी वर्तमान शक्ति उसकी उपलब्धियों की देन है. आजकल यह एक मान्यता है कि क्रियाकलाप के कई क्षेत्रों में विकास को अनावश्यक नियंत्रणों तथा विनियमों तथा राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त करके ही सर्वोत्तम रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है. साथ ही हमारा यह विश्वास है कि देश की संवृद्धि तथा विकास को पूर्णतः बाजार-व्यवस्था पर नहीं छोड़ा जा सकता है. क्रयशक्ति समर्थित "मांग" तथा "पूर्ति" के बीच संतुलन लाने की अपेक्षा बाजार से की जा सकती है. किन्तु बाजार "आवश्यकता" तथा "पूर्ति" के बीच संतुलन सुनिश्चित नहीं कर सकता है. बाजार व्यवस्था की ऐसी कमियों को दूर करने के लिए आयोजना आवश्यक है. बृहद्-आर्थिक प्रबंधन के लिए, गरीबों तथा दलितों का ध्यान रखने के लिए, (जो अधिकांशतः बाजार व्यवस्था से बाहर हैं तथा जिनके पास बहुत कम परिसंपत्ति है), आयोजना आवश्यक है. इस प्रकार यह बाजार-व्यवस्था तथा आयोजना में से किसी एक का चयन करने का प्रश्न नहीं है वरन् दोनों में प्रभावी रूप में संबंध स्थापित करने की चुनौती है ताकि वे एक दूसरे की पूरक हो सकें।

सर्वांगीण मानव विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना का चरम लक्ष्य है. इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आठवीं योजना शताब्दी के अंत तक बेरोजगारी को प्रायः समाप्त करने के लिए रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करने, जनसंस्थाओं के अभ्युत्थान, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, निरक्षरता उन्मूलन, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा उसके निर्यात में अभिवृद्धि के लिए कृषि विकास तथा विविधीकरण को प्राथमिकता देती है.

सरकार ने भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सुधार किए हैं. आठवीं योजना इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है और औद्योगिक विकास में निजी पहल पर अधिक बल देती है. सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन केवल चयनित क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा जैसे सामरिक महत्व वाले, उच्च-प्रौद्योगिकी तथा आवश्यक आधारभूत संरचनाएं सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ तथा गतिशील बनाने के लिए उसकी समस्याओं का समुचित निर्दान किया जाएगा. त्वरित औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने हेतु भौतिक आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषतः ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई के क्षेत्रों में, आठवीं योजना का मुख्य केन्द्र बिंदु होगा.

विकास कार्यक्रमों की सफलता कई गुना हो सकती है यदि लोग कार्यान्वयन में पूरे मन से भाग लें. अतः आठवीं योजना के लिए अनुकूल कार्यान्वयन कार्यनीति जनसंस्थाओं के निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण और लोगों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है. सरकार की भूमिका विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करने की होगी.


आठवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद के लिए 5.6 प्रतिशत की औसत विकास दर की व्यवस्था की गई है. इस का वित्तपोषण अधिकतर घरेलू संसाधनों से किया जाएगा. योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूलन एकीकृत बृहद (मैक्रो) आर्थिक नीतियों के साथ-साथ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक व निजी उद्योगों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन भी आवश्यक होगा. योजनाबद्ध विकास में "सभी सामाजिक सहयोगियों", अर्थात् सरकार, कृषक, ट्रेड यूनियन, व्यापार आदि के मध्य सर्वसम्मति तथा लाभप्रद सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है. इस प्रकार योजना राष्ट्रीय विकास का एक संयुक्त प्रयास है.

योजना आयोग ने बहुत कम समय में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श कर योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने

का वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया है. इस उपलब्धि के लिए मैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों को बधाई देता हूँ। मैं मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों तथा केन्द्रीय मंत्रियों को भी योजना बनाने में उनके संरचनात्मक सहयोग तथा योजना के प्रारूप के अनुमोदन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

आइए, हम योजना के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के कार्य के प्रति अपने को समर्पित करें. आइए, सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो अभाव, अज्ञान और रोग से मुक्त हो, एक ऐसा नया भारत जो उन्नति के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो जो सामाजिक रूप से एकीकृत हो तथा आर्थिक रूप से सशक्त हो.

9 जुलाई, 1992
नई दिल्ली


(पी.वी. नरसिंह राव)

प्रस्तावना

हम आठवीं पंचवर्षीय योजना ऐसे व्यापक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में शुरू कर रहे हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बदल दी है. केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्थाएं मुक्त बाजार शक्तियों और प्रतिस्पर्द्धा के लिए खुल रही हैं. मानव विकास के लिए आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन में सक्रिय सहयोग और रचनात्मक स्वतंत्रता हेतु जनशक्ति का महत्वपूर्ण विकास भी प्रस्फुटित हो रहा है. परिवर्तन की इस लहर ने भारत को भी अछूता नहीं छोड़ा है. ऐसे कठिन और अशांत समय में, हमें इन परिवर्तनों के साथ शीघ्रता और सक्रियता से समायोजन करना होता है.

2. हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं. विकास की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में सरकार की क्षमता में वित्तीय समस्याएं बाधाएं उत्पन्न करती हैं. साथ ही साथ हमें यह सुनिश्चित करना है कि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास को बरकरार रखने के लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए. आर्थिक सुधार की प्रक्रिया एवं संरचनात्मक समायोजन को, बिना विकास की अनिवार्यताओं को त्याग कर आगे बढ़ाना है. इसके लिए योजना के निर्माण में विकल्पों को कुशलता से संतुलित करने की आवश्यकता है.

3. हमें अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों से सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश को कम करना शुरू करना है जहां निजी क्षेत्रक आ सकते हैं तथा सामाजिक क्षेत्रक के हमारे निवेश में वृद्धि कर सकते हैं. साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आधारिक संरचना इस संक्रमण अवधि में वृद्धि करता रहे.

4. हमारी जनसंख्या का एक तिहाई मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित गरीबी की परिस्थितियों में रह रहा है. हम उन विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाओं की उभयपक्षी प्रवृत्ति नहीं अपना सकते हैं जो अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं. हमारे यहां उस प्रकार के संसाधन नहीं हैं. इसलिए हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना है. वे ही विकास प्रक्रियाएं जो विकास को बढ़ावा देती हैं कभी-कभी गरीबों की उपेक्षा करती हैं. मैं प्रधान मंत्री जी का उद्धरण देना चाहूंगा जिन्होंने मुद्दे को निम्नलिखित शब्दों में बताया: "तथापि 'खुलेपन' की प्रक्रिया में एक जोखिम है जिसको हमें मान्यता देनी होगी तथा उससे सुरक्षा रखनी होगी. इससे समाज में व्यापक असमानता पैदा होगी. इस स्थिति से निपटने के लिए नए अवसरों से लाभ प्राप्त करने में सुविधावंचित तबकों को भी हमें बढ़ावा देना है. स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया को फलीभूत होने में कुछ समय लगेगा. जब तक यह नहीं होता है तब तक ऐसा प्रबंध करना होगा जिससे सामाजिक पिरेमिड के सबसे निचले तबके तक राज्य से लाभ पहुंचे. हम यह कर रहे हैं"

आठवीं योजना का निर्माण इन चुनौतियों को मद्देनजर रखकर किया गया है. अतः यह एक अलग प्रकार की योजना है. यह एक योजना है परिवर्तन प्रबंध के लिए, बिना हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक ढांचे में विदारण किए हुए, केन्द्रीय रूप से आयोजित अर्थव्यवस्था का बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में पारगमन के प्रबंध के लिए.

नई भूमिका

बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमने योजना आयोग की भूमिका को पुनः परिभाषित किया है. एक उच्च केन्द्रीकृत आयोजना प्रणाली से दिशापरक आयोजना की ओर हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं. लक्ष्य की स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण करने के जरिए अड़चनों को कम करने के प्रयास किए जायेंगे जिससे उच्च विकास दर संभव होगी. यदि प्रत्येक क्षेत्रक यह स्पष्ट रूप से कल्पित कर ले कि उससे क्या अपेक्षित है तो वह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को अनुकूल बना सकता है. दिशापरक आयोजना के माध्यम से सरकारी नीति में किसी परिवर्तन का समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करना सम्भव होगा.

6. योजना आयोग एक एकीकृत भूमिका निभाएगा तथा विकास के नाजुक क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करेगा. योजना आयोग परिवर्तनों को आसानी से समायोजित करने तथा सरकार में उच्च उत्पादकता तथा दक्षता की संस्कृति का निर्माण करने में एक मध्यस्थ तथा सुसाध्यकारी भूमिका निभाएगा.

7. संसाधन आबंटन की भूमिका के अलावा योजना आयोग अपने को विकास के लिए संसाधन जुटाने तथा निधियों के कुशलतापूर्वक उपयोग से संबद्ध रखेगा. संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग का मूल सभी स्तरों पर उपयुक्त स्व-प्रबंधित संगठनों के सृजन में निहित है. इस क्षेत्र में योजना आयोग एक प्रणाली परिवर्तन की भूमिका निभाएगा तथा बेहतर प्रणाली विकसित करने में आंतरिक परामर्श प्रदान करेगा.

योजना की मुख्य विशेषताएं

8. इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य योजनाओं से अलग करती हैं और जो, मेरे दृष्टिकोण से इसका सार हैं.

9. वे विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

— यह योजना दिशापरक प्रकृति की है. यह भावी दीर्घकालीन कार्यनीति का निर्माण करने पर केन्द्रित है और यह राष्ट्र की प्राथमिकताएं निश्चित करती है. एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकल्पों का अध्ययन करते हुए और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष परियोजनाओं की पहचान करते हुए ब्यौरे तैयार करती है, दूसरी ओर शेष अर्थव्यवस्था के लिए यह क्षेत्रक लक्ष्य निर्धारित करती है और वांछित दिशा में अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है.

— योजना सभी विकास प्रयासों के केन्द्र के रूप में "मानव विकास" को स्वीकारती है. केवल स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति ही आर्थिक वृद्धि में योगदान कर सकते हैं और यह वृद्धि मानव कल्याण में योगदान करेगी. इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में योगदान करने वाले योजना के प्राथमिक क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता तथा पेयजल, आवास तथा कमजोर वर्गों के कल्याणकारी कार्यक्रम आठवीं योजना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इस दिशा में अपनी भूमिका का विस्तार करेंगी.

— कोई भी समाज लंबी अवधि तक आर्थिक विकास के बिना अपने सदस्यों का कल्याण नहीं कर सकता. तीव्र आर्थिक विकास हेतु आधारभूत संरचना के विकास के लिए पता लगाए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं विद्युत, परिवहन और संचार. इसकी मूल परिकल्पना यह है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम ये तीन आवश्यक तत्व उपलब्ध करा सकते हैं तो इससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी.

— यह योजना वित्तीय असंतुलनों को दूर करने का प्रयास करती है जिससे छठी और सातवीं योजना प्रभावित थी. योजना का वित्त पोषण आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के ऋणों से बचते हुए एक गैर-स्फीति ढंग से करना होगा. इसके लिए सरकार की गैर बचत में कमी करनी पड़ेगी, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिक संसाधन जुटाने होंगे और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निष्पादन में सुधार करना होगा.

— यह एक एकीकृत योजना है. यदि अभी तक हमारी विकास गतिविधियों के परिणाम किए गए निवेश के अनुरूप नहीं हैं तो इसका एक मुख्य कारण रहा है हमारा खंडित दृष्टिकोण. संसाधनों के बहुत कम प्रसार के साथ बहुत-सी गतिविधियों में लगी कई एजेंसियों के खराब परिणाम रहे हैं. यदि हम अपने विकास प्रयत्नों का एकीकरण कर सकते हैं तो निवेश के इन्हीं स्तरों के साथ परिणाम अधिक प्रभावी हो सकते हैं. मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि हम सरकार के ढांचे पर, विशेष रूप से ग्रामीण विकास, ऊर्जा और परिवहन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, निकट से निगाह रखें और संभावित नीति निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए इन प्रत्येक क्षेत्रों में लगे विभिन्न विभागों/एजेंसियों को एक छत के नीचे लाएं.

— आठवीं योजना विकास प्रक्रिया में जनसाधारण को शामिल करने की अनिवार्य आवश्यकता को मान्यता दी गई है. विकास क्रियाकलापों के लिए निष्क्रिय अवलोकन करने का दृष्टिकोण तथा सरकार पर पूर्ण निर्भरता सर्वव्यापी हो गयी है. इसको लोगों के सक्रिय दृष्टिकोण

के पक्ष में उनको पहल शुरू करने हेतु बदला जाय. विकास प्रक्रिया में लोग प्रचालन करें तथा इसमें सरकार सहयोग दे. अतः इस योजना में, प्रथम बार इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थागत दृष्टिकोण को अपनाकर एक नयी दिशा दी जा रही है. योजना आयोग ने अब संस्थागत कार्यनीतियां तैयार की हैं जिसका अभिप्राय जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर विभिन्न लोक संस्थाओं को सृजित या सुदृढ़ करना है जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं से इन कार्यक्रमों को जोड़कर निचले स्तर पर लाभों को अनुकूलतम बनाने के साथ केन्द्रीय योजना में परिकल्पित निवेश उद्देश्यों को समन्वित किया जा सके. लोगों द्वारा चुनी गई पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को तैयार करने तथा कार्यन्वयन में और अधिक भूमिका निभानी होगी. उनमें पर्याप्त वित्तीय संसाधन, तकनीकी/प्रबंध संबंधी इनपुट तथा निर्णय लेने का प्राधिकार निहित करना होगा. स्वैच्छिक एजेंसियों तथा अन्य लोक संस्थाओं की भागीदारी प्रभावी-माइक्रो स्तरीय सहभागिता आयोजना के लिए अनिवार्य है.

- यह योजना निष्पादन मूलक है. यह अपनी आबंटनकारी भूमिका पर बल न देकर आबंटनों का अनुकूलतम रूप में उपयोग कैसे किया जाय, पर जोर देती है. इसमें निष्पादन सुधार, गुणवत्ता चेतना, प्रतिस्पर्धा, प्रचालन-दक्षता तथा समय पर परियोजनाओं को पूर्ण करने पर जोर दिया गया है. अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के फार्मूले को उपयुक्त रूप में संशोधित किया गया है.
- आठवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है. यदि लोगों को कमाने के पर्याप्त अवसर मिलें जहां वे रहते हैं तो वे शहरी क्षेत्रों में पलायन नहीं करेंगे. ऐसे रोजगार अवसरों के विस्तार के लिए रोजगार को राहत रूप में सृजन करने के बदले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी उत्पादनकारी परिसम्पत्ति निर्माण करके ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है. इन परिसंपत्तियों से उत्पादकता में वृद्धि तथा और अधिक काम करने के अवसर पैदा हो सकते हैं जिससे निरन्तर विकास हो सकेगा.
- परिवर्तन, आधुनिकीकरण तथा समायोजन के लिए संभावनासहित यह एक लचीली योजना है. परिव्यय जो राज्यों तथा कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए प्रस्तावित किया गया है उसमें संसाधनों का पर्याप्त रूप में काफी बड़ा घटक है जिसे राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा स्वयं जुटाना है. जब तक ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक, हमारे लिए इस योजना का वित्त पोषण करना संभव नहीं होगा. विद्युत, परिवहन तथा संचार जैसे कुछ क्षेत्रक भी हैं जिनके लिए यह महसूस करते हैं कि उनकी दी गई प्राथमिकताओं के अनुरूप और अधिक परिव्यय दिया जाना चाहिए था. इस संसाधन अंतर को इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रकों के निवेश द्वारा पूरा किया जाना चाहिए. हम राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों दोनों के साथ मध्य कालीन समीक्षा करना चाहेंगे और, यदि आवश्यकता हुई तो सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं.

माइक्रो आयाम

10. योजना अविध के दौरान औसतन 5.6 प्रतिशत वार्षिक योजना विकास का अनुमान लगाया गया है. राष्ट्रीय निवेश 798000 करोड़ रुपए और सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश 434100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है. संसाधनों की प्रत्याशित स्थिति के अनुरूप राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का आकार 186235 करोड़ रुपए तथा केन्द्रीय योजना का आकार 247865 करोड़ रुपए होने का अनुमान है. इसकी तुलना 180000 करोड़ रुपए के सातवीं योजना के परिव्यय के साथ की जा सकती है जिसमें 89,466 करोड़ रुपए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए और 95,534 करोड़ रुपए केन्द्र के लिए थे.

11. सार्वजनिक क्षेत्रक के परिव्यय का वित्त पोषण बजट सहायता और घरेलू और बाहरी ऋणों के जरिए किया जाता है. आठवीं योजना में कुल बजट सहायता 1991-92 की कीमतों पर 188,475 करोड़ रुपए है जो परिव्यय का 43.4 प्रतिशत है. ऐसे क्षेत्रकों के परिव्यय का निर्धारण करने में बजट सहायता महत्वपूर्ण घटक हो जाती है जिनकी आन्तरिक संसाधनों अथवा ऋणों तक पहुंच नहीं होती है. इसके अतिरिक्त, रेलवे सहित विद्युत एवं परिवहन जैसे वास्तविक आधारिक संरचना क्षेत्रों को कुछ न्यूनतम बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है यद्यपि

उनकी आंतरिक संसाधनों तथा उधारों तक पहुंच है।

योजना का आबंटन

12. आठवीं योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को किए गये आबंटनों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि केन्द्रीय मंत्रालयों को कुल बजटीय सहायता का लगभग 81.7 प्रतिशत सामाजिक, आधारिक संरचना तथा कृषि क्षेत्रों को गया है। यह सातवीं योजना में 70 प्रतिशत की तुलना में है।

13. क्षेत्रीय कार्यक्रमों सहित राज्यों का कुल योजना परिव्यय 179,985 करोड़ रुपए होगा। राज्य योजनाओं के लिए कुल बजटीय सहायता 78,500 करोड़ रुपए होगी। जिसमें सामान्य केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों एवं योजना राजस्व घाटा अनुदान के मुकाबले केन्द्रीय सहायता शामिल है। हमने अब राज्यों के लिए जो प्रावधान किया है वह सातवीं योजना के दो गुने स्तर से कुछ अधिक है।

14. कुल निवेश के अनुपात में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्रक पर निवेश घट रहा है। भूमि की सीमित उपलब्धता जिसके लिए गैर कृषि की मांगे भी बढ़ रही हैं, के दबाव के अधीन कृषि की वृद्धि जारी रखनी होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि पर है। हमें इस तथ्य को भी नहीं नकारना चाहिए कि रोजगार का दो तिहाई भाग कृषि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और हमारे निर्यात आय का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्रक से आता है। इसलिए कृषि क्षेत्रक को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निजी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयत्नों द्वारा सृजित किए गए एक अच्छे आधारभूत संरचना की पृष्ठभूमि में ही फल-फूल सकता है। कृषि में विकास की मुख्य जिम्मेवारी राज्यों की है और कृषि तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न करने होंगे। इस संदर्भ में उन पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा जिन्हें अभी तक हरित क्रांति के लाभ नहीं मिल पाये हैं।

रोजगार सृजन

15. यदि हमें शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना होगा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। केन्द्र ने ग्रामीण विकास विभाग के लिए सातवीं योजना में 4900 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय को (जिसका वास्तविक परिव्यय लगभग 10,800 करोड़ रुपए था.) आठवीं योजना में बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी तथा अधिक उत्पादनकारी बनाना होगा।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में राहत किस्म के रोजगार जुटाने के स्थान पर स्थायी उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर जोर देना होगा। उत्पादकारी परिसम्पत्तियां, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देती हैं वे हैं :--सभी मौसम में ग्रामीण सड़कें, लघु सिंचाई कार्यों जैसे टैंकों का रिसाव आदि, भूमि समतलीकरण तथा मृदा क्षरण की रोकथाम/मृदा का सुधार, सामाजिक वानिकी, स्कूल इमारतों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र इत्यादि। मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए किसी अतिरिक्त संसाधनों को निर्धारित पिछड़े जिलों तक सीमित रखना होगा।

आधारिक संरचना

17. छठी तथा सातवीं योजनाओं में विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए दृढ़ प्रयास किए गए हैं। हम सभी गांवों में बिजली पहुंचाने में समर्थ नहीं रहे किन्तु कुल मिलाकर उत्पादनकारी कार्यक्रमों विशेषतः उद्योग, कृषि तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराने में समर्थ रहे हैं। केन्द्र द्वारा मुख्य भूमिका निभाने के कारण ऐसा संभव हो सका है। पांचवी योजना के 6 प्रतिशत की तुलना में सातवीं योजना के दौरान

केन्द्रीय योजना द्वारा 45 प्रतिशत की अतिरिक्त क्षमता का योगदान किया गया केन्द्रीय परियोजनाओं द्वारा क्षेत्रीय ग्रिडों के सृजन में सहायता मिली है जिन्हें राष्ट्रीय ग्रिड बनाने में जोड़ा जा रहा है. विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय योजना की प्राथमिकता अब राष्ट्रीय विद्युत आपूर्ति प्रणाली में एकीकृत करने के प्रति होगी ताकि इसकी उपयोगिता में सुधार हो सके तथा वर्तमान प्रतिकूल हाइडल थर्मल मिक्स को सुधारा जा सके जो कि अब इतनी कम हो गयी है कि तापीय क्षमता के अनुकूल उपयोग के लिए खतरा बन गया है. इसे संभव बनाने के लिए राज्यों को विद्युत क्षमता बढ़ाने तथा लघु और मध्यम दर्जे की संबद्ध वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी. राज्य सरकारों से आठवीं योजना तथा नवीं योजना के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान मांग में वृद्धि के अनुरूप विद्युत क्षेत्रक के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित करने के लिए अनुरोध किया गया है. इन संसाधनों को राज्य बिजली बोर्डों तथा बिजली विभागों में ही जुटाना होगा, राज्य सरकारों से ऋणों द्वारा नहीं.

योजना का वित्त पोषण

18. आठवीं योजना की वित्त व्यवस्था प्रणाली तैयार करते समय हमारी प्रमुख चिंता उस कठिनाई से दूर रहना था, जिसमें हम सातवीं योजना के दौरान आ गए थे. सातवीं योजना को तैयार करते समय यह कल्पना की गई थी कि कुल सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय के लगभग 40 प्रतिशत की वित्त व्यवस्था चालू राजस्वों के शेष तथा सार्वजनिक उद्यमों के अंशदान द्वारा की जाएगी, दोनों में अतिरिक्त संसाधन जुटाना शामिल है. अंत में, चालू राजस्व शेष तथा सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का अंशदान कुल परिव्यय का 20 प्रतिशत मात्र था तथा शेष को ऋणों द्वारा पूरा किया गया. इससे एक आंतरिक ऋण-कठिनाई और भुगतान का गम्भीर संकट पैदा हो गया. हम उस स्थिति से बचना चाहते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय को ऐसे कम न किए जा सकने योग्य न्यूनतम स्तर पर सीमित करना चाहते हैं जो कि लक्षित संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है.

19. इसे प्राप्त करने के लिए हमें सरकार की गैर बचतों को, जो कि वर्ष 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत रिकार्ड किया गया था, आठवीं योजना अवधि में कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 1.1 प्रतिशत की औसत तक करना होगा. सरकार द्वारा अधिक बचतों का सृजन एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश की वित्त व्यवस्था प्रणाली के लिए जरूरी है. यह अनिवार्य है कि चालू राजस्व संतुलन का अंशदान आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय के 8 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, जबकि सातवीं योजना के दौरान यह 3 प्रतिशत था. राज्य सार्वजनिक उद्यमों के अंशदान में पर्याप्त रूप से सुधार होना चाहिए. योजना की वित्त व्यवस्था गैर-स्फीतिकारी तरीके से तथा आंतरिक और बाह्य दोनों ऋण कठिनाई से बचते हुए की जानी चाहिए. इसे प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाने तथा सब्सिडियों सहित व्यय को नियंत्रित करने, दोनों के संबंध में क्रठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है.

परिकल्पनाएं

20. आठवीं योजना की सफलता कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने पर निर्भर करती है. ये हैं : मूल्य स्थिरता का एक उचित स्तर, मात्रा संदर्भ में 13.6 प्रतिशत की निर्यात संवृद्धि दर, आयातों को सकल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर तक सीमित करना, 21.6 प्रतिशत की बचत दर तथा सरकारी गैर बचतों को 1.1 प्रतिशत तक सीमित करना. अर्थव्यवस्था में वर्तमान मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकना होगा. हमें संसाधनों को बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास करने होंगे. गैर-विकासात्मक व्यय में तीव्र रूप से कटौती करके विकासात्मक व्यय की वित्त व्यवस्था करने के लिए चालू राजस्व में एक अधिशेष सृजित करना चाहिए. हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जिन क्षेत्रकों में भुगतान की क्षमता है, उन्हें कब तक संसाधन संकट से बचने तथा वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए राजकोष में अंशदान करने के लिए अप्रयुक्त रहने दिया जाए. गैर-विकासात्मक व्यय में कटौती करते समय, हमें रक्षा, सब्सिडी तथा स्थापन लागतों पर संबंधी व्यय पर भी आलोचनात्मक दृष्टि रखनी होगी. कमजोर वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे यदि अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता का भार उठाने के लिए न कहा जाए.

भुगतान संतुलन

21. दूसरा नाजुक क्षेत्र जो ध्यान देने योग्य है, उसका संबंध भुगतान संतुलन से है। यह अत्यावश्यक है कि आठवीं योजना के दौरान, देश की भुगतान संतुलन स्थिति की आधारभूत कमियों को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएं। मूलतः यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान लेखा को सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत के बराबर के स्तर पर रखा जाए। निर्यात संभावना तथा आयात आवश्यकताओं के आगे के मूल्यांकन से यह निर्णय लिया गया है कि आठवीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत पर वर्तमान लेखा घाटा रखा जाए। इस स्तर पर वर्तमान लेखा घाटे को रखना आसान कार्य नहीं होगा। हमें कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को सीमित करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई है जो कि लगभग एक वर्ष पूर्व अनुमानित स्तर से भी नीचे हो गई है। इससे यह कार्य बहुत कठिन हो गया है। हमें आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त ऊर्जा इनपुट मुहैया कराना होगा। इस संदर्भ में वैकल्पिक ईंधन के व्यावसायिक दृष्टि से उपादेय स्रोतों को ढूंढना होगा और जोर देना होगा तथा खपत और समुचित मूल्य नीति पर कड़ी निगरानी रखनी होगी।

योजना कार्यान्वयन

22. अब हमें कार्यान्वयन के अनिवार्य क्षेत्र तथा आठवीं योजना में प्रस्तुत संकल्पनाओं को मूर्तरूप देने की ओर ध्यान देना चाहिए। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा रोजगार सृजन स्कीमों जैसे योजना कार्यक्रम तथा रोजगार सृजन स्कीमों जैसे योजना कार्यक्रमों के लाभ अभीष्ट लाभग्राहियों तक पहुंचें? मेरी दृष्टि से विकास की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी की जरूरत है। विकास कार्य में लोगों की भागीदारी तथा प्रत्येक बात में सरकार पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए हमने विभिन्न व्यावहार्य संस्थागत विकल्प सुझाने के लिए एक टास्कफोर्स का गठन किया था। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच हो रही है। टास्कफोर्स द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के क्रियान्वयन की ओर प्रथम कदम के रूप में, एक कार्य योजना तैयार करने तथा इस प्रक्रिया में उनका पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए मैंने स्वैच्छिक एजेंसियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में तैयार की गई कार्य योजनाएं क्रियान्वयन के लिए तैयार हैं। श्री-टियर संस्थागत प्रणाली सृजन के जरिए आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान 150 ब्लकों में माइक्रो स्तरीय सहभागी आयोजना का प्रयोग के बतौर शुरू करने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली को ग्रामीण ब्लक तथा जिला स्तर पर स्थानीय समुदायों की आवश्यकता है ताकि वे जरूरतों का पता लगा सकें, प्राथमिकताओं को तय कर सकें तथा लोगों के सामूहिक ज्ञान, विशेषताओं की जानकारी तथा सरकारी कार्यकर्ताओं के प्रशासनिक कौशल के उपयोग से योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। इसके लिए कार्यक्रमोन्मुखी दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें हम बिना किसी लचीलेपन के सभी ग्रामों में मानकीकृत क्रियाकलापों को निर्धारित करते हैं। संस्थागत दृष्टिकोण पर हमारा जोर सामुदायिक हथियार मुहैया कराना है जो यह तय करें कि वास्तव में लोग क्या चाहते हैं तथा इसे किस तरह से और अधिक प्रभावी रूप से पाया जा सकता है। संगठनात्मक ढांचा पहले ही तैयार किया जा चुका है और योजना के प्रथम वर्ष के दौरान हमारा 100 ब्लकों में पायलट परियोजनाएं शुरू करने का इरादा है। परिणामों के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रयोग को 500 ब्लकों तक बढ़ाया जाएगा।

23. कृषकों, व्यावसायिक समुदाय, बैंकिंग संस्थाओं, वैज्ञानिक संस्थाओं तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को साथ-साथ लाने की हमारे द्वारा की गई दूसरी पहल, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएसएसी) की स्थापना में, परिलक्षित हुई है। हमने 10 क्षेत्रों की पहचान की है जहां हमारे कृषि परिस्थितिकीय तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण हमें विश्वव्यापी मानकों के आधार पर तुलनात्मक लाभ हैं--खाद्यान्न फसलें, तिलहन, कपास, गन्ना, बागवानी, रेशम खेती, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, जल खेती, तथा कृषि वानिकी। इस संघ की स्थापना के जरिए, हम उत्पादन क्षमता के सुधार, तथा फसलोत्तर प्रोद्योगिकियों और उपयुक्त, विपणन नेटवर्क के विकास का इरादा रखते हैं। इससे रोजगार के अवसर पैदा करने तथा आय सृजन में मदद मिलेगी। एक पंजीकृत संस्था के रूप में इस संघ की स्थापना के लिए सभी, छोटी-छोटी औपचारिकताएं अब तक पूरी कर ली गई हैं और यह आशा है कि संघ शीघ्र ही कार्य करना आरंभ कर देगा।

24. हम एक निगरानी प्रणाली को भी तैयार कर रहे हैं जो हमें योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राज्य सरकारों के निष्पादन के संकेत समय पर देगी मुझे आशा है कि हमारे द्वारा किए गए उपायों से योजना का और अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी तथा क्रियान्वयन संभव होगा.
25. राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को विशिष्ट सुझाव देने के लिए हम वित्तीय व्यवस्था, जनसंख्या तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का व्यवसायीकरण, बागवानी तथा लघु स्तरीय योजना क्षेत्रों में परामर्शदाता समूह आरंभ करने का प्रस्ताव करते हैं. प्रत्येक समूह में सरकारी अभिकरणों तथा साथ ही साथ शैक्षिक तथा व्यावसायिक निकायों के विशेषज्ञों का एक पेनल होगा. राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से निमंत्रण मिलने पर ये समूह उनके साथ विकास तथा समस्या समाधान के चुने हुए क्षेत्रों में कार्य करेंगे. व--"संघटकों" के रूप में भी कार्य करेंगे तथा सरकार के प्रमुख स्कों के बीच संचार का प्रभावपूर्ण माध्यम तथा सामंजस्य स्थापित करेंगे.
26. आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में हमारे पास एक ऐसा भारत है जिसके पास औद्योगिकरण के लिए प्रचुर क्षमता सहित भिन्न-भिन्न आधारिक संरचना है. अधिकतर गांवों में बिजली के मार्ग हैं तथा वे शीघ्र ही आधुनिक दूर संचार नेटवर्क की पहुंच में होंगे. आय और उपभोग स्तर बढ़ गया है. उपभोग अनेकीकृत हो गया है. गरीबी कम हो गई है. औसत जीवन संभावना बढ़ गई है. मृत्यु तथा जन्म दर भी कम हो गई है. साक्षरता में सुधार हुआ है तथा शैक्षिक आधार व्यापक हो गई है. अब हमारे पास एक संतुलित तथा लचीली कृषि अर्थव्यवस्था है जो कि खाद्य उत्पादी उत्पादन में करीब करीब आत्म निर्भर है. हमारे पास कुशल जन शक्ति तथा प्रचुर उद्यमशील संसाधन हैं. आठवीं योजना से कम से कम एक दशक पूर्व का विकास प्रदर्शन अच्छा रहा है. पिछले वर्ष आरम्भ की गई उदारीकरण प्रक्रिया जोर पकड़ रही है तथा नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं.
27. इस पृष्ठभूमि में हम आठवीं योजना प्रारंभ कर रहे हैं. यह योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के प्रति हमारी वचनबद्धता की द्योतक है. यह योजना आश्वासनों की उस इमारत पर बनी है, जो हमने राष्ट्र से किए हैं. इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि हम किस प्रकार अपने वचनों तथा आश्वासनों को पूरा करते हैं.


प्रणव मुखर्जी

(प्रणव मुखर्जी)

उपाध्यक्ष,

योजना आयोग

नई दिल्ली,
18 जून, 1992



अध्याय 1

उद्देश्य और दिशा निर्देश

1.1.1 अप्रैल, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ होने से विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसका उद्देश्य केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही नहीं था बल्कि, अपने जीवन को और अधिक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण बनाने के लिए उन्हें नए अवसर प्रदान करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही विकास, आधुनिकीकरण, आत्म-निर्भरता और सामाजिक न्याय की योजना बनाई गई। पिछले चालीस वर्षों में हमने इस दिशा में काफी रास्ता तय कर लिया है। स्वतंत्रता मिलने के समय हमारी अर्थ-व्यवस्था अधिकांशतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी जिसने आज एक अति विकसित और अति वैविध्यपूर्ण आधारभूत संरचना वाली अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया है जिसमें औद्योगिकीकरण की असीम संभावना निहित है। आय और खपत के स्तर में काफी वृद्धि हुई है। खपत में विविधता आई है और गरीबी का बोझ कुछ कम हुआ है। साक्षरता की स्थिति में सुधार हुआ है और शिक्षा का आधार विस्तृत हुआ है।

1.1.2 आज हम सुदृढ़, गतिशील तथा समुत्थानवादी कृषि अर्थव्यवस्था का विकास करके खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गए हैं। हम अपने औद्योगिक एवं सेवा ढांचे में विविधता लाने में सफल हुए हैं। हमारे पास पर्याप्त कुशल जनशक्ति है और प्रचुर मात्रा में औद्योगिक क्षमताएं हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व की लगभग एक दशक अवधि के दौरान विकास की दर बहुत प्रभावशाली रही है। आगे प्रगति के लिए हमारे पास साधन मौजूद हैं। इस प्रकार आठवीं योजना का कार्य और अधिक विकास के लिए इन संसाधनों का सही इस्तेमाल करना तथा भविष्य में और अधिक (उच्च) विकास दर के लिए मजबूत आधार प्रदान करना है।

1.1.3. पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लगातार बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे और विदेशी मुद्रा संसाधनों के यकायक समाप्त हो जाने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे आर्थिक प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ा,

जिससे निम्नलिखित परिणाम हुए – आयातों पर नियंत्रण कठोर हो गया, मुद्रास्फीति की दर और बढ़ गई और औद्योगिक क्षेत्र में मंदी की स्थिति आ गई। इस प्रकार आठवीं योजना के आधार वर्ष अर्थात् वर्ष 1991-92 में विकास दर के बेहद कम होने की संभावनाएं पैदा हुईं। इस संबंध में सुनियोजित राजकोषीय सुधार लाकर तथा नीतिगत परिवर्तन करके पहले ही सुधारात्मक उपाय शुरू कर दिए गए हैं। चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भविष्य में उच्चतर विकास दर के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना और समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों अर्थात् लोगों के रहन-सहन तथा उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार करना, उन्हें पूर्ण रोजगार प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या में योजनाबद्ध तरीके से कमी लाना आदि – को प्राप्त करना है, अतः इसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के विकास संबंधी कुछ प्रतिमानों का पुनः निर्धारण करना आवश्यक होगा।

1.1.4 भारतीय अर्थव्यवस्था परिदृश्य में सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी, सार्वजनिक क्षेत्र से यह अपेक्षा थी कि वह विकास के लिए आधारभूत संरचना तैयार करे, जोखिम उठाने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मार्ग प्रशस्त करे, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करे, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करे और ऐसा माहौल तैयार करे जिसमें सबके लिए समान अवसर हों तथा सब को सामाजिक न्याय मिल सके। सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हुआ भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस विस्तार और प्रभाव को, मात्र “सकल घरेलू उत्पाद” में इसके योगदान की मात्रा या पूंजी निवेश के आधार पर नहीं मापा जा सकता। इसकी पहुंच जीवन के हर पहलू तक है। इस प्रक्रिया में लोग सार्वजनिक क्षेत्र पर इतने निर्भर हो गए हैं कि कार्यकुशलता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण कारकों को भुला दिया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी और पहल करने की इच्छा शक्ति कुन्द पड़ गई है। हमारी अनेक सार्वजनिक क्षेत्र

की इकाइयों ने कछुए की चाल वाले अकुशल दानव का रूप धारण कर लिया है। इस क्षेत्र में व्याप्त शिथिलता विकास के लिए अनुकूल नहीं है। सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र ही पूरा कर सकता है जिसके लिए इसकी कार्यकुशलता और उत्पादन को बढ़ाना होगा। साथ ही जो कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के निर्वाह के लिए अनिवार्य नहीं हैं, उनसे इसे अलग करना होगा। आठवीं योजना को यह दिशापरक कार्य करना होगा।

1.1.5 आठवीं योजना को सरकार की भूमिका की पुनः जांच और पुनः निर्धारण करने के साथ-साथ योजना प्रक्रिया को भी नए सिरे से निर्धारित करना होगा। विकासात्मक कार्यों और सामाजिक विकास के कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय करने होंगे। इसे लोगों की सहभागी संस्थाओं को मजबूत करना होगा। उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना की प्रक्रिया का पुनः निर्धारण करना होगा ताकि योजना को अधिकांशतः उद्देश्यपरक बनाया

जा सके। तदनुसार योजना आयोग की भूमिका में कुछ परिवर्तन होगा। योजना आयोग को भावी प्रवृत्तियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक मानकों के अनुरूप देश के विकास में उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए एकीकृत कार्यनीति विकसित करनी होगी। संसाधन आवंटन की भूमिका के स्थान पर, जो विगत में योजना आयोग की कार्य प्रणाली की विशेषता रही है, इसे सीमित उपलब्ध संसाधनों की अनुकूलतम उपयोगिता प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। इसे उच्च उत्पादकता और राज्यों और केन्द्र दोनों स्थानों पर लागत कार्य कुशलता पैदा करनी होगी साथ ही अनिवार्य सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसे व्यापक रूपरेखा उपलब्ध करानी होगी। आयोग को उन क्षेत्रों का भी निर्धारण करना होगा जहां बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए अग्रिम कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार योजना आयोग को समाज के एक ऐसे सपने को समुचित नीति उपकरणों के जरिए साकार करना होगा। इस प्रकार दिशा-परक योजना-बद्ध विकास एक अत्यंत कठिन कार्य है।

सारणी 1.1

भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, निवेश दर और वृद्धिशील पूंजी लागत अनुपात (1951-1990)

| क्र. सं. | अवधि | सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि गुणक लागत प्रतिशत | निवेश दर प्रतिशत | वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात |
|----------|---------------------|--|------------------|--------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1951-52 से 1955-56 | 3.61 | 10.66 | 2.95 |
| 2. | 1956-57 से 1960-61 | 4.27 | 14.52 | 3.40 |
| 3. | 1961-62 से 1965-66 | 2.84 | 15.45 | 5.44 |
| 4. | 1966-67 से 1970-71 | 4.66 | 15.99 | 3.43 |
| 5. | 1971-72 से 1975-76 | 3.08 | 17.87 | 5.80 |
| 6. | 1976-77 से 1980-81 | 3.24 | 21.47 | 6.63 |
| 7. | 1981-82 से 1985-86 | 5.06 | 20.98 | 4.15 |
| 8. | 1985-86 से 1989-90 | 5.81 | 22.70 | 3.91 |
| 9. | 1985-86 से 1991-92* | 5.31 | 23.01 | 4.33 |

नोट : ये प्राकलन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की नई सीरीज के आधार पर हैं।

*सात वर्ष की अवधि के लिए (1985-86 से 1991-92 तक) औसत वृद्धि दर निवेश दर तथा वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात का परिकलन 1990-91 के लिए वृद्धि और निवेश-दर को शामिल करके, जैसे कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के त्वरित प्राकलन (जिसे फरवरी 1992 में जारी किया गया है) में सूचित किया गया है और 1991-92 के लिए 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर (जैसा कि 1991-92 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान किया गया है) तथा 1991-92 के लिए 23.01 की एक औसत निवेश दर मानकर किया गया है।

1.1.6 आठवीं पंचवर्षीय योजना ऐसे समय में शुरू की जा रही है जबकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश परिवर्तन के क्रांतिकारी मोड़ पर है। विश्व में सारी अर्थव्यवस्थाएं विघटित हो रही हैं। इसके विपरीत, अनेक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं बाजार और उदार नीतियों से प्रेरित होकर विकास के समान दर्शन के अन्तर्गत एकीकृत हो रही हैं। प्रतिस्पर्धा से प्रेरित स्वायत्ता और कार्यकुशलता पर बल देना होगा। हम इन प्रवृत्तियों से अछूते नहीं रह सके। भारत को पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य राष्ट्रों के विकास अनुभव से सबक लेना होगा। भारत के 1951 में अपनी योजना शुरू करने के समय कोरे सिद्धान्तों पर आधारित विकास योजना प्रणाली का आधार अब अनुभव जन्म व्यावहारिक ज्ञान हो गया है। अब योजना अनेक राष्ट्रों के सम्पन्न अनुभव पर आधारित है, जिनमें सफलताओं और असफलताओं का इतिहास है। भारतीय आयोजना को इनमें से कुछ अनुभवों को अपनाने की जरूरत है। इसे पिछले 4 दशकों के दौरान प्राप्त अपने निजी अनुभवों से लाभ उठाने की भी आवश्यकता है। यदि आयोजना को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो इसे उपयुक्त मध्यावधि संशोधनों तथा समायोजनों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रक्रिया में कुछ प्रथाओं तथा पिछली संकल्पनाओं

जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, को छोड़ना आवश्यक होगा तथा स्वयं एवं अन्य राष्ट्रों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर नई परिपाटियों तथा संकल्पनाओं को स्वीकार करना होगा।

विकास की गति

1.2.1 इस शताब्दी के पहले पचास वर्षों के दौरान स्थिर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनायें आरम्भ होने के बाद गति आई। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में विकास की दर अपेक्षाकृत कम रहेगी और विकास के प्रथम तीन दशकों में वार्षिक दर 3.5 प्रतिशत के आस-पास ही बनी रही। अस्सी के दशक में ही इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुईं। इस दशक में विकास की दर प्रतिवर्ष लगभग 5.5 प्रतिशत रही। इस परिवर्तन में कृषि आय में परिलक्षित वृद्धि, प्रति व्यक्ति खपत की दर में हुई बढोतरी और पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी, जो इस बात का प्रमाण है कि पूंजी का अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया, (सारणी 1.1) आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियां एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाली प्रवृत्तियां हैं।

सारणी 1.2

बचत दरें (1951-90)

| क्र. सं. | अवधि | घरेलू क्षेत्र | निजी कंपनी क्षेत्र | सार्वजनिक प्राधिकरण | प्रतिशत | | |
|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | | गैर डीईपी उद्यम | सार्वजनिक क्षेत्र | समी क्षेत्र |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1951-52 से 1955-56 | 7.57 | 1.03 | 1.49 | 0.19 | 1.68 | 10.28 |
| 2. | 1956-57 से 1960-61 | 8.59 | 1.21 | 1.55 | 0.38 | 1.93 | 11.73 |
| 3. | 1961-62 से 1965-66 | 8.37 | 1.71 | 2.59 | 0.54 | 3.13 | 13.21 |
| 4. | 1966-67 से 1970-71 | 10.64 | 1.31 | 1.70 | 0.70 | 2.40 | 14.35 |
| 5. | 1971-72 से 1975-76 | 12.40 | 1.64 | 2.15 | 1.09 | 3.24 | 17.27 |
| 6. | 1976-77 से 1980-81 | 15.71 | 1.61 | 2.86 | 1.46 | 4.32 | 21.65 |
| 7. | 1981-82 से 1985-86 | 14.02 | 1.69 | 1.20 | 2.45 | 3.65 | 19.36 |
| 8. | 1985-86 से 1989-90 | 16.01 | 2.03 | -0.87 | 3.21 | 2.34 | 20.37 |

1.2.2 विकास के लिए आवश्यक वित्तीय राशि घरेलू बचतों से जुटाई गई है। भिन्न भिन्न अवधियों में इन बचतों का योगदान निवेश में 90 से 95 प्रतिशत के बीच रहा। बचत की जो दर वर्ष 1951-56 के दौरान औसतन सकल घरेलू उत्पाद की 10.3 प्रतिशत थी, वह वर्ष 1976-81 के दौरान बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 21.7 प्रतिशत हो गई (सारणी 1.2)। पर अस्सी के दशक में इस दर में गिरावट आई थी जिससे इसका औसत लगभग 20 प्रतिशत रहा था, गत दो तीन वर्षों में एक बार फिर बचत दर में वृद्धि हुई, जिससे यह औसत सकल घरेलू उत्पाद के 21 और 22 प्रतिशत के बीच रहा। घरेलू बचतों में सबसे अधिक अंशदान परिवारों का रहा जिसमें उनका हिस्सा निरंतर बढ़ता गया। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की बचत दर अन्य अनेक विकासशील देशों की तुलना में बहुत अच्छी रही है। किन्तु हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ बाधक प्रवृत्तियाँ भी देखने को मिली हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में गिरावट आई है। विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1983-84 में बचतों का रुख नकारात्मक रहा है और तब से यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है।

1.2.3 बचत दर में उत्तरोत्तर वृद्धि निवेशकी दर में वृद्धि उसी अनुपात में जारी है। वर्ष 1951-56 की अवधि में सकल घरेलू उत्पादन की लगभग 10.7 प्रतिशत निवेश दर वर्ष 1985-92 की अवधि में बढ़कर लगभग 23 प्रतिशत हो गई। निवेश की दर में सबसे अधिक वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र में हुई है। कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 1950-51 में 27 प्रतिशत से बढ़कर सातवीं योजना में 46 प्रतिशत हो गई। योजना के प्रथम तीन दशकों में अर्थव्यवस्था की विकास दर निवेश के बढ़ते हुए स्तरों के अनुरूप नहीं रही। इस बीच पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि हुई, इस प्रवृत्ति के लिये कई बातें उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ तो विकास योजना की प्रक्रिया के ही परिणाम हैं जैसे निवेश में हिस्सेदारी में परिवर्तन (उदाहरणार्थ - इंजीनियरिंग उद्योगों से रासायनिक उद्योगों में निवेश) और सिंचाई तथा खनिज विकास के क्षेत्रों में वास्तविक लागत में वृद्धि आदि। किन्तु ये परिवर्तन पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि के कारणों को पूर्णतः नहीं दर्शाता। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनसे बचा जा सकता था और जिनमें से अधिकांश को "संसाधनों के उपयोग में अकुशलता" का नाम देकर एक साथ मिलाया जा सकता था। अनेक परियोजनाओं के निष्पादन में समय और लागत वृद्धि भी काफी हुई है। पूंजी उपयोग का स्तर निम्न रहने का एक कारण परस्पर

सम्बद्ध परियोजनाओं का कार्यान्वयन साथ-साथ न किया जाना भी है। तथापि अस्सी के दशक में अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उसी अनुपात में वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात में भी गिरावट आई। पिछले तीन दशकों के दौरान आधारभूत संरचना का निर्माण और क्षमताओं का विकास करने के लिए की गई लगातार तैयारी से ही निश्चित रूप में अस्सी के दशक में विकास दर में वृद्धि बराबर रखी जा सकी। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात में और अधिक कमी लाने और इस प्रकार उत्पादन लागत को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अभी और अधिक बढ़ाने की गुंजाइश है।

1.2.4 भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे का स्वरूप इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि अधिकांशतः कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। यही कारण है कि कृषि ही सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है और निवेश संयोजन (इनपुट लिंकेज) रोजगार तथा आय आदि अन्य क्षेत्रों पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है। पूर्व दशकों की तुलना में अस्सी के दशक में कृषि की औसत उत्पादन (विकास) दर में कुछ सुधार हुआ (सारणी 1.3)। अन्य क्षेत्रों का तेजी से विकास होने के कारण सकल घरेलू उत्पादन में अब कृषि क्षेत्र का हिस्सा (शेयर) लगभग 33% हो गया है जबकि पचास के दशक के आरम्भ में यह लगभग 55 प्रतिशत था (सारणी 1.4)। तथापि यह अभी भी बहुत अधिक है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण कृषि उत्पादन में भी वर्ष प्रति वर्ष घट-बढ़ होती रहती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई और विद्युत निश्चित आधार पर उपलब्ध है उन क्षेत्रों में उच्च पैदावार वाली किस्मों और विविधता की दृष्टि से कृषि क्षेत्र की उपलब्धि उल्लेखनीय रही है, पूर्वी क्षेत्र और सूखे क्षेत्रों में इन प्रवृत्तियों को मजबूत किए जाने की विशेष आवश्यकता है। कृषि आय के औसत स्तर को ऊपर उठाने और निर्यात सम्भावनाओं को बढ़ाने तथा निर्यात में योजित मूल्य में बढ़ोतरी को बरकरार रखने के लिए खेती के साथ-साथ कृषि-व्यवसाय करने को प्रोत्साहित किए जाने की भी आवश्यकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना इन कार्यों के लिए समर्पित होगी।

1.2.5 विनिर्माण पर हमारा भावी आर्थिक विकास अवलंबित है। निर्यात वृद्धि प्रतिस्पर्धा क्षमता की वृद्धि और उत्पादनकारी रोजगार में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष वृद्धि के लिए विस्तार की संभावनाएं, हमारे राष्ट्र के विनिर्माण क्षेत्र के विकास और उसकी दक्षता पर निर्भर है। इस क्षेत्र को उत्तम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और बदले में यह क्षेत्र देश को व्यापक

प्रौद्योगिकी आधार देने में सहायक हो सकेगा। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अच्छी शुरूआत के बाद विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर में साठ के दशक के अंत में और सत्तर के दशक के दौरान गिरावट आई किन्तु आठवें दशक के दौरान विकास दर में पुनः वृद्धि हुई सारणी (1.3) अस्सी के दशक के दौरान विकास दर में जो वृद्धि हुई वह आयात और औद्योगिकी नीतियों को उदार बनाए जाने तथा आधारभूत क्षेत्रों, विशेष रूप से ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत बेहतर विकास के फलस्वरूप थी। विदेशी मुद्रा संकट, आयात पर रोक तथा संसाधनों के सामान्य अभाव के कारण मांग नियंत्रित रही, और विनिर्माण क्षेत्र को 1991-92 में आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। किन्तु उपचारात्मक उपायों के असर से जिनका कि कार्यान्वयन हो रहा है, औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में फिर से गति आने की संभावना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास, आधुनिकीकरण और उत्पादकता में वृद्धि के लिए ठोस आधार तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए, तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों को स्पष्टतः बताया जाना चाहिए।

1.2.6 प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधार रही है। सिंचाई उर्जा तथा परिवहन क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश योग्य (पूंजीगत) संसाधनों का बड़े पैमाने पर आवंटन करके खाद्यान्न और आधारभूत उद्योगों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए कार्य नीति तैयार की गई है। परियोजना कार्य के निष्पादन के अनुभवों से परियोजना को पूरा करने की अवधि के समयान्तराल को कम किया जा सकता है। अस्सी के दशक के दौरान विद्युत, रेलवे, कोयला, तेल आदि क्षेत्रों के योजना लक्ष्यों की कमियां काफी हद तक दूर हुई। इससे वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात में भी कमी आई। तकनीकी और वित्तीय दोनों ही दृष्टियों से परियोजनाओं के संचालन की क्षमताएं निवेश के लिए निर्णय लिए जाने के समय की गई परिकल्पनाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। नियंत्रण मुक्त बाजार न रहने के कारण लागत कम करने की प्रवृत्ति का अभाव रहा। माल और सेवाएं सामान्यतः लागत के ऊपर लाभ के आधार पर निर्धारित की गई कीमतों पर उपलब्ध कराई गई। इन क्षेत्रों में अपनाई गई नियंत्रित मूल्य व्यवस्था अकुशलता पर कारगर नियंत्रण नहीं रख सकी। उपभोक्ताओं के विशिष्ट वर्गों के लिए मूल्यों की लागत से कम रखने की नीति (सबसिडाईजिंग) के निम्नलिखित दो परिणाम देखने को मिले। प्रथमतः यह व्यवस्था इतनी पारदर्शी नहीं हो सकी जिससे कि लागत मूल्य तथा उससे मिलने वाले सामाजिक लाभ साफ तौर पर परिलक्षित होते। दूसरे, उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों की

आधारभूत सेवाओं की मांग इतनी अधिक बढ़ गई कि इस क्षेत्र में लगातार तंगी बनी रही। लागत निरपेक्ष व्यावसायिक दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि ये क्षेत्र स्वयं अपने विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में भी अक्षम रहे, अन्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उत्पादन तो दूर की बात रही।

1.2.7 अभी हाल ही के वर्षों में ये क्षेत्र अपने लिए पूंजी सीधे बाजार से ही बाजार दरो पर जुटाने का प्रयास करते रहे हैं, जो पूंजी की कमी को स्पष्ट परिलक्षित करती है। निजी उद्यमियों के स्तर पर लागत जागरूकता विकसित हो रही है। विकास की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि इन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण एवम् कार्यप्रणाली में सुधार पर बल दिया जा रहा है। विकास के लिए आधारभूत क्षेत्रों का कुशल संचालन अनिवार्य आवश्यकता है।

1.2.8 विकास की इस प्रक्रिया से स्वयं अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन उत्पादन के क्षेत्रीय स्वरूप में परिवर्तन, कार्यकलापों में विविधता, उन्नत प्रौद्योगिकी और सामंती तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की धीरे-धीरे आधुनिक तथा औद्योगिक राष्ट्र के रूप में परिणति आदि के रूप में उभर कर सामने आए हैं। योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय की संघटना में भी निरंतर परिवर्तन हुए हैं (सारणी 1.4)। इस अवधि में एक ओर जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा कृषि से जुड़े क्रियाकलापों की हिस्सेदारी में कमी आई वहीं दूसरी ओर तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि भी हुई। सेवाओं का विस्तार न केवल रोजगार बढ़ाने की दिशा में बल्कि पूरी प्रणाली की कार्यकुशलता को बेहतर और जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहायक सिद्ध हुआ। ध्यान देने की बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें, विस्तार कार्य, अनुसंधान तथा अनुप्रयोग आदि सभी सेवाओं के क्षेत्र (सर्विसेज सेक्टर) में आते हैं, और इन सबका जीवन स्तर तथा उत्पादकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। जहां तक सेकेन्ड्री क्षेत्र का संबंध है योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि का संबंध मुख्यतः विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति जैसे आवश्यकताओं की बेहतर उपलब्धता और पूंजीगत विनिर्माण में वृद्धि से है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी भी बहुत अधिक है किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार इसका अनुपात टरशियरी क्षेत्र की तुलना में कम रहा है। यह विकास की गति को तेज करने के लिए किये गए महत्वपूर्ण उपायों का परिणाम है।

सारणी 1.3

सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार वृद्धि

(1980-81 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद सीरिज पर आधारित प्रतिशत प्रतिवर्ष)

| क्र.सं. | क्षेत्र | 1951-52 | 1956-57 | 1961-62 | 1966-67 | 1971-72 | 1976-77 | 1981-82 | 1985-86 |
|---------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | से 1955-56 | से 1960-61 | से 1965-66 | से 1970-71 | से 1975-76 | से 1980-81 | से 1985-86 | से 1989-90 |
| 1 | कृषि | 2.88 | 3.35 | -0.28 | 5.36 | 2.33 | 1.33 | 3.16 | 3.59 |
| 2 | खान और खदान | 4.40 | 6.96 | 6.76 | 1.31 | 5.38 | 4.53 | 6.91 | 7.03 |
| 3 | विनिर्माण | 5.84 | 6.28 | 6.62 | 3.96 | 3.33 | 4.86 | 6.99 | 6.72 |
| 3.1 | रजिस्ट्रीकृत | 6.18 | 8.24 | 8.34 | 4.67 | 2.39 | 5.28 | 8.56 | 6.30 |
| 3.2 | अरजिस्ट्रीकृत | 5.62 | 4.38 | 4.60 | 3.16 | 4.61 | 4.39 | 4.88 | 7.41 |
| 4 | बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति | 8.68 | 12.00 | 12.84 | 9.54 | 6.83 | 6.91 | 8.41 | 9.60 |
| 5 | निर्माण | 6.80 | 6.70 | 6.83 | 4.36 | 1.47 | 5.11 | 3.36 | 4.06 |
| 6 | ट्रेड होटल और रेस्तराँ | 4.79 | 5.77 | 5.39 | 4.22 | 4.10 | 4.49 | 5.96 | 6.57 |
| 7 | परिवहन, भंडारण और संचार | 4.38 | 6.99 | 6.27 | 4.72 | 6.54 | 5.78 | 6.81 | 8.04 |
| 8 | वित्त पोषण आदि | 3.12 | 2.83 | 3.31 | 3.54 | 3.61 | 4.56 | 6.39 | 8.27 |
| 9 | लोक प्रशासन और प्रशिक्षण | 3.45 | 6.83 | 8.97 | 6.83 | 4.89 | 5.89 | 6.76 | 8.69 |
| 10 | अन्य सेवाएँ | 2.79 | 3.32 | 4.24 | 3.61 | 2.95 | 3.00 | 4.56 | 6.12 |
| 11 | जोड़ | 3.61 | 4.27 | 2.84 | 4.66 | 3.08 | 3.24 | 5.06 | 5.81 |

1.2.9 देश को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में सुदृढ़ आधार स्थापित करने में सफलता मिली है। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों से लैस एकीकृत प्रणाली, कृषि विश्वविद्यालय और विस्तार मशीनरी की स्थापना हो चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र में भी औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जाल बिछ चुका है। प्रमुख उद्यमों में अनुसंधान और विकास प्रभाग खोले गए हैं तथा परियोजना परामर्श और डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए परामर्श देने वाली फर्म उपलब्ध है। विश्व में भारत अब वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्य बल वाला तीसरा बड़ा देश है। तथापि, विश्व के उन्नत देशों के बराबर पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। हमें अपनी कार्यप्रणाली की क्षमता को बढ़ाने पर भी अत्यधिक ध्यान देना होगा ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इसमें पूरी तरह सामंजस्य किया जा सके तथा आवश्यकता होने पर इसे और उन्नत किया जा सके। प्रौद्योगिकी प्रगति का अंतिम लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि करना, भूमि, जल तथा खनिज जैसे आधारभूत संसाधनों के उपयोग में दक्षता हासिल करना तथा आय और रोजगार में वृद्धि करना है।

परिवर्तन की आवश्यकताएं

1.3.1 विकास के दौर में अनेक कठिनाइयों से गुजरने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आरम्भ से ही संसाधनों और सामग्री के अभाव से ग्रस्त रही है। अभाव की इस स्थिति को सरकारी नियंत्रणों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया गया। उत्पादन और आयात के लिए लाइसेंस वितरण प्रणाली पर नियंत्रण नियंत्रित मूल्य और आर्थिक सहायता की व्यवस्था उपर्युक्त प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं थीं। इस नियंत्रण व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को ऋण जाल और उपभोग की अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति अवरूद्ध हो जाने से उत्पन्न हुए सामाजिक असंतोष जैसी गम्भीर मुश्किलों से बचा लिया। अर्थव्यवस्था युद्धों, सूखे की स्थितियों और तेल संपदा के अभाव के बावजूद भी जीवित रह सकी। किन्तु जिन लोगों तक नियंत्रित व्यवस्था के तहत संसाधन पहुंचे उन्हें ही अधिक लाभ भी मिला। निहित स्वार्थ पनपे, नियंत्रित ढांचे से यह अपेक्षा थी कि उपभोक्ताओं की उन लोगों से रक्षा की जा सकेगी जिन्होंने इस व्यवस्था के तहत उत्पादन के लिए संसाधन प्राप्त किए हैं। किन्तु इससे उपभोक्ता तथा आम आदमी के बजाय ऐसे उत्पादकों को ही अधिक लाभ मिला जिन्होंने नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन के साधन प्राप्त कर लिये थे।

1.3.2 सम्पत्ति के पुनर्वितरण द्वारा समता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। किन्तु भूमि सुधार कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सका। गरीबी की समस्या का समाधान भी विकास के साथ नहीं किया गया चूंकि विकास दर भी लम्बे समय तक धीमी ही रही। अतः गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में सीधे हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र योजना में सरकार की हिस्सेदारी के अंतर्गत स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए। किन्तु सरकारी संसाधनों के सीमित होने के कारण इन कार्यक्रमों की भूमिका भी सीमित हो गई। इसके अलावा इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों के निर्माण के स्थान पर सहायता के रूप में रोजगार प्रदान करना हो गया और ये कार्यक्रम बड़ी मात्रा में लीकेज के शिकार हुये।

1.3.3 जनसंख्या में वृद्धि की लगातार उच्च दर के कारण भारत की जनसंख्या आसमान छू रही है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या अब 84.4 करोड़ हो गई है। कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में राष्ट्र जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उन्हें इस चकित करने देने वाली जनसंख्या वृद्धि दर ने व्यर्थ बना दिया है। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवास क्षेत्रों पर असहनीय बोझ हो गया है। यदि इस प्रवृत्ति को रोकना नहीं गया, तो लाखों लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दिला पाना कभी सम्भव नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि की चालू दर आम तौर पर ऐसी नहीं रहेगी।

1.3.4 बढ़ती हुई बेरोजगारी अस्सी के दशक की प्रमुख समस्या रही है। यही हाल रहा तो नब्बे के दशक में यह समस्या और अधिक विकराल रूप धारण कर लेगी। इस दशक में योजना के सामने प्रमुख चुनौती नौकरी की तलाश में लगे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

1.3.5 हमारी संपूर्ण आबादी को बुनियादी जरूरतें भी उपलब्ध नहीं है विशेष रूप से पीने का पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है और साक्षरता दर, विशेष रूप से महिलाओं में, बहुत कम है। विकास के अगले चरण में समाज के आधारभूत ढांचे पर बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा।

1.3.6 पिछले दो दशकों में अत्यधिक शहरीकरण हुआ है। यदि शहरीकरण की यही रफ्तार रही तो इस शताब्दी के अंत तक शहरी जनसंख्या हमारी कुल जनसंख्या की एक तिहाई तक पहुंच जाएगी।

इतनी शहरी जनसंख्या के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी।

1.3.7 हालांकि अस्सी के दशक में कुछ पिछड़े राज्यों में सुधार के थोड़े संकेत मिले हैं तथापि क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी विद्यमान हैं, विकास और पुनर्वितरण द्वारा न्याय की समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों में लगी संस्थाओं और संगठनात्मक क्षमताओं के सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी।

1.3.8 कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों के कारण फसलों की पैदावार में तीव्रता आई है, किन्तु विकसित कृषि के क्षेत्र में और अधिक संख्या में श्रमिकों की खपत में गिरावट आई है। इसलिए इस क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में अधिक विविधता लाए जाने की आवश्यकता है। औसत जोतों के आकार में हो रही लगातार कमी निवेश की विशेष आवश्यकताओं, छोटी-छोटी जोतों के लिए पूंजी, प्रसस्करण और विपणन आदि सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

1.3.9 संसाधनों को दीर्घकाल तक बनाए रखने की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों - भूमि, जल, खनिज पदार्थ आदि का कुशल प्रबंध अत्यधिक आवश्यक हो गया है। परती भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने तथा हरित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रयास करने होंगे। प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अनेक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। बढ़ती हुई आवश्यकताओं और ईंधन के प्राकृतिक स्रोतों में हो रही लगातार कमी को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

1.3.10 सारी स्थिति का जायजा लेने पर हम यह पाते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में लोगों की सामाजिक उपभोग की आवश्यकताओं, विशेष रूप से ग्रामीण लोगों और गरीब लोगों की उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में बड़ा बैकलाग है। देश में गरीबी और भुखमरी की मात्रा हालांकि कुछ कम हुई है लेकिन अभी भी वह बहुत ज्यादा है और कुछ क्षेत्रों में तो अत्याधिक है। निरक्षरता की दर तो विशेष रूप से महिलाओं में बहुत अधिक है। शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। मैला डोने जैसी पतित सामाजिक प्रथा देश के अधिकांश भागों में आज भी प्रचलित है। श्रमिक बल और रोजगार दर के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसने गम्भीर समस्या का रूप धारण कर लिया है।

1.3.11 इन चुनौतियों के रहते विकास की मांगों को लक्ष्य कर ऐसे नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सरकार की भूमिका की पुनः जांच और पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय निर्माण कार्य में लोगों की भागीदारी के जरिए उनकी प्रस्तुत शक्तियों को काम में लाने पर आधारित हों साथ ही ऐसा वातावरण पैदा करना होगा जो लोगों की सरकार पर निर्भरता को कम करके उनमें पहल करने की भावना जगाए और जिसके तहत विकास तथा आधुनिकीकरण के कार्य में लगी ताकतें बेरोकटोक कार्य कर सकें। इस दिशा में राज्य को सहायक की भूमिका निभानी है तथा गरीबों और मजदूरों के हितों की रक्षा करने की दिशा में अधिक ध्यान देना होगा।

1.3.12 यदि भारत को 90 के दशक में जीवंत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगितात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना है तो इसके लिए हमें अपनी आर्थिक प्रबंध व्यवस्था का अपरिहार्य रूप से पुनर्गठित करना होगा। अतीत में पर्याप्त औचित्य के आधार पर शुरू की गई नियंत्रण और विनियमन प्रणाली अब अपनी उपयोगिता खो चुकी है, और कुछ नियंत्रण तथा विनियम तो हमारी प्रगति के मार्ग में बाधक भी हो रहे हैं। अतः विद्यमान वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की अनुपयोगी पद्धतियों को आमूलचूल बदलने की आवश्यकता है।

1.3.13 पहले से लागू चले आ रहे औद्योगिक क्षेत्र पर नियंत्रण के ऐसे अवांछित परिणाम सामने आए हैं जो हमारे उद्योग की कमजोरियों को उजागर करते हैं। प्रायः घरेलू प्रतियोगिता अत्यधिक सीमित होने के कारण उद्योग के अनेक क्षेत्रों में गुणवत्ता तथा लागत मूल्य के प्रति जागरूकता का नितान्त अभाव रहा है। भारतीय उद्योग पर लगे परिमाणात्मक आयात प्रतिबंधों और शुल्क दर अधिकता से जहां एक और उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर अपर्याप्त प्रौद्योगिक गतिशीलता की स्थिति पैदा हुई है। संसाधनों की कमी, जो कार्यकुशलता वृद्धि की आवश्यकता को उजागर करती है तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की उपर्युक्त कमजोरियों को दूर किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय उद्योग अब घरेलू प्रतियोगिता के पूरे दबाव को झेलने में सक्षम है और औद्योगिक नीति के तहत पहले से ही किए गए उपाय इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। भारतीय उद्योग को चरणबद्ध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

1.3.14 व्यापार नीति के अंतर्गत परिमाणात्मक लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं और इस संबंध

में एक मुश्त तीन वर्ष की अवधि के लिए परिमाणात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। हमने शुल्क को कमरने की दिशा में भी पहल की है। भारतीय शुल्क दरों को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए ताकि ये दरें कुछ ही वर्षों में औद्योगिकीकरण में लगे अन्य विकासशील देशों की दरों से मेल खा सकें। भारतीय उद्योग को अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के योग्य बनाने के लिए इस प्रकार के उपाय करना अनिवार्य हो गया है।

1.3.15 हाल ही के उभरे कुछ महत्वपूर्ण असंतुलनों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आठवीं योजना को जिन चुनौतियों का सामना करना है वे निम्नानुसार हैं :

- क. राजकोष और बजट का बढ़ता हुआ घाटा, उत्तरोत्तर बढ़ता सार्वजनिक ऋण और सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले अनिवार्य विकास कार्यों के लिये संसाधनों की अत्याधिक कमी।
- ख. भुगतान संतुलन की नाजुक स्थिति, और
- ग. मुद्रास्फीति की उच्च दर।

इस प्रकार आठवीं योजना नई आर्थिक नीति पर बल देते हुए कई नई दिशा देगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश एक सुदृढ़ संसाधन आधार पर निर्भर हो और चालू लेखा घाटा सामान्य पूंजी प्रवाह द्वारा एक वहन करने योग्य स्तर तक सीमित रहे।

1.3.16 एक दशक से प्रायः भुगतान संतुलन की स्थिति लगातार दबाव में रही है। सातवीं योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में चालू लेखा घाटा अनुपात औसतन 2.4 प्रतिशत रहा, जो योजना दस्तावेज में इस अवधि के लिए अनुमानित 1.6 प्रतिशत के आंकड़े से काफी अधिक था। भुगतान संतुलन में यह खराब स्थिति पिछले तीन वर्षों में निर्यात में काफी संवृद्धि के बावजूद रही। पहले से ही कठिन भुगतान संतुलन की स्थिति 1990-91 में तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि तथा खाड़ी युद्ध के अन्य पहलुओं के कारण और अधिक खराब हो गई। वाणिज्यिक ऋणों के कम होने तथा अनिवासियों के निवेश में कोई सुधार होने से चालू लेखा घाटे को पूरा करना अत्यधिक कठिन हो गया है। अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता के रूप में विशिष्ट सहायता की मांग करनी होगी। तात्कालिक समस्याएं किसी सीमा तक हल हो गई हैं पर यह अनिवार्य हो गया है कि आठवीं योजना में भारत

में आधारभूत कमजोरी को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं ताकि विदेशी मुद्रा असंतुलन अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर संकट पैदा न कर सके। इसलिए विदेशी संसाधनों के तेजी से घट रहे प्रवाह पर सोचना आवश्यक हो गया है।

1.3.17 सातवीं योजना के दौरान मूल्यों में कुछ साधारण वृद्धि हुई। थोक मूल्य सूचांक में सात प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। पिछले दो वर्षों में विशेषकर मुख्य वस्तुओं के मूल्यों में तीव्र वृद्धि देखने में आई है। आर्थिक पद्धति के सुचारू रूप से संसाधन के लिए मूल्यों की स्थिरता को बनाए रखना अनिवार्य है। आठवीं योजना में गरीबों के हितों की रक्षा के लिए तथा संसाधनों को जुआने में बिगड़ती हुई स्थिति के संरक्षण के लिए मूल्य स्थिरता अनिवार्य है। विगत में यह देखा गया है कि मूल्यों में किसी भी तरह की वृद्धि से सरकारी खर्च में भी उसी प्रकार से वृद्धि हुई है, परन्तु राजस्व में उसी तरह से वृद्धि नहीं होती। इसके फलस्वरूप संसाधनों में अंतर (गैप) बढ़ता जाता है। आठवीं योजना के दौरान रिजर्व बैंक से केन्द्रीय सरकार के ऋणों के संदर्भ में वित्तीय घाटे को मूल्य स्थिरता की उचित मात्रा के स्तर के अनुरूप बनाए रखा जाना चाहिए।

1.3.18 निवेश के स्तर को बनाए रखने की क्षमता, जो आठवीं योजना के उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है, आवश्यक संसाधनों को जुटाने पर निर्भर करती है, सातवीं योजना में वर्तमान राजस्वों से शेष और लोक उद्यमों के अंशदान, जिन में अतिरिक्त संसाधन गतिशीलता शामिल है, द्वारा कुल सरकारी क्षेत्र निवेश का लगभग 40 प्रतिशत वित्त पोषित किया जाना था। किन्तु अंत में पाया गया कि इन दोनों संसाधनों से कुल सरकारी क्षेत्र के निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक का वित्त पोषण नहीं हुआ जिससे काफी ऋण लेना पड़ा। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के निवेश को इस प्रकार से वित्त पोषित किया गया, जिसे न तो परिकल्पित किया गया था और जो न अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद था। आठवीं योजना में प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र के निवेश के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी अबचतों को तेजी से कम किया जाये। उन्नत वित्तीय व्यवस्था जिससे सरकार द्वारा अधिक बचत की जा सके, आठवीं योजना में सरकारी क्षेत्र निवेश कर मूल आधार है। सरकार की बढ़ती हुई अबचतों की हाल की प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

1.4.1 उपर्युक्त प्रवृत्तियों के आलोक में आठवीं योजना के दृष्टिकोण के निम्नलिखित केन्द्र बिन्दु होंगे :-

- (i) वित्तीय, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रों एवं मानव विकास क्षेत्रों में शुरू की गई नीति पहलों के प्रचालन और कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए निवेश हेतु क्षेत्रों/परियोजनाओं की प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण।
- (ii) इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना तथा लागत तथा विलम्ब से बचते हुए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।
- (iii) रोजगार सृजन, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल तथा व्यापक शिक्षा सुविधाओं के जरिए पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा नेट तैयार करना, और
- (iv) सामाजिक क्षेत्रों में निवेश के लाभों की पहुंच इच्छित लाभगारों तक सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संगठनों एवं वितरण प्रणाली का गठन।

1.4.2 इस दृष्टिकोण के आधार पर, निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जायेगी :-

- (i) शताब्दी के अंत तक तकरीबन पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना,
- (ii) लोगों की सक्रिय भागीदारी तथा प्रोत्साहनों एवं गैर प्रोत्साहनों की प्रभावी स्कीम के जरिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण,
- (iii) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के बीच निरक्षरता का पूर्ण रूप से उन्मूलन,
- (iv) असंक्रमीकरण सहित सभी गांवों एवं सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए सुलभ सुरक्षित पेय जल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान और सर पर मल ढोने की प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन,
- (v) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा निर्यात के लिए और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि संवृद्धि तथा विविधीकरण,
- (vi) व्यावहारिक आधार पर संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना (ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई) को सुदृढ़ बनाना।

1.4.3 आठवीं योजना में (क) निवेश वित्त पोषण के लिए घरेलू संसाधनों पर निरन्तर निर्यात बनाए रखने; (ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि; तथा (ग) आधुनिकीकरण

तथाप्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व विकास से संतुलन बनाए रख सके तथा उसका लाभ उठा सके, की आवश्यक को ध्यान में रखते हुए इन लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

मानव विकास

1.4.4 आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य मानव विकास होगा। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोजगार बढ़ाने, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी और पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न तथा बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। मानव विकास के लिए सहायक आधारभूत तत्वों का प्रावधान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

रोजगार

1.4.5 बढ़ती हुई बेरोजगारी ने हाल के वर्षों में प्रमुख समस्या का रूप धारण कर लिया है। इसलिए योजना प्रयासों का उद्देश्य रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मानव संसाधनों का कारगर ढंग से उपयोग करना तथा गरीबी का उन्मूलन करने के लिए रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार करना अनिवार्य हो गया है। पिछले दो दशकों के दौरान रोजगार क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, किन्तु श्रमिक बल में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 प्रतिशत की दर से तीव्र वृद्धि हो रही है। हाल ही के कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से रोजगार सापेक्षता में लगातार हो रही कमी के कारण रोजगार की वृद्धि को तेज करने का कार्य अधिक कठिन हो गया है। इसलिए विकास प्रक्रिया को रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में सुविचारित तथा विवेकपूर्ण प्रयास किए जाने की सख्त जरूरत है।

1.4.6 अगले दस वर्षों की अवधि में सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित करना न केवल आवश्यक है बल्कि तर्कसंगत भी प्रतीत होता है। बेरोजगार के वर्तमान 'बैकलॉग' के निर्धारण और श्रमिकों की संख्या में होने वाली संभावित बढ़ोतरी से यह पता चलता है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिवर्ष औसतन रोजगार के 1 करोड़ अतिरिक्त अवसर पैदा करने होंगे जिसके लिए रोजगार की वृद्धि दर तीन प्रतिशत वार्षिक होनी चाहिए। रोजगार वृद्धि की यह दर प्राप्त करने के लिए उच्चतर आर्थिक विकास दर तथा सैक्टरवार विकास के ऐसे पैटर्न की आवश्यकता होगी जो उच्चतर रोजगार सापेक्षता पैदा कर सके। सामग्रतः रोजगार सापेक्षता बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार क्षमता

वाले क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा एरिया का त्वरित विकास किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र और फसलवार विविध प्रकार की खेती, फसल और वानिकी के लिए परती भूमि का विकास, लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण कार्य, शहरी अनियमित क्षेत्र, ग्रामीण कृष्येतर क्षेत्र, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आवास और सेवार्थें आदि रोजगारोन्मुखी विकास नीति के मूल अंग हैं।

1.4.7 इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि प्रतिवर्ष 10 करोड़ नए स्थायी रोजगार के अवसरों को पैदा करने के अतिरिक्त, जिससे रोजगार के खुले अवसर उपलब्ध हो सके, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन अल्प-रोजगार और रोजगार में लगे लोगों की आमदनी का स्तर बहुत कम है, उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता और आय का स्तर बढ़ाने की सामर्थ्य प्राप्त हो। परम्परागत तथा असंगठित क्षेत्रों में स्वरोजगार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और ऋण तथा बाजार सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता होगी। इस बीच आधारभूत ढांचे के निर्माण तथा अन्य क्रियाकलापों में अल्प-रोजगार में लगे गरीबों को अनुपूरक कार्य उपलब्ध कराने के कार्यक्रम आगे जारी रखे जाने की भी आवश्यकता है।

जनसंख्या तथा परिवार कल्याण

1.4.8 अस्सी के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। हालांकि सत्तर के दशक की तुलना में यह वृद्धि दर कुछ कम है, पर इस दर से हर साल राष्ट्र की जनसंख्या में 1.8 करोड़ की वृद्धि होती है। वर्ष 2001 तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यदि इस रफ्तार को रोका नहीं गया तो देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

1.4.9 सभी विकास कार्यों की सफलता इस पर अवलंबित होने के कारण इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर अधिक बल देने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रतिपादित और संसद द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए। सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। महिला साक्षरता, विवाह के समय आधु, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और समाज में उनकी स्थिति आदि सामाजिक निर्धारक तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि शिक्षा मृत्यु दर में कमी लाना, प्राक्-विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण

(आहार) में सुधार करना तथा मातृ स्वास्थ्य देखभाल संबंधी समग्र सेवाएं प्रदान करना। इस प्रकार सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित हस्तक्षेप के प्रति अपने नजरिए का निर्धारण उपर्युक्त अंतःक्षेत्रीय सामाजिक प्रभावों को राजनीतिक प्रतिबद्धता और लोकप्रिय जन आंदोलन के साथ जोड़कर करना होगा।

साक्षरता और शिक्षा

1.4.10 रोजगार के अवसरों का विस्तार और उनकी उपयोगिता तथा उत्पादकता में वृद्धि आदि सीधे तौर पर शिक्षा से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में शिक्षा एक प्रकार का निवेश है। अतः समग्र रूप से विकासात्मक प्रयासों का पूरा लाभ उठाने के लिए यह निवेश उचित समय पर किया जाना चाहिए।

1.4.11 केरल राज्य में और तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 100 प्रतिशत या लगभग 100 प्रतिशत साक्षरता प्रदान करने के लिए किए गए हाल ही के प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि दृढ़ निश्चय और लोगों की भागीदारी के जरिए हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों की साक्षरता दरों में बहुत अधिक अंतर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के लिए 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति से 11 करोड़ लोगों की साक्षरता स्थिति में परिवर्तन होने की सम्भावना है। कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों और अन्य निष्ठावान लोगों को इस मिशन में लगाना होगा। इस संबंध में अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में अधिक जोरदार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

1.4.12 शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं की गंभीरता का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी, ग्रामीण समाज में भूमि तथा जल की आपूर्ति की दृष्टि से सम्पत्तियों का असमान वितरण और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने से है। इसलिए व्यापक प्राथमिकताओं के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिये साक्षरता तथा प्राथमिकताओं के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिये साक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए आधार तैयार करना तथा विशेष प्राथमिकता के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुधार और शिक्षा के मार्ग में बाधक परम्परागत अवरोधों को दूर करना है। विशेषतः शैक्षिक

रूप से पिछड़े राज्यों में ग्रामीण समुदायों में आम जागृति और प्रेरणा के जरिए शिक्षा, आधुनिकीकरण और कार्यकुशलता की भावना पैदा करनी होगी।

1.4.13 आठवीं योजना में पूर्णकालिक औपचारिक विद्यालयों तथा कार्यरत बच्चों और विशेषकर लड़कियों के लिए अंशकालिक अनौपचारिक व्यवस्था के जरिए सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी होगी। जनजातियों की संस्कृति और उनकी आर्थिक समस्याओं पर यथोचित ध्यान देते हुए उन्हें शिक्षित करने के लिए तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर जनजातीय और गैर जनजातीय आबादी के बीच असमानता दूर करने के लिए जनजातियों के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे जनजातियों के लोगों की समाज के शेष वर्गों से पृथक्ता दूर की जा सके।

1.4.14 अन्तर शिक्षा पद्धति और स्वयंसेवी एवं प्राइवेट एजेंसियों की बढ़ी हुई सहभागिता का बड़े पैमाने पर विस्तार करते हुए लागत प्रभावी तरीके से उच्च शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता है। सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करने के अतिरिक्त, मूल्य शिक्षा के घटक को बुनियादी कार्यक्रम के भाग के रूप में शुरू करना चाहिए। यद्यपि उच्च शिक्षा के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, फिर भी उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने के उपायों पर बल देना चाहिए। प्रबंध शिक्षा विकास कार्यों के लिए अपेक्षित कुशल जनशक्ति के निर्माण के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। यद्यपि इस कार्य के लिए निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकालय पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए उच्च लागत की आवश्यकता है, तथापि इसे एक आवश्यक उत्पादक निवेश माना जाना चाहिए जिससे समाज को बहुमूल्य लाभ होगा। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार करने हेतु न केवल आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन की आवश्यकता है वरन यह भी आवश्यक है कि भविष्य का ध्यान रखते हुये उद्योगों, संस्थाओं तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के मध्य अन्तर-कार्य (इन्टर एक्शन) को बढ़ाया जाये।

स्वास्थ्य

1.4.15 आठवीं योजना के अंत तक स्वास्थ्य सुविधाएं संपूर्ण आबादी तक पहुंच जानी चाहिए। "सभी स्वस्थ रहें" के आदर्श में न केवल उन वर्गों पर ही ध्यान दिया जाएगा जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे के सर्वाधिक शिकार

होते हैं अर्थात् मां और बच्चा (जैसा कि अब तक किया जाता रहा है), बल्कि खतरे के शिकार होने वाले वर्गों में सुविधा-विहीन तबकों पर भी सुनिश्चित तौर पर ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2000 तक "सभी स्वस्थ रहें" के लक्ष्य के तहत सुविधा विहीन लोगों के लिए स्वास्थ्य एक मुख्य कार्यनीति होगी, जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध है।

1.4.16 स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए उसके संरचनात्मक ढांचे में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे सुविधा विहीन वर्ग स्वयं ही संपूर्ण प्रक्रिया का अंग बन जाए न कि मात्र उद्देश्य बन कर रह जाएं। ऐसा समुदाय-आधारित व्यवस्था पर जोर देकर ही किया जा सकता है। विकास के लिए सामुदायिक प्रयासों को समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को "मुख्य प्रवेश बिन्दु" मानते हुए ऐसी प्रणालियों में स्वास्थ्य योजना के लिए क्षेत्र और आधार प्रदान किया जाना चाहिए। ये प्रणालियां हमारी आधारभूत संरचना की आयोजना में लगभग 30,000 आबादी की एक इकाई मानकर प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

1.4.17 आबादी के पूर्व परिभाषित वर्गों को न केवल स्वास्थ्य आयोजनों की प्रक्रिया के बारे में उपयुक्त जानकारी देकर, उन्हें इसके साथ न सिर्फ जोड़कर बल्कि कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए पद्धतियों के बारे में अपेक्षित जानकारी देकर और उन्हें इसके साथ मिलाकर सुझाई गई पुनः अभिमुखीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। यह एक से अधिक तरीकों से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयोजना प्रक्रिया में अवश्य प्रतिबिंबित होनी चाहिए ताकि लोग स्वयं अपनी समस्या का हल प्रस्तुत कर सकें।

1.4.18 इस प्रकार की समुदाय-आधारित प्रणालियों के लिए समुदायों के लोकाचार और संस्कृति के अनुरूप पृष्ठाधार तैयार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में निवारक औषधियां तथा ध्यान, योग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य क्रियाओं की परम्परागत प्रणालियां समुदायों को अधिक स्वीकार्य होंगी तथा लागत के कम होने का प्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणालियों के चिकित्सक इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

1.4.19 स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बीमार लोगों के लिए चिकित्सा सेवाओं के रूप में बार बार दुहराए गए पैटर्न के स्थान पर अब सकारात्मक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस स्पेक्ट्रम का दूसरा पहलू यह है कि शारीरिक रूप से अथवा अन्य प्रकार

से विकलांग व्यक्तियों के पुनः आवास की दिशा में चिकित्सा सेवाओं का योगदान सर्वांगपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के विकास में सहायक होगा।

1.4.20 मुख्य रूप से स्वास्थ्य रक्षा सेवा प्रदान करने वाले उन श्रेणियों के लोगों के लिए, जिनकी वर्तमान संख्या और वार्षिक उपस्थिति वांछित स्तर से बहुत कम है, शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि के लिए प्रयास किए जाएंगे। साधारण शिक्षा के व्यासायिकीकरण के अंग के रूप में उसमें स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों के समावेश के लिए जोरदार प्रयास किए जाएंगे। सभी श्रेणी के चिकित्सा व्यवसायियों के लिए शिक्षा प्रक्रिया पुनः अभिमुखीकरण अथवा पुनर्लक्ष्य निर्धारण अनिवार्य है। सेवाओं की गुणवत्ता चिकित्सा व्यवसायियों की शिक्षा की विषय वस्तु, शिक्षा के प्रकार तथा लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ-साथ उनकी प्रतिबद्धता से सीधे जुड़ी हुई है।

पेयजल

1.4.21 अभी तक देश सभी लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेय जल का स्थायी साधन नहीं उपलब्ध करा पाया है। 1980 में की गई गणना के आधार पर, जिसे 1985 में अद्यतन किया गया था, अप्रैल 1985 तक "शून्य जल स्रोत वाले गांवों" की संख्या 1.62 लाख थी। सातवीं योजना की अवधि (1985-90) के दौरान 1.54 लाख ऐसे गांवों को पेय जल सुविधा प्रदान की गई जिससे यह संख्या कम होकर 8365 रह गई। आठवीं योजना की अवधि के प्रारम्भ में शून्य जल स्रोत वाले गांवों की संख्या लगभग 3000 ही रह जाएगी। फिर भी ऐसे गांवों की संख्या काफी बढ़ी है जो केवल आंशिक रूप से जल स्रोत युक्त है और ऐसी बस्तियों की संख्या आज भी काफी है, जहां जल का कोई स्रोत नहीं है अथवा जल की आपूर्ति बहुत कम है। यद्यपि वर्तमान निर्धारित मानदंड के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर की चढ़ाई के अंतर पर हैंड पम्प 1.6 कि. मी. की थोड़ी दूरी के अन्दर तथा प्रत्येक 250 व्यक्तियों की बस्ती के लिए स्थल साधन मुहैया कराने की बात कही गई है, फिर भी लोगों के लिए पेय जल के साधन उत्तरोत्तर अधिक संख्या में उपलब्ध करने होंगे। अत्यधिक फलूराइड, लौह की अत्याधिक मात्रा तथा खारापन जैसी गुणावत्तपूरक समस्याओं के निराकरण के लिए भी विशेष और निश्चित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। निरापद पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल की गुणवत्ता के विनिश्चय की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी तथा उस पर समुचित बल दिया जाएगा। साथ ही पुराने हैंड पम्पों/नल कूपों के प्रतिस्थापन तथा पुनः

उद्भव के लिए उपाय किए जाएंगे। जल के परिरक्षण तथा जलदायी स्तर के पुनः प्रवर्तन का कार्य बड़े पैमाने पर करना होगा ताकि जल की अनवरत आपूर्ति की जा सके। अतः पर्याप्त मात्रा में और यथोचित गुणवत्ता वाला जल उपलब्ध करने के लिए तथा साधनों को बरकरार रखने के लिए वृहत्तर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

कमजोर तथा पिछड़े तबकों को संरक्षण

1.4.22 उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना तथा उसे दशाब्दी पर्यंत बरकरार रखना आठवीं योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। रोजगार के अवसर पैदा करने तथा गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य अंततः विकास की दर से सम्बद्ध है। फिर भी वृद्धि के साथ क्षेत्रीय असमानता में कमी पर तथा लाभों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने पर भी दृष्टि केंद्रित करनी होगी। यदि पिछड़े हुए क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों को पूरी तरह से संरक्षण नहीं दिया गया तो वृद्धि की स्वाभाविक प्रक्रिया में उनके और पिछड़े जाने की संभावना अधिक है। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को पर्याप्त संरक्षण देते रहना होगा। खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कारगर संचालन तथा विकासपरक कार्यक्रम जिनसे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होते हैं, गरीबों की रक्षा की कार्यनीति के प्रमुख अंग हैं। इसी प्रकार बच्चों, खासकर लड़कियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक लक्ष्य यह भी होगा कि लोगों की प्रारम्भिक शिक्षा की अवधि के दौरान नामांकन और लोगों को पढ़ाई जारी रखने की दर के मामले में लड़के-लड़कियों को एक समान दर्जा देना होगा।

1.4.23 मैला साफ करना यातनापूर्ण कार्य है जो अब और आगे जारी नहीं रहना चाहिए। समाज के सबसे कमजोर वर्गों से लिया जाने वाला यह एक अत्यंत अपमानपूर्ण कार्य है। इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए दो तरफा प्रयास की आवश्यकता होगी - (1) शहरी क्षेत्रों वाले प्रत्येक मकान में फलशुश वाले शौचालयों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करना और (2) मैला साफ करने के काम में लगे हुए व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना। इसे समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर आठवीं योजना की अवधि के अंदर पूरा करना होगा।

भूमि सुधार

1.4.24 आठवीं योजना में भूमि सुधार का उद्देश्य राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के सभी पांच सिद्धान्तों अर्थात् बिचौलियों को समाप्त करना, वास्तविक

किसानों को सुरक्षा सहित काश्तकारी सुधार; अधिशेष भूमि सीमा का पुनर्वितरण; भूमि चकबन्दी तथा भूमि रिकार्डों का अद्यतनीकरण की पूर्ति होनी चाहिए। भूमिहीनता ही ग्रामीण गरीबी का मुख्य कारण है। जिस देश में कृषि आजीविका का मुख्य साधन होता है वहां भूमि उपलब्धि ही रोजगार एवं आय का मुख्य साधन होता है। यह भूमि प्राप्ति दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, भूमि के समान पुनः वितरण द्वारा अथवा काश्तकारों और फसल के साझीदारों को, जो वास्तव में किसान हैं, कार्य-काल की सुरक्षा प्रदान करना, पर पुनः वितरण का कार्यक्षेत्र सीमित है। अधिक भूमि सीमा लागू करने के पश्चात् 7.23 मिलियन एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था जिसमें से 4.65 मिलियन एकड़ भूमि सातवीं योजना के अन्त तक वितरित कर दी गई थी। शेष भूमि के अधिकांश भाग पर मुकदमा चल रहा है। जोत का औसत आकार गिरता जा रहा है, अतः भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है। यह प्रयास किये जायेंगे कि जो अधिशेष भूमि उपलब्ध नहीं है, उसका पता लगाया जाए, विद्यमान अधिशेष भूमि का शीघ्र वितरण किया जाए और भूमि ग्राहियों को भूमि पर कब्जा सुनिश्चित किया जाए। आठवीं योजना में एक मुख्य उद्देश्य काश्तकारों और किसान के साझीदारों के अधिकारों का रिकार्ड बनाने का होगा, ताकि काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। कुछ राज्यों में यह कार्य पहले ही किया जा चुका है और इस से रोजगार और कृषि उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। अधिशेष भूमि के ग्राहियों और काश्तकारों को आधुनिक निवेश के पैकेज प्रदान किये जायेंगे ताकि भूमि की उपज में वृद्धि की जा सके। इस कार्यनीति से गरीबी उन्मूलन और उत्पादन वृद्धि दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होगी। राज्यों में भूमि चकबन्दी के कार्य में प्रगति हुई है जबकि कुछ राज्यों में इस की अभी शुरुआत की जानी है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कमान्ड में चकबन्दी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

कृषि

1.4.25 आठवीं योजना में कृषि विकास की नीति का उद्देश्य खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्म-निर्भरता प्राप्त करना होना चाहिए बल्कि निर्यात के लिए कुछ किस्म की कृषि वस्तुओं का अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन भी किया जाना चाहिए। यद्यपि हाल की अवधि में कृषि के क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक रही है तथापि विभिन्न क्षेत्रों तथा फसलों की पैदावार के बीच भारी असंतुलन देखने में आता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उत्पादकता में काफी भिन्नता पाई गई है। हरित क्रांति, जो वर्तमान में उत्तर

और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों तक सीमित रह गई है, देश के दूसरे भागों तक भी पहुंचनी चाहिए, खासकर पूर्वी क्षेत्रों में जहां पर कि पर्याप्त वर्षा होती है और जमीन उपजाऊ है तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए असीम संभावनाएं हैं। चूंकि दो तिहाई कृषि क्षेत्र अभी भी असिंचित हैं तथा कृषि ज्यादातर वर्षा जल पर आधारित है, इसलिए अपेक्षतया अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए असिंचित जमीन पर खेती करने पर अत्यधिक बल देना आवश्यक होगा। तिलहनों के उत्पादन में प्रगति भले ही अच्छी रही है किन्तु देश आत्म-निर्भरता के स्तर पर पहुंचने में बहुत पीछे है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा खाद्य तेलों के आयात पर खर्च की जा रही है। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक सम्मिलित प्रयास आवश्यक है। कृषि और इससे संबद्ध कार्यकलापों पर, जिस पर अभी भी दो तिहाई श्रमिक निर्भर करते हैं, हमारे आयोजना-प्रयासों में प्रमुख रूप से बल दिया जाता रहना चाहिए।

आधारभूत संरचना

1.4.26 भौतिक आधारभूत संरचना विशेषकर ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई के क्षेत्र में परम्परागत रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही है। चूंकि इन क्षेत्रों में निर्माण का कार्य काफी बड़े पैमाने पर होता है और इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर समाज का काफी बड़ा वर्ग लाभ उठाता है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र इस क्षेत्र में प्रधान भूमिका अदा करते हैं, और मांगों को पूरा करने की अंतिम जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। फिर भी यदि ऊर्जा, सड़क पुल, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना, सामाजिक आवास, औद्योगिक एस्टेट जैसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में भाग लेने के लिए उपयुक्त शर्तों पर तथा जनहित की पूरी सुरक्षा करते हुए निजी पहल की जाती है, तो ऐसी पहल को निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

1.4.27 आठवीं योजना के दौरान आधारभूत संरचना के मुख्य घटकों में से ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, ऊर्जा के हमारे आंतरिक साधन सीमित हैं तथा भुगतान संतुलन की कठिनाइयां हैं। मध्यम अवधि वाली ऊर्जा-योजनाओं को दीर्घ अवधि वाली योजना के अंग के रूप में ही देखना होगा क्योंकि दीर्घ अवधि वाली योजनाओं में एक प्रकार के ईंधन के स्थान पर दूसरे प्रकार का ईंधन जलाने तथा ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक साधनों को वाणिज्यिक साधनों में बदलने की नीति स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई है। यह केवल ऐसी दीर्घकालिक योजना के परिप्रेक्ष्य में है जिसमें

प्राथमिकताओं के बारे में विचार और पेट्रोलियम ऊर्जा के मुकाबले में कोयला तथा जल ऊर्जा के इस्तेमाल पर आपेक्षिक जोर स्वतः उभर कर सामने जाएगा; इस कार्य में आठवीं योजना अवधि में अभी से लगना होगा। ऊर्जा विकास के लिए आयोजना करते समय, उच्च क्षमता मानदंडों पर बल देते हुए मौजूदा संयंत्रों की निष्पादन क्षमता में सुधार करने पर भी समान बल दिया जाएगा। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि संयंत्र भार घटक (प्लांट लोड फैक्टर) में महत्वपूर्ण सुधार से अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन काफी बढ़ सकता है, गैर पारम्परिक ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण प्रयासों पर भी और अधिक बल देना जरूरी है।

1.4.28 ऊर्जा क्षेत्र के लक्ष्यों में, देश के विभिन्न भागों में विद्युत की कमी को दूर करने की परिकल्पना, नौवीं योजना के अंततक कुल स्थापित क्षमता में 40 प्रतिशत न्यूनतम हाइडल हिस्से की उपलब्धि, आर्थिक विकास को प्रभावित किए बिना पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि पर नियंत्रण, सम्बद्ध प्राकृतिक गैस के फैलाव को रोकना, कोयला एवं लिग्नाइट उत्पाद के स्तरों में वृद्धि करना, नवीकरण योग्य तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा परियोजना के कवरेज का विस्तार भी शामिल है।

1.4.29 परिवहन क्षेत्र में शामिल लक्ष्यों में हैं : सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, मौजूदा सड़कों की स्थिति में सुधार, सड़क परिवहन में निजी क्षेत्रों का प्रवेश, ट्रंक मार्गों पर रेलवे ट्रेफिक के निर्विघ्न प्रवाह के लिए सभी सम्भावित गत्यावरोधों को दूर करना, रेलवे विद्युतीकरण को गति प्रदान करना, पर्याप्त एयर मार्गों तथा शिपिंग क्षमता का सृजन, कन्टेनर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण तथा अंतरदेशीय जलमार्गों का विकास।

1.4.30 सिंचाई क्षेत्र के मुख्य लक्ष्य हैं : सभी बड़ी तथा मझौली सिंचाई परियोजनाओं में समय तथा लागत वृद्धि को कम करना, सिंचाई क्षमता स्तरों में वृद्धि करना, उच्च सिंचाई दरों तथा बकाया संग्रह के जरिए लागतों की वसूली करके सिंचाई परियोजना पर हानियों को कम करना, और ड्रिप आदि जैसे आधुनिक सिंचाई के तरीकों का विस्तार।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1.4.31 विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयास बड़े पैमाने पर इस प्रकार किए जाएंगे कि विकास के सभी बुनियादी क्षेत्र उसमें आ सकें। भूमि, जल, खनिज जैसे बुनियादी संसाधनों और ऊर्जा के साधनों की कमी

उत्पादकता के द्वारा ही नई तब्दीलियां करके दूर की जा सकती हैं। आठवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियां निम्न प्रकार होंगी :-

- (i) सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में सभी कार्यक्रमों के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक पहलू पर ज्यादा जोर देना,
- (ii) समाज पर बिल्कुल सीधे-प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अग्रता देना,
- (iii) बने हुए क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों का कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का पता लगाना और उन मिशन पद्धति से कार्यान्वित करना,
- (iv) सभी स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करना,
- (v) अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने के लिए उन्नत अनुसंधान के चुने हुए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयास करना,
- (vi) वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि उत्पादन और सेवा क्षेत्रों द्वारा तथा उत्पादन और सेवा क्षेत्रों के अंदर अनुसंधान किया जाए,
- (vii) अनुसंधान के वाणिज्यिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना ताकि उसे बहुत अधिक प्रयोजनमूलक बनाया जा सके तथा अनुसंधान और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जा सके,
- (viii) सूचना/टेलिमेटिक्स के युग में प्रवेश करने के लिए चौतरफा समुचित काग़वाई करना,
- (ix) परम्परागत व्यवसायों (अर्थात् कृषि और ग्रामीण हस्तकौशल) के औजारों और तकनीकों में अनुसंधान और नवीन परिवर्तन को प्रोत्साहित करना तथा इसे व्यापक स्तर पर अनुकूलन के लिए प्रेरित करना।

पर्यावरण और वन

1.4.32 पर्यावरण, पारिस्थितिकी (इकोलजी) और विकास में परस्पर संतुलन रखा जाना चाहिए क्योंकि वे समाज की आवश्यकताएं हैं। विकास को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होगा कि कोमल और सूक्ष्म परिस्थितिकीय तंत्र (इको सिस्टम) को परिरक्षित, संरक्षित और

पोषित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। साथ ही इस क्षेत्र में व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की भी आवश्यकता है ताकि कार्यक्रम तथा परियोजनाएं बनाते समय उपयुक्त प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विकल्पों को परिभाषित करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी बातों पर ध्यान दिया जाए।

1.4.33 पर्यावरण प्रबंध में मुख्य तौर पर संसाधनों के अनवरत इस्तेमाल की योजना बनाने का काय तथा शिक्षण, प्रशिक्षण और सूचना उपलब्ध कर पारिस्थितिकी का परिरक्षण और संरक्षण करना शामिल है। पर्यावरण संबंधी आंदोलन की सफलता के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के संगठनों से सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। यह कार्य लोगों के भरपूर सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदियों की सफाई के कार्य में भी तेजी लानी होगी।

1.4.34 वन संरक्षण तथा विकास कार्य का उद्देश्य जंतुओं और वनस्पतियों का विविध प्रकार का जैविक और आनुवंशिक परिरक्षण तथा वनों का और अधिक क्षरण रोकना होना चाहिए। साथ ही ऊसर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए और उसे उर्वर बनाने के लिए सार्थक परियोजनाएं बनानी होंगी।

आवास

1.4.35 यदि 1981 से 2001 तक की 20 वर्ष की अवधि का लेखा जोखा लिया जाए तो देश के सामने मौजूदा आवास समस्या का समग्र परिमाण 233 लाख घर बैकलाग या 233 लाख तथा 638 लाख नए घर कुल जरूरत है, जिसमें से 326 लाख घर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 312 लाख घर शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे ताकि बढ़ती हुई आवास आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

1.4.36 इस क्षेत्र में सरकार की भूमिका विभिन्न वर्गों के लोगों के आवास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा आवास और बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि को प्रोत्साहित करने और पहले से विद्यमान आवास के मानकीकरण और उसका स्तर बढ़ाने तथा किराए पर आवास लेने को प्रेरित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करने की होगी। देश बेघर लोगों, निर्धन परिवारों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े एवं गरीब तबकों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देगा। दीर्घकालिक लक्ष्य "सभी के लिए बसेरा" का प्रावधान करना होगा। फिर भी उपलब्ध

संसाधनों के मामले में स्पर्धात्मक मांग को देखते हुए इस कार्य को हर हालत में एक समुचित समयावधि में पूरा करना आवश्यक होगा।

शहरी विकास

1.4.37 वर्तमान शहरी पैटर्न, इसका रूप, इसका संघटन और वितरण इस प्रकार का है कि जब तक सकारात्मक लोक हस्तक्षेप नहीं होगा, वर्तमान अंतर और असमानतायें दूर नहीं होंगी। आठवीं योजना के लिए शहरी विकास की कार्य नीति में छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों में विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित नीति पर तथा इसके साथ ही महानगरों के विकास को सतत जारी रखने एवं आत्म-निर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। छोटे तथा मध्यम आकार के कस्बों के लिए विकास नीति को कार्यान्वित करने की कार्य योजना में शहरों के स्थानीय निकायों के विनियामक/संगठनात्मक आधार को मजबूत करना तथा संबंधित आधारभूत संरचना एवं रोजगार को बढ़ावा देने की गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार का समुचित निवेश प्रदान किया जाना शामिल होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों का एकीकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी।

1.4.38 सिद्धांत रूप में महानगरों के विकास का वित्त पोषण आंतरिक संसाधनों के जरिए स्वोषी किस्म का होना चाहिए। फिर भी विशेष प्रयास संस्थानों को सुदृढ़ करने, संसाधन जुटाने तथा विधायी समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से भी किए जाने चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र

1.4.39 सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक उपलब्धियां हैं। हमारे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना क्षेत्र के विकास की पहल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा की गई है। महत्वपूर्ण खण्ड सार्वजनिक उद्यमों द्वारा निर्मित किए गए हैं। क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य सार्वजनिक उद्यमों द्वारा किये गये हैं। औद्योगिक ढांचे को व्यापक बनाने तथा उसके विविधीकरण में भी सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक योगदान है। आने वाले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाते रहेंगे। फिर भी कुछ खास कमियों पर, जो अब स्पष्ट हैं, विशेष ध्यान देना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र को अपना योगदान, जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने परिकल्पना की थी, राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए पुनर्निवेश योग्य अतिरिक्त संसाधन जुटा कर करना था। यह कार्य जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों ने काफी हानि उठाई और उन संसाधनों को

आत्मसात कर, जिनकी विकास के अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निहायत जरूरत थी राजकोष पर सतत् रूप से बोझा बने हुए हैं। वित्तीय स्थिति लगातार बार बार असहनीय हानियां उठाने की अनुमति नहीं देती है, इस तथ्य के अलावा यह भी एक तथ्य है कि हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों ने वह लक्ष्य पूरा नहीं किया, जिसके लिए उन्हें स्थापित किया गया था।

1.4.40 यह स्पष्ट है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र जीवंत और मजबूत नहीं होता जिसकी नींव वित्तीय रूप से कमजोर हो, 90 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र से जिस भूमिका की अपेक्षा की गई थी, उसके निर्वाह के लिए उसे हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मसले का सीधा सामना करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयां जिनके चलने की सम्भावना है को नई प्रौद्योगिकी का समावेश कर, श्रम का यौक्तिकीकरण कर तथा संसाधनों को जुटा कर पुनर्गठित करने उन्हें पुनः सशक्त बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के स्पष्ट रूप से अशक्त उपक्रमों को कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर बंद करना पड़ सकता है। यह भी देखना होगा कि कई मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवेश के औचित्य पर पुनः विचार किया जाए। पूर्व में जिन औद्योगिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र या तो प्रवेश नहीं करेंगे अथवा ऐसा करने में हिचकिचाएंगे, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पहल किए जाने के अच्छे कारण रहे होंगे लेकिन जरूरी नहीं कि आज भी वैसी ही स्थिति हो। सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन होने पर वह ऐसे क्षेत्रों को आने वाले वर्षों में निजी क्षेत्र की पहल के लिए छोड़ देगा। हाल ही की सरकारी नीतियों के तहत कई बड़े क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की पहल के लिए पहले ही खाली छोड़ दिया गया है। पुनर्गठन तथा सुधार की इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखना आवश्यक होगा।

1.4.41 सार्वजनिक क्षेत्र की योजना व कार्यकलाप तय करने में और निवेश करते समय हमें अत्यंत चयनात्मक होना पड़ेगा और अपने लक्ष्यों को साफ-साफ परिभाषित करना होगा। इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन अवश्य करना होगा :-

- (i) सार्वजनिक क्षेत्र केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करें जहां निवेश स्वरूपतः आधारभूत संरचना में हो जो कि समग्रतः विस्तार और विकास के लिए आवश्यक हो और जहां एक उचित अवधि के

अंदर पर्याप्त सीमा तक निजी क्षेत्र की भागीदारी होने की संभावना न हो,

- (ii) सार्वजनिक क्षेत्र उन क्षेत्रों से भी हट जाएं जहां उसके होने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होता हो। सार्वजनिक क्षेत्र उन क्षेत्रों में पदार्पण करें जहां निवेश देश के आधारभूत संसाधनों, जैसे - भूमि, वन, जल, और पारिस्थितिकी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अनिवार्य रूप से परिरक्षण और संवर्धन के लिए हों। सार्वजनिक क्षेत्र की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें अथवा समाज के दीर्घकालिक हितों जैसे - जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा-को विनियमित करें।
- (iii) सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के बड़े भाग में, जहां वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन और वितरण होता है, जब तक समाज के सबसे गरीब लोगों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक न हो - बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को मुख्य कार्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि लागत के अनुसार मूल्य लेना और लागत निर्धारण कार्यकलाप की पूरी दक्षता को ध्यान में रखकर करना।

1.4.42 भारतीय उद्योग में समायोजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया श्रमिकों पर इसके प्रभाव को लेकर कुछ आशंकाओं को जन्म देती है। समायोजन की सामाजिक लागत अकेले श्रमिकों द्वारा वहन नहीं की जा सकती। हमें ऐसी संस्थाएं अवश्य बनानी चाहिए जो समायोजन के बोझ को कम करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा कवच प्रदान करें। जहां भी संभव हो उद्यम को अन्य उद्यमों में आत्मसात कर और उन्हें उपयुक्त जगह पर फिर से लगाकर छंटनी से बचा जाए। जहां छंटनी करना अपरिहार्य हो वहां उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावी पुनः प्रशिक्षण योजनाओं के जरिए तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने की योजनाओं के जरिए श्रमिकों के उद्यम में पुनः खपाए जाने की सारी संभावनाएं मालूम की जाएं। यह सारा कार्य उदारतापूर्वक मुआवजा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर पूरा किया जाना चाहिए।

लोक संस्था निर्माण

1.4.43 विकास आयोजना के हमारे अनुभव से पता चलता है कि लोगों के सक्रिय सहयोग से शुरू किये गए विकासात्मक कार्यकलापों को सफलता मिलने का अधिक अवसर है, और सरकार द्वारा शुरू किये गये

विकासात्मक कार्यक्रमों की तुलना में वे अधिक लागत प्रभावी भी हो सकते हैं जहां लोग निष्क्रिय पर्यवेक्षक मात्र बन कर रह जाते हैं। लोगों की असहभागिता ने सभी क्षेत्रों में सरकार पर पूर्णतः निर्भर रहने की ऐसी भावना उनके मन में बिठा दी है, जिससे विकास योजनाओं के कार्यनिष्पादन की पद्धति में लोगों के प्रयास कम रहे हैं और उन में उत्तरदायित्व की भावना भी कम रही है।

1.4.44 आठवीं पंचवर्षीय योजना में जन आन्दोलन का विकास करना आवश्यक है। विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में लोगों की महलक्षित और सहभागिता एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए। शिक्षा (विशेषकर साक्षरता), स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, भूमि सुधार, कुशल भूमि उपयोग, लघु सिंचाई, वाटरशेड प्रबन्ध, बंजर भूमि को उपयोगी बनाना, वनारोपण, पशुपालन, डेरी, मछली पालन तथा रेशम उत्पादन आदि के क्षेत्र में समाज के प्रति उत्तरदायी लोक संस्थानों का निर्माण करते हुए बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक क्षेत्र की विशाल संभावना का उपयोग करते हुए प्रेषण पद्धतियों (डिलीवरी सिस्टम) में सुधार करने के लिये विकासशील बहु-संस्थागत विकल्प पर ध्यान देना होगा।

1.4.45 विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्तरीय आयोजना और लोगों की सहभागिता की महत्ता को मान्यता दी गई है। फिर भी अभी तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे प्रभावी नहीं हैं। अतः इस योजना में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये नई दिशा दी गई है। अभी तक लोगों की सहभागिता के दृष्टिकोण में कार्यक्रम आधारित कार्यनीतियां शामिल थी। ऐसे कार्यक्रमों के अतिरिक्त योजना आयोग ने अब संस्थागत कार्यनीतियां तैयार की हैं, जो जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर विभिन्न लोक संस्थाओं का निर्माण करेगी और उन्हें सुदृढ़ बनायेगी ताकि वे लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों को तैयार कर उनका अधिक से अधिक कल्याण कर सके। यह लक्ष्य नवीनतम उपलब्ध जानकारी के साथ सम्बद्ध समुदाय की सामूहिक बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह कार्य सरकार की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से शुरू किया जा सकता है।

1.4.46 देश में लोक संस्थाओं के विभिन्न माडल सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रभावी संस्थाओं में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संघटक हैं :-

(क) वे स्वयं प्रयोजनाओं/स्टेक धारकों/निर्माताओं अथवा लाभग्राहियों के पास होते हैं और वे ही उनका प्रबंध करते हैं।

(ख) वे समुदाय के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(ग) उनके पास कुछ अवधि के पश्चात आत्मनिर्भर बनने की क्षमता होती है।

(घ) उनके पास क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पता लगाने की क्षमता है। साथ ही उनमें आवश्यकता आधारित स्थानीय स्तर की योजनाओं को तैयार करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ 'इंटर एक्ट' करने और प्रशासन के निकट सहयोग से योजनाओं के कार्यान्वित करने की क्षमता है।

(ङ) उनमें विकास के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समाज के विभिन्न वर्गों का एकीकरण करने की प्रवृत्ति होती है।

1.4.47 सरकार की भूमिका सही प्रकार की संस्थागत आधारभूत संरचना के निर्माणकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में लोगों की भागीदारी की प्रक्रिया को आसान बनाना होनी चाहिये। ये संस्थाएं विशेषकर उन राज्यों में बहुत कमजोर हैं जहां उनकी आवश्यकता सामाजिक जनांकिकी संकेतकों में सुधार के लिये बहुत अधिक है। स्वयं सेवी एजेंसियों तथा विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक कार्यों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक कार्यों और समाजिक एकजुटता के कार्य में प्रोत्साहित करना, पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने में, पंचायत राज संस्थाओं के अधीन ग्राम स्तर के सभी कार्यक्रमों के पुनः अभिमुखीकरण तथा एकीकरण के कार्य में, और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के आयोजन और समर्थन में आगे जाने के लिये सहकारी समितियों को मदद करने के कार्य में सरकार को निष्ठापूर्वक पहल करनी चाहिये। विकेन्द्रीकरण और भागीदारी की ओर लोगों को वास्तविक रूप में प्रवृत्त करना आवश्यक हो गया है।

आयोजना की भूमिका

1.5.1 पिछले चालीस वर्षों में विकास के लिए योजना बनाने के अपने अनुभव की पृष्ठभूमि में तथा परिवर्तन की प्रबल आवश्यकताओं के तहत जैसी कि वे अब उभर कर आई हैं, यह प्रश्न पूछना बिल्कुल प्रासंगिक हो गया है कि भविष्य में आयोजना की भूमिका क्या होगी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह देखना होगा कि भारत में योजना निर्माण का स्वरूप क्या रहा है और भविष्य में हम आयोजना से क्या उम्मीद करते हैं।

1.5.2 जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना संबंधी प्रलेखों में पहली बार “आयोजना” शब्द को शासकीय तौर पर परिभाषित किया गया तब इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द “लोकतांत्रिक आयोजना” था जो “नियंत्रण पर आधारित योजना” से बिल्कुल भिन्न था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रचलित प्रकार की केंद्रीकृत आयोजना भारत में कभी नहीं थी। व्यवहार में बाजार ने अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख खण्ड में आवंटन की राशि निर्धारित की। हां सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार ने राष्ट्र के आर्थिक जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की लागत निरपेक्षता, लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी बढ़ती हुई अर्कमण्यता और उस के संसाधनों के ह्रास, जिस की वजह से उच्च लागत का ऋण लिए बिना अपने कार्यकलापों को चालू रखने में उसकी पंगुता, ने हमें उसकी भूमिका को परिभाषित और सीमित करने तथा उसके कार्यों के उद्देश्यपरक सिद्धांतों को निर्दिष्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। इस तथ्य की चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि आयोजना प्रक्रिया ने और सरकारी कार्यकलापों के पैटर्न ने जिसका कि अब तक अनुपालन किया गया है, राष्ट्र निर्माण में लोगों की पहल और जिम्मेदारी की उनकी भावना को कुंठित ही किया है। इस संबंध में आयोजना प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है।

1.5.3 परिणामस्वरूप, योजना आयोग की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। मानवीय तथा आर्थिक विकास के ‘इन्टर सेक्टरल’ क्षेत्रों में नीति निरूपण के लिए समुचित दृष्टिकोण विकसित करने में आयोगको एकीकृतभूमिका अदा करनी है। सामाजिक क्षेत्रों में, समन्वित नीति निर्माण के लिए स्कीमों का प्रभावी बनाना है। एजेंसियों की मौजूदा विविधता केवल हानिकारक ही नहीं है बल्कि लम्बी आवृत्तीय प्रक्रियाओं के कारण प्रतिकूल उत्पादी भी है। एकीकृत दृष्टिकोण से कम लागतों पर बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

1.5.4 अब तक संसाधन आवंटन योजना आयोग की मुख्य भूमिका रही है। इसे बदलना होगा। केवल योजना परिव्ययों में वृद्धि पर ध्यान देने के बजाय, हमें आवंटनों के उपयोग की क्षमता में वृद्धि तथा निवेशों से प्राप्ति की सम्भावनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। योजना आयोग को राज्यों तथा कभी-कभी केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच मध्यस्तता करने व सरलीकरण करने की भूमिका निभानी है जिससे सहज परिवर्तन लाया जा सके तथा वित्तीय अनुशासन की संस्कृति बन सके। लक्ष्यों के स्पष्ट निर्धारण तथा स्कीमों की प्राथमिकता के जरिए सम्भावित वृद्धि की दरों

को ऊंचा करके, गत्यावरोधों को कम करने के प्रयास किए जायेंगे। यदि प्रत्येक क्षेत्रक इस बात पर ध्यान दे कि उससे क्या अपेक्षा की गई है तो वह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास कर सकता है।

1.5.5 हमारे देश में आयोजना की अभी भी बहुत बड़ी भूमिका है। सामाजिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए तथा मानव विकास के लिए आयोजना आवश्यक होती है। हमें विद्यालय, अस्पताल तथा उत्कृष्ट संस्थान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं बनाने की आवश्यकता है। हमें संरचना तथा पद्धति का इस प्रकार नियोजन करना है कि क्षमता, कौशल तथा मूल्य प्रणाली (वैल्यू सिस्टम) विकसित हो सके राष्ट्रीय स्तर पर वांछनीय उद्देश्यों और लक्ष्यों के ढांचे के अंतर्गत इन प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्वागत किया जाएगा, किन्तु निजी क्षेत्र, जैसा कि अभी तक है, समाज की संपूर्ण आवश्यकता पर ध्यान देने में खासकर सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन और कमजोर वर्गों की आवश्यकता पर ध्यान देने में समर्थ नहीं है। बाजार व्यवस्था “मांग” (क्रय शक्ति द्वारा समर्थित) और “आपूर्ति” के बीच इस क्षेत्र में भी संतुलन लाने में समर्थ हो सकती है पर वह “मांग” व “आवश्यकता” में संतुलन नहीं ला सकेगी। अतः उस क्षेत्र में आयोजना का महत्व रहेगा।

1.5.6 ऐसे गरीबों पर ध्यान देने के लिए योजना बनाना आवश्यक है, जिनके पास आर्थिक कार्यकलापों की स्वाभाविक वृद्धि से लाभ उठाने के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में गरीबी को कम करने और रोजगार सृजित करने में निश्चित रूप से मदद मिली है। भावी विकास के ढांचे और पैटर्न पर एक दृष्टि आवश्यक है क्योंकि उसका प्रभाव भविष्य में होने वाली रोजगार सम्भावनाओं पर पड़ता है।

1.5.7 विकास कार्य में क्षेत्रों के बीच बड़े पैमाने पर मौजूद असमानताओं को दूर करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संसाधनों का अंतरण अपेक्षित होता है। अनुभव से पता चला है कि बाजार ताकतें पर्याप्त मात्रा में ऐसा नहीं कर पाई हैं। आयोजना प्रक्रिया में क्षेत्रीय असमानताओं को तेजी से दूर करने के लिए संसाधनों को एक क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। योजना में “विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है जैसे – पर्वतीय क्षेत्र योजना, जनजातीय क्षेत्र योजना तथा पिछड़े इलाकों के लिए अन्य योजनाएं। हालांकि, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आधारभूत संरचना का निर्माण करना है फिर भी विकास कार्य का पहले से चला आ रहा बैकलाग अभी बहुत है। ऐसे क्षेत्रों को देश के

आर्थिक कार्यकलापों की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

1.5.8 आयोजना, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रों के निवेश, की प्रमुख भूमिका भौतिक आधारभूत संरचना अर्थात् ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई आदि को मजबूत करने की होगी ताकि वृद्धि की प्रक्रिया को सतत बढ़ावा मिल सके।

1.5.9 स्पष्टतः ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बाजार व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती। बाजार व्यवस्था पर्यावरण, वन और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। इसी प्रकार बाजार ताकते दुर्लभ खनिजों, भूमि और जल जैसे अपर्याप्त संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में मार्ग दर्शन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अतः इन क्षेत्रों में एक भावी दृष्टि तथा आयोजना की आवश्यकता है।

1.5.10 आयोजना और बाजार व्यवस्था को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना होगा। बाजार व्यवस्था “दक्षता बढ़ाने के उपाय” के रूप में होगी जबकि आयोजना दीर्घकालिक सामाजिक लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में एक मार्गदर्शी ताकत के रूप में होगी।

1.5.11 जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश का संबंध है, यह कुल निवेश

का एक महत्वपूर्ण भाग है, परन्तु जहां तक आयोजना का सार्वजनिक क्षेत्र से संबंध है, इसे न केवल उद्देश्यों को व्यापक रूप से निर्धारित करना है अपितु विभिन्न क्षेत्रों में विशेष परियोजनाओं के विकल्पों की जांच करनी है और उनका पता लगाना है। केन्द्र की योजना को राज्य योजनाओं के साथ संबंध रखना होगा क्योंकि प्रायः सभी क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्यों दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। यह सब सामूहिक आयोजना के अनुरूप है। तथापि शेष क्षेत्र के लिए योजना दिशापरक होगी जिसमें व्यापक निर्देशों की रूप रेखा प्रस्तुत की जाएगी ताकि तदनुसार अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। इसलिए योजना में शामिल होंगे: (क) भविष्य की कल्पना प्रस्तुत करना (ख) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये मध्यावधि आर्थिक अनुमानों को तैयार करना (ग) सूचना प्रलिंग तथा प्रसार की प्रणाली विकसित करना, (घ) विकास के क्षेत्रों की पहचान करना जहां, देश के पास साधन हो या जहां देश को साधन विकसित करने की जरूरत हो, (ङ) अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नीति उपाय तैयार करना, और (च) सरकार के “सामाजिक भागीदारों” अर्थात् किसानों, व्यापारिक संघों, व्यवसाय गुणों आदि से सार्थक चर्चा के जरिए प्रणाली में सर्वसम्मति का वातावरण बनाना। इस प्रकार के अधिक अविनियमित वातावरण में नीति निरूपण तथा समन्वयन को अधिक महत्व प्राप्त होगा।

अध्याय - 2

विकास परिदृश्य

2.1.1 जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, आय स्तरों में वृद्धि तथा जन-जन के जीवन स्तर में सुधार और उनकी सामाजिक एवं मानवीय महात्वाकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य हमारे विकासात्मक प्रयासों के केन्द्र बिन्दु हैं। यद्यपि इन प्रयासों को समाज की दीर्घकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए एक उत्तरदायी रूप दिया गया है, किन्तु वह दिशा जिस ओर अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन आयाम में जाना चाहिए की जरूरत योजना तैयार करने में पड़ती है। यह एक ऐसा दीर्घकालीन परिदृश्य है जिसे इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

2.2.1 वे कारण जो विकास की दीर्घकालीन अवस्था को निर्धारित करते हैं, वे जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां, मूलभूत संगठन विन्यास, उद्यमशीलता, संसाधनों और प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य हैं। जनसंख्या का विकास और उसकी संरचना तथा श्रम शक्ति का आकार एवं विकास जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के ऐसे तत्व हैं जो एक ओर तो दीर्घकालीन सामाजिक आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं तथा दूसरी ओर विकास के लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ऊर्जा, भूमि, जल दूसरे अनिवार्य खनिजों, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी जैसे मूलभूत संसाधन विन्यास विकास और तुलनात्मक लाभ के लिये सम्मानना के निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्व हैं। फिर भी, प्रौद्योगिकी, उनकी उत्पादकता में वृद्धि करते हुए और प्रयोग का संरक्षण करते हुए मूलभूत संसाधनों का संवर्धन कर सकती है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभर कर सामने आ रही है जो तुलनात्मक लाभ में भी परिवर्तन कर सकती है। कार्य-कलाप के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का प्रवेश तथा नए प्रौद्योगिकी निर्मित करने की योग्यता (अर्थात् नवीनता लाना) चाहे वह कार्य-कलाप के छोटे से क्षेत्र में ही क्यों न हो, दूसरे देशों के सन्दर्भ में हमारी विकास गति को निर्धारित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण बनने जा रहे हैं।

2.2.2 कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन पर दीर्घकालीन विकास की पद्धति और गति द्वारा ध्यान दिया जाना है, निम्न प्रकार से हैं :-

- (i) विशेषकर संसाधन और निर्माण के कार्यकलापों में उत्पादन वृद्धि के लिए रोजगार विकास के घटते हुए लचीलेपन की तुलना में रोजगार विस्तार की आवश्यकता,
- (ii) "खाद्य सुरक्षा" बनाए रखने की आवश्यकता,
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि औसत कृषि आय (तथा उत्पादकता) तथा गैर कृषि आय (तथा उत्पादकता) के बीच विशाल अंतर को कम किया जाए,
- (iv) उचित वित्तीय प्रणाली की सीमाओं के भीतर जनसंख्या की न्यूनतम अपेक्षाओं और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता,
- (v) यह अनुभूति कि विगत के केवल परिमाणात्मक निवेश के अर्थ आवश्यक रूप से वह आर्थिक और सामाजिक लाभ नहीं है जो अल्पमात्रा में गरीब जनता तक पहुंचे और जो आय एवं जीवनस्तर के सुधार में दृष्टिगत हुए जिनके लिए सामाजिक उपाय आवश्यक हैं।

2.2.3 मूलभूत संसाधन दबावों के समक्ष विकास की एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता यह है कि प्रत्येक आर्थिक कार्यकलाप में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए और विशेषकर इससे भी अधिक उन कार्यकलापों में जिन का संबंध मूलभूत कच्चे माल, निर्माण तथा ईंधन का ऊर्जा में परिवर्तन से है। अन्तिम विश्लेषण में यह लागत और संसाधन बचत भी है, फिर भी, प्रौद्योगिकी अधिकतर मशीनों अर्थात् पूंजी उपकरणों में प्रस्तुत की जाती है और उत्पादन प्रक्रिया पूंजी को गहन और श्रमिक-प्रतिस्थापन बनाती है। यह प्रक्रिया जो ऊर्जा, के अधिक प्रयोग को बचाती है, कच्चे माल की क्षति होने से बचाती है, प्रसस्करण के समय को कम करती है, अत्यधिक स्वचालित यंत्रों को उपयोग में लाती है और इस प्रकार श्रमिकों के प्रयोग को भी बचाती है। विकास की जितनी तीव्र गति हम चाहते हैं, उतनी ही अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी हमें ग्रहण करने की आवश्यकता होती है और फलस्वरूप विकास के लिये

श्रमिक-अर्न्तलयन के लचीलेपन में कमी आती है। यह प्रवृत्ति अधिकांश देशों के विकास के इतिहास में देखी गई है। भारत में निर्माण क्षेत्र में श्रमिक अर्न्तलयन की प्रवृत्तियों के वर्तमान अनुभव भी इससे मिलते जुलते हैं। अगले 15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी और श्रमशक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी जबकि प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी परन्तु इस का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी नौकरी तलाश करने वालों को नौकरियां मिल जायेंगी। इन सभी के लिये नौकरियां उपलब्ध कराने के लिये नीतियां बनानी होंगी और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जो एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। यह तभी सम्भव होगा जबकि अंततः निम्नलिखित दो कार्यनीतियों का विस्तारपूर्वक अनुसरण किया जाए।

2.2.4 पहली कार्यनीति का संबंध विदेशी व्यापार के प्रयोग करने से है, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन और मांग के संतुलन के लिये आयात और निर्यात इस प्रकार हो कि हम रोजगार प्रधान उद्योगों के पक्ष में अधिक उत्पादन के अपने ढांचे में तेजी लाएं और इसके उत्पादों को आयात उत्पादों के साथ आदान-प्रदान करें जो कम रोजगार प्रधान हैं।

2.2.5 दूसरी कार्यनीति सेवाओं के सृजन को सुसाध्य बनाने और प्रोत्साहन देने की होगी जो सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली के लिये उत्पादकता संवर्धन की होगी। परिवहन, व्यापार और अनेक प्रकार की व्यवसायिक सेवाएं ऐसी सेवाओं के उदाहरण हैं। अपने स्वरूप से ये सेवाएं अधिक श्रमिक - समावेश की हैं। यह बहुत से देशों का ऐतिहासिक अनुभव रहा है।

2.2.6 देश के अधिकांश भागों में अल्प विकसित कृषि के विकास से उस अवधि के दौरान अतिरिक्त श्रम शक्ति के लिये मांग उत्पन्न होगी जब कृषि का अल्प विकसित स्तर से उच्च विकसित स्तर में परिवर्तन किया जाएगा। हमारे प्रयासों तथा निवेशों की गहनता पर निर्भर करते हुए यह परिवर्तन लगभग 10 वर्षों के दौरान कहीं भी किया जा सकता है और इस लिये इस अवधि के दौरान कृषि श्रमिक शक्ति को खपाने के लिये अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। उस अवधि के बाद कृषि श्रमिक समावेशन में उसी प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाना शुरू करेगी जैसा कि उद्योग ने हाल के वर्षों में दिखाई हैं। वास्तव में इस समय उत्तर पश्चिम भारत में कृषि में ऐसी प्रवृत्तियां पहले ही प्रदर्शित हो रही हैं।

2.2.7 खाद्य सुरक्षा और खाद्य उत्पादन में संबंधित आत्म निर्भरता देश के लिए कार्यनीति रूप से एक वांछनीय दीर्घकालीन लक्ष्य है। उचित स्तर की खाद्य निर्भरता की या "वेजगुडस" की आपूर्ति का विकास, हमारे सीमित अनुभव के परिप्रेक्ष्य में भी स्थिरता और विकास पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती प्रतीत होती है। यह अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यतः प्रासंगिक खाद्य निर्भरता के कारण हो सकता है, क्योंकि भारत ने अस्सी के दशक में विकास की ऊंची दर और उत्तम आर्थिक स्थिरता एवं लोचशीलता प्राप्त की है। यही केवल दशक था जब हमने खाद्य क्षेत्र में कुछ सुख शांति महसूस की। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि खाद्य आत्म निर्भरता अगले 15 या अधिक वर्षों की अवधि के परिप्रेक्ष्य में भी विकास की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व बनी रहे।

2.2.8 खाद्य सुरक्षा न केवल पर्याप्त आपूर्ति में निहित होती है बल्कि समाज के गरीब वर्गों को सामर्थ्य मूल्यों पर आपूर्ति भी करती है। गरीब वर्गों के लिये शीघ्रता से केन्द्रीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी उचित संस्थागत क्रियाविधि को खाद्यान्न मूल्यों में वृद्धि से गरीबों को संरक्षण देने के लिये लागू किया जाना चाहिए। फिर भी यदि खाद्यान्न मूल्यों में शीघ्रता से वृद्धि होती गई तो यह कार्य बहुत कठिन बन जायेगा।

2.2.9 किसानों को परिश्रमिक लाभ के अनुरूप खाद्यान्न मूल्यों में सामान्य वृद्धि का वांछित लक्ष्य होना चाहिए। किसानों को अधिक आय अर्जित करने के लिये कृषि कार्यकलाप के साथ प्रोसेसिंग और व्यापार कार्यकलापों का सम्मिश्रण अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कृषि को "कृषि व्यवसाय" में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस पर कार्य करने हेतु कृषि व्यवसाय की संवृद्धि के लिये आधारभूत संरचना और वातावरण तैयार करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उन कृषि प्रक्रम तथा कृषि व्यापार के नवीन संगठनात्मक तरीकों और आकारों की आवश्यकता है जिनका क्षमतानुसार पूरा लाभ उठाना महत्वपूर्ण है और जिनका छोटे किसान व्यापक संख्या में एक साथ आकर लाभ उठा सकते हैं। दीर्घकालीन संवृद्धि की पद्धति तैयार करते समय इस दिशा को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में आठवीं योजना के दौरान कुछ मुख्य उपाय किये जाएंगे।

2.2.10 ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना सुविधाओं के बीच विद्यमान अंतर जनसंख्या के निम्न दशमकों के लिए प्रचलित औसत आय स्तर तथा विकास में अभिव्यक्त क्षेत्रीय अंतरों ने राज्य के लिए अनिवार्य बना दिया है कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सम्बन्धी जनसंख्या की महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताएं एवं पेयजल, ग्रामीण सड़कों, सूचना एवं संचार जैसी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ध्यान दें। यह राज्यों द्वारा ऊर्जा परिवहन एवं संचार जैसे वास्तविक आधारभूत संरचना में निवेश लगाते हुए कार्य के अतिरिक्त होगा। विगत में ऐसे कार्यों के निष्पादन में सरकार गम्भीर रूप से वित्तीय दबावों में आ गई है। इस व्यय का अधिकांश भाग ऋण के माध्यम से आया है जिसकी लागत भी बढ़ रही है। आखिरकार वित्तीय स्थिति बनाये रखने की आवश्यकता है। अन्यथा एक स्थिति ऐसी आ जायेगी कि जब सरकार पर ऋण का भारी बोझ पड़ जायेगा तो वह अपने न्यूनतम आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिये भी असमर्थ बन जायेगी। मानव विकास के क्षेत्र में निवेशों के वित्त पोषण हेतु कुछ नये दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इन सेवाओं की व्यवस्था में सब्सिडी के तत्व को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। उन लक्ष्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जहां सेवाओं की व्यवस्था स्वतंत्र या बहुत अधिक सब्सिडी युक्त है। संस्थानों, जो सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं, को चलाने और उनकी व्यवस्था करने में उन निजी उद्यमियों और स्थानीय समुदायों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने वाली संस्थाओं के चलाने और व्यवस्था करने में सहायक हैं।

2.2.11 विगत में प्रायः योजना आकार और सांकेतिक परिव्यय सहित योजना स्कीमों के रूप में परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रति सम्मोहन रहा है। इससे अनिवार्यतः वास्तविक रूप से कोई विकास नहीं हुआ। दूसरी ओर इससे वास्तव उत्पादन-विकास तथा उचित विकासोन्मुखी योजनाओं की पहचान एवं प्रतिपादन और अनुसूचि के अनुसार उनके विकासोन्मुखी योजनाओं की पहचान एवं प्रतिपादन और अनुसूचि के अनुसार उनके समय पर पूरा करने से स्थानान्तरण हो गया है। बहुत से सरकारी क्षेत्र उद्यम, किये गये विशाल निवेशों पर न केवल किसी प्रकार का अधिशेष करने में असफल रहे हैं अपितु उन्होंने सरकार से प्रति वर्ष पर्याप्त बजटीय सहायता भी मांगना जारी रखा है।

जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप और निहितार्थ

2.3.1 पिछले कुछ दशकों में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि ने जोर पकड़ा है। इसे सारणी 2.1 में देखा जा सकता है कि दशक 1941-51 के दौरान स्वभाविक वृद्धि दर केवल 1.25 प्रतिशत प्रति वर्ष थी तथा इस शताब्दी के पहले दशक के दौरान बहुत ही कम स्तर पर रही है। यह वृद्धि दर 1951 के बाद बढ़ी तेजी से बढ़नी शुरू हुई है और दशक 1971-81 के दौरान 2.22 प्रतिशत तक बहुत ऊंची पहुंच गई। यह सोचने को प्रेरित करता है कि यदि भारत 1951 के पश्चात अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष, अर्थात् जिस दर को चीन ने प्राप्त किया है, तक नियंत्रित करने में सफल होता तो केवल इस कारण से कितना अंतर प्रति व्यक्ति की आय, खपत और जीवन स्तर में हुआ होता। सातवीं योजना दस्तावेज में 1981-86 के दौरान वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत निर्धारित की गई थी और 1981-91 की अवधि के लिये वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत तक प्रदर्शित की गई। 1991 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण आठवें दशक के लिए वृद्धि 2.1 प्रतिशत थी। छठी और सातवीं दोनों ही योजनाएं जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रही हैं।

2.3.2 इस परिकल्पना पर कि परिवार नियोजन के प्रयासों को आठवीं और नौवीं योजना के दौरान जन आंदोलन से प्रभावी बनाया जायेगा, जनसंख्या प्रक्षेपण से सम्बद्ध विशेषज्ञ स्थायी समिति ने अनुमान लगाया है कि 1991-96 की अवधि के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.81 प्रतिशत होगी जो आगे 1996-2001 के दौरान घट कर 1.65 प्रतिशत हो जायेगी। आठवीं योजना (1992-97) में 1.78 प्रति वर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर की व्यवस्था की गई है। इन अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या : 1991 में 844 मिलियन से बढ़कर 1996 में 925 मिलियन, वर्ष 2001 में 1006 मिलियन और 2007 में 1102 मिलियन हो जाएगी (सारणी 2.2)। शुद्ध प्रजनन दर केवल 2011 से 2016 के दौरान समान इकाई हो जायेगी अर्थात् 5 वर्ष बाद जब कि इस की सातवीं योजना के प्रस्तुत करने के समय आशा की गई थी, जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य (शून्य जनसंख्या वृद्धि, जेड पीजी) इस प्रकार आगे बढ़ गया है। भारत की गर्भाधान और मृत्यु दर तथा जनसंख्या का आयु-वितरण ऐसा है कि वर्ष 2011-2016 तक एन. आर. आर. = 1 प्राप्त करने के पश्चात भी जनसंख्या केवल 21वीं शताब्दी के अंत तक (अर्थात् जेड पी जी की प्राप्ति) स्थिर हो पायेगी।

सारणी 2.1

जनसंख्या वृद्धि की गति : 1901-1991

| अवधि | अवधि के अंत तक जनसंख्या (1 मार्च की स्थिति के अनुसार) | | वृद्धि दर (एकसमो नेशनल) | | जन्म-मरण दर प्रति 1000 जनसंख्या स्वाभावित | | |
|---------|--|----------|----------------------------|---------|--|-----------|-----------|
| | कुल (मिलियन) | शहरी (%) | दस व्षीय | वार्षिक | जन्म दर | मृत्यु दर | वृद्धि दर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1901-11 | 252.09 | 10.29 | 5.75 | 0.56 | 49.20 | 42.60 | 6.60 |
| 1911-21 | 251.32 | 11.18 | -0.31 | -0.03 | 48.10 | 48.60 | -0.50 |
| 1921-31 | 278.98 | 11.99 | 11.00 | 1.04 | 46.40 | 36.30 | 10.10 |
| 1931-41 | 318.66 | 13.86 | 14.22 | 1.33 | 45.20 | 31.20 | 14.00 |
| 1941-51 | 361.09 | 17.29 | 13.31 | 1.25 | 39.90 | 27.40 | 12.50 |
| 1951-61 | 439.23 | 17.97 | 21.51 | 1.96 | 41.70 | 22.80 | 18.90 |
| 1961-71 | 548.16 | 19.91 | 24.80 | 2.20 | 41.20 | 19.00 | 22.20 |
| 1971-81 | 683.33 | 23.34 | 24.66 | 2.22 | 37.20 | 15.00 | 22.20 |
| 1981-91 | 844.32 | 25.72 | 23.56 | 2.12 | 32.50 | 11.40 | 21.10 |

नोट :-

1. 1981 जनगणना जनसंख्या जोड़ को 1991 जनगणना के परिणामों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है।
2. 1991 जनगणना आंकड़ों में जम्मू तथा कश्मीर की अनुमानित जनसंख्या शामिल है।
3. 1981-91 को छोड़कर जन्म-मृत्यु दरों की गणना रिवर्स सर्वाइवल मेथड द्वारा भारत की जनगणना आंकड़ों से की गई है।
4. 1981-91 के लिये जन्म-मरण दरों की गणना नमूना रजिस्ट्रेशन पद्धति आंकड़ों का प्रयोग करते हुए की गई है।

2.3.3 जिन सामाजिक आर्थिक परिवर्तियों पर विचार किया जा सकता है, उनका आंतरिक सम्बंध मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म पर महिला सम्भावित आयु, महिला साक्षरता, विवाह पर महिला औसत आयु तथा कार्यरत महिलाओं की प्रतिशतता से है। इन विभिन्नताओं से संबंधित अंतिम उपलब्ध राज्यवार आंकड़े सारणी 2.3 में प्रस्तुत किये गये हैं।

2.3.4 राज्यों में सामाजिक-जनसांख्यिकी परिवर्तियों में काफी भिन्नताएं हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तियों अर्थात् शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) उदाहरणार्थ केरल में 17 है तो उड़ीसा में 123 है। जनसांख्यिकी तथा सामाजिक-आर्थिक विभिन्नताओं के बीच

संबंध के अध्ययन से पता चलता है कि महिला साक्षरता और विवाह के समय आयु का प्रजनन ह्रास के साथ गहरा संबंध है। विवाह की आयु में वृद्धि से प्रजनन में ह्रास होता है चूंकि इससे प्रजनन की अवधि कम होती है और पुनरुत्पादन के बीच लम्बा अंतराल हो जाता है। चूंकि परिवार नियोजन के तरीकों के ग्राहियों से बच्चों के उत्तरजीवन के बारे में अधिक विश्वास पैदा हो जाता है अतः कम शिशु मृत्यु दर भी कम बच्चे रखने में सहायक सिद्ध होती है। देश के बहुत से उन भागों में प्रजनन दर घटने लगी है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, महिला शिक्षा और महिलाओं एवं बच्चों के लिये उन्नत स्वास्थ्य में पर्याप्त प्रगति की

सारणी 2.2

जनसंख्या प्रक्षेपण

| अवधि | अवधि के अंत में जनसंख्या (1 मार्च के अनुसार) | | जीवन-जन्म की औसत संभाव्यता | | जन्म दर | मृत्यु दर (व्यक्ति प्रति हजार) | संवृद्धि दर | सामान्य दायित्व प्रजनन दर प्रति हजार शिक्षित महिला | |
|-----------|---|------------------|---|-------|------------|--------------------------------------|----------------|---|--------|
| | कुल (मिलियन) | शहरी (मिलियन) | कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत | पुरुष | | | | | महिला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1991-96 | 925.13 | 257.36 | 27.82 | 60.60 | 61.70 | 27.50 | 9.40 | 18.10 | 160.80 |
| 1992-97 | 941.37 | 266.57 | 28.32 | 61.05 | 62.20 | 27.00 | 9.20 | 17.80 | 157.50 |
| 1996-2001 | 1006.20 | 306.87 | 30.50 | 62.80 | 64.20 | 24.90 | 8.40 | 16.50 | 144.50 |
| 2001-2006 | 1085.98 | 363.64 | 33.48 | 64.80 | 65.80 | 23.00 | 7.80 | 15.20 | 132.30 |
| 2006-2011 | 1164.25 | 425.73 | 36.57 | 67.05 | 68.30 | 20.90 | 7.10 | 13.80 | 120.90 |

स्रोत : जनसंख्या प्रक्षेपण (1989) संबंधी स्याई विश्वकृत समिति की रिपोर्ट ।

टिप्पणी : 1) विश्वकृत शहरी जनसंख्या के मामले में प्रक्षेपणों को 1991 के जनगणना परिणामों को ध्यान में रखकर के समायोजित किया गया है ।

2) जनसंख्या प्रक्षेपण (1989) संबंधी विश्वकृतों की स्याई समिति द्वारा यथास्वीकृत इसी प्रकार की परिकल्पनाएं 1992-97, 2006-2011 के लिए प्रक्षेपणों पर आधारित हैं ।

मुख्य शिशु मृत्यु-सामाजिक-आर्थिक सूचक-मुख्य राज्य

| राज्य | जन्मदर (1990) | मृत्यु दर (1990) | शिक्षण मृत्यु दर (आईएमआर) (1990) | दम्पति संरक्षण दर (सीपीआर) (1-4-91) | जनन क्षमता का योग (टीएफआर) (1985) | जीवन संभाव्यता (1986-91) | महिला साक्षरता दर (1991) | विवाह की आयु का माध्य (1981) | संगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत (1990) |
|--------------|------------------|---------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 25.60 | 8.70 | 70 | 44.30 | 3.70 | 62.23 | 33.70 | 17.26 | 12.47 |
| बिहार | 32.90 | 10.60 | 75 | 26.00 | 5.40 | 57.00 | 23.10 | 16.55 | 6.73 |
| गुजरात | 29.50 | 8.90 | 72 | 57.80 | 3.90 | 61.49 | 48.50 | 19.52 | 12.44 |
| हरियाणा | 31.80 | 8.50 | 69 | 56.60 | 4.60 | 61.97 | 40.94 | 17.84 | 11.39 |
| कर्नाटक | 27.80 | 8.10 | 71 | 46.90 | 3.60 | 63.31 | 44.30 | 19.21 | 17.06 |
| केरल | 19.00 | 5.90 | 17 | 55.60 | 2.40 | 73.80 | 86.90 | 21.82 | 38.97 |
| मध्य प्रदेश | 36.90 | 12.50 | 111 | 40.30 | 4.60 | 54.71 | 28.40 | 16.56 | 10.24 |
| महाराष्ट्र | 27.50 | 7.30 | 58 | 56.20 | 3.50 | 64.30 | 50.50 | 18.77 | 13.24 |
| उड़ीसा | 29.90 | 11.60 | 123 | 41.00 | 3.80 | 55.15 | 34.40 | 19.08 | 8.80 |
| पंजाब | 27.60 | 7.80 | 55 | 75.80 | 3.50 | 65.30 | 49.70 | 21.07 | 13.56 |
| राजस्थान | 33.10 | 9.40 | 83 | 29.00 | 5.50 | 58.69 | 20.80 | 16.10 | 11.67 |
| तमिलनाडु | 22.40 | 8.70 | 67 | 57.30 | 2.80 | 60.80 | 52.30 | 20.25 | 22.00 |
| उत्तर प्रदेश | 35.70 | 12.00 | 98 | 35.50 | 5.60 | 49.64 | 26.00 | 16.71 | 7.92 |
| प. बंगाल | 27.30 | 8.10 | 63 | 33.70 | 3.70 | 59.53 | 47.10 | 19.23 | 9.82 |
| भारत | 29.90 | 9.60 | 80 | 44.10 | 4.30 | 59.10 | 39.40 | 18.33 | 14.22 |

स्रोत : कॉलम 1, 2, 3 व 5- एसआरएस अनुमान, महा-पंजीयक, भारत ।
 कॉलम 4- परिवार कल्याण विभाग
 कॉलम 6- जनसंख्या प्रक्षेपण संबंधी विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट ।
 कॉलम 7- जनगणन (अंतर्निर्मित) जोड़
 कॉलम 8-जनगणना 1981 ।
 कॉलम 9-रोजगार तथा प्रशिक्षण महा-निदेशालय, श्रम मंत्रालय

गई है और जहां महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ गये हैं ।

2.3.5 यद्यपि भारत जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने की आवश्यकता को मान्यता देने के लिये पहला देश था फिर भी हमारी उपलब्धियां इस दिशा में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये काफी कम रही हैं । छठे दशक और सातवें दशक के प्रारम्भ में मामूली प्रारम्भिक दर में कमी के बाद, जन्म दर 1985 तक लगभग एक दशक के

लिये 33/34 प्रति हजार तक स्थिर रही । यह उसी अवधि के दौरान दम्पति संरक्षण दर (सी.पी.आर.)में पर्याप्त रूप से वृद्धि के बावजूद हुआ । दम्पति संरक्षण दर 1977 में 22.5 से बढ़कर 1985 में लगभग 35 और फिर 1991 में 44.1 हो गई । यद्यपि जन्म दर (बी आर) में गिरावट आई है (1980 में 33.7 से 1986 में 32.6 और 1990 में 29.9) फिर भी यह गिरावट दम्पति संरक्षण दर की वृद्धि से मेल नहीं खाती । इस का एक स्पष्टीकरण यह प्रतीत होता है कि

परिवार नियोजन तरीकों की स्वीकृति को मुख्यतः बड़ी आयु वर्गों तक सीमित किया गया। वास्तव में 1961 और 1981 के जनसांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़ी आयु वर्ग 30-44 में प्रजनन अवनति अधिक पाई गई जबकि आयु वर्ग 15-29 में अपेक्षाकृत विवाह की आयु बढ़ाने के कारण थी न कि परिवार नियोजन के तरीकों के प्रयोग के कारण। फिर भी आठवें दशक के उत्तरार्ध में प्रजनन अवनति की नई दशा देखने में आई है। प्रजनन और जनसंख्या वृद्धि में मामूली लेकिन स्पष्ट और लगातार गिरावट आई है जैसा कि एस आर एस अनुमानों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

2.3.6 प्रजनन आयु में कुल महिला जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत 30 वर्ष की आयु से कम है। सभी देशों के लिये प्रजनन अवनति की अपनी प्रारम्भिक अवस्था में यह विशिष्ट है कि परिवार नियोजन तरीकों के ग्राही कम प्रजनन वर्ग में हो या बड़ी आयु वर्ग में हो। फिर भी, 44 की सीपीआर और 30 की जन्म दर की प्राप्ति के बाद सीपीआर में और आगे महत्वपूर्ण सुधार केवल युवा आयु-वर्ग द्वारा परिवार नियोजन तरीकों के अपनाने से ही हो सकता है। सीपीआर में और आगे वृद्धि जन्म दर के घटाने से ही कारगर सिद्ध हो सकती है। इसके लिए युवा लोगों को प्रेरित करने की अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। यह इस संदर्भ में है कि शिक्षा मृत्यु दर में कमी, महिला साक्षरता में वृद्धि, और महिलाओं के लिये रोजगार अवसरों में वृद्धि दरों को प्रभावित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय बन जायेगी।

2.3.7 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 42वें दौर (1986-87) ने परिवार नियोजन सेवाओं की उपयोगिता के बारे में बताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1986-87 के दौरान कारगर ढंग से सुरक्षित पात्र दम्पतियों की प्रतिशतता 28.6 थी (सारणी 2.4)। जबकि प्रशासनिक सांख्यिकी के माध्यम से सूचित की गई दम्पति संरक्षण दर 37.5 थी। आंकड़ों के एकत्रीकरण के विभिन्न स्रोतों और तरीकों के कारण आंकड़ों में विसंगति के बावजूद इस विसंगति का एक कारण यह भी हो सकता है कि प्रशासनिक सांख्यिकी ने परिवार नियोजन तरीकों (एफआरएम) के नैमित्तिक प्रयोक्ताओं की पर्याप्त संख्या शामिल की हो जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने अधिक सतत प्रयोक्ताओं को शामिल किया हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्रभावी संरक्षण का ऊंचा स्तर रहा है और गरीबी से नीचे

रह रहे वर्ग की तुलना में गरीबी से ऊपर रह रहे जनसंख्या वर्ग में प्रभावी संरक्षण का ऊंचा स्तर रहा है। यह आशा के अनुरूप है। लेकिन इससे अधिक जो और प्रदर्शित हो रहा है वह है कि गरीबी वर्ग से नीचे ग्रामीण लोगों में प्रभावी संरक्षण दर लगभग 22.65 प्रतिशत थी जबकि सम्पूर्ण अखिल भारतीय दर 28.60 प्रतिशत थी। यह एक बहुत ही आशाजनक बात है। टर्मिनल तरीके, बढ़ती आय एवं शहरीकरण के साथ पसन्द किये जाते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार बढ़ती हुई आय स्तरों और शहरीकरण से सरकारी सेवाओं पर निर्भरता कम होती जा रही है। सरकार अभी भी प्रदान की गई परिवार नियोजन सेवाओं की पर्याप्त रूप से बड़े अनुपात के लिए जिम्मेदार है।

सारणी 2.4

प्रभावी रूप से संरक्षित पात्र दम्पतियों की प्रतिशतता

| (1) | ग्रामीण (2) | शहरी (3) | मिश्रित (4) |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| गरीबी रेखा से नीचे | 22.65 | 28.73 | 23.51 |
| गरीबी रेखा से ऊपर | 26.74 | 39.72 | 29.93 |
| सम्पूर्ण | 25.40 | 37.58 | 28.60 |

नोट: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट (42वां दौर, 1986-87) में सूचित किये गये फ्रेकटाइल वर्गों संबंधी आंकड़ों से अनुमानित किये गये।

2.3.8 1980 में भारत की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या 15 वर्ष की आयु से कम थी जबकि 6 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष की आयु से ऊपर थी। हाल में जन्म-मरण दरों में और जन्म पर सम्भावित आयु में परिवर्तन से, जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन आया है और भविष्य में इस में और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। आयु संरचना में अनुमानित परिवर्तन सारणी 2.5 में प्रदर्शित किए गये हैं।

2.3.9 15 वर्ष से कम आयु के लोगों का अनुपात 1980 में 40 प्रतिशत से घटकर 1992 में 35.5 प्रतिशत और वर्ष 2007 में 29.5 प्रतिशत हो जायेगा। 15+ आयु वर्ग का सदृश अनुपात 1980 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 70.5 प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार काम की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जायेगी। 60+ की आयु वर्ग की जनसंख्या 1992 में 6.65 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ गई है और 2007 तक 8.3 प्रतिशत

सारणी 2.5

अनुमानित आयु संरचना

(प्रतिशत)

| वर्ष | 1990 | 1992 | 1995 | 1997 | 2000 | 2005 | 2007 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0-4 | 13.30 | 12.77 | 12.13 | 11.71 | 11.14 | 10.30 | 9.96 |
| 5-14 | 23.32 | 22.89 | 22.49 | 22.09 | 21.58 | 20.08 | 19.48 |
| 15-59 | 57.07 | 57.69 | 58.43 | 59.06 | 59.78 | 61.55 | 62.26 |
| 60 + | 6.41 | 6.65 | 6.95 | 7.14 | 7.50 | 8.07 | 8.30 |

स्रोत : जनसंख्या अनुमान संबंधी विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट (1989)

नोट : 2007 के अनुमान स्थायी समिति द्वारा अपनाई गई समान परिकल्पनाओं पर आधारित है (1989)

के स्तर तक बढ़ जायेगी।

2.3.10 15 से 44 वर्ष की प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या और अनुपात अगले 15 वर्षों तक बढ़ती जायेगी (सारणी 2.6)। प्रजनन आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या और उनके अनुपात में वृद्धि से प्रजनन दरों की वृद्धि होगी और अतः इस के लिये विगत में प्रयास/सफलता अनुपात के अनुरूप जन्म दरों में कुछ कमी करने के लिये अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

सारणी 2.6

प्रजनन आयु वर्ग में महिलाएं

| वर्ष | 15-44 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या (मिलियन में) | कुल महिलाओं की 15-44 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या का अनुपात |
|------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1990 | 183.00 | 45.75 |
| 1992 | 191.89 | 46.02 |
| 1995 | 205.00 | 46.49 |
| 1997 | 214.31 | 46.95 |
| 2000 | 226.00 | 47.08 |
| 2005 | 252.00 | 48.55 |
| 2007 | 262.40 | 48.84 |

स्रोत : जनसंख्या अनुमान से सम्बद्ध विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट (1989)

नोट : 2007 के लिये अनुमान स्थायी समिति द्वारा अपनाई गई समान परिकल्पनाओं पर आधारित है (1989)

2.3.11 वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में अभी तक विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया गया है क्योंकि समाज बच्चों की समस्याओं से ही दबा रहा है। वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात कम ही रहा है और परम्परागत परिवार संरचना ही वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। अब इस में परिवर्तन होता जा रहा है। समाज में वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात बढ़ता जायेगा। आधुनिकीकरण और शहरीकरण के फलस्वरूप अधिक से अधिक परिवार अपनी आजीविका के मुख्य साधन के रूप में भूमि से अलग होते जा रहे हैं और संयुक्त परिवार प्रणाली के मुख्य आधार क्षीण होते जा रहे हैं। परिवार न्यूक्लियर बनते जा रहे हैं। वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने के लिये आने वाले दशकों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

2.3.12 आशा है कि 1992 में शहरी जनसंख्या 224 मिलियन हो जायेगी जो कुल जनसंख्या की 26.04 प्रतिशत होगी। अगले दशकों के लिये शहरी जनसंख्या का अनुमान 1971-91 की 20 वर्ष की अवधि के दौरान अवलोकित औसत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर किया गया है, न कि 1981-91 के दौरान मंद वृद्धि दर के आधार पर चूंकि इससे शहरीकरण की दीर्घकालीन प्रवृत्ति का प्रस्तुतीकरण नहीं हो सकता। 2001 के उत्तरार्ध में शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर स्वभाविक वृद्धि दर में कल्पित कमी के अनुरूप शून्य-शून्य कम होने की कल्पना की गई है, लेकिन शहरी जनसंख्या के हिस्से

की लगातार बढ़ जाने की आशा की जाती है। अनुमान के अनुसार भारत 307 मिलियन (कुल का 30.50 प्रतिशत) की शहरी जनसंख्या के साथ 21वीं शताब्दी में प्रवेश करेगा जिसकी 2007 तक 376 मिलियन (कुल का 34.2 प्रतिशत) के स्तर पर पहुंच जाने की आशा की जाती है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 1981 में 12 से बढ़कर 2001 में लगभग 40 हो जायेगी। 1981 में प्रथम श्रेणी के 218 शहरों की गणना देश की कुल शहरी जनसंख्या की 60 प्रतिशत से भी अधिक थी। 1991 में श्रेणी 1 शहरों में 139.7 मिलियन लोग (जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर) जो कुल शहरी जनसंख्या का 65.2 प्रतिशत हैं, रहते थे और उनमें से 70.76 मिलियन लोग अकेले महानगरों में रहते थे। ये शहर ही आर्थिक कार्यकलाप के मुख्य केन्द्र हैं। इनमें से कुछ ऐसे शहर भी हैं जो पहले ही दबाव में हैं क्योंकि आधारभूत संरचना अतिव्याप्त और पर्याप्त है। इन शहरों का विशाल क्षेत्र गंदी बस्तियों में विकृत हो गया है। आवास की अत्यधिक कमी है। 1981 में लगभग 160 मिलियन की कुल शहरी जनसंख्या में से 32 से 40 मिलियन लोगों का केवल गंदी बस्तियों में रहने का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार शहरी जनसंख्या की 20 से 25 प्रतिशत जनसंख्या अनेक प्रकार की कमियों के साथ निवास करती है। यह मकानों की मांग और कानूनी औपचारिक सफ़ाई के बीच अंतर का परिणाम है।

2.3.13 दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में शहरीकरण की गति का तेज होना अनिवार्य है। वास्तव में आठवें दशक में शहरी जनसंख्या में वृद्धि आशा से कम ही रही है। फूले जाने वाले प्रश्न केवल यही है कि सम्पूर्ण आर्थिक विकास पद्धति के साथ और पर्यावरणीय रूप से कम हानि के साथ इस प्रक्रिया को कैसे और सुसंगत बनाया जा सकता है। व्यापक रूप से किया गया शहरी विकास महानगरों की ओर आने से काफी संख्या में लोगों को रोकेगा और इस से ग्रामीण विकास को भी लाभ होगा। ऐसी कार्यनीति का काफी संख्या में छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में संचार, परिवहन, स्वास्थ्य और शैक्षिक आधारभूत संरचना के निर्माण के माध्यम से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

2.3.14 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के निरन्तर पंचवर्षीय दौरों से श्रम शक्ति सहभागिता दरों (एल एफ पी आर) की प्रवृत्तियों का पता चलता है और आने वाले वर्षों के लिये की जा रही श्रम शक्ति की परिकल्पनाओं का अनुमान होता है। सामान्य प्रमुख स्थिति एल एफ पी आर से सम्बंध सारणी 2.7 से पता चलता है कि एल एफ पी आर में वर्षों से गिरावट आई है, चूंकि श्रम शक्ति में वृद्धि, जनसंख्या दर से बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए श्रम शक्ति में सहभागिता दरों ने घटती हुई प्रवृत्ति के बावजूद भी बढ़ना जारी रखा है। 1992-2007 तक की अवधि के लिए सामान्य प्रमुख स्थिति श्रम शक्ति अनुमान सारणी 2.8 में दिए गए हैं।

सारणी 2.7

सम्पूर्ण श्रम शक्ति सहभागिता दर (1977-78 से 1987-88)

| वर्ष | श्रम शक्ति सहभागिता दर (प्रतिशत) | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | ग्रामीण | | शहरी | |
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 32वां दौर (1977-78) | * 54.9 | 26.2 | 53.2 | 15.0 |
| 38वां दौर (1983) | 54.0 | 25.2 | 53.1 | 13.0 |
| 43वां दौर (1987-88) | 53.2 | 25.4 | 52.8 | 12.9 |

*सामान्य प्रमुख स्थिति

सारणी 2.8

आयु-वर्ग द्वारा श्रम शक्ति अनुमान

(मिलियन)

| आयु वर्ग | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 | श्रम शक्ति में समबृद्धि | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | 1992-1997 | 1997-2002 | 2002-2007 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| सामान्य स्थिति | | | | | | | |
| 5 + | 328.94 | 364.31 | 400.75 | 440.74 | 35.37 | 36.44 | 39.99 |
| 15 + | 316.65 | 351.61 | 387.92 | 427.87 | 34.96 | 36.31 | 39.95 |
| 15-59 | 294.60 | 325.87 | 357.82 | 393.02 | 31.27 | 31.95 | 35.20 |

समाज विकास परिप्रेक्ष्य

2.4.1 सामान्यतः लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश के कुछ राज्यों में सम्भावित आयु शिशु मर्त्यता, साक्षरता, भोजन और कपड़े की खपत तथा पेयजल एवं घरेलू बिजली जैसी मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता संतोषजनक रही है। लेकिन बहुत से राज्यों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, पुरुषों एवं महिलाओं तथा संगठित क्षेत्र में कार्यरत और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के बीच पर्याप्त असमानताएं हैं। अगले 10 से 15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में हमें इन असमानताओं को दूर करने तथा व्यक्ती के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केन्द्रित होना है। विकास परिप्रेक्ष्य में कम सुविधा प्राप्त वर्गों के आम अवसरों में सुधार करने और विकास रहित क्षेत्रों में सुधार करने पर महत्व दिया गया है। मूलभूत सामाजिक सेवाओं में सुधार और शिशु मर्त्यता में कमी, जनसंख्या वृद्धि पर वांछित नियंत्रण करने हेतु एक पूर्वशर्त है। महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों के संदर्भ में दीर्घकालीन लक्ष्य सारणी 2.9 में दिये गये हैं। ये सारी जनसंख्या के लिए सामान्य संकेतक हैं और औसत असमानताओं को गुप्त रखते हैं। लेकिन औसत में आगे महत्वपूर्ण सुधार असमानताओं को दूर किए बिना नहीं लाया जा सकता है।

2.4.2 भारत की जनगणना 1981 में 36.2 प्रतिशत की सम्पूर्ण साक्षरता दर बताई गई थी। इसमें 1951 की 16.7 प्रतिशत साक्षरता दर से

भी अधिक सुधार हुआ था। यद्यपि यह अभी भी 30 वर्षों की योजना के लिए बहुत कम है। जनगणना 1991 में 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर 52 प्रतिशत के रूप में सूचित की गई है। क्षेत्रीय असमानताएं बहुत व्यापक हैं और महिला साक्षरता अभी भी बहुत निम्न स्तर पर है। 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता केवल 39.4 प्रतिशत थी और पुरुष साक्षरता 63.9 प्रतिशत थी। साक्षरता संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न चक्रों से भी उपलब्ध हैं। यद्यपि अनुसरण की गई परिभाषाएं वही हैं, फिर भी जनगणना और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के चक्र में साक्षरता की कुछ ऊंची दरें बताई गई हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण अनुमान वास्तविक स्थिति के अधिक निदेशात्मक हो सकते हैं। ये आंकड़े सारणी 2.10 में प्रस्तुत किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि 1983 से 1987-88 के 5 वर्षों से भी कम की अवधि के दौरान साक्षरता दरों में 4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षरता अभियान अब जोर पकड़ेगा चूंकि साक्षरता युवा आयु वर्ग में अधिक है और यह वृद्ध आयु वर्ग में बहुत कम है। इस अभियान के साथ अधिक व्यक्ति निरक्षर से साक्षर बन जाएंगे। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम और प्रारम्भिक शिक्षा सर्वव्यापीकरण के प्रयासों से साक्षरता दरों में और आगे सुधार होगा।

2.4.3 इस संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है कि उन क्षेत्रों/जिलों पर जोर दिया जाए जहां साक्षरता दरें काफी कम हैं। 412 जिलों

सारणी 2.9

सामाजिक विकास के कुछ संकेत (1992-2007)

| | | 1991-92 | 1996-97 | 2006-07 |
|-----|---|---------|---------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | जीवन सम्भाव्यता (वार्षिक) पुरुष | 57.7 | 60.10 | 66.10 |
| | महिला | 58.7 | 61.10 | 67.10 |
| 2. | शिशु मृत्यु दर (जन्म प्रति 1000) | 78 (क) | 68 (ख) | 48 |
| 3. | मृत्यु दर (प्रति हजार) | 10.0 | 8.7 | 7.4 |
| 4. | जन्मदर (प्रति हजार) | 28.9 | 25.72 | 21.7 |
| 5. | प्रजनन दर (प्रति हजार) | 130.3 | 113.0 | 91.4 |
| 6. | साक्षरता दर (%) 15-35 वर्ष | 56.0* | 90.0 | 100.0 |
| | 7 वर्ष से अधिक | 52.0 | 75.0 | 90.0 |
| 7. | खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति खपत (कि. ग्रा.) | 182.0 | 193.6 | 225.0 |
| 8. | (क) पेयजल रहित गांव (हजार) | 3.0 @ | 0 | 0 |
| | (ख) आंशिक रूप से सम्मिलित गांव (40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम) | 150.0 | नग्न्य | 0 |
| 9. | प्रकाश संबंधित स्रोत के अनुसार विद्युतीकरण (निवासियों का प्रतिशत) | | | |
| - | ग्रामीण | 27 (ग) | 50 | 80 |
| - | शहरी | 75 (ग) | 80 | 95 |

(क) एस आर एस आंकड़ों पर आधारित

(ख) जनसंख्या प्रक्षेपण (1989) पर विशेषज्ञों की स्थाई समिति द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण की अप्रत्यक्ष परिकल्पनाओं पर आधारित।

(ग) 1988-89 के लिए अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 44वें चक्र पर आधारित।

* शिक्षा में सहभागिता (1986-87) पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 42वें चक्र के आधार पर स्थूल अनुमान।

@ आंकड़े मार्च, 1992 के अंत तक ऐसे गांवों की संख्या दर्शाते हैं जिनमें पेय जल के कोई स्रोत नहीं हैं। (स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय)

* 1987-78 के लिए अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 42 वें चक्र पर आधारित

सारणी 2.10

साक्षरों की संख्या प्रति हजार व्यक्ति अखिल भारतीय

| वर्ष तथा स्रोत | ग्रामीण | | शहरी | | सभी क्षेत्रों के व्यक्ति | आयु वर्ग में जनसंख्या को छोड़कर | | |
|----------------|---------|-------|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|-----|------|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | | 0-6 | 0-4 | 0-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1977-78 @ | 415 | 184 | 688 | 500 | 377 | 467 | 440 | 404 |
| 1981 # | 408 | 180 | 658 | 478 | 362 | 447 | 414 | 408 |
| 1983 \$ | 449 | 219 | 693 | 515 | 405 | 500 | 470 | 440 |
| 1987-88 * | 484 | 260 | 719 | 556 | 444 | 540 | 509 | 486 |
| 1991 (जनगणना) | | | | | | 521 | | |

टिप्पणी :

- कालम 7 और 8 के आंकड़ों में केवल डिनोमीनेटर के संबंधित आयु वर्गों के व्यक्ति शामिल नहीं हैं।
- कालम 9 के आंकड़ों में न्युमेरेटर और डिनोमीनेटर दोनों आयु वर्ग (0-14) के व्यक्ति शामिल नहीं हैं।
- @, % और * क्रमशः एन एस एस के 32वें, 38वें और 43वें दौर के लिए।
- # जनगणना

में से 243 जिलों में यहां साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है और 193 जिलों में महिला साक्षरता दर 1981 में 20 प्रतिशत से कम थी (जनगणना आंकड़ों पर आधारित परम्परागत उपाय के रूप में) 1981 जनगणना में 0-14 आयु वर्गीय बच्चों के लिए 4.3 प्रतिशत की कार्य सहभागिता दर रिकार्ड की गई थी। एन एस एस ओ (1983) ने भी सूचित किया था कि 15 वर्ष से कम आयु के 17.36 मिलियन बच्चे कार्य कर रहे थे। देश के सामने यह कार्य है कि इन बच्चों को पुनः पढ़ाई के लिए पाठशालाओं में लाया जाए। कम से कम 3-4 वर्ष की पढ़ाई साक्षरता के लिए आवश्यक है जिसे अनिवार्य बनाया जाए।

2.4.4 लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि जन्म के समय आयु प्रत्याशा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 32 वर्ष थी से बढ़ कर 58 वर्ष हो गई है। यह भविष्यवाणी की गई है कि यह 2001-2006 के दौरान 65 वर्ष के स्तर तक पहुंच जायेगी जबकि महिला सम्भावित आयु कुछ अधिक होगी। पहले ही 1986-91 के दौरान केरल में जन्म से महिला सम्भावित आयु 74 वर्ष है जो अधिकांश विकसित देशों के तुलनीय है। भारत में मृत्यु दर भी घट गई है। सरकार द्वारा संचालित अनेक सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, तपेदिक नियंत्रण, हैजा नियंत्रण तथा डिफथेरिया, टेटनस, कुकर खांसी आदि के विरुद्ध बच्चों का प्रतिरक्षण, ने स्वास्थ्य सुधार और लोगों की दीर्घ आयु करने में सहायता की है।

2.4.5 यद्यपि महामारी से निपटने के लिये प्रयास सफल रहे फिर भी जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरी करने के प्रयास संतोषजनक नहीं रहे हैं। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत शिशु मृत्युता दर है। कुल मृत्यु दर में इसका योगदान बहुत अधिक है और परिवार को सीमित रखने की प्रेरणा पर इस का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कुल मृत्यु में शिशु मृत्यु का योगदान लगभग 28 प्रतिशत है। यह शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 29 प्रतिशत है। शिशु मृत्युता दर 78 प्रति हजार कम हो गई है, जिनमें लगभग 60 प्रतिशत नवजात शिशु मृत्यु सम्मिलित है। यह अनुमान लगाया गया है कि 30 से 40 प्रतिशत शिशुओं का जन्म के समय वजन कम होता है और लगभग

45 प्रतिशत शिशु मृत्यु का कारण जन्म के समय कम वजन ही है। प्रतिरक्षण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। एनएसएस आंकड़ों से भी पता चलता है कि प्रसव पूर्व देखभाल के लिये पंजीकृत माताएं ग्रामीण क्षेत्रों में 21 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 47 प्रतिशत थीं और प्रसवोत्तर देखभाल के लिये पंजीकृत माताएं ग्रामीण क्षेत्रों में 12.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 23.8 प्रतिशत थीं।

2.4.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने "वर्ष 2000 तक सभी के लिये स्वास्थ्य" सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। अनेक दूसरे स्वास्थ्य संबंधित लक्ष्यों के अतिरिक्त, शिशु मृत्यु दर का 60 प्रतिशत और गर्भवती माताओं तथा स्कूली बच्चों का 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता है।

2.4.7 पेयजल और बिजली की उपलब्धता के लिये साधन, जैसा कि वर्ष 1973-74 तथा 1988-89 के लिये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों द्वारा सूचित किया गया है, सारणी 2.11 में प्रस्तुत किये गये हैं। इस अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में सुधार हुआ है। फिर भी 1988-89 में पेयजल 15.5 प्रतिशत ग्रामीण घरों और 72 प्रतिशत शहरी घरों में उपलब्ध था। गांवों में पेयजल से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी मिशन और सम्बंधित जल प्रबंध के पास सभी समस्याग्रस्त गांवों को शामिल करने का उद्देश्य है। देश में 5.75 लाख गांवों में से 1.62 लाख गांवों को सातवीं योजना के प्रारम्भ में समस्याग्रस्त गांवों के रूप में पता लगाया गया था। मार्च, 1992 के अंत तक केवल 3000 गांव स्वच्छ पेयजल के किसी साधन के बिना होंगे। फिर भी अभी लगभग 1.5 प्रतिशत गांव/निवासी हैं जहां प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति बहुत कम है 40 लीटर प्रति दिन से भी कम या जनसंख्या का कुछ भाग बिना जल आपूर्ति के रहता है अथवा जल स्रोत दूषित है। इन पेय जलों द्वारा सम्मिलित जनसंख्या मार्च, 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में 56.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 72.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 1992 तक क्रमशः 78 प्रतिशत और 84.9 प्रतिशत हो गई है। स्वच्छ पेयजल की सफाई की समस्या इतनी विविध और भिन्न है कि नवीन क्षेत्र विशिष्ट लागत - प्रभावी प्रौद्योगिकी को तैयार करने की आवश्यकता है।

2.4.8 सफाई सुविधा प्राप्त जनसंख्या बहुत कम है अर्थात् ग्रामीण

पेय जल और बिजली की स्रोत-वार उपलब्धता द्वारा परिवारों का प्रतिशतता वितरण

| | 28वां दौर 1973-74 | | 44वां दौर 1988-89 | |
|--------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) |
| पेयजल का स्रोत | | | | |
| 1. नल | 4.69 | 66.97 | 15.47 | 72.11 |
| 2. कुएं | 65.84 | 18.05 | 39.12 | 9.12 |
| 3. ट्यूब-वैल और हैंडपम्प | 15.59 | 12.69 | 39.10 | 17.20 |
| 4. अन्य | 13.88 | 2.29 | 6.31 | 1.57 |
| जोड़ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| बिजली का स्रोत | | | | |
| 1. बिजली | 6.55 | 53.48 | 26.92 | 75.12 |
| 2. अन्य | 93.45 | 46.52 | 73.08 | 24.88 |
| जोड़ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

क्षेत्रों में जिनके पास व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय हैं केवल 2.7 प्रतिशत है। ग्रामीण और शहरी स्वच्छता के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यक्रमों से सम्बंधित एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की गई है।

2.4.9 सारणी 2.11 से यह देखा जा सकता है कि हाल ही 1988-89 में केवल 27 प्रतिशत ग्रामीण घरों और 75 प्रतिशत शहरी घरों में रोशनी के लिये बिजली उपलब्ध थी। यद्यपि 1973-74 की स्थिति से पर्याप्त सुधार हुआ है। राज्य स्तर के आंकड़ों से बड़ी असमानताओं का पता चलता है चूंकि पूर्वी राज्यों के बहुत कम लोग अपने उत्तरी राज्य के लोगों की तुलना में बिजली युक्त भवनों में रहते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के शत प्रतिशत मकानों में बिजली उपलब्ध कराना उद्देश्य होना चाहिए।

2.4.10 गरीबी अभी भी यथेष्ट परिमाण की समस्या बनी हुई है। गरीबी के अनुमान मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के संदर्भ में गरीबी

रेखा की एक अवधारणा पर और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से उपलब्ध खपत वितरण संबंधी आंकड़ों पर परम्परागत रूप से आधारित है। गरीबी रेखा की अवधारणा और गरीबी प्राक्कलन के तरीके पर अलग-अलग विचार हैं। फिर भी, अवधारणा और माप पर ध्यान दिये बिना भी यह प्रमाणित है कि सातवें दशक के मध्य से गरीबी में कमी हो रही है। 1987-88 में सरकारी कार्यप्रणाली के अनुसार 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीब थी। यह परिकल्पना करते हुए कि 1991 तक गरीबी अनुपात में 27 प्रतिशत तक कमी आई है, फिर भी लगभग 230 मिलियन लोग गरीब थे और अपनी आजीविका के लिये अति आवश्यक वस्तुएं जुटाने के भी योग्य नहीं थे।

2.4.11 गरीबी के मामले राज्यों में एक दूसरे से अलग-अलग हैं। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ऊंची है और अत्यंत विकसित कृषि (जैसे हरियाणा और पंजाब) हैं वे वास्तव में गरीबी को समाप्त करने में समर्थ हो गये हैं। यह उन राज्यों के बारे में नहीं कहा जा सकता जहां पर उद्योग अत्यंत विकसित हैं (गुजरात और महाराष्ट्र)। इस

प्रकार कृषि का विकास, उत्पादन और खाद्यान्न की सफ़ाई, गरीबी उन्मूलन में अत्यंत महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होते हैं। शताब्दी के अंत तक गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

खाद्य आवश्यकताएं

2.5.1 भारत में वर्ष 1997 ईसवी तक 941 मिलियन लोग होने का अनुमान लगाया गया है। 2007 तक यह बढ़ कर 1101.8 मिलियन

हो जायेंगे। इस जनसंख्या के और आय में वृद्धि के साथ सम्बद्ध खपत स्तरों में दिये गये सुधारों से 1997 और 2007 के लिये अनुमानित खाद्यान्न आवश्यकता क्रमशः लगभग 208 मिलियन टन और 283 मिलियन टन होगी। खाद्यान्न उत्पादन को मांग के इस स्तर के साथ मिलाने की आवश्यकता है। 1997 और 2007 तक खाद्यान्नों के अपेक्षित उत्पादन स्तर क्रमशः 210 मिलियन टन और 285 मिलियन टन हैं। मुख्य अनुमान सारणी 2.12 में दिये गये हैं।

सारणी 2.12

कृषि परिप्रेक्ष्य

| विभिन्नता | 1984-85 | 1991-92* | 1996-97 | 2001-02 | 2006-07 |
|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| भूमि (मि. हे.) | | | | | |
| शुद्ध जुआई क्षेत्र | 140.9 | 140.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
| कुल पैदावार क्षेत्र | 176.4 | 182.2 | 190.6 | 197.2 | 203.4 |
| कुल पैदावार क्षेत्र (खाद्यान्न) | 126.7 | 127.0 | 130.0 | 132.6 | 135.0 |
| सिंचाई (मि. हे.) | | | | | |
| खाद्यान्न | 44.2 | 53.8 | 62.3 | 70.2 | 77.7 |
| खाद्यान्न को छोड़कर | 16.3 | 21.9 | 27.0 | 31.8 | 36.3 |
| जोड़ | 60.5 | 75.7 | 89.3 | 102.0 | 114.0 |
| उर्वरक (मि. टन) | | | | | |
| खाद्यान्न | 6.2 | 9.4 | 12.8 | 16.6 | 21.0 |
| खाद्यान्न को छोड़कर | 2.1 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 9.0 |
| जोड़ | 8.2 | 13.5 | 18.3 | 23.7 | 30.0 |
| कपास (मि. गट्ट) | 8.5 | 10.5 | 14.0 | 18.0 A | 23.0 A |
| चीनी (मि. टन) | 170.3 | 235.0 | 275.0 | 335.0 B | 408.0 B |
| खाद्यान्न (मि. टन) | 145.5 | 172.5 | 210.0 | 245.0 | 285.0 |
| तिलहन (मि. टन) | 13.0 | 17.5 | 23.0 | 29.0 C | 37.0 C |

A 5 प्रतिशत प्रति वर्ष B 4 प्रतिशत प्रति वर्ष C 5 प्रतिशत प्रति वर्ष * सम्पादित

2.5.2 कृषि में अपेक्षित विकास को, अत्यधिक ध्यान देते हुए, तथा वर्षायुक्त क्षेत्रों के विकास में संसाधनों को जुटाते हुए, सिंचाई की निर्मित सुविधाओं का कुशल उपयोग करते हुए और वर्षायुक्त एवं सिंचाई युक्त दोनों क्षेत्रों के लिये आर्थिक रूप से

युक्तसंगत उन्नत क्रियाविधियों के सतत प्रवाह को बनाए रखते हुए विकास क्षेत्रीय रूप से अधिक व्यापक-आधारित पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। संदृश कृषि जलवायु विषयक संबंधी क्षेत्रों के संदर्भ में कृषि के लिये योजना की अवधारणा

को तेज करने की और इसे संस्थागत बनाए जाने की आवश्यकता है ।

2.5.3 पशुपालन उप-क्षेत्र का विकास रोजगार बढ़ाने में सहायता करेगा और छोटे एवं सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों के पक्ष में आय पुनः वितरण का कार्य करेगा । दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन का 57.5 मिलियन टन के वर्तमान स्तर (1991-92) से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है । 2007 तक दूध की कुल सप्लाई 105 मिलियन टन हो जायेगी । अंडों की सप्लाई का लक्ष्य 6 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ाने का रखा गया है । मछली उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था उपयुक्त आधारभूत संरचना के निर्माण के माध्यम से की गई है । ये उपाय मछली उत्पादन उप-क्षेत्र में लगभग 6.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर के लिये सहायता प्रदान करेंगे । फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि मछली उत्पादन में 1997 तक 5.5 मिलियन टन और 2007 ईसवी तक 10.5 मिलियन टन की वृद्धि हो जायेगी ।

2.5.4 कृषि की ऊर्जा तीव्रता, उसके प्रत्यक्ष प्रयोग के माध्यम से और उर्वरक द्वारा इसके अप्रत्यक्ष प्रयोग के माध्यम से बढ़ती जा रही है । भूमि पर दबावों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकताओं तथा खाद्यान्न, कपड़ा एवं अन्य कृषि उत्पादों के लिए बढ़ती हुई मांग से पता चलता है कि ऊर्जा तीव्रता में और आगे वृद्धि होगी । फिर भी, उस कार्यकुशलता, जिनके साथ ऊर्जा का प्रयोग होता है, में सुधार करने के लिए अब ठोस उपाय करने की आवश्यकता है । जल का सफल प्रयोग और उर्वरक का सफल प्रयोग दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । जीव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अधिक निवेश करने की आवश्यकता है ताकि सांस्कृतिक, उत्पत्तिमूलक और जैविक उपायों के माध्यम से एकीकृत पौष्टिक एवं कीटनाशी प्रबंध को संभव बनाया जा सके ।

प्राकृतिक संसाधन नियंत्रण

2.6.1 देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है, इसमें से 166 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है । इस समय 141 मिलियन हेक्टेयर भूमि कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग की जाती है । 1970-71 और 1987-88 के बीच औसत शुद्ध बुआई क्षेत्र (एनएसए) 140.4 मिलियन हेक्टेयर रहा । यह 1987-88 में अधिकतम 143.21

मिलियन हेक्टेयर और 1974-75 में न्यूनतम 137.79 मिलियन हेक्टेयर रहा है । खाद्य उत्पादन, चारा, कपड़ा, ईंधन तथा शहरीकरण के लिये आवश्यकता भूमि, पर बड़े प्रतियोगी दावों की मांग करेगी । इसके अतिरिक्त दूसरे प्रतिकूल भौतिक कारणों के संयोजन से जल संसाधन परियोजनाओं की अपर्याप्त योजना और अकुशल प्रबंध की वजह से जल लागिंग, लवणता और भूमि की क्षारीयता से भविष्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

2.6.2 प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता का फल ही अत्यधिक ऊंची दर पर अवनति होती जा रही है । जनसंख्या वृद्धि की परिकल्पित दर के साथ यह 1950 में 0.89 हेक्टेयर भूमि की तुलना में वर्ष 2007 ईसवी तक 0.30 हेक्टेयर कम हो जायेगी । इसी प्रकार पशुओं की जनसंख्या के लिये अनुमानित प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 1950 में 1.1 हेक्टेयर से घटकर 2007 ईसवी तक 0.6 हेक्टेयर हो जायेगी । इस समय ग्रामीण तथा शहरी भूमि व्यवस्था, सड़क, रेल, जल निकाय, खान, रक्षा एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान लगभग 21.5 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित भूमि का प्रयोग करते हैं । 4 से 5 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की 2007 ईसवी तक इन विविध प्रयोजनों के लिए आवश्यकता होगी । यद्यपि वन आंकड़ों से पता चलता है कि 1950-51 से 1986-87 के बीच वनों के अन्तर्गत 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि की वृद्धि हुई है, फिर भी सुदूर संवेदनशील आंकड़ों से पता चलता है कि वन भूमि का रिक्रिकरण हुआ है । विगत में वन भूमि को कृषि भूमि में बदलने से शुद्ध बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है । इस समय और भविष्य में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है । केवल एक ही विकल्प उपलब्ध है कि बंजर भूमि तथा लवणता, क्षारीयता और जल लागिंग से प्रभावित भूमि का सुधार किया जाए । ऐसे प्रयासों से शुद्ध बुआई क्षेत्र की उच्च सीमा 141 मिलियन हेक्टेयर भूमि हो जायेगी । उपलब्ध बंजर भूमि का सुधार करने में जहां कहीं आवश्यक हो भूमि सुधार कार्य निष्पादन में पहल को कम किये बिना निजी क्षेत्र की फलशक्ति एवं सुविज्ञता का प्रयोग किया जाना चाहिए । देश के बहुत से भागों में भूमि सुधार का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है । इसे प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो जमीन जोतते हैं उन्हें ही अंततः उसका स्वामित्व अधिकार दिया जाए ।

2.6.3 भारत में भूमि अपकर्ष बहुत ही भयप्रद है । 1984-85 में

लगभग 174 मिलियन हेक्टेयर भूमि कटाव और भूमि अपकर्ष की विभिन्न समस्याओं से प्रभावित थी। इस अपकर्ष भूमि में से 8.53 मिलियन हेक्टेयर भूमि जल लागव, 3.97 मिलियन हेक्टेयर तंग घाटी एवं दर्रा, 3.58 मिलियन हेक्टेयर क्षारीयता से प्रभावित है और 5.58 मिलियन हेक्टेयर लवणता एवं रेतीले क्षेत्र से संबंधित है। फिर भी 1984-85 से लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सुधार हुआ बताया गया है। अभी भी तीव्र समस्या बनी हुई है।

2.6.4 बाढ़ और सूखा की पुनरावृत्ति भारत में होती रहती है जो कृषि को बुरी तरह से प्रभावित करती है। औसतन, लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा प्रभावित होता है। इसमें से 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बाढ़ तथा सूखाग्रस्त कुल निवल कृषि क्षेत्र लगभग 64 मिलियन हेक्टेयर है। बड़े पैमाने पर भूमि कटाव के कारण भूमि अपकर्ष की समस्या तीव्र हो जाती है जिससे ऊपरी उपजाऊ भूमि खराब हो जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुमानों के अनुसार वर्तमान भूमि की हानि लगभग 16.35 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है।

2.6.5 वन बहुमूल्यवान नवीकरणीय संसाधन हैं जो महत्वपूर्ण जीवन सहायक पद्धति प्रदान करते हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ वन की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। लैंडसेट इमेजरी के निर्वचन से पता चलता है कि वन के रूप में रिकार्ड किये गये 75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से केवल 64 मिलियन हेक्टेयर वास्तव में वन भूमि है और इस में से केवल 35 मिलियन हेक्टेयर पर पर्याप्त वन हैं जो इस समय देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 11 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति (1988) में व्यवस्था की गई है कि सम्पूर्ण देश में वन भूमि के अन्तर्गत भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग रखे जाने का लक्ष्य होना चाहिए। इसकी जैविक और अनुवांशिक विविधता के साथ, वन मानवजाति के लिये प्राकृतिक उपहार है। बढ़ते हुए बायोटिक प्रभाव द्वारा विकृत वनों को, न केवल पर्यावरणीय विचारों के लिए अपितु ईंधन लकड़ी, छोटे बल्ले, चारा तथा रक्षा और उद्योग के लिये स्थानीय मांग पूरी करने के लिए भी वनरोपण द्वारा पुनर्वासित करने की आवश्यकता है।

2.6.6 119.4 से.मी. की औसत वार्षिक वर्षा तथा लगभग 188 मिलियन हेक्टेयर मीटर के तल प्रवाह के साथ भारत विशाल जल संसाधनों से सम्पन्न है। फिर भी कुछ उपयोग होने वाला जल 114 मिलियन हेक्टेयर मीटर है जिस में तल जल के रूप में 69 मिलियन हेक्टेयर

मीटर और भूमि जल के रूप में 45 मिलियन हेक्टेयर मीटर शामिल है। लेकिन भू-आकृति एवं स्थलाकृति रूप से जल संसाधनों के लिए प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति के कारण और अन्य अनिवार्य प्रौद्योगिकी के लिए केवल एक सीमित मांग का ही विकास किया जा सका है। देश की अंतिम सिंचाई संभावना का अनुमान राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 113.5 मिलियन हेक्टेयर का लगाया गया था जिसमें से 55.0 मिलियन हेक्टेयर लघु सिंचाई के अन्तर्गत आयेगा। परन्तु इस अनुमान में परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिप्रेक्ष्य में तल भण्डारण और नदी जल के अंतर-बेसिन परिवर्तनों के माध्यम से 25 मिलियन के अतिरिक्त लाभ की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने 40 मिलियन हेक्टेयर के पहले अनुमान की तुलना में 80 मिलियन हेक्टेयर के भूजल का संशोधित अनुमान निर्धारित किया है। इन अनुमानों की पुष्टि लम्बित होने के कारण अन्तिम सिंचाई सम्भावना 113.5 मिलियन हेक्टेयर के रूप में की गई है।

2.6.7 जल प्रयोग की संवद्धित लागत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सी सम्भावित परियोजनाएं, जिनसे विकसित होने पर जल का प्रयोग किया जा सकता है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य होते हुए भी अन्य विकास सैक्टरों जैसे पशुपालन आदि की तुलना में अत्याधिक लागत आएगी। इस बात की आवश्यकता है कि जल की उत्पादकता को सिंचाई में जल प्रबंध की कुशलता को बढ़ा कर तथा तल और भूमि जल के सही तालमेल तथा किसानों के योगदान से बढ़ाया जाये।

2.6.8 खनिज संसाधन गैर-नवीकरणीय है और इसलिए खनिज भण्डारों के अन्वेषण एवं खोज तथा वैज्ञानिक रूप से नियोजित मांग प्रबंध और एवजियों द्वारा परिवर्तन के लिए और अधिक ठोस एवं सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। तांबा, सोना, लोहा अयस्क, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, रॉक फास्फेट, मैगनीज अयस्क, कयानाइट तथा उच्च कोटि कास्टिलिमनाइट के अनुमानित ज्ञात भण्डार चिंता के मुख्य कारण बने हुए हैं क्योंकि इन भण्डारों की शेष जीवन अवधि 50 वर्ष से कम है। अतः यह अनिवार्य है कि भविष्य में खनिजों का व्यापार करते समय खनिज सूची स्थिति पर विचार किया जाए। निकल, मोलिब्डेनम, टिन, टंगस्टन आदि जैसे दुर्लभ प्रायः खनिजों की खोज के लिए पर्याप्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। सारणी 2.13 में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की जीवन सूचियां दर्शाई गई है।

सारणी 2.13

कुछ मुख्य खनिजों की शेष अवधि

| खनिज/धातु अयस्क | 1.1.1985 के अनुसार प्राय रिजर्व (मि. टन)* | 1985-97 के दौरान कमीप्राय रिजर्व (मि. टन) | 1.1.1997 के अनुसार प्रक्षेपित उत्पादन (मि. टन) | 1996-97 के दौरान का अतिशेष (मि. टन) | 1996-97के उत्पादन स्तर पर शेष भंडार की अवधि (वर्ष)@@ |
|--|--|--|---|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. क्रूड ऑयल @ 1-1-91 | 993.00 | 230.00 (1991-97) | 763.00 | 50.00 | 15.00 |
| 2. 1.4.1990 के अनुसार प्राकृतिक गैस \$ (वीक्यूएम) | 858.00 | 161.00 (1990-97) | 697.00 | 30.00 | 23.00 |
| 3. कोयला (1-1-91 के अनुसार) | | | | | |
| 1) कुकिंग | 8507.00 | 201.00 (1991-97) | 8306.00 | 39.00 | 213.00 |
| 2) नॉन-कुकिंग | 60346.00 | 1397.00 (1991-97) | 58949.00 | 269.00 | 219.00 |
| 4. वॉक्ससाईट | 2333.00 | 80.00 | 2253.00 | 8.00 | 281.00 |
| 5. तांबा धातु # (31-3-88 के अनुसार) | 3.95 | 0.431 | 3.52 | 0.055 | 64.00 |
| 6. लेड धातु # (1-1-89 के अनुसार) | 1.93 | 0.56 | 1.36 | 0.096 | 14.00 |
| 7. जिंक धातु (1-1-89 के अनुसार) | 7.00 | 1.10 | 5.89 | 0.154 | 38.00 |
| 8. स्वर्ण (1-1-88 के अनुसार) | 103000 किग्रा. (निष्कर्षणीय) | 16727.00 | 86273.00 | 1850.00 | 46.00 |
| 9. लौह अयस्क | 10440.00 | 686.00 | 9754.00 | 72.00 | 135.00 |
| 10. क्रोमाइट अयस्क | 139.00 | 15.00 | 124.00 | 2.40 | 51.00 |
| 11. मैग्नेसाइट | 222.00 | 6.70 | 215.00 | 0.73 | 294.00 |
| 12. मैंगनीज अयस्क | 83.17 | 17.65 | 65.52 | 1.80 | 36.00 |
| 13. चूनापत्थर | 69353.00 | 876.00 | 68477.00 | 101.00 | पर्याप्त रिजर्व |
| 14. हार्ड ग्रेड रॉक फास्फेट | 14.78 | 8.79 | 5.99 | 0.720 | 8.00 |
| 15. सील्लोमेनाइट | | | | | |
| 1) टोस | 0.50 | 0.35 | 54.25 | 0.017 | रेत + 1000 |
| 2) रेत | 54.10 | | | | |
| 16. क्यानाइट | 1.55 | 0.51 | 1.04 | 0.056 | 18.00 |
| 17. डोलोमाइट (प्रयोगयोग्य ग्रेड) | 4608.00 | 32.00 | 4576.00 | 3.20 | पर्याप्त रिजर्व |

@ (1992-97) आठवीं योजना का पृष्ठभूमि नोट

@@ खनिज भंडारों के जीवन की समयावधि प्राय रिजर्व के संशोधन पर परिवर्तित होगी।

* अगस्त, 1989 खनिज अन्वेषण संबंधी आठवीं योजना कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर आधारित।

\$ अंतरिम आंकड़े क्योंकि प्राकृतिक गैस रिजर्व रिजर्वबैंकर की विशेषताओं पर निर्भर करते हैं।

उत्पाद संबंधी व विकास संबंधी खानें।

ऊर्जा परिप्रेक्ष्य

2.7.1 परिवारों, उद्योग, परिवहन तथा व्यापार से ऊर्जा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ऊर्जा के लिए मांग का पैटर्न अतिकालिक बदल रहा है। कुल वाणिज्यिक ऊर्जा खपत के विश्लेषण से यह पता चलता है कि पेट्रोल उत्पादों, प्राकृतिक गैस और बिजली की खपत में बढ़ती हुई प्रवृत्ति है।

2.7.2 विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लिए उपाय शुरू करने होंगे। इंद्राफूयेल और इंद्राफूयेल प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्गों को उचित लागत पर ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के सर्वाधिक प्रयोग के लिए बड़ा महत्व देने की आवश्यकता होगी। आउटपुट के लिए ऊर्जा की लोचशीलता को कम करने के लिए कार्यकुशलता संरक्षण और मांग प्रबंध पर बल देना चाहिए।

2.7.3 उपभोक्ताओं के लिए बिजली की खपत आवश्यकता अगले 15 वर्षों के अंत तक लगभग 622 बिलियन कि. वाट होगी। विभिन्न राज्यों में अपनाये गये अनेक तकनीकी उपायों और शुरू की गई पद्धति

सुधार योजनाओं के साथ, पद्धति हानि में कम से कम 7 प्रतिशत तक कमी होने की सम्भावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुल उत्पादन आवश्यकता 798 बिलियन कि. वाट की होगी। लगभग 45 बिलियन कि. वाट की उपयोगिता न होने की सम्भावना है। उपयोगिताओं से उत्पादन आवश्यकता 4 बिलियन कि. वाट के आयात के अतिरिक्त 749 बिलियन कि. वाट की होगी।

2.7.4 जहां तक सप्लाई का संबंध है, बढ़े हुए हाइडल जनरेशन पर महत्व देना चाहिए जो विशेषकर सिस्टम पीक की पूर्ति करने तथा समूचे प्लांट लोड फेक्टर (पी. एल. एफ.) में सुधार करने के लिए अधिक बिजली उपलब्धता के लिए जरूरी है। बिजली संयंत्रों के निर्माण की जेस्टेशन अवधि को कम करने के लिए सार्थक उपाय करने होंगे। 60 प्रतिशत भार पर कुल 84 हजार मै. वा. हाइडल सम्भावना का लगभग 40 प्रतिशत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है जिसकी पूरी तरह से खोज करने की आवश्यकता है। गैस आधारित केन्द्रों को पीकिंग प्रयोजन के लिए जोड़ा जा सकता है विश्वसनीय गैस सप्लाई को उच्च क्षमता गैस टरबाइनस के देशीकरण के साथ-साथ सुनिश्चित करना चाहिए। भारी जल की पर्याप्त सप्लाई की उपलब्धता को न्यूक्लियर उत्पादन क्षमता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करना चाहिए।

सारणी 2.14

विकास के कुछ मैक्रो पैरामीटर (1992-93 से 2006-07)

| अवधि | जीडीपी विकास दर (एबी) | बचत दर (एबी) | निवेश विकास दर | कुल खपत की विकास दर | प्रति व्यक्ति निजी खपत की विकास दर |
|----------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1992-93 से 1996-97 | 5.60 | 21.60 | 23.17 | 5.60 | 3.49 |
| 1997-98 से 2001-2002 | 6.05 | 23.20 | 24.20 | 5.62 | 3.89 |
| 2002-03 से 2006-07 | 6.51 | 24.40 | 25.40 | 6.18 | 4.59 |

2.7.5 बिजली क्षेत्र पूंजी तीव्रताबोधक है और इसकी मांग आर्थिक विकास के साथ-साथ बढ़नी निश्चित है। लेकिन संसाधन नियंत्रण से उत्पन्न होने वाले सफ़ाई प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण बिजली सफ़ाई के वितरण और उत्पादन में कार्यकुशलता की ओर सुधार करने का होना चाहिए। परियोजनाओं के समय और अत्यधिक लागत पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। घरेलू, उद्योग और कृषि ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऊर्जा के कुशल प्रयोग और संरक्षण में व्यापक गुंजाइश है। ग्रिड इन्टिग्रेशन और मांग प्रबंध के बेहतर तरीके तैयार करने की आवश्यकता है। पवन ऊर्जा के पास 20,000 मेगावाट की सम्भावना है और मिनी/माइक्रो हाइड्रल्स के पास 5000 मेगावाट की सम्भावना है जिसे टैप करने की आवश्यकता है। सोलर फोटोवोल्टेक्स, समुद्री ऊर्जा, जीओ-थर्मल ऊर्जा आदि जैसे दूसरे गैर-परम्परागत संसाधन एमएचडी प्रौद्योगिकी के देशीकरण के साथ आर्थिक रूप से उपयुक्त बन सकते हैं।

2.7.6 कोयले की खपत में छठी योजना के दौरान 5.5 प्रतिशत की दर से और सातवीं योजना अवधि के दौरान 7.44 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। कोयले के उत्पादन को 1996-97 तक 308 मिलियन टन के स्तर तक पहुंचना होगा ताकि कोयले पर आधारित थर्मल पावर जनरेशन के लिए योजना लक्ष्यों तथा लोहा, इस्पात और दूसरे उद्योगों के उत्पादन की प्राप्ति की जा सके। बिजली क्षेत्र कुल कोयले की आवश्यकता के आधे से भी अधिक भाग की खपत करता है। कलरोफिक लागत में गिरावट के कारण बिजली क्षेत्र में कोयले की खपत में बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। कोयले की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं हो सकता क्योंकि अगले दस वर्षों के दौरान भूतल खनन के हिस्से में कोई सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस्पात क्षेत्र में देशी कोकिंग कोयले, गुणवत्तावार और मात्रावार दोनों की अपर्याप्त सफ़ाई को ध्यान में रखते हुए कोकिंग कोयले का आयात जारी रहेगा। 1996-97 के दौरान 3 मिलियन टन कोकिंग कोयले के आयात की व्यवस्था की गई है घरेलू उत्पादन में 1996-97 के दौरान सफ़ा कोयले की प्रचलित मात्रा लगभग 55 प्रतिशत होने की सम्भावना है। भारतीय वाशरीज के नवीकरण/आधुनिकीकरण की और नई वाशरीज की स्थापना में अधिक समय लगने से बचने की आवश्यकता है। 2006-07 तक कोयले की मांग .460 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच जाने की सम्भावना है।

2.7.7 छठी योजना में कच्चे तेल का उत्पादन लगभग तीन गुणा बढ़ा जबकि सातवीं योजना में यह वृद्धि थोड़ी सी (3.33 प्रतिशत) थी जो मुख्यतः बम्बई हाई द्वारा की गई थी। आठवीं योजना के दौरान कच्चा उत्पादन मुख्यतः बम्बई अपतट, केम्बे बेसिन और अपर असम से होगा। कृष्ण-गोदावरी-कावेरी बेसिन के उत्पादन में सीमांत वृद्धि होने की सम्भावना है। पेट्रोल उत्पादों के लिए मांग देशी उत्पादन से आगे बढ़ती जा रही है। 1996-97 और 2006-07 के दौरान घरेलू मांग क्रमशः 8 मिलियन टन और 125 मिलियन टन होने की सम्भावना है। विद्यमान तेलशोधक क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि संरक्षण उपाय अपनाए जाएं, मांग प्रबंध पर ध्यान दिया जाए और प्रतिस्थापन गैस को जो पेट्रोल उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन के रूप में उभर कर सामने आ रही है, उर्वरकों, पेट्रो-रसायनों, बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे यह सम्भव होगा कि उर्वरकों और पेट्रो-रसायन क्षेत्रों में नेफ्था को बचाया जा सके, बिजली क्षेत्र में भट्टी को तथा घरेलू क्षेत्र में मिट्टी के तेल को बचाया जा सके। कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस परिवहन क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल का स्थान ले सकती है और पर्याप्त रूप से विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। फिर भी एक ओर तो वर्तमान कम खपत स्तरों के साथ 35 वर्ष से भी कम तेल और गैस भंडार की शेष जीवन अवधि दी गई है और दूसरी ओर भंडारों के निकास के लिए विशाल निवेशों की आवश्यकता समझी गई है, फिर भी खपत में अनियंत्रित वृद्धि हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति को अनियंत्रणीय बनाएगी। अतः राष्ट्र की वित्तीय स्थिति की व्यवस्था हेतु आठवीं योजना और इससे आगे की अवधि में पेट्रोल उत्पादों के लिए मांग की एक कठोर मानीटरिंग करने की अत्यंत आवश्यकता है।

दीर्घकालीन विकास परिप्रेक्ष्य

2.8.1 दीर्घकालीन विकास की पद्धति और विकास कार्यनीति संबंधी विकल्पों की सजीव कल्पना अनिवार्य है ताकि मध्यकालीन निवेशों और नीतियों को अंततः कुछ बेहतर विकल्पों की तरफ निर्देशित किया जा सके। समाज के दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और आठवीं पंचवर्षीय योजना की अंतिम शर्तों पर विचार करते हुए अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों तथा नीतियों द्वारा निर्मित शर्तों पर विचार करते हुए, भविष्य के लिए विकास का मार्ग तैयार

किया जा सकता है। ऐसा करने से बचत और निवेशों की दर एवं संबद्धित पूंजी आउटपुट अनुपात ऐसे कारण हैं जिसे बाह्य घरेलू उत्पादन की विकास दर और खपत की विकास दर जैसे शेष पैरामीटरों को स्वयं माडल द्वारा तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

2.8.2 बचत दर को बाह्य जनित रूप में समझा जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना ने सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 20.4 प्रतिशत की औसत बचत दर प्राप्त की। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में अवलोकिन 21.6 प्रतिशत की औसत बचत दर को आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उपयुक्त समझा गया है। प्रत्येक अगली पंचवर्षीय अवधियों में उसी आकार (प्रतिशत मदों के संदर्भ में) की वृद्धि को साधारण आकांक्षाओं के रूप में माना जाए। इस प्रकार बचत दर को 1997-2002 की अवधि के दौरान 23.2 प्रतिशत माना जाए और 2002-2007 की अवधि के लिए 24.4 प्रतिशत की बचत दर मानी जाए। हमारी बचतों के पिछले अनुभवों और बहुत से एशियाई देशों के बचत रिकार्ड से बचत दरों की प्राप्ति की जा सकती है। यह कल्पना करते हुए कि वर्तमान लेखा घाटे को पहले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन के 1.4 प्रतिशत के स्तर तक रखा जाए और अगले 10 वर्षों के लिए 1 प्रतिशत रखा जाए तो आठवीं योजना में निवेश दर 23 प्रतिशत, अगले पांच वर्षों की अवधि में 24.2 प्रतिशत और इसके बाद 5 वर्ष में 25.4 प्रतिशत हो जायेगी। आठवीं योजना के लिए 4.1 की आई सी ओ आर मानी गई है। छठी योजना में आई सी ओ आर 4.1 थी, जो सातवीं योजना में 3.9 हो गई लेकिन 1991-92 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए औसतन 4.3 हो गई। पिछले दो वर्षों के कम विकास कार्य निष्पादन ने आई.सी.ओ.आर. में वृद्धि दर दी है। फिर भी आठवीं योजना के लिए 4.1 की आई. सी. ओ. आर. की एक उचित परिकल्पना होगी और बाद के दो पंचवर्षीय अवधियों के लिए क्रमशः 4.0 और 3.9 की होगी। इस आधार पर कि आठवीं योजना में विकास दर 5.6 प्रति वर्ष होगी फिर भी अगले पांच वर्षों के लिए विकास दर 6 प्रतिशत और 2002-2007 की अवधि के लिए विकास दर 6.5 प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। खपत की वृद्धि के संदर्भ में ये गणना और उनकी निहितार्थ सारणी 2.14 में प्रस्तुत है। परिव्यय के आवंटन से हमारी योजना प्रक्रिया में और निवेश पर लाभोन्मुखी उत्पादन उपयोगिता के खर्च पर, चाहे यह अप्रत्यक्ष ही लाभ हो, बार बार बल दिये जाने की आवश्यकता होगी।

2.8.3 यह देखा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के विकास निष्पादन में साधारण सुधार से प्रति व्यक्ति खपत में विकास के संदर्भ में बहुत बड़ा लाभ होगा। 1950 से 1980 तक की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति निजी खपत में विकास दर 1.05 प्रतिशत प्रति वर्ष के निम्न स्तर पर रही। 8वें दशक के दौरान इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ जबकि विकास दर में 3.08 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। आठवीं योजना से आगे 5 वर्ष की अवधि में 3.9 प्रतिशत की विकास दर और बाद में 4.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर पुनः एक अच्छी प्रगति होगी। अगले 15 वर्षों के दौरान निरपेक्ष प्रति व्यक्ति खपत स्तरों में 80 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। इससे गरीबी दूर करने पर काफी प्रभाव पड़ेगा और आमतौर पर ऊंची आय स्तरों से सम्बद्ध उन वस्तुओं जिन्का उत्पादन अत्यधिक श्रम को अर्न्तग्रस्त करके किया जाता है, के लिए मांग उत्पन्न करने पर भी काफी प्रभाव होगा। जब खपत में विकास इस सीमा को पार कर जाता है तो इसका मांग उत्पादन द्वारा अर्थव्यवस्था पर बहुगणक प्रभाव होना शुरू हो जाता है जो आगे विकास के प्रेरकों को बल देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास के अगले चरण में इन लाभों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है।

2.8.4 हाल में शुरू की गई अनियमन तथा संरचनात्मक समायोजन की प्रक्रियाओं से विकास के अगले चरण के दौरान गुणात्मक परिवर्तन होना निश्चित है। उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों विशेषकर इंजीनियरी उद्योग में सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में परिवर्तन होने की आशा की जाती है। इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार, उपभोग संचयी में अत्यधिक विदेशी निवेश और बहु-राष्ट्रिकों के प्रवेशों की आशा की जाती है। उदारकृत औद्योगिक नीति से गैस-आधारित बिजली उत्पादन और तेल खोज में निवेश के लिए निजी क्षेत्र हेतु काफी अवसर हो जाएंगे। विकास के अगले चरण से औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस दिशा में प्रोत्साहन के लिए सम्भावित विकल्पों के कुछ संकेत यहां प्रस्तुत किए गए हैं।

2.8.5 देश में हरित क्रांति के प्रारम्भ होने पर ही उर्वरक उद्योग ने प्रभावशाली विकास किया है, फिर भी, हाल के वर्षों में बढ़ती गई मांग से क्षमता संकलन में कमी आई है। 2006-07 तक 285 मिलियन टन के अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य के साथ, उर्वरक

की बढ़ती हुई मांग और बड़ी मात्रा के लिए आयात पर निर्भर रहने के खतरों को भविष्य में इस उद्योग के लिए योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि आठवीं योजना के समापन वर्ष के दौरान उर्वरक खपत पौष्टिक के संदर्भ में लगभग 18.3 मिलियन टन होगी। इससे आयात होने वाले पोषक उर्वरक के 5.5 मिलियन टन का अंतर रह जायेगा। मांग सप्लाई स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के विशेषकर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में नये गैस-आधारित संयंत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। पूंजी निवेश को कम करने और विदेशी मुद्रा को समाप्त करने के लिए गैस आधारित उर्वरक के विस्तार एवं दुगना करने के कार्य को प्राथमिकता आधार पर शुरू करना चाहिए। इसे उद्योग में निजी निवेश को प्रेरित करने के लिए प्रयासों को और तीव्र करने की आवश्यकता है।

2.8.6 सातवीं योजना में वस्त्र उद्योग निर्यात में असाधारण वृद्धि प्रदर्शित की हुई है। वस्त्र उद्योग निर्यात की एक बहुत बड़ी उपयोगी वस्तु है। सिले सिलाये कपड़े और सूती कपड़े का कुल निर्यात में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। यह अनिवार्य है कि इन प्रवृत्तियों पर बल दिया जाए। वस्त्र उद्योग को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की जरूरत है। इस क्षेत्र में हम अपने तुलनात्मक लाभ को पुनः प्राप्त करना होगा।

2.8.7 परिष्कृत इस्पात की मांग 6.7 प्रतिशत प्रति वर्ष के औसत विकास दर से बढ़ने की सम्भावना है और 1996-97 तक 21 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है और इस उद्योग को देशीय मांग पूरी करने के लिए पूर्णतः ठीक बनाना होगा और 1.8 मिलियन टन इस्पात का शुद्ध आयात अधिशेष करना होगा। यह आशा की जाती है कि लगभग 13.8 मिलियन टन प्रधान निर्माताओं से आयेगा और शेष 9 मिलियन टन माध्यमिक निर्माताओं से आयेगा। यह व्यवस्था की गई है कि अगले 15 वर्षों की समाप्ति पर इस्पात उद्योग, 35 मिलियन टन की अनुमानित घरेलू मांग पूरी करने के बाद निर्यात के लिए 4.5 मिलियन टन इस्पात का अधिक उत्पादन करेगा। इस्पात निर्यात के आधार उज्ज्वल प्रतीत होते हैं चूंकि जापान जैसे उन्नत देश उच्च-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इस्पात कार्य को छोड़ रहे हैं। स्वदेश में विनियंत्रण से इस उद्योग में व्यापक निजी क्षेत्र सहभागिता के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

2.8.8 मार्च, 1989 में सीमेंट का पूर्णतः विनियंत्रण और तत्पश्चात् जुलाई, 1991 में इस उद्योग को लाइसेंस रहित कर देने के फलस्वरूप इस उद्योग ने उत्पादन एवं क्षमता संकलन दोनों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नई औद्योगिक नीति से बढ़ी हुई निजी सहभागिता को प्रेरणा मिलने की सम्भावना है। यद्यपि सातवीं योजना अवधि के दौरान सीमेंट की खपत का वर्तमान चरण के दौरान धीमें सम्भावित निर्माण कार्यकलापों के कारण साधारण गति से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। उदारीकृत नीतियों और सीमेंट के वास्तविक निर्यातक होने के कारण पड़ोसी देशों का लाभ उठाते हुए निर्यात के लिए उद्योग की सम्भावना का पूरी तरह से पता लगाते हुए आगामी योजना अवधि में सीमेंट के निर्यात पर काफी बल दिया जाएगा।

2.8.9 इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय विकास दर रही है। छठी योजना के दौरान उत्पादन विकास दर 25 प्रतिशत और सातवीं योजना के दौरान 34 प्रतिशत थी। विदेशी मुद्रा नियंत्रण और आयात प्रतिबंधों के कारण 1990-91 के दौरान विकास दर घट गई है। नई औद्योगिक और व्यापार नीतियों को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग के आसार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। चूंकि यह उद्योग मुख्यतः आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसका शीघ्र परिवर्तन हो रहा है। इसलिए देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लक्षण विदेशी निवेश और घरेलू उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक और अधिक विशेष रूप से कम्प्यूटर उद्योग के विकास का अनुपूरक साप्टवेयर विकास में विशेषकर निर्यात के लिए विस्तार होगा।

2.8.10 एक सुसंघटित, बहु-माडल पद्धति जो कला प्रौद्योगिकियों के अनुपयोग पर निर्भर करती है। परिवहन, परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। यांत्रिक परिवहन, विशेषकर पेट्रोल उत्पादों में ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और इसलिए ऊर्जा नियंत्रण परिवहन साधनों के संबंध में कार्यनीति चयन को प्रभावित करते हुए, एक प्रमुख तत्व है। यद्यपि रेल और सड़क परिवहन के प्रमुख साधन बने रहेंगे। अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय नौवहन, पाइपलाइन भविष्य में देश की परिवहन पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। परिवहन आधारभूत संरचना के विकास के लिए अपेक्षित विशाल निवेशों को ध्यान में रखते हुए, निजी क्षेत्र को अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा ताकि प्रचालन पद्धतियों जैसे

माड़ा अग्रेशन परिवहन, द्रुतगामी मार्ग, पत्तनों पर समर्पित लंगर सुविधाओं का निर्माण और पोतभार संचालन उपकरणों आदि में सुधार हो सके ।

2.8.11 सड़क सम्पर्क न होने से ग्रामीण कृषि और ग्रामीण उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न होती है । सातवीं योजना में 1500 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को और 1000-1500 की जनसंख्या के 50 प्रतिशत गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया था । लेकिन 1500 से ऊपर जनसंख्या वाले 87 प्रतिशत गांवों को और 1000-1500 की जनसंख्या वाले 70 प्रतिशत गांवों को सातवीं योजना के अंत तक सड़क मार्ग से जोड़ा गया था । यह आशा की जाती है कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को शताब्दी के अंत तक हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ा जाएगा । यह तभी सम्भव होगा यदि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएं । परिवहन आधारभूत संरचना के विकास के लिये अपेक्षित विशाल निवेशों को ध्यान में रखते हुए, निजी क्षेत्र के सक्रिय सहयोग को अधिकांश परिवहन क्षेत्रों में, प्रोत्साहित करना होगा ।

2.8.12 संचार और सूचना सेवाओं के लिए मांग भविष्य में तीव्र गति से बढ़ेगी । प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । ताकि पद्धति को पर्याप्त रूप से उपलब्ध और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके । अंतिम लक्ष्य यह होगा कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों के लिए 0.5 टेलीफोन के वर्तमान स्तर से भविष्य में प्रत्येक 100 व्यक्तियों के लिए 6/7 टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएं । वाणिज्यिक कृषि, कृषि - व्यापार और ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए वातावरण तैयार करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है ।

2.8.13 हमारे ऐसे क्षेत्र जिनका आगे विकास किया जा सकता है, निम्न हैं :-

- उत्पादन प्रविधियों को पूरा करने की योग्यता यदि पर्याप्त मात्रा में मांग का आश्वासन दिया जाए (उदाहरणार्थ बिजली उपकरण तथा परम्परागत मशीन पुर्जों और चीनी और सीमेंट जैसी बड़ी मात्रा में वस्तुएं) ।
- कार्यकुशल जनशक्ति का स्टॉक जो निर्माण में और सेवा क्षेत्र में अभी विकास दर बनाए रख सकता है ।

iii) हाइडल पावर, प्राकृतिक गैस और परमाणुविक खनिजों में गैर उपयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का रिजर्व ।

iv) वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक प्रसरणशील उपभोक्ता बाजार जो उपभोक्ता वस्तुओं, दूर संचार, परिवहन और कुछ वाणिज्यिक सेवाओं में ऊंचा लाभ प्रदान कर सकता है ।

v) बिजली परिवहन, मरम्मत सेवाएं, संचार, शिक्षा, बैंकिंग और अनेक व्यवसायिक एवं तकनीकी सेवाओं जैसी विविधीकृत आधुनिक आधारभूत संरचना के आधार का अस्तित्व । इस आधार को बल और विकास का लाभ मिल सकता है यदि ठीक प्रकार का पर्यावरण दिया जाए ।

vi) एक सुविकसित पूंजी बाजार जो आकर्षक परियोजनाओं की सुदृढ़ता पर पर्याप्त संसाधन एकत्र कर सकता है ।

2.8.14 प्रौद्योगिकी (और पूंजी) के आयात द्वारा विधिवत सहायता प्राप्त मिनी सीमेंट और पेट्रो-रसायन जैसी भारी मात्रा में वस्तुओं के निर्माण में इन लाभों का प्रयोग किया जा सकता है । अधिक मुक्त विकासशील अर्थव्यवस्था (फार ईस्ट और लैटिन अमेरिका) के साथ उत्तम एकीकरण करने के लिए भी और जापान, अमेरिका तथा यूरोप के बाजार को उन द्वारा सप्लाई की गई पूंजी माल एवं उपभोक्ता वस्तुओं के लिए साधारण सहायक उपकरणों और अवयवों के उत्पादन के विस्तार के लिए भी इन लाभों का प्रयोग किया जा सकता है । वस्त्र और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा उन द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किए गए डिजाइन के अनुसार निर्माण के लिए प्रमुख विपणन श्रृंखलाओं के साथ हम सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । हम "सूचना प्रौद्योगिकी" और "कम्प्यूटर साफ्टवेयर" में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता से, ऐसी जनशक्ति की अधिक कारगर ढंग से उपलब्धता एवं उपयोगिता का आयोजन करते हुए आर्थिक लाभों के लिए योजना भी बना सकते हैं ।

2.8.15 चूंकि संसाधन सीमित हैं इसलिए हमने ऐसे कार्यकलापों में अपने संसाधनों को जुटाने से बचना चाहिए जहां राष्ट्र को तुलनात्मक लाभ नहीं होता हो । उदाहरण के लिए वे क्षेत्र जहां हम आयात विकल्प का उत्तरोत्तर परित्याग और उपयोग कर सकते हैं वे हैं पोत निर्माण, अणुशक्ति उपकरण, प्रौद्योगिकी गहन इलेक्ट्रानिक अवयव अर्थात् विदेशों में विशिष्ट बाजारों के संदर्भ को छोड़कर चिपस और धातु उद्योग ।

2.8.16 उन क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाने के लिए जहां हमें तुलनात्मक लाभ है, वहां हमें प्रौद्योगिकी की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दीर्घकालीन उद्देश्य, उत्पादन के साथ प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करता है जो हमारे संसाधनों और जरूरतों के अनुरूप है। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि जहां कहीं हमारा आधार आर्थिक विकल्पों एवं लक्ष्यों के स्पष्ट परिप्रेक्ष्य के साथ प्रयोजनयुक्त था वहां हमें सफलता मिली। कृषि और कुछ सीमा तक चिकित्सा अनुसंधान के प्रयोग में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इन क्षेत्रों में हमने प्रयोजनमुखी अनुसंधान नेटवर्क और संस्थानों की स्थापना तथा आवश्यक उपकरणों आदि के आयात में कुछ उदारीकरण के साथ अपेक्षित निवेशों के लगाने से कार्य शुरू किया है। प्रयोगशालाओं में किया गया अनुसंधान हमारी आवश्यकताओं के अनुसार था जिनका आर्थिक लाभों के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐसे ही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विगत में अनुसंधानों से इन क्षेत्रों में वैसा ही काम नहीं हुआ क्योंकि सामान्यतः प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता का अनुसरण आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि अनुसंधान प्रयासों

और उचित आर्थिक लाभों के बीच अंतर होने के कारण अपर्याप्त संसाधन दीर्घकालीन अवधि के लिए सीमित हो गए। प्रौद्योगिकी विकास में संस्थागत सुधार को लाना होगा। विगत में अनेक संस्थागत संरचना (माडल) का परीक्षण किया गया। सफल संरचनाओं का अनुकरण करना अपेक्षित है। प्रौद्योगिकी विकास में सरकारी क्षेत्र की भूमिका को राष्ट्रीय और दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा पर विचार करते हुए ऊंची कार्यनीति महत्व के क्षेत्रों तक परिसीमित किया जाना चाहिए।

2.8.18 उन क्षेत्रों की पहचान जहां हमें तुलनात्मक लाभ होते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान जहां संसाधनों का प्रचालन होता है, योजना के अभिन्न अंग हैं। यह एक चूल प्रक्रिया है। फिर भी शक्तिशाली सम्भावित क्षेत्रों को वास्तविकता में बदलने के लिए सार्थक प्रयासों की आवश्यकता होगी। इस बढ़ते हुए गैर-विनियमित वातावरण में वैयक्तिक आर्थिक एजेंटों ने विस्तार के लिए स्वयं अपने निर्णय करने होंगे और यह वांछित निवेशों के साथ अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए मिश्रित नीतियों के माध्यम से ही सम्भव होना चाहिए। वास्तव में योजना की यह सकारात्मक भूमिका है।

अध्याय-3

योजना के वृहद आर्थिक आयाम

3.1.1 पिछले 40 वर्षों में नियोजित विकास और तदनुसार अर्थ व्यवस्था के आधुनिकीकरण और एक बड़े संगठित सैक्टर के निर्माण से भावी विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु अर्थव्यवस्था की क्षमता अब काफी अच्छी हो चुकी है। व्यक्ति और मशीनों के मामले में प्रौद्योगिकी, कार्यकुशलता का एक उचित साधन और खनिजों के भंडारों तथा दूसरे संसाधनों की उपलब्धता हमारे पास है। एक विविधीकृत औद्योगिकी और उत्पादन का आधार निर्मित हो चुका है। अब हमारे पास एक मजबूत और लचीली कृषि आर्थिक व्यवस्था है। छठी और सातवीं योजनाओं में भी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और उसके आधुनिकीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। उद्योगों पर क्रमिक रूप से नियंत्रण हटाने और पूंजीगत माल तथा संघटनों के अधिक उदार आयात से निजी क्षेत्र के पूंजीनिवेश को अधिक उदार आयात से निजी क्षेत्र के पूंजीनिवेश को अधिक प्रोत्साहन मिला। कम से कम पांच वर्ष (1986-91) के दौरान निर्यात अच्छा रहा। औद्योगिक व्यापार और वित्तीय नीतियों में बाजारोन्मुखी परिवर्तनों का कारपोरेट सैक्टर ने सामान्यतः स्वागत किया है और उसे अपनाया है। इसके साथ ही साथ लघु उद्यमियों और छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिए अर्थव्यवस्था में क्षमताएं विद्यमान हैं। इन उपलब्धियों ने आने वाले वर्षों में आगे बढ़ने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए शक्ति प्रदान की है। अब मानव, सामग्री और वित्तीय संसाधनों का उपयोग एक ऐसी विकास प्रणाली विकसित करने के लिए किया जाना है, जिससे पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके व जनता की सामाजिक आकांक्षा और आवश्यकता प्रदान की जा सकें। उपलब्ध संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए।

वृद्धि, पूंजी निवेश और सरकारी सैक्टर का परिप्यय

3.2.1 आगले पांच वर्षों के लिए वृद्धि का लक्ष्य हाल के विकास संबंधी अनुभवों के विश्लेषण, जुटाए जा सकने योग्य संसाधनों के सावधानीपूर्वक

मूल्यांकन और कुछ न्यूनतम सामाजिकअवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की अनिवार्यताओं पर आधारित हैं। सातवीं योजना में 5.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर प्राप्त की गई जबकि लक्ष्य 5 प्रतिशत का था यह एक आशाजनक उपलब्धि थी। परन्तु 1991-92 के दौरान आर्थिक वृद्धि में कमी आने के कारण सात वर्ष की अवधि (1985-86 से 1991-92) में औसत वृद्धि 5.3 प्रतिशत रहेगी। इन सात वर्षों की अवधि में आर्थिक वृद्धि को जी.डी.पी. के 23.1 प्रतिशत पूंजी निवेश से मदद मिली और इस पूंजी निवेश का वित्त पोषण सकल घरेलू उत्पादन के 20.7 प्रतिशत घरेलू बचत और 2.4 प्रतिशत विदेशी बचत (चालू लेखा घटक) द्वारा किया गया। सातवीं योजना की अच्छी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए और उक्त निश्चित न्यूनतम दर पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए एक सुझाव यह था कि आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य अधिक होना चाहिए, परन्तु आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के प्रभाव, सरकारी सैक्टर के सामने संसाधनों की कठिनाइयों और वित्तीय असंतुलन को सुधारने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पिछले दशक के दौरान विकास दर के आस-पास ही प्राप्ति की योजना करना और साथ-साथ भविष्य में अधिक विकास के लिए बुनियाद बनाना ही उचित होगा। अत्यधिक पूंजी निवेश का लक्ष्य रखने और योजना के दौरान, अपर्याप्त संसाधनों के कारण, इसमें कटौती करने से संसाधनों का दुरुपयोग ही होगा।

3.2.2 आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की वैकल्पिक दरों के वृहद आर्थिक और सैक्टरीय परिणामों पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया गया था। परिषद ने दिसम्बर, 1991 में जी.डी.पी. के लिए 5.6 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का अनुमोदन किया। इसके बाद प्राप्त हुई जानकारी और विस्तृत विश्लेषण व विचार-विमर्श से यह प्रदर्शित होता है कि इस वृद्धि का लक्ष्य रखा जा सकता है। इस वृद्धि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य आर्थिक आवश्यकताएं होंगी उन्हें सारणी 3.1 में दिखाया गया है।

सारणी 3.1

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान विकास दर के लक्ष्य के निहितार्थ

| क्र.सं. | आई सी ओ आर | घरेलू बचत की औसत दर | चालू लेखा घाटा | पूंजी निवेश की औसत दर |
|-------------|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ५. वार्षिक) | | (बाजार मूल्य पर जीडीपी का प्रतिशत) | | |
| 5.6 | 4.1 | 21.6 | 1.6 | 23.2 |

आई.सी.ओ.आर. - पूंजी व उत्पादन में बहोतरी का अनुपात

जी.डी.पी. - सकल घरेलू उत्पादन

3.2.3 वर्तमान पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था में विद्यमान तकनीकी दशाओं के लिए एक संक्षिप्त प्रतीक है जो पूंजी निवेश और अतिरिक्त उत्पादन के बीच संबंध निर्धारित करता है। यद्यपि आईसीओआर को पूंजी निवेश और इसी अवधि (योजना अवधि) के अतिरिक्त उत्पादन के बीच संबंध को व्यक्त करता है, परंतु यह वास्तव में विगत पूंजीनिवेश की गति पर निर्भर करता है जिससे योजनाअवधि में अतिरिक्त उत्पादन होगा और इसमें पूंजीनिवेश को भी ध्यान में रखा गया है। इससे भविष्य में क्षमताएं उत्पन्न होंगी। सातवीं योजना के दौरान क्षमता उपयोग में सुधार हुआ और अनेक सैक्टरों में परिचालन कार्यकुशलताओं में अच्छे लाभ भी प्राप्त किए हैं। सातवीं योजना अवधि के लिए औसत आईसीओआर 3.9 था परन्तु बाद के दो वर्षों की अवधि के दौरान वृद्धि दर में कमी के कारण सात वर्षों के लिए (1985-86 से 1991-92) आईसीओआर 4.3 होने का अनुमान है। यद्यपि परिचालन कुशलताओं को सुधारने की काफी गुंजाइश है परंतु विद्यमान क्षमताओं के बेहतर उपयोग से उत्पादन में लाभ आठवीं योजना में उस सीमा तक उपलब्ध नहीं होगा जितना सातवीं योजना के दौरान था। ऐसा विशेषकर ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन, कृषि, (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), तेल उत्पादन और खनन के मामले में है। इसके अतिरिक्त पाइपलाइनों में पूंजीनिवेश का स्टाक आज उससे कम है जितना सातवीं योजना के प्रारंभ में था। मानव पूंजी के लिए पूंजी निवेश ने जो आठवीं योजना का प्राथमिक क्षेत्र है, औद्योगिक और आधारभूत सुविधाओं वाली परियोजनाओं की तुलना में अधिक समय के साथ उत्पादन के संदर्भ में कार्यानिष्पादन में सुधार किया। ऊर्जा और परिवहन सैक्टरों में परियोजना लागतें इस समय बढ़ रही हैं, क्योंकि

आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पहले दोहन कर लिया गया है और अधिक कठिन संसाधनों का अब उपयोग किया जाना है। पारिस्थितिक नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक प्रयत्नों से भी लागत में वृद्धि होगी। अविकसित क्षेत्रों में सर्वाधिक उपलब्ध प्रौद्योगिकी के विस्तार और पूर्वी क्षेत्र में कृषि सरकारी सैक्टर में सेवाओं के बड़े संघटकों और उद्योग में पारंपरिक (विकेन्द्रीकृत) सैक्टरों जैसे अर्थव्यवस्था के सैक्टरों पर उत्पादकता लाभ (आईसीओआर पर इसका प्रभाव) की आशाएं निर्भर करती हैं। यद्यपि संरचनात्मक समायोजनों के लिए किए गए उपायों के तत्काल प्रभाव से उत्पादन में कुछ कमी आएगी परंतु बाद के समय में उदार की गई नीतियों के कारण औद्योगिक सैक्टर का उत्पादन अच्छा रहने की आशा है। मूल्यांकन से यह उचित प्रतीत होता है कि आठवीं योजना अवधि के लिए आईसीओआर 4.1 माना जाए।

3.2.4 वृहद योग और वित्तीय पैरामीटरों के अनुमान योजना के आधार वर्ष अर्थात् 1991-92 में विद्यमान मूल्यों के आधार पर लगाए गए हैं। योजना माडल 1991-92 में मूल्यों के स्तर और संरचना समायोजित आधार उत्पादन सारणियों के साथ बनाए गए हैं। इस प्रकार बचत, पूंजीनिवेश, भुगतान संतुलन आदि सभी 1991-92 में विद्यमान मूल्यों के संदर्भ में हैं। मुद्रास्फीति दर के लिए कोई अनुमान नहीं किया गया है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मुद्रास्फीति नहीं होगी, बल्कि इसका आशय यह है कि वास्तविक रूप में संसाधनों का कोई हनन नहीं होगा। वार्षिक बजटों के माध्यम से सरकारी सैक्टर की योजना के लिए वास्तविक वित्तीय आबंधन करते समय मुद्रास्फीति की विद्यमान दरों को ध्यान में रखा जाता है। विवेकपूर्ण वित्तीय और मुद्रा नीतियों तथा उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था के द्वारा योजना मुद्रास्फीति को यथासंभव न्यूनतम स्तर का रखने का प्रयत्न करेगी।

3.2.5 आर्थिक प्रणाली के अच्छी तरह कार्य करने, गरीबों के हितों की रक्षा करने और संसाधनों को जुटाने में किसी कमी को रोकने के लिए उचित स्तर पर मूल्य स्थायित्व बनाए रखना अनिवार्य है। विगत समय में यह पाया गया है कि मूल्यों में वृद्धि होने से सरकारी व्यय में भी उतनी ही वृद्धि होती है परंतु राजस्व में उतनी वृद्धि नहीं होती। इसके फलस्वरूप संसाधनों का अंतराल बढ़ता जाता है। सरकारी सैक्टर में बचत कम करने की प्रवृत्ति को विपरीत

सारणी 3.2

आठवीं योजना (1992-97) के लिए मैक्रो एग्रीगेट

| | | 1991-92 | 1996-97 (लक्ष्य) | आठवीं योजना का जोड़ |
|-----|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद | 519716 | 682473 | 3069138 |
| 2 | बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद | 582356 | 764730 | 3439053 |
| 3 | सकल घरेलू बचत | 125789 | 165182 | 742835 |
| 4 | निजी संपत्ति | 389211 | 504000 | 2266530 |
| 5 | सकल घरेलू पूंजी | 140348 | 172295 | 797698 |
| 6 | विदेशी बचत | 14559 | 7113 | 54863 |
| 7 | माल का निर्यात ** | 44292 | 83869 | 330153 |
| 8 | माल का निर्यात तथा गैर-कारक सेवारं ** | 55762 | 102366 | 407342 |
| 9 | माल का आयात ** | 62345 | 93314 | 399650 |
| 10 | माल का आयात तथा गैर-कारक सेवारं ** | 72848 | 112797 | 477128 |

टिप्पणी : 1991-92 के आंकड़ों का अनुमान आठवीं योजना के दौरान सामान्य अनुमान आधार पर किया गया है।

@ 1990-91 की तुलना में 1991-92 के दौरान बहुत ही कम आयात के कारण यहां दिखाए गए सामान्य आधार से कम विदेशी हुई बचत प्रारम्भिक भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े 9000 करोड़ रु. की विदेशी बचत को दर्शाते हैं परन्तु इस वर्ष राष्ट्रीय लेखा आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

** 1991-92 के निर्यात और आयात अनुमान साधारणीकृत अनुमान हैं क्योंकि इस वर्ष वास्तविक आंकड़े असाधारण रूप से कम हैं।

सारणी 3.3

आठवीं योजना (1992-97) के लिए मैक्रो पैरामीटर

| दर/अनुपात | सातवीं योजना (1985-90) | सात-वर्षों में सातवीं योजना सम्मिलित (1985-92) | आठवीं योजना (1992-97) | |
|-----------|--|---|--------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि दर (% वार्षिक) | 5.8 | 5.3 | 5.6 |
| 2 | घरेलू बचत (स.घ. उधका%) | 20.3 | 20.7 | 21.6 |
| 3 | बचत (स.घ.उ. का %) | 22.7 | 23.1 | 23.2 |
| 4 | चालू लेखा घाटा (स.घ.उ. का %) | 2.4 | 2.4 | 1.6 |
| 5 | आई. सी. ओ. आर. | 3.9 | 4.3 | 4.1 |
| 6 | संवृद्धि दर में :- | | | |
| | माल का आयात (% वार्षिक) | # 8.1 | * 8.5 | 13.6 |
| | माल का निर्यात (% वार्षिक) | 10.0 | * 7.5 | 8.4 |

@@ सातवीं योजना में अन्विष्टी भारतीय जमा पर प्रदत्त ब्याज चालू लेखा घाटे के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्विष्टी भारतीय पूंजी आगम आंकड़े प्रदत्त ब्याज को हिसाब में लेने के बाद जारी किए। आठवीं योजना में चालू लेखा घाटे में अन्विष्टी भारतीय जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज नॉन-फैक्टर सर्विस की आयात मदों के रूप में शामिल है।

यह सातवीं योजना अवधि के 5 वर्षों के आधार पर अनुमानित है। डी.जी.सी.आई.एस. के माना सूचकांक के अनुसार योजना अवधि के अनुमान 7.6 और सातवीं योजना के चार वर्षों के दौरान 11.6 % है।

* यह केवल छः वर्षों के औसत को दर्शाता है क्योंकि 1991-92 का वर्ष विदेशी व्यापार के मामले में असाधारण वर्ष रहा है।

करने के लिए मूल्य स्थायित्व अनिवार्य है और सरकारी व्यय के विकासात्मक संघटक के परिरक्षण के लिए भी यह उतना ही अनिवार्य है। अतः योजना का वित्तीय स्वरूप "वित्तीय घाटे" के न्यूनतम स्तर और मूल्य स्थायित्व को उचित स्तर तक रखने के उद्देश्य वाले "घाटे के वित्तपोषण" पर निर्भर करता है।

3.2.6 आठवीं योजना के लिए बड़े आर्थिक योग और बड़े पैरामीटर सारणी 3.2 और 3.3 में दिखाए गए हैं। यह प्रदर्शित होता है कि बचत दर में सुधार होने की आशा है। आठवीं योजना के दौरान बचत की सीमान्त दर 23.7% होगी। पूंजीनिवेश दर पिछले सात वर्षों के औसत से थोड़ी सी अधिक होगी। जीडीपी के अनुपात के रूप में चालू लेखा घाटे में कमी का अनुमान किया गया है। इसका विदेशी ऋण देनदारी और ऋण सेवा अनुपात पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आठवीं योजना में निर्यात कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा है।

3.2.7 निजी खपत व्यय प्रतिवर्ष 5.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान किया गया है। जो प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष 1.8 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि मानकर) में प्रतिवर्ष 3.5% की वृद्धि को दर्शाता है। यह सातवीं योजना के दौरान 2.8% वार्षिक प्रति व्यक्ति प्राइवेट खपत की तुलना में अधिक वृद्धि है। चूंकि विभिन्न समाज कल्याण उपयोग या आय वितरण में भी सुधार होने की आशा है। अतः खाद्य उपभोग को भी अधिक महत्व दिया जाना होगा। इसका अर्थ यह है कि हाल के वर्षों की तुलना में अधिक मूल्य स्थायित्व के साथ खाद्य अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंध।

3.2.8 घरेलू बचतों के संभावित स्तर और विदेश से प्राप्त होने वाले संसाधनों को देखते हुए आठवीं योजना के दौरान 798000 करोड़ रुपये के स्तर तक पूंजी निवेश संभव है। इसका आशय यह है कि जीडीपी के 23.2% की दर पर पूंजी निवेश निर्धारित वर्तमान पूंजी उत्पादन अनुपात को देखते हुए इस पूंजी निवेश से जीडीपी में 5.6% की वृद्धि होगी। छठी और सातवीं योजनाओं में पूंजीनिवेश की दरें क्रमशः 21.1% और 22.7% थीं।

3.2.9 योजना के वृहद आयाम का एक महत्वपूर्ण अंग सरकारी सैक्टर के परिव्यय का आकार है और सरकारी सैक्टर के परिव्यय के दो अंग हैं (क) पूंजी निवेश और (ख) चालू परिव्यय। चालू

परिव्यय आवर्ती और गैर पूंजी निवेश प्रकृति के योजना व्यय के अनुरूप होता है। जोकि पूंजी निवेश के लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पिछली योजना अवधियों में चालू परिव्यय मोटे तौर पर योजना पूंजी निवेश का 17% था। वर्तमान परिव्यय सामाजिक सेक्टर में अपेक्षता अधिक है, और इन सेक्टरों की फंड योजना मुख्यतः केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजटों से की जाती है। इनमें मुख्य हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, शिक्षा, कमजोर वर्गों का कल्याण आदि। संपूर्ण सैक्टरों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना के लिए सरकारी सैक्टर के पूंजी निवेश के 20% के स्तर पर चालू परिव्यय रखना आवश्यक समझा गया है।

3.2.10 सरकारी सैक्टर के लिए 434,100 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है। इसमें 361 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश और 73100 हजार करोड़ रुपये का चालू परिव्यय होगा। इस प्रकार सरकारी सैक्टर के लिए पूंजी निवेश कुल घरेलू पूंजी निवेश का 45.2% होगा, जिसमें निजी क्षेत्र के लिए और अधिक स्थान रखा जाएगा जितना की अब तक दिया जाता रहा है। कुल में सरकारी सैक्टर पूंजी निवेश का हिस्सा सारणी 3.4 में दिखाया गया है। पूंजी निवेश के क्षेत्रीय स्वरूप आश्रित आठवीं योजना में इसके वित्तपोषण को सारणी 3.5 में दिखाया गया है।

सारणी 3.4

कुल पूंजी निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा

| | सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजी निवेश (कुल पूंजी निवेश का प्रतिशत) | |
|------------------------|--|----------|
| | अनुमानित | वास्तविक |
| पांचवी योजना (1974-79) | 57.6 | 43.3 |
| छठवी योजना (1980-85) | 52.9 | 47.8 |
| सातवी योजना (1985-90) | 47.8 | 45.7 |
| आठवी योजना (1992-97) | 45.2 | - |

3.2.11 सरकारी सैक्टर के लिए अत्याधिक चुनिंदा भूमिका को स्वीकार करते हुए भी "आवश्यकता" का भी एक पक्ष है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। चूंकि आधारभूत सेक्टर में उत्पादन शुरू करने की अवधि लम्बी होती है अतः निकट भविष्य में पूंजी निवेश अर्थव्यवस्था के लिए अधिक लम्बे समय पर वृद्धि की संभावनाओं को निर्धारित करता है। हाल की दो वार्षिक योजनाओं (1990-92) में कोयले, तेल, रेलवे, और सिंचाई के लिए पूंजी निवेश

सारणी 3.5

निवेश का क्षेत्रकीय पैटर्न एवं आठवीं योजना (1992-97) में इसकी वित्तीय सहायता

(1991-92 की कीमतों पर करोड़ रु.)

| क्र. सं. | क्षेत्र | निवेश वित्त व्यक्त्या के लिए स्रोत निजी बचत बचतों से अंतरण | घरेलू क्षेत्र | क्षेत्र विश्व | निवेश | चालू परिव्यय | कुल परिव्यय |
|----------|---------------------|--|---------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र | 68900 | 258400 | 33700 | 361000 | 73100 | 434100 |
| 2. | निजी निगमित क्षेत्र | 68930 | 58770 | 21300 | 149000 | | |
| 3. | घरेलू क्षेत्र | 605170 | -303170 | - | 288000 | | |
| | | 743000 | - | 55000 | 798000 | | |

सामान्यतः पहले से अनुमोदित चालू परियोजनाओं तक ही सीमित रहा है और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए नई परियोजनाओं के संबंध में प्रावधान नहीं किया जा सका। आधारभूत सुविधाओं की अडचने ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जैसी सातवें दशक के मध्य में थी, जब सीमेंट, इस्पात, कोयले और पावर की गंभीर कमी थी और मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 20% को भी पार कर गई थी। निजी क्षेत्र की पहल से सरकारी सेक्टर के पूंजी निवेश की आवश्यकता को कम कर सकती है परन्तु नीति परिवर्तनों और वास्तविक पूंजी निवेश के बीच कुछ अंतर अनिवार्य है। यद्यपि पावर सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है परंतु इसका पर्याप्त कार्यान्वयन होने में कुछ समय लगेगा। इन मुद्दों पर सावधानी से विचार करन के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश के आकार और परिव्यय का निर्धारण किया गया है।

3.2.12 राज्यों और केन्द्र के बीच 434100 करोड़ रु. के सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय का वितरण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(1) केन्द्र और राज्यों के संसाधनों की स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और एक निश्चित स्तर तक वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता।

(2) सरकारी क्षेत्र की योजना में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता क्योंकि विशेषतः सिंचाई, स्वास्थ्य शिक्षा और दूसरे कार्यक्रम जो मानव विकास से सम्बन्धित हैं की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है।

(3) दीर्घकालीन वृद्धि बनाए रखने के लिए प्राथमिक बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय योजना में पूंजी निवेश की आवश्यकता, यह सुविधाएं पेट्रोलियम, कोयला, रेलवे और दूर संचार आदि हैं।

प्रत्याशित संसाधन स्थिति के अनुरूप राज्य की योजनाओं के लिए 179985 करोड़ रु. और केन्द्रीय योजना के लिए 254115 करोड़ रु. (62.50 करोड़ रु. संघ क्षेत्रों के लिए इसमें शामिल हैं) का अनुमान किया गया है। इन्हें सारणी 3.6 में दिखाया गया है। सरकारी सेक्टर की योजना में राज्यों का हिस्सा जिसमें पांचवी, छठी और सातवीं योजना से गिरावट आती जा रही है, उसे सातवीं योजना में 39 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर आठवीं योजना में 41.5% करने का विचार है। राज्यों को अपने संसाधनों में सुधार करने होंगे, व्यय में कटौती करनी होगी और अपने उद्यमों से विशेषकर बिजली और परिवहन क्षेत्र में संसाधनों के लिए उचित योगदान लेना होगा और उनकी स्थिति सुधारनी होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय में केन्द्र तथा राज्यों का हिस्सा

(करोड़ रु.)

| मद | वार्षिक योजना | वार्षिक योजना | आठवीं योजना |
|-----|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | 1991-92 (चालू मूल्यों पर) | 1992-93 (चालू मूल्यों पर) | 1991-92 मूल्यों पर |
| 1 | केन्द्रीय विभाग | | |
| 1.1 | परिव्यय | 42,969 | 247,865 |
| 1.2 | बजटीय सहायता | 19,015 | 103,725 |
| 1.3 | आई ई बी आर | 23,954 | 144,140 |
| | राज्य व सं.राजे. परिव्यय. | 28,107* | 186,235 |
| 2 | संघ राज्य क्षेत्र | | |
| 2.1 | परिव्यय | 1277* | 62.50 |
| 2.2 | बजटीय सहायता | 1277* | 6,250 |
| 3 | राज्य | | |
| 3.1 | परिव्यय (1) | 26830* | 179,985 |
| 3.2 | केन्द्रीय सहायता | 13,428 | 78,500 |
| 3.3 | राज्य स्व-संसाधन | 13402 | 101,485 |
| | जोड़ योजना परिव्यय - | 71076* | 434,100 |
| | (1.1+2.1+3.1) | | |

(1) इसमें क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए परिव्यय शामिल है।

* इसमें राज्यों का 1072 करोड़ रु. का योजना ऋण शामिल नहीं है जिस पर वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप में सहमति नहीं मिली तथा "माडल ग्राम" स्कीम तथा "सहकारिताओं के लिए एकाटीटी आधार" जिसको बाद में छोड़ दिया गया।

बचतें और फंडों की प्राप्ति

3.3.1 योजना अवधि के दौरान बचत दर जीडीपी का औसत 21.6% होने का अनुमान है। छठी योजना के दौरान बचत की प्राप्त औसत दर जीडीपी का 19.7% थी और सातवीं योजना के दौरान यह दर 20.4% थी। पहले दशकों की तुलना में आठवें दशक के दौरान घरेलू बचत में वृद्धि की धीमी गति के दो कारण हैं : यद्यपि स्थाई और अस्थायी दोनों उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक उपलब्धता से आंशिक रूप से प्रभावित होकर पहले दशकों में घरेलू क्षेत्र की बचतों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। परन्तु सरकारी क्षेत्र की बचतों में काफी कमी आई है। छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान की बचत दरों और सातवीं योजना के लिए अनुमानित बचत दरों

को सारणी 3.7 में दिखाया गया है। इससे सम्बन्धित अधिक बयौरे सारणी 3.8 में दिखाये गए हैं।

3.3.2 घरेलू क्षेत्र की बचतें सातवीं योजना में बढ़कर अब 18.6% हो गई थी जबकि छठी योजना में यह घरेलू खर्च योग्य आय का 16% थी। खपत के लिए बढ़ते हुए साधनों और समाज के शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए उनकी खर्च करने के योग्य आमदनी के संदर्भ में घरेलू बचत में वृद्धि उतनी होने की आशा नहीं है, जितनी पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में थी। कुल बचत में वित्तीय बचतों के अनुपात में वृद्धि के साथ आठवीं योजना में घरेलू बचतों का बड़ा योगदान निजी कारपोरेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के पूंजीनिवेश के वित्त-पोषण के लिए अधिक बड़े संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में

सारणी 3.7

बचत की दरें

(बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में)

| 0 | (1) | (वर्तमान कीमतों पर) | | | अनुमानित (1991-92 की कीमतों पर) | | 8वीं योजना योजना (1992-97) |
|----|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| | | छठी योजना | सातवीं योजना | 7 वर्षों का औसत | 1991-92 | 1996-97 | |
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्रक (1.1+1.2) | 3.69 | 2.33 | 2.00 | 1.44 | 2.07 | 2.00 |
| | 1.1 सरकारी क्षेत्र | 1.10 | -1.36 | -1.74 | -2.37 | -1.08 | -1.11 |
| | 1.2 सार्वजनिक उपक्रम | 2.59 | 3.69 | 3.74 | 3.81 | 3.15 | 3.11 |
| 2. | निजी निगमित क्षेत्र | 1.63 | 2.04 | 2.15 | 2.39 | 2.17 | 2.20 |
| 3. | घरेलू क्षेत्रक | 14.33 | 16.00 | 16.60 | 17.77 | 17.36 | 17.60 |
| 4. | सकल घरेलू बचतें | 19.65 | 20.37 | 20.75 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |

टिप्पणी : 1990-91 के लिए त्वरित अनुमानों तथा 1991-92 के लिए अनुमानों से संबंधित आंकड़े पर आधारित।

सारणी 3.8

छठी, सातवीं तथा आठवीं योजना के दौरान उन्मुख सैक्टरों द्वारा सकल घरेलू बचत

करोड़ रु . बराबर

| क्र.सं. | उद | छठीयोजना कुल औसत | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | सातवीं वार्षिक योजना योजना | | | आठवीं योजना जोड़ (1992-97) | |
|---------|----------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------------------------|---------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | औसत | 1990-91 | 1991-92 | 1996-97 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 | | | |
| 1. | सफल घरेलू उत्पाद | 912881 | 261920 | 291974 | 332616 | 394992 | 450601 | 1732103 | 529537 | 582356 | 764730 | 3439053 |
| 2. | सार्वजनिक ऋण | 33037 | 8457 | 8002 | 7249 | 7743 | 7054 | 38505 | 4690 | 8386 | 15864 | 68900 |
| | | 3.69% | 3.23% | 2.74% | 2.18% | 1.96% | 1.57% | 2.33% | 0.89% | 1.44% | 2.07% | 2.00% |
| 2.1 | सरकारी सेक्टर | -1766 | -3649 | -5977 | -9391 | 13170 | -17639-49826 | -22802 | -21183 | -18551 | -83644 | |
| | | -0.03% | -1.39% | -2.05% | -2.82% | -3.33% | -3.91% | -2.70% | -4.31% | -3.64% | -2.43% | -2.43% |
| 2.2 | रेलवे व सरकारी बचत | 4167 | 843 | 1170 | 1637 | 2199 | 2873 | 8722 | 3726 | 4252 | 5030 | 20334 |
| | | 0.44% | 0.32% | 0.40% | 0.49% | 0.56% | 0.64% | 0.48% | 0.70% | 0.73% | 0.66% | 0.59% |
| 2.3 | गैर-विभागीय उद्यमों की बचत | 20316 | 7512 | 8908 | 10556 | 13594 | 15864 | 56434 | 17082 | 17941 | 19075 | 86666 |
| | | 2.15% | 2.87% | 3.05% | 3.17% | 3.44% | 3.52% | 3.21% | 3.23% | 3.08% | 2.49% | 2.52% |
| 2.3.1 | हप्त | 19264 | 6258 | 7360 | 8455 | 10032 | 12986 | 45091 | 13967 | 14536 | 14051 | 66093 |
| | | 2.00% | 2.39% | 2.52% | 2.54% | 2.54% | 2.88% | 2.57% | 2.64% | 2.50% | 1.84% | 1.92% |
| 2.3.2 | ग्रहीत खाद्य | 1052 | 1254 | 1548 | 2101 | 3562 | 2878 | 11343 | 3115 | 3405 | 5024 | 20573 |
| | | 0.06% | 0.48% | 0.53% | 0.63% | 0.90% | 0.64% | 0.64% | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 0.60% |
| 2.3 | सरकारी सेक्टर का हप्त | 10320 | 3751 | 3901 | 4447 | 5120 | 5956 | 23175 | 6684 | 7376 | 10310 | 45544 |
| | | 1.12% | 1.43% | 1.34% | 1.34% | 1.30% | 1.32% | 1.34% | 1.26% | 1.27% | 1.35% | 1.32% |
| 3 | जोड़ा (2.2+2.3+2.4) | 34803 | 12106 | 13979 | 16640 | 20913 | 24693 | 88331 | 27492 | 29569 | 34415 | 152544 |
| | | 3.72% | 4.62% | 4.79% | 5.00% | 5.29% | 5.48% | 5.04% | 5.19% | 5.08% | 4.50% | 4.44% |
| 4 | प्राइवेट सेक्टर बचत | 144424 | 43207 | 45736 | 60312 | 7555 | 93417 | 318227 | 111364 | 117403 | 149318 | 674100 |
| | | 15.96% | 16.50% | 15.66% | 18.13% | 19.13% | 20.73% | 18.03% | 21.03% | 20.16% | 19.53% | 19.60% |
| 4.3 | घरेलू सामान के सेक्टर | 129573 | 37999 | 40696 | 54718 | 67439 | 81319 | 282171 | 97441 | 103463 | 32738 | 605170 |
| | | 14.33% | 14.15% | 13.94% | 16.45% | 17.07% | 18.05% | 16.00% | 18.40% | 17.77% | 17.36% | 17.60% |
| 4.2 | प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर जोड़ | 14851 | 5208 | 5040 | 5594 | 8116 | 12098 | 36056 | 13923 | 13940 | 16580 | 68930 |
| | | 1.63% | 1.99% | 1.73% | 1.68% | 2.05% | 2.68% | 2.03% | 2.63% | 2.39% | 2.17% | 2.00% |
| 5 | घरेलू बचत (4 + 2) | 177461 | 51664 | 53738 | 67561 | 83298 | 100471 | 356732 | 116054 | 125789 | 16582 | 743000 |
| | | 19.65% | 19.73% | 18.41% | 20.31% | 20.31% | 21.09% | 22.30% | 20.37% | 21.60% | 21.60% | 21.60% |

टिप्पणी 1990-91, राष्ट्रीय लेखों के त्वरित अनुमानों से 1989-90 तथा 1990-91 के आंकड़े। बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद संबंधी प्रतिशत।

होगा। घरेलू बचतों के वित्तीय बचत हिस्से में निरंतर वृद्धि हुई है। जिसे सारणी 3.9 में दिखाया गया है। छठे दशक के मध्य से सातवें दशक के मध्य तक की अवधि के दौरान वित्तीय बचत हिस्से में अधिक बचत देखी गई है। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सातवें दशक के आरम्भ में देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों का विस्तार किया गया, और इससे वित्तीय बचतें जुटाने में मदद मिली। इसके बाद घरेलू बचतों का वित्तीय हिस्सा लगभग उसी स्तर का बना रहा। हाल के वर्षों में पूंजी बाजार का आधार व्यापक बनने से घरेलू बचतों के बड़े हिस्से की वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में की जा सकने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस प्रवृत्ति को और मजबूत करने के लिए आठवीं योजना में वित्तीय अपाय आगे बढ़ाए जायेंगे।

सारणी 3.9

कुछ घरेलू बचतों में वित्तीय बचतों का हिस्सा

| अवधि | हिस्सा (प्रतिशत) |
|---------|------------------|
| 1966-72 | 25.1 |
| 1992-82 | 37.5 |
| 1982-89 | 50.3 |

3.3.3 निजी कारपोट बचत जो छठी योजना में जीडीपी के 1.6% से बढ़कर हाल के वर्षों में 2% से कुछ अधिक हो गई थी, आठवीं योजना के दौरान उसके 2% ही बने रहने का अनुमान है।

3.3.4 सरकारी सेक्टर की बचतों के दो हिस्से हैं अर्थात् सरकारी की बचत और सरकारी उद्यमों की बचत। आठवें दशक के दौरान सरकारी बचतों की स्थिति बड़ी निराशाजनक रही है। यद्यपि छठी योजना के दौरान सरकारी बचतें धनात्मक थीं परंतु इस के बाद यह ऋणात्मक होती गई जिन्हें सारणी 3.10 में दिखाया गया है छठी और सातवीं योजना के बीच सरकार का खर्च जीडीपी का 5% पाइंट का बढ़ गया परंतु आमदनी में केवल लगभग 2 प्रतिशत पाइंट की वृद्धि हुई। व्यय अधिक होने के लिए उत्तरदायी मंटे सरकारी ऋणों पर ब्याज और सब्सिडी हैं। 1990-91 में सरकारी की सकल बचत जीडीपी की तीन प्रतिशत पहुंच गई। यदि यह स्थिति बनी रही तो सरकार सामाजिक बुनियादी सुविधाओं और न्यूनतम आवश्यकताओं

के क्षेत्र में अपने अधिकांश अनिवार्य क्रियाकलापों के लिए भी पर्याप्त प्रावधान नहीं कर पाएगी। यदि सातवीं योजना की प्रवृत्तियां बनी रहती हैं तो आठवीं योजना अवधि में सरकार की बचत 160 हजार करोड़ रु. हो जाएगी। सरकारी संसाधनों की ऐसी स्थिति में कोई उद्देश्यपूर्ण मानव विकास कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। आठवीं योजना को सरकार की आमदनी में गिरावट, सरकारी खर्च में वृद्धि और ऋणात्मक बचतों की प्रवृत्ति को विपरीत करने के लिए कठिन प्रयत्न करने होंगे। केन्द्रीय सरकार की गंभीरता 1991 और 1992 के बजटों में पहले ही व्यक्त की जा चुकी है। इस प्रकार सरकारी सेक्टर के परिव्यय के अनुमानित स्तर के वित्त पोषण के लिए संसाधनों की उपलब्धता सरकार की ऋणात्मक बचतों को आठवीं योजना के दौरान 1990-91 में 16000 करोड़ रु. से कम करके प्रतिवर्ष औसत 7620 करोड़ रु. करने पर निर्भर करती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रत्यक्ष करों और गैर कर राजस्वों का अंशदान बढ़ाया जाए और सरकार का खपत व्यय कम किा जाए। सब्सिडी के मामले में उनकी सावधानी से जांच करने, उन्हें युक्तिपूर्ण बनाने और कम करने की आवश्यकता है। सब्सिडी मुख्यतः कमजोर वर्गों के लिए ही खने की आवश्यकता है और इसमें भी केवल उनके लिए जो निर्धनता प्रवण जिलों/ब्लाकों में रहते हैं। वित्तीय घाटों पर सीमा निर्धारित करने से भविष्य में ब्याज के बोझ पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सामान्य अर्थ में सरकार के व्यय को कम करने की आवश्यकता है।

3.3.5 1992-97 के दौरान जीडीपी के लगभग 3 प्रतिशत पाइंट तक सरकार की प्राप्तियां बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष करों और उत्पाद शुल्कों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए बड़े प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है क्योंकि घरेलू उद्योगों के लिए टेरिफ संरक्षण का स्तर कम किा जाना है। जिससे सीमा शुल्क कम हो जायेगा और आमदनी कम हो जाएगी। इस दृष्टि से भी उक्त उपाय करने होंगे। 1992-93 के केन्द्रीय बजट में अनुमानित कराधान के पहले ही घोषणा कर दी गई है और सामान्यतः इसका स्वागत हुआ है। सरकारी संपत्ति (केन्द्र और राज्य, से आमदनी में वृद्धि मुख्यतः सरकारी उद्यमों के लाभान्शों और ऋणों के ब्याज से होती है। लाभान्श और दूसरी प्राप्तियां काफी अधिक और परिसम्पत्तियों पर सरकारी उद्यमों के उनके नियंत्रण के अनुरूप होनी

सारणी 3.10

छठी, सातवीं तथा आठवीं योजना के दौरान सरकारी बचत

(करोड़ रु.)

| | | चरू मूल्यो पर | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------------|---------|---------|---------|
| क्र. स. | मद | छठी योजना 1985-86- | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | सातवीं योजना | वार्षिक योजना | आठवीं योजना जोड़ | | | |
| | | जोड़ % औसत | | | | | कुल % औसत | 1990-91 | 1991-92 | 1996-97 | 1992-97 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | सकल घरेलू उत्पाद | 912881 | 261920 | 291974 | 332616 | 394992 | 450601 | 1732103 | 529537 | 582356 | 764730 | 3429053 |
| 2 | स्वीकृति (2.1 से 2.3) | 150743 | 47805 | 55599 | 63511 | 73404 | 84787 | 325106 | 96494 | 110688 | 168538 | 717462 |
| | | 16.45% | 18.25% | 19.04% | 19.09% | 18.58% | 18.82% | 18.76% | 18.22% | 19.01% | 22.04% | 20.86% |
| 2.1 | सम्पत्ति (सरकारी) तथा (उद्यमीता) संबंधी प्राप्ति | 7203 | 2977 | 4374 | 4461 | 4026 | 4687 | 20525 | 4259 | 8400 | 13000 | 51959 |
| | | 0.77% | 1.14% | 1.50% | 1.34% | 1.02% | 1.04% | 1.21% | 0.80% | 1.44% | 1.70% | 1.51% |
| 2.2 | प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर (2.2.1+2.2.2) | 140963 | 43561 | 50042 | 57848 | 67766 | 78226 | 297443 | 90303 | 99734 | 151613 | 648617 |
| | | 15.40% | 16.63% | 17.14% | 17.39% | 17.16% | 17.36% | 17.14% | 17.05% | 17.13% | 19.83% | 18.86% |
| 2.2.1 | प्रत्यक्ष कर | 24032 | 6574 | 7328 | 8001 | 10363 | 11351 | 43617 | 14378 | 15535 | 24854 | 103350 |
| | | 2.64% | 2.51% | 2.51% | 2.41% | 2.62% | 2.52% | 2.51% | 2.72% | 2.67% | 3.25% | 3.01% |
| 2.2.2 | अप्रत्यक्ष कर | 116931 | 36987 | 42714 | 49847 | 57403 | 66875 | 253826 | 75925 | 84199 | 126759 | 545267 |
| | | 12.76% | 14.12% | 14.63% | 14.99% | 14.53% | 14.84% | 14.62% | 14.34% | 14.46% | 16.58% | 15.86% |
| 2.3 | विविध मद | 2577 | 1267 | 1183 | 1202 | 1612 | 1874 | 71381932 | 2554 | 3925 | 16886 | |
| | | 0.27% | 0.48% | 0.41% | 0.36% | 0.41% | 0.42% | 0.41% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.49% |
| 3 | व्यय (3.1 से 3.6) | 152509 | 51454 | 61576 | 72902 | 86574 | 102426 | 374932 | 119296 | 131871 | 187089 | 801106 |
| | | 16.48% | 19.64% | 21.09% | 21.92% | 21.92% | 22.73% | 21.46% | 22.53% | 22.64% | 24.46% | 23.29% |
| 3.1 | सब्सिडी | 24388 | 8543 | 9795 | 11497 | 14135 | 17843 | 61813 | 18987 | 20531 | 22671 | 107322 |
| | | 2.60% | 3.26% | 3.35% | 3.46% | 3.58% | 3.96% | 3.52% | 3.59% | 3.53% | 2.96% | 3.12% |
| 3.2 | सार्वजनिक ऋण पर ब्याज | 14895 | 6115 | 7592 | 9678 | 12157 | 15783 | 51325 | 19973 | 24077 | 42763 | 164749 |
| | | 1.56% | 2.33% | 2.60% | 2.91% | 3.08% | 3.50% | 2.89% | 3.77% | 4.13% | 5.59% | 4.791% |
| 3.3 | चरू हस्तांतरण | 20586 | 6994 | 8697 | 9973 | 12327 | 14388 | 52379 | 16933 | 17321 | 28397 | 111992 |
| | | 2.23% | 2.67% | 2.98% | 3.00% | 3.12% | 3.19% | 2.99% | 3.20% | 2.97% | 3.71% | 3.26% |
| 3.4 | आरजोडब्ल्यू को चरू हस्तांतरण | 121 | 41 | 23 | 43 | 95 | 43 | 245 | 51 | 59 | 80 | 315 |
| | | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.012% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 3.5 | खप्त व्यय | 92204 | 29174 | 34625 | 40843 | 47203 | 54319 | 206164 | 63325 | 69883 | 93178 | 416728 |
| | | 10.04% | 11.14% | 11.86% | 12.28% | 11.95% | 12.05% | 11.86% | 11.96% | 12.00% | 12.81% | 12.12% |
| 3.6 | आंतरिक-सरकारी लेखा | 315 | 587 | 844 | 868 | 657 | 50 | 3006 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0.03% | 0.22% | 0.29% | 0.26% | 0.17% | 0.01% | 0.19% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | राष्ट्रीय ह्रास (मद 3.5 में सम्मिलित) | 10320 | 3751 | 3901 | 4447 | 5120 | 5956 | 23175 | 6684 | 7376 | 10310 | 45544 |
| | | 1.12% | 1.43% | 1.34% | 1.34% | 1.30% | 1.32% | 1.34% | 1.26% | 1.27% | 1.35% | 1.32% |
| 5 | सकल बचत (2-3+4) | 8554 | 102 | -2076 | -4944 | -8050 | -11683 | -26651 | -16118 | -13807 | -8241 | -38100 |
| | | 1.09% | 0.04% | -0.71% | -1.49% | -2.049 | -2.59% | -1.36% | -3.04% | -2.37% | -1.08% | -1.11% |

- (क) सरकारी प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्य उद्यम के अलावा रेलवे तथा दूर संचार ।
 (ख) राष्ट्रीय लेखा 1990-91 का त्वरित अनुमान स 1989-90 तथा 1990-91 के लिए अंकड़े ।
 (ग) बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद संबंधी प्रतिशत ।

चाहिए। क्योंकि परिसम्पत्तियों का बाजार मूल्य उससे काफी अधिक होता है जितना उनके तुलना-पत्रों में दिखाया जात है। ऐसे उद्यम जो अपनी सरकारों (केन्द्र या राज्य) के बजट को प्रतिफल देने में असमर्थ हैं। उन्हें पूंजी निवेश से अलग करने की आवश्यकता है। अधिकतर असंतोषजनक आमदनी का कारण उद्यमों द्वारा सामाजिक दायित्व की पूर्ति दिखलाया जाना है। परंतु ऐसी लागतों की मात्रात्मक माप सामान्यतया उपलब्ध नहीं होती। सरकारी उद्यमों को अंतरनिहित वे सब्सिडी दिखानी चाहिए और उनका मूल्यांकन करना चाहिए जो उनके आदान की आपूर्तिकर्ताओं उनके मजदूरों और ग्राहकों को दी जाती है। उद्यमों से और सरकारों की सम्पत्ति से होने वाली प्राप्तियां सातवीं योजना में जीडीपी के 1.2% से बढ़कर आठवीं योजना में जीडीपी के 1.5% तक पहुंचने का अनुमान है।

3.3.6 सरकारी उद्यमों की बचतें 1980-81 में जीडीपी के 1.7 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 1989-90 में लगभग 4 प्रतिशत हो गई है। उनके कार्य संचालनों के विस्तार के कारण यह संभव हुआ और यह विस्तार चौथी से छठी योजनावधियों के दौरान उद्योगों और बुनियादी सुविधाओं (पावर, रेलवे, दूसरे परिवहन, संचार, पेट्रोलियम, कोयला आदि) में किए गए बड़े पूंजीनिवेशों से हुआ। यद्यपि संपूर्ण प्रवृत्तियां उत्साहजनक रही हैं परंतु इस बात को समझने की आवश्यकता है कि स्थाई लाभ (मूल्य ह्रास से अलग) के माध्यम से अधिकांश अंशदान पेट्रोलियम, संचार तथा रेलवे से प्राप्त हुआ है। बचत का एक बड़ा हिस्सा उनके माल और सेवाओं से नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि से प्राप्त हुआ है न कि उनके वर्तमान व्यय में कटौती करने से। दूसरे क्षेत्रों में सरकारी उद्यमों की बचतें उनके पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त नहीं रही हैं। अतः सरकार को पर्याप्त प्रतिफल के भुगतान के लिए अधिशेष पैदा करने में वे असमर्थ रहे। आर्थिक सुधार के अगले चरण में एकाधिकारी शक्ति से संभव हुए निरंतर लाभों के बजाय उद्यमों को अपनी अधिक कार्यकुशलता के आधार पर यह लाभ प्राप्त करने होंगे यह इसलिए भी आवश्यक है कि सरकारी उद्यमों को अब स्वदेश और विदेश दोनों दृष्टियों से पूंजी बाजार और उत्पादन बाजार में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। छठी योजना में 2.6% और सातवीं योजना में 3.7% की तुलना में आठवीं योजना में सरकारी उद्यमों की बचतों में जी.डी.पी. का 3.1% बढ़ने का अनुमान है।

3.3.7 आठवीं योजना के सरकारी सेक्टर के परिव्यय के वित्तपोषण की स्कीम सारणी 3.11 में दी गई है। सरकारी सेक्टर की योजना के वित्तीय स्वरूप के दो हिस्से हैं। एक योजना को बजटीय सहायता देने का और दूसरा सरकारी उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन हैं। हाल के वर्षों में बजटीय सहायता लगभग पूर्णतया उधार लेकर पूरी की गई क्योंकि चालू राजस्वों से बकाया धनराशि ऋणात्मक थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कमजोर वर्ग के लोगों का कल्याण आदि जैसे सामाजिक सैक्टरों के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता आवश्यक है। सिंचाई, ग्रामीण विकास, कृषि अनुसंधान एवं विस्तार आदि जैसे सेक्टर भी अधिकांशतः बजटीय सहायता पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि वे वाणिज्यिक रूप से अर्थ सक्षम नहीं हैं। वित्तीय घाटों (सरकार के ऋण) को कम करते समय योजना को पर्याप्त बजट सहायता प्रदान करने की क्षमता केन्द्र सरकारों द्वारा की गई बजटीय बचतों पर निर्भर करती है। सातवीं योजना के दौरान चालू राजस्व से बचत कुल सरकारी सेक्टर के परिव्यय की लगभग दो प्रतिशत थी। 35005 करोड़ रु. (केन्द्र और राज्य) पर अनुमानित बी.सी.आर. कुल सरकारी सेक्टर की योजना के परिव्यय की लगभग 8.0% होगी। बी. सी. आर. (चालू राजस्व से बकाया) यह अनुमान सरकारी बचतों और चालू योजना पर परिव्यय सम्बन्ध में किए गए अनुमानों के अनुरूप है। पिछले निष्पादन की तुलना में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर अत्यधिक सुधार करने आवश्यक होंगे। आठवीं योजना के दौरान केन्द्र के बजटीय संसाधनों से 188475 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है और 78500 करोड़ रु. की धनराशि राज्यों को योजना सहायता और अनुदानों के रूप में अंतरित की जायेगी।

3.3.8 आठवीं योजना के सरकारी सेक्टर के परिव्यय की वित्त पोषण प्रणाली में बाजार से उधार लेने का हिस्सा कम करने और कुछ सरकारी सैक्टर के उद्यमों में चुनिंदा और आंशिक पूंजी निवेश करके कुल उपलब्ध स्रोतों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा बढ़ाने का विचार निहित है।

3.3.9 आठवीं योजना में कुल सरकारी सेक्टर के परिव्यय के लगभग 7.8 प्रतिशत का वित्त पोषण केवल विदेशी आमदनी से करने की आशा है। विदेशी पूंजी प्राप्ति का एक हिस्सा यह होगा कि सरकारी उद्यम बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेंगे और इसलिए यह संसाधन के रूप में बजट सहायता के लिए उपलब्ध नहीं होगा। सरकारी

सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय तथा केन्द्र एवं राज्यों द्वारा वित्त

| क्र.स. | मद | केन्द्र | राज्य | जोड़ |
|--------|--|---------|--------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | चालू राजस्व व विशेष | 22020 | 12985 | 35005 |
| 2 | लोक उद्यम | 144140 | 4000 | 148140 |
| 2.1 | बाह्य वाणिज्यिक ऋण पूर्तिकार का उधार (निकल पूर्नअदायगी) | (5000) | . | (5000) |
| 2.2 | उद्यमों द्वारा सार्वजनिक बॉड | 37300 | . | 37300 |
| 3 | सरकार द्वारा लियार गया उधार | 117755 | 58300 | 176055 |
| 4 | समझौते पर प्रात्य ऋण | . | 26200 | 26200 |
| 5 | विदेशी निकल पूंजी प्रवाह | 28700 | . | 28700 |
| 5.1 | - सरकारी ऋण | 24500 | . | 24500 |
| 5.2 | - सरकारी अनुदान | 4200 | . | 4200 |
| 6 | वित्त घाटा | 20000 | . | 20000 |
| 7 | जोड़ संसाधन (1 से 6) | 332615 | 101485 | 434100 |
| 8 | केन्द्रीय सहायता | 78500 | 78500 | 0 |
| 9 | योजना के लिए संसाधन (7+8) | 254115 | 179985 | 434100 |

टिप्पणी :

- (1) इसमें बाजार ऋण, लघु बचत, केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा लिए गए अन्य ऋण, राज्य भविष्य निधि तथा निकल विविध पूंजी स्वीकृति शामिल हैं।
(2) राज्यों को केन्द्रीय सहायता का एक भाग बाह्य सहायता के रूप में दिया है।

क्षेत्र में उद्यमवार ईसीबी का वितरण सरकारी सेक्टर की योजना के उद्देश्यों के अनुरूप करना होगा।

3.3.10 सातवीं योजना के दौरान घाटा वित्त पोषण परिव्यय का 8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। इसकी तुलना में वास्तविक घाटा वित्त पोषण योजना व्यय का 17 प्रतिशत हो गया। आठवीं योजना में वित्त पोषण के स्रोत से सरकारी क्षेत्र के परिव्यय का 5 प्रतिशत से भी कम हिस्सा लिया जाएगा। जिससे मुद्रास्फिति नियंत्रण में रहे।

3.3.11 सरकारी क्षेत्र की योजना उद्यमों के आंतरिक संसाधनों की अधिक उपलब्धता पर अत्याधिक निर्भर करती है। वित्तीय उद्यम एयरलाइंस और परामर्शी संघटन जैसे अनेक सरकारी उद्यमों के पास अपने कर्त्यों से काफी अधिशेष उपलब्ध रहता है। इस अधिशेष को दूसरे ऐसे उद्यमों की ओर लगाया जाएगा जिनसे पूंजीव्यय के लिए उनके आंतरिक संसाधनों के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की

आवश्यकता है। यह कार्य या तो बजट के माध्यम से या पूंजी बाजार के माध्यम से या एक ही विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों में अंतरण द्वारा किया जाएगा।

3.3.12 पी एस ई का अंशदान और बॉडों के निर्गम के जरिए सातवीं योजना व्यय का लगभग 21.2% है। आठवीं योजना में यह हिस्सा कुल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के लगभग 34.10% तक करने का विचार है। केन्द्रीय क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर अधिक निर्भर रहा जाएगा और यह आशा की जाएगी कि उनका अंशदान 144140 करोड़ रुपये होगा। नए प्रयत्नों में सरकारी सेक्टर के उपक्रमों को सरल और कारगर बनाया जाएगा। जिससे प्रतियोगी विकस के संदर्भ में वे अपना कार्यसंचालन अधिक सफलता से कर सकें। आठवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य सरकारी सेक्टर के उपक्रम अपने अपने ऋणात्मक अंशदान के विपरीत 4000 कोड रुपये पैदा करेंगे जो कार्य संचालन कुशलता प्रदान करके और बिजली,

परिवहन, सेवाओं आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं के उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारण करके किया जा सकता है।

3.3.13 मान्य शर्तों पर विदेश से संसाधन जुटाने की अर्थव्यवस्था की योग्यता की हाल के वर्षों में कठिन परीक्षा ली गई। सातवीं योजना के दौरान चालू लेखा घाटा जीडीपी का 2.4% हो गया जबकि लक्ष्य 1.6% का था। अर्थव्यवस्था अपने साधनों के बाहर विदेशी पूंजी पर निर्भर रहने लगी। दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को हमारे निर्यात के अधिकांश हिस्से के चले जाने से दुर्लभ विदेशी मुद्रा विनिमय का हमारा बाहरी ऋण बढ़ गया। आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए आसान सहायता प्राप्ति में कमी होने से हमें उंची कीमतों पर बाहरी वाणिज्यिक बाजार से उधार लेना पड़ा। यद्यपि दाताओं से असाधारण वित्त पोषण का सहारा लेकर कुछ हद तक इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। परंतु यह अनिवार्य है कि आठवीं योजना के दौरान विदेशी पूंजी (विदेशी बचतों) की प्राप्तियों को कम किया जाये। वर्तमान लेखा घाटा 55000 करोड़ रुपये लगाया गया है। अर्थात् यह जीडीपी का 1.6% है। यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को अपेक्षित कच्चा माल, पूंजीगत सामान और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जानी है तो पर्याप्त आयातों के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। अतः चालू लेखा घाटे को निम्न स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए निर्यात को प्रधान भूमिका निभानी होगी। अतः आठवीं योजना अवधि के दौरान निर्यात वृद्धि प्रतिवर्ष 13.6% की दर पर होने का अनुमान रखा गया है।

3.3.14 आठवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को बाहरी संसाधनों का अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है जैसा कि नीचे की सारणी 3.12 में दिखाया गया है।

सारणी 3.12

सरकारी और निजी को बाहरी निधियों की प्राप्ति का बटवारा

| 1 | सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर | | योग |
|--------------|-------------------------------|------|--------|
| | 2 | 3 | |
| सातवीं योजना | 82.4 | 17.6 | 100.00 |
| आठवीं योजना | 61.3 | 38.7 | 100.00 |

3.3.15 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकारी सेक्टर के निवेश को प्रस्तावित सीमा तक सहायता देने के लिए घरेलू क्षेत्र की लगभग 81% वित्तीय बचत सरकारी सेक्टर को हस्तान्तरित करनी होगी। वित्तीय प्रणाली को उदार

बना दिए जाने के संदर्भ में और विशेषकर ब्याज दर संरचना को देखते हुए सरकारी सेक्टर को घरेलू बचतों के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इसमें अधिक लागत निहित है और इसे तभी वहन किया जा सकता है यदि सरकारी सेक्टर अधिक आमदनी अर्जित करता है। आठवीं योजना के दौरान फंडों का अंतर क्षेत्र आगम का निर्धारित स्वरूप सारणी 3.13 में दिखाया गा है।

वृद्धि और पूंजी निवेश का सैक्टरीय स्वरूप

3.4.1 आठवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के संपूर्ण वृद्धि लक्ष्य को देखते हुए उत्पादन और संबंधित वृद्धिदरों का सैक्टरीय स्वरूप संगत माडल के माध्यम से प्राप्त किया गया है। जो अंतिम मांग से आरंभ होता है और आदान और उत्पादन से सम्बन्धित अंतर सैक्टरीय संपर्क को पूरी तरह शामिल करता है। अंतिम मांग के मुख्य घटक प्राइवेट अंतिम खपत, सरकारी अंतिम खपत, निर्यात-आयात और पूंजी गठन है। जहां खपत और निर्यातों को बाहरी रूप से निर्धारित किया जाता है वहां आयात और पूंजी संगठन को आंतरिक रूप से माडल पर निर्धारित किया जाता है। इन दोनों घटकों को एक सब माडल से निकाला जाता है जिसमें विगत आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त प्रमुख पैरामीटरों को ध्यान में रखा जाता है। सकल मूल्यवर्धित और सकल उत्पादन मूल्य दोनों के संदर्भ में वृद्धि के परिणाम स्वरूप का उल्लेख सारणी 3.14 में किया गया है।

3.4.2 यह उल्लेखनीय है कि सकल उत्पादन मूल्य में वृद्धि दरें सकल मूल्यवर्धित वृद्धि दरों से अधिक हैं। यह उत्पादन पर आदान के बढ़ते हुए अनुपात को प्रदर्शित करता है। जो उत्पादन प्रक्रिया की बढ़ती हुई घुमावदारी (राउंड एबाउटनेस) का परिणाम है। कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 3.1% की दर पर वृद्धि होने की आशा है इस क्षेत्र के लिए यह एक अच्छी वृद्धि मानी जा सकती है। यद्यपि आठवें दशक के दौरान प्राप्त औसत से यह थोड़ा कम है। आठवें दशक में यह औसत केवल एक वर्ष के निष्पादन (अर्थात् 1988-89) से आगे बढ़ा है अन्यथा कृषि सेक्टर की वृद्धि में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। खनन और निर्माण क्षेत्र में आठवीं दशक के दौरान वृद्धि से कुछ अधिक होनी है। बिजली और परिवहन जैसे आधारभूत सेक्टरों में वृद्धि का प्रक्षेपण आठवें दशक में हुए विकास दर से कम दर्शित की गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि आठवीं योजना को इन सैक्टरों के उत्पादों के उपयोग में अधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए जोरदार

सारणी 3.13

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान घरेलू पूंजी निवेश एवं अंतर्देशीय निधि प्रवाह

करोड़ रु. 1991-92 मूल्यों पर

| मद | सार्वजनिक सैक्टर | प्राइवेट सहकारी सैक्टर | घरेलू सामान सैक्टर | सम्पूर्ण सैक्टर |
|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| सकल पूंजी निवेश | 361000 10.50% | 149000 4.33% | 288000 8.37% | 798000 23.20% |
| वित्त द्वारा : | | | | |
| 1) स्वयं बचत | 68900 2.00% | 68930 2.00% | 605170 17.60% | 743000 21.60% |
| 2) उधार | | | | |
| 2.1 गृह | 258400 7.50% | 58770 1.71% | 317170 9.28% | 0 0.00% |
| 2.2 शेष संसार से | 33700 0.98% | 21300 0.62% | 0 0.00% | 55000 1.60% |

टिप्पणी :

- आठवीं योजना के 5 वर्षों के दौरान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद संबंधी प्रतिशतता ।
- आठवीं योजना के लिए वित्तीय बचतों के घरेलू सामान सैक्टर के अनुसार कुल घरेलू सामान बचतों कर अनुसार 52% तक है ।

सारणी 3.14

फैक्टर लागत पर सकल मूल्यवृद्धि (जी. वी. ए.) तथा सकल उत्पादन का मूल्य की क्षेत्रीय संवृद्धि

| क्र. सं. | सैक्टर 81-82 से 90-91 तक जी. वी. ए. के प्रवृत्तिवृद्धि दर (10 वर्ष) | 92-93 से 96-97 प्रक्षेपित संवृद्धि दर (वार्षिक प्रतिशत) | | सं.घ.उ. में क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत) | | |
|----------|---|--|----------------------|--|---------|-------|
| | | जी.वी.ए. | सकल उत्पादन मूल्य | 1991-92 | 1996-97 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | कृषि | 3.8 | 3.1 | 4.1 | 27.7 | 24.6 |
| 2. | खान एवं खादान | 6.8 | 8.0 | 8.9 | 2.0 | 2.3 |
| 3. | विनिर्माण | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 21.5 | 23.3 |
| 4. | विद्युत गैस एवं जल | 9.00 | 7.8 | 7.6 | 2.4 | 2.7 |
| 5. | निर्माण | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| 6. | परिवहन | 7.3 | 6.7 | 7.7 | 5.9 | 6.2 |
| 7. | संचार | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 1.2 | 1.2 |
| 8. | सेवाएं | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 34.2 | 34.8 |
| 9. | जोड़ | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 100.0 | 100.0 |

प्रयत्न करने होंगे। सारणी 3.14 में आधार वर्ष और आठवीं योजना के अंतिम वर्ष में स.घ.उ. में इन सेक्टरों के हिस्से दिखाए गए। खनन और निर्माण सेक्टर का हिस्सा सम्मिलित रूप से वर्ष 1996-97 में पहली बार कृषि सेक्टर के हिस्से से अधिक होगा।

3.4.3 आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूंजी निवेश का सेक्टरवार वितरण सेक्टरों के उत्पादन के स्वरूप से प्राप्त किया गया। पूंजी निवेश उत्पादन से सम्बन्धित है जिसमें पूंजी निवेश और उत्पादन के बीच अंतर है। पूंजी निवेश और उत्पादन के बीच औसत अंतर के अनुमान पूंजी निवेश उत्पादन संबंधों में विगत परवर्तीयों के विश्लेषण के माध्यम से लगाये गए हैं परन्तु ऊर्जा और दूसरे आदानों के प्रयोग में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता में होने वाले प्रत्याशित परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ संशोधन किए गए हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य सेक्टरों के अनुसार आठवीं योजना के दौरान सकल पूंजी निवेश का

वितरण किया गया है जिसे सारणी 3.15 में दिखाया गया है। कुल पूंजी निवेश में कृषि, सिंचाई और सम्बन्धित सेक्टरों का हिस्सा 18.65% है। खनन और निर्माण का हिस्सा 28.57%, बिजली परिवहन और संचार का हिस्सा 27.08% होगा और बकाया पूंजी निवेश निर्माण और सेवा क्षेत्रों का होगा। 5 वर्ष की अवधि (1992-97) में सेक्टरों के पूंजी निवेश में योजना बाद की अवधि के उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यकताएं भी शामिल हैं। कृषि और सम्बन्धित सेक्टरों के लिए पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रस्ताव है। पिछले वर्षों में कृषि सेक्टर में पूंजी निवेश में कमी की जाती रही है जबकि खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक है। अतः इस योजना में कृषि सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ाने का इरादा है। भविष्य में वृद्धि के लिए आधार को मजबूत करने की दृष्टि से आधारभूत सेक्टर के सापेक्ष हिस्से को बनाए रखने के प्रयत्न किए गए हैं।

सारणी 3.15

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान क्षेत्रीय पूंजी निवेश

(करोड़ रु. 1991-92 में)

| क्र.स. | सेक्टर | सार्वजनिक | निजी | कुल | क्षेत्रों द्वारा कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश | | क्षेत्रीय वितरण | |
|--------|---------------------|-----------|--------|--------|---|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | सेक्टर का अंश | छठी योजना | सातवीं योजना | आठवीं योजना |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | कृषि | 52000 | 96800 | 148800 | 34.95 | 15.24 | 11.23 | 18.65 |
| 2 | खनन व उद्यम | 28500 | 11100 | 339600 | 71.97 | 6.06 | 6.70 | 4.96 |
| 3 | विनिर्माण | 47100 | 141300 | 188400 | 25.00 | 23.60 | 26.00 | 23.61 |
| 4 | विद्युत, गैस एवं जल | 92000 | 10120 | 102120 | 90.09 | 12.07 | 13.65 | 12.80 |
| 5 | निर्माण | 3300 | 17240 | 20540 | 16.07 | 2.73 | 1.86 | 2.57 |
| 6 | परिवहन | 49200 | 38710 | 87910 | 55.97 | 9.42 | 9.93 | 11.02 |
| 7 | संचार | 25000 | 1000 | 26000 | 96.15 | 1.50 | 2.03 | 3.26 |
| 8 | सेवाएं | 63900 | 120730 | 184630 | 34.61 | 29.38 | 28.60 | 23.13 |
| 9 | जोड़ | 36100 | 437000 | 798000 | 45.24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

टिप्पणी : छठी एवं सातवीं योजना में 1980-81 मूल्यों पर गणना किए गए आंकड़े हैं।

3.4.4 सैक्टरिय स्तर पर सरकारी और निजी सैक्टरों के बीच पूंजी निवेश वितरण, निजी सैक्टर की भूमिका के बारे में निजी और सरकारी सैक्टर के उद्देश्यों की सम्बन्धित भूमिकाओं में प्रस्ताविक अनुकूलन पर आधारित है। मुख्य औद्योगिक समूह जिनमें पहले की अपेक्षा प्राइवेट सैक्टर का अधिक हिस्सा होने की आशा है वह बिजली, संचार, खनन और खदान विशेषकर तेल और कोयला निर्माण सैक्टर में बड़े उद्योग (पेट्रोरसायन, धातु, उर्वरक, और भारी पूंजीगत सामान) और वाणिज्यिक सेवाओं के संगठित घटक हैं।

3.4.5 वृद्धि से उत्पन्न रोजगार की स्थिति को सारणी 3.16 में दिखाया गया है। पूंजी निवेश और उत्पादन के नियोजित स्वरूप से रोजगार क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 2.6% बढ़ जायेगी। इसका अर्थ यह है कि

आठवीं योजना के पहले 2 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख रोजगार, बाद के वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख और आठवी योजना अवधि के बाद प्रतिवर्ष 100 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे। यह रोजगार अनुमान अनुमानित रोजगार प्रत्यास्थता पर आधारित है और यह अनुमान कृषि सम्बन्धी कार्यों और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने (विशेषकर पूर्वी क्षेत्र और सूखे इलाकों में) की योजनाओं पर आधारित है। औद्योगिकीकरण और तकनीकी अधिमानता का स्वरूप, जहां संभव हो उत्पादकता को नुकसान पहुंचाए बिना, इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके अंतर्गत निर्माण और दूसरे सैक्टरों में श्रमिकों को लगाने की संभावना में वृद्धि हो। रोजगार उत्पन्न करने में सेवाओं को भी एक बड़ी भूमिका अदा करनी होगी।

सारणी 3.16

1992-97 आठवीं योजना के दौरान रोजगार संवृद्धि तथा दी गई क्षेत्रीय मूल्य सहायता %

| क्र.सं. | सैक्टर | क्षेत्रीय संवृद्धि (वर्धित मूल्य) | रोजगार प्रत्यास्थता उपलब्धि 1977-78 से 1983 | रोजगार संवृद्धि उपलब्धि 1983 से 1987-88 | आठवीं योजना के लिए लक्ष्य | (6), (7) कॉल में के अनुसार प्रयोग की गई प्रत्यास्थता |
|---------|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | कृषि | 3.1 | 0.49 | 0.36 | 0.50 | 1.6 |
| 2 | खान व खदान | 8.0 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 6.8 |
| 3 | विनिर्माण | 7.3 | 0.68 | 0.26 | 0.50 | 3.7 |
| 4 | निर्माण | 4.7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.7 |
| 5 | विद्युत | 7.8 | 0.74 | 0.48 | 0.50 | 3.9 |
| 6 | परिवहन व संचार | 6.6 | 0.92 | 0.35 | 0.60 | 3.9 |
| 7 | सामान्य सेवाएं | 6.0 | 0.99 | 0.42 | 0.70 | 4.2 |
| | जोड़ | 5.6 | 0.58 | 0.31 | 0.47 | 2.6 |

विकास शीर्षकों में सरकारी सैक्टर के लिए परिव्यय

3.5.1 कृषि, उद्योग, परिवहन आदि जैसे आर्थिक क्रियाकलापों के सैक्टरों द्वारा पूंजी निवेश के आवंटन इन क्रियाकलापों में उत्पादन लक्ष्यों से सम्बन्धित है। इन क्रियाकलापों में सरकारी सैक्टर की योजना का कार्यान्वयन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है। जिन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों द्वारा

शासित किया जाता है और विभिन्न विकासात्मक शीर्षों के अधीन बजट में इनके लिए प्रावधान रखा जाता है। अतः कार्यान्वयन प्रयोजनों के लिए आवंटनों को विकासशीलों में दिखाने की आवश्यकता होती है। यह आवंटन सरकारी सैक्टर के कुल परिव्यय के लिए किए जाते हैं। जिसमें पूंजी निवेश और चालू परिव्यय के घटक शामिल हैं।

3.5.2 यह आबंटन करते समय ऐसे कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिनसे "मानव पूंजी" उत्पन्न हो। कमजोर वर्ग के लोगों की आमदनी उत्पन्न करने की क्षमता सुधारने वाले और खाद्य तथा रोजगार देने वाले सामान की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने वाले कार्यक्रमों को सरकार के विकासात्मक व्यय में अधिक हिस्सा दिया जाता है। इस कार्यनीति से कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों और सिंचाई पर जोर दिया गया है। संसाधनों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो आधारभूत सेक्टर जैसे ऊर्जा आधार भूत उद्योगों, परिवहन (रेल, समुद्री और हवाई) और दूर संचार के लिए पर्याप्त प्रावधान रखने पर भी उचित ध्यान दिया गया है परन्तु इन सेक्टरों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदार की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। परिव्यय आवंटन सारणी 3.17 में दिखाया गया है। इस सारणी में राज्य/संघ राज्य उसे परिव्ययों के अनुमान, अनुमानित बजतीय सहायता और केन्द्रीय योजना के

लिए आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों को भी दिखाया गया है। सारणी 3.18 में विकास के उपशीर्षों के स्तर पर परिव्ययों के विस्तृत ब्यौरे दिये गये हैं।

3.5.3 केन्द्र और राज्यों के बीच सरकारी सेक्टर के परिव्यय का वितरण एक और सम्बन्धित संसाधन पैदा करने की क्षमताओं के आधार पर और दूसरी ओर केन्द्र और राज्यों के बीच विकासात्मक उत्तरदायित्वों के बटवारे के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसा पहले उल्लेख किया गया है राज्यों के अपने संसाधनों (101485 करोड़ रु.) में वृद्धि 78,500 करोड़ रु. के स्तर पर उनकी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करके की जायेगी। परिवार कल्याण, रोगों/संक्रामक रोगों का उन्मूलन, निरक्षरता दूर करने, निर्धनता दूर करने आदि जैसे कुछ विकासात्मक शीर्षों और कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमें जारी रखी जा सकती हैं। परन्तु ऐसी स्कीमों की संख्या कम से

सारणी 3.17

आठवीं योजना (1992-97) विकास के वृहद शीर्षों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय : केन्द्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

| क्र.सं. | विकास के शीर्ष | बजतीय सहायता | केन्द्र आईईबीआर | जोड़ | राज्य | संघ राज्य क्षेत्र | जोड़ | आठवीं योजना का % जोड़ | सातवीं योजना का % जोड़ |
|----------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं | 12394.00 | 224.00 | 12618.00 | 42135.35 | 239.15 | 54992.50 | 12.67 | 14.27 |
| 2. | ग्रामीण विकास | 24170.00 | 0.00 | 24170.00 | 10213.26 | 42.10 | 34425.36 | 7.93 | 5.01 |
| 3. | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6750.16 | 0.00 | 6750.16 | 1.55 | 1.75 |
| 4. | ऊर्जा* | 13136.00 | 53659.00 | 66795.00 | 47291.58 | 1474.51 | 115561.09 | 26.62 | 30.48 |
| 5. | उद्योग तथा खनिज | 9186.00 | 28353.00 | 37539.00 | 9284.89 | 97.86 | 46921.75 | 10.81 | 12.48 |
| 6. | परिवहन | 8636.00 | 32341.00 | 40977.00 | 13786.58 | 1161.99 | 55925.57 | 12.88 | 12.76 |
| 7. | संचार | 715.00 | 24382.00 | 25097.00 | 12.50 | 0.48 | 25109.98 | 5.78 | 3.60 |
| 8. | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी | 3739.00 | 200.00 | 3939.00 | 188.72 | 3.99 | 4131.71 | 0.95 | 1.13 |
| 9. | परिस्थितिकी तथा पर्यावरण # | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 3654.16 | 55.82 | 4909.98 | 1.13 | 1.27 |
| 10. | सामान्य आर्थिक तथा सामान्य सेवाएं | 1040.55 | 44.00 | 1084.55 | 5079.04 | 196.41 | 6360.00 | 1.47 | 0.94 |
| 11. | सामाजिक सेवाएं | 29508.45 | 4937.00 | 34445.45 | 41588.76 | 2977.69 | 79011.90 | 18.20 | 16.31 |
| कुल जोड़ | | 103725.00 | 144140.00 | 247865.00 | 179985.00 | 6250.00 | 434100.00 | 100.00 | 100.00 |

* - इसमें समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम के लिए आवंटन शामिल है।

\$ - इसमें सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण शामिल है।

- इसमें वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए आवंटन शामिल है।

सारणी 3.18

आठवीं योजना (1992-97) के विकास के शीर्षों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय

(करोड़ रु. 1991-92 की कीमतों पर)

| क्रम सं. तथा विकास के शीर्ष | केन्द्र | | | राज्य | सं.रा.शे. | जोड़ |
|---|-----------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | बजटीय सहायता | आईईबीआर \$ | जोड़ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप | 10894.00 | 224.00 | 11118.00 | 11190.25 | 158.96 | 22467.21 |
| 1 फसल उत्पादन | 4681.00 | 0.00 | 4681.00 | 4555.88 | 37.93 | 9274.81 |
| 2 मृदा व जल संरक्षण | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1497.44 | 7.38 | 2304.82 |
| 3 पशुपालन | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 1079.95 | 50.86 | 1530.81 |
| 4 डेरी विकास | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 405.71 | 1.80 | 1307.51 |
| 5 मत्स्य पालन | 467.00 | 0.00 | 467.00 | 733.45 | 32.37 | 1232.82 |
| 6 पौधरोपण | 132.00 | 58.00 | 190.00 | 17.41 | 0.00 | 207.41 |
| 7 खाद्य, भंडारण व भांडागार | 320.00 | 166.00 | 486.00 | 58.10 | 0.00 | 544.10 |
| 8 कृषीय अनुसंधान व शिक्षा | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 711.39 | 6.31 | 2017.70 |
| 9 कृषीय वित्तीय संस्थान | 244.00 | 0.00 | 244.00 | 276.68 | 0.00 | 520.68 |
| 10 सह-कारिता | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 | 1485.89 | 20.23 | 3057.12 |
| 11 अन्य कृषीय कार्यक्रम | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 368.35 | 1.08 | 469.43 |
| II ग्रामीण विकास | 24170.00 | 0.00 | 24170.00 | 10213.26 | 42.10 | 34425.36 |
| 12 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 4950.00 | 0.00 | 4950.00 | 2866.46 | 1.09 | 7817.55 |
| 13 ग्रामीण रोजगार | 18400.00 | 0.00 | 18400.00 | 5244.88 | 0.00 | 23644.88 |
| 3 भूमि सुधार | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 845.54 | 1.88 | 1087.42 |
| 4 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 1256.38 | 39.13 | 1875.51 |
| III विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6750.16 | 0.00 | 6750.16 |
| 1 फहाड़ी क्षेत्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 1450.00 |
| 2 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1160.00 | 0.00 | 1160.00 |
| 3 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4140.16 | 0.00 | 4140.16 |
| (क) पिछड़ा क्षेत्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.16 | 0.00 | 2250.16 |
| (ख) जनजातीय क्षेत्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| (ग) अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| IV सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 30945.10 | 80.19 | 32525.29 |
| 1 कृद व मध्यम सिंचाई | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 22310.21 | 9.32 | 22414.53 |
| 2 लघु सिंचाई | 293.00 | 0.00 | 293.00 | 5662.47 | 21.79 | 5977.26 |
| 3 कमान क्षेत्र विकास | 830.00 | 0.00 | 830.00 | 1679.33 | 0.80 | 2510.13 |
| 4 बाढ़ नियंत्रण तथा नालियाँ | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 1293.09 | 48.28 | 1623.37 |
| V ऊर्जा | 13136.00 | 53659.00 | 66795.00 | 47291.58 | 1474.51 | 115561.09 |
| 1 विद्युत | 8902.00 | 22279.00 | 31181.00 | 46961.86 | 1445.88 | 79588.74 |
| 2 पेट्रोलियम | 527.00 | 23473.00 | 24000.00 | | | 24000.00 |
| 3 कोयला व लिग्नाइट | 2600.00 | 7907.00 | 10507.00 | | | 10507.00 |
| 4 ऊर्जा के गैर-परम्पारिक स्रोत | 1107.00 | 0.00 | 1107.00 | 329.72 | 28.63 | 1465.35 |

| क्रम सं. तथा विकास के शीर्ष | केन्द्र | | | राज्य | सं.रा.क्षे. | जोड़ |
|---------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|----------|
| | कजटीय सहायता | आईईबीआर \$ | जोड़ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VI उद्योग व खनिज | 9186.00 | 28353.00 | 37539.00 | 9284.89 | 97.86 | 46921.75 |
| 1 ग्राम व लघु उद्योग | 2458.00 | 0.00 | 2458.00 | 3803.05 | 73.15 | 6334.20 |
| 2 लोहा व इस्पात उद्योग | 774.00 | 13805.00 | 14579.00 | | | 14579.00 |
| 3 लौह-अयस्क खनिज तथा धात्विक उद्योग | 352.00 | 1746.00 | 2098.00 | 813.74 | 0.00 | 2911.74 |
| 4 सीमेंट तथा अधात्विक खनिज उद्योग | 0.00 | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 |
| 5 उर्वरक उद्योग | 1018.00 | 4466.00 | 5484.00 | | | 5484.00 |
| 6 रसायन उद्योग | 38.70 | 4543.50 | 4582.20 | | | 4582.20 |
| 7 रसायन व औषध उद्योग | 23.30 | 223.50 | 246.80 | | | 246.80 |
| 8 इंजीनियरिंग उद्योग | 449.22 | 1771.61 | 2220.83 | | | 2220.83 |
| 9 संचार व इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग | 493.00 | 579.00 | 1072.00 | | | 1072.00 |
| 10 उपभोक्ता उद्योग | 224.78 | 518.39 | 743.17 | | | 743.17 |
| 11 परमाणु ऊर्जा उद्योग | 800.00 | 400.00 | 1200.00 | | | 1200.00 |
| 12 अन्य उद्योग | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 4668.10 | 24.71 | 4772.81 |
| 13 उद्योगों पर अन्य परिव्यय तथा खनिज | 2475.00 | 0.00 | 2475.00 | | | 2475.00 |
| VII परिवहन | 8636.00 | 32341.00 | 40977.00 | 13786.58 | 1161.99 | 55925.57 |
| 1 रेलवे | 5375.00 | 21827.00 | 27202.00 | | | 27202.00 |
| 2 पत्तन व प्रकाशस्तम्भ | 500.00 | 2773.00 | 3273.00 | 260.85 | 79.73 | 3613.58 |
| 3 नौवहन | 150.00 | 3250.00 | 3400.00 | | 268.91 | 3668.91 |
| 4 नगर विमानन | 107.00 | 3891.00 | 3998.00 | 45.26 | 40.00 | 4083.26 |
| 5 सड़के व पुल | 2000.00 | 600.00 | 2600.00 | 9516.19 | 716.99 | 12833.18 |
| 6 सड़क परिवहन | 264.00 | 0.00 | 264.00 | 3799.47 | 55.63 | 4119.10 |
| 7 अंतर्जलीय परिवहन | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 91.14 | 0.00 | 331.14 |
| 8 अन्य परिवहन सेवाएं | | | | 73.67 | 0.73 | 74.40 |
| VIII संचार | 715.00 | 24382.00 | 25097.00 | 12.50 | 0.48 | 25109.98 |
| 1 डाक सेवाएं | 325.00 | 0.00 | 325.00 | | | 325.00 |
| 2 संचार सेवाएं | 364.00 | 23582.00 | 23946.00 | | | 23946.00 |
| 3 अन्य संचार सेवाएं | 26.00 | 800.00 | 826.00 | 12.50 | 0.48 | 838.98 |
| IX विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 4939.00 | 200.00 | 5139.00 | 3842.88 | 59.81 | 9041.69 |
| 1 परमाणु ऊर्जा अनुसंधान | 600.00 | 0.00 | 600.00 | | | 600.00 |
| 2 अंतरिक्ष अनुसंधान | 1604.00 | 200.00 | 1804.00 | | | 1804.00 |
| 3 महासागरीय अनुसंधान | 115.00 | 0.00 | 115.00 | | | 115.00 |
| 4 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 1420.00 | 0.00 | 1420.00 | 188.72 | 3.99 | 1612.71 |
| 5 पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरण | 675.00 | 0.00 | 675.00 | 149.00 | 4.11 | 828.11 |
| 6 वानिकी व वन्यजीवन | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 3505.16 | 51.71 | 4081.87 |
| X सामान्य आर्थिक सेवाएं | 924.00 | 44.00 | 968.00 | 3540.66* | 40.86 | 4549.52* |
| 1 सचिवीय आर्थिक सेवाएं | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 395.03 | 3.37 | 405.40 |

| क्रम सं. तथा विकास के क्षेत्र | केन्द्र | | | राज्य | सं.रा.क्षे. | जोड़ | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|
| | कजटीय सहायता | आईईबीआर \$ | जोड़ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | पर्यटन | 240.00 | 32.00 | 272.00 | 505.18 | 26.92 | 804.10 |
| 3 | विदेशी व्यापार व निर्यात को बढ़ाया | 115.00 | 12.00 | 127.00 | | | 127.00 |
| 4 | जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 84.72 | 3.15 | 193.87 |
| 5 | मौसम विज्ञान | 130.00 | 0.00 | 130.00 | | | 130.00 |
| 6 | नगर विमानन | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 123.50 | 5.72 | 159.22 |
| 7 | सामान्य वित्तीय तथा प्रशिक्षण संस्थान | 75.00 | 0.00 | 75.00 | | | 75.00 |
| 8 | तकनीकी तथा अन्य देशों के साथ आर्थिक सहकारिता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 9 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 2396.24 | 1.70 | 2618.94 |
| XI | सामाजिक सेवाएं | 29508.45 | 4937.00 | 34445.45 | 41588.76 | 2977.69 | 79011.90 |
| 1 | सामान्य शिक्षा | 6619.00 | 0.00 | 6619.00 | 9607.19 | 587.16 | 16813.35 |
| 2 | तकनीकी शिक्षा | 824.00 | 0.00 | 824.00 | 1804.66 | 157.72 | 2786.38 |
| 3 | खेल-कूद व युवा सेवाएं | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 509.06 | 30.54 | 889.60 |
| 4 | कला व संस्कृति | 350.00 | 35.00 | 385.00 | 324.76 | 17.93 | 727.69 |
| 5 | चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 5307.77 | 468.15 | 7575.92 |
| 6 | परिवार कल्याण | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 | | | 6500.00 |
| 7 | जल आपूर्ति व स्वच्छता | 5743.00 | 225.00 | 5968.00 | 9847.26 | 895.77 | 16711.03 |
| 8 | आवास | 831.35 | 860.00 | 1691.35 | 3409.08 | 172.59 | 5273.02 |
| 9 | शहरी विकास | 692.10 | 600.00 | 1292.10 | 3461.73 | 523.15 | 5276.98 |
| 10 | सूचना तथा प्रचार-प्रसार | 184.05 | 15.00 | 199.05 | 215.68 | 6.78 | 421.51 |
| 11 | प्रसारण | 232.95 | 3202.00 | 3434.95 | | | 3434.95 |
| 12 | अनुजा., अनुजलजा. का कल्याण तथा अन्य पिछड़ा वर्ग | 2549.42 | 0.00 | 2549.42 | 3050.97 | 35.09 | 5635.48 |
| 13 | श्रम तथा रोजगार | 449.58 | 0.00 | 449.58 | 839.98 | 24.41 | 1313.97 |
| 14 | समाज कल्याण | 2373.00 | 0.00 | 2373.00 | 1467.72 | 14.49 | 3855.21 |
| 15 | पोषाहार | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1742.40 | 43.91 | 1796.31 |
| 16 | सचिवीय समजा सेवाएं | | | | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| XII | सामान्य सेवाएं | 116.55 | 0.00 | 116.55 | 1538.38* | 155.55 | 1810.48* |
| 1 | सचिवीय सामान्य सेवाएं | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | 5.00 |
| 2 | लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 85.17 | 6.09 | 91.76 |
| 3 | पुलिस | 25.00 | 0.00 | 25.00 | | | 25.00 |
| 4 | लोक निर्माण | 36.05 | 0.00 | 36.05 | 1224.99 | 107.21 | 1368.25 |
| 5 | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 198.37 | 42.25 | 290.62 |
| कुल जोड़ | | 103725.00 | 144140.00 | 247865.00 | 179985.00 | 6250.00 | 434100.00 |

* आंकड़ों का योग कुल के बराबर नहीं हो सकता है। एक राज्य से संबंधित स्कीमवार ब्यरि प्रतीक्षित है।

\$ जहां पर वर्तमान में नियम भारतीय संविधान निधि से बाहर आंतरिक संसाधनों के सृजित करने की अनुमति नहीं देते हैं। आई ई बी आर को ऐसे संसाधन सृजित करने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि के विकसित करने की प्रत्याशा में दर्शाया गया है।

कम उतनी करनी होगी जितनी अनिवार्य हो। बिजली, सड़क, राजमार्ग, बड़े उद्योगों, ग्रामीण और लघु उद्योगों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे कुछ सेक्टरों में पिछले दस से पंद्रह वर्षों के दौरान केन्द्रीय योजना के मध्यम से किया गया पूंजी निवेश महत्वपूर्ण रहा है जिससे इन सेक्टरों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए केन्द्र को पर्याप्त शक्ति दी गई। केन्द्र की भूमिका का और अधिक विस्तार राज्यों और स्थानीय प्राधिकारियों से मिलने वाली पहल के अनुसार किया जायेगा। सारणी 3.20 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा विकास शीर्षवार परिव्यय संबंधित ब्यौरे दिए गए हैं।

3.5.4 योजान उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सेक्टर का अवशिष्ट उत्तरदायित्व इसलिए है कि इन्हें राज्य योजनाओं या प्राइवेट सेक्टर के प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ यह भी मानना पड़ेगा कि सरकारी सेक्टर के खर्चों पर निगरानी रखने के लिए पारम्परिक लेखाकरण और पर्यवेक्षण की प्रणाली पूर्ण रूप से कारगर नहीं रही है। सरकारी सेक्टर के व्यय के संबंध में लाभार्थियों की अधिक उद्देश्य पूर्ण पहचान और संकेन्द्रित लक्ष्य निर्धारण अनिवार्य है। यदि सरकार को संसाधन की गंभीर कमी के संदर्भ में अपनी भूमिका निम्नानी है। कार्यक्रमों का पुनः शासित

सारणी 3.19

(1992-97) आठवीं योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय

(करोड़ रु.)

आठवीं योजना (1992-97)

(1991-92 मूल्यों पर)

| क्र. सं. | मंत्रालय/विभाग | परिव्यय | कजदीय सहायता संसाधन | आंतरिक तथा बाह्य कजदीय |
|----------|------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पशुपालन व डेरी विकास | 1300 | 1300 | 0 |
| 2 | पर्यावरण व वानिकी | 1200 | 1200 | 0 |
| 3 | खाद्य | 310 | 144 | 166 |
| 4 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 146 | 146 | 0 |
| 5 | कृषि संसाधन | 1300 | 1300 | 0 |
| 6 | कृषि व नियम | 7400 | 7400 | 0 |
| 7 | ग्रामीण विकास | 30000 | 30000 | 0 |
| 8 | जल संसाधन | 1500 | 1500 | 0 |
| 9 | ऊर्जा | 25920 | 7941 | 17979 |
| 10 | पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस | 26552 | 527 | 26025 |
| 11 | कोयला | 11507 | 2800 | 8707 |
| 12 | गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 857 | 857 | 0 |
| 13 | छोटे पैमाने, कृषि व ग्रामीण उद्योग | 1627 | 1627 | 0 |
| 14 | इस्पात | 14579 | 774 | 13805 |
| 15 | खनिज | 2083 | 337 | 1746 |
| 16 | औद्योगिक विकास | 1162 | 1162 | 0 |
| 17 | उर्वरक | 5484 | 1018 | 4466 |
| 18 | रसायन व पेट्रोरसायन | 2402 | 62 | 2340 |

| क्र. सं. | मंत्रालय/विभाग | परिचय | कजदीय सहायता संसाधन | आंतरिक तथा बाह्य बजटीय |
|----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | भारी उद्योग | 2771 | 388 | 2383 |
| 20. | संचार | 25137 | 390 | 24747 |
| 21 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 588 | 475 | 113 |
| 22 | वस्त्र उद्योग | 1007 | 927 | 80 |
| | 22.1 उपभोक्ता उद्योग खंड | 177 | 97 | 80 |
| | 22.2 ग्राम व लघु उद्योग खंड | 831 | 831 | 0 |
| 23 | परमाणु ऊर्जा | 6161 | 2161 | 4000 |
| 24 | रेलवे | 27202 | 5375 | 21827 |
| 25 | जल-भूतल परिकहन | 9929 | 3304 | 6625 |
| 26 | नगर विमानन | 3998 | 107 | 3892 |
| 27 | डाक सेवार् | 325 | 325 | 0 |
| 28 | विज्ञान व प्रौद्योगिकी | 640 | 640 | 0 |
| 29 | अंतरिक्ष | 1804 | 1604 | 200 |
| 30 | समुद्री विकास | 130 | 130 | 0 |
| 31 | जैव-प्रौद्योगिकी | 265 | 265 | 0 |
| 32 | वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान | 655 | 655 | 0 |
| 33 | पर्यटन | 272 | 240 | 32 |
| 34 | वाणिज्य | 351 | 281 | 70 |
| 35 | सांख्यिकी | 69 | 69 | 0 |
| 36 | नागरिक आपूर्ति व पीडीएस | 45 | 45 | 0 |
| 37 | आर्थिक कग्र विभाग | 1944 | 1944 | 0 |
| 38 | व्यय | 13 | 13 | 0 |
| 39 | शिक्षा | 7443 | 7443 | 0 |
| 40 | युवा काग्र तथा खेलकुद | 350 | 350 | 0 |
| 41 | कला व संस्कृति | 385 | 350 | 35 |
| 42 | स्वास्थ्य | 1800 | 1800 | 0 |
| 43 | परिवार कल्याण | 6500 | 6500 | 0 |
| 44 | शहरी विकास | 3158 | 1473 | 1685 |
| 45 | सूचना तथा प्रसारण | 3634 | 417 | 3217 |
| 46 | कल्याण | 2923 | 2923 | 0 |
| 47 | श्रम | 451 | 451 | 0 |
| 48 | महिला व बाल विकास | 2000 | 2000 | 0 |
| 49 | गृह मंत्रालय | 37 | 37 | 0 |
| 50 | पूर्ति | 13 | 13 | 0 |
| 51 | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं ऐंशन | 34 | 34 | 0 |
| 52 | राजभाषा | 8 | 8 | 0 |
| 53 | योजना | 496 | 496 | 0 |
| | जोड़ | 225765 | 81625 | 144140 |

आठवीं योजना 1992-97 के लिए राज्य/सं.रा. के.-वार तथा विकास क्षेत्रवार परिव्यय

(करोड़ रु. 1991-92 की कीमतों पर)

| क्र.सं. राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र | कृषि व. संबद्ध कार्यक्रम तथा सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | ग्रामीण विकास | विक्रय क्षेत्र कार्यक्रम | उर्जा (आईआरएपी) शामिल है | उद्योग तथा खनिज | परिवहन | संचार | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी | पारिस्थितिकी सामाजिक सेवा तथा पर्यावरण (वाल्सिकी व अन्य जीवन शामिल है) | | अन्य | जोड़ | |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------|--------------------------|--|--------|---------|--------|----------|
| | | | | | | | | | 10 | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2844.58 | 532.97 | 450.00 | 3043.62 | 272.50 | 1153.54 | 0.00 | 2.00 | 68.42 | 2066.53 | 65.84 | 10500.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 80.96 | 36.32 | 0.00 | 151.96 | 24.49 | 343.93 | 0.00 | 0.47 | 47.34 | 321.63 | 47.90 | 1155.00 |
| 3. | असम | 776.61 | 186.66 | 11.84 | 1196.85 | 322.76 | 294.86 | 0.00 | 4.62 | 116.99 | 1642.04 | 108.77 | 4662.00 |
| 4. | बिहार | 3977.29 | 1089.92 | 77.33 | 2149.13 | 458.14 | 1462.61 | 0.00 | 7.82 | 190.60 | 2918.54 | 668.62 | 13000.00 |
| 5. | गोवा | 178.75 | 14.60 | 0.00 | 55.75 | 36.20 | 107.45 | 0.00 | 3.00 | 11.30 | 297.10 | 56.85 | 761.00 |
| 6. | गुजरात | 4188.00 | 421.20 | 0.00 | 2678.50 | 667.00 | 640.00 | 9.00 | 5.60 | 309.50 | 2255.40 | 325.90 | 11500.00 |
| 7. | हरियाण | 966.68 | 119.30 | 20.00 | 1711.84 | 220.47 | 391.38 | 0.00 | 6.62 | 123.70 | 1968.80 | 171.21 | 5700.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 349.45 | 74.20 | 0.00 | 510.25 | 75.75 | 328.15 | 3.00 | 2.75 | 211.85 | 748.15 | 198.55 | 2502.00 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 536.02 | 96.80 | 216.50 | 1180.28 | 194.00 | 280.60 | 0.00 | 1.90 | 107.60 | 1226.00 | 160.30 | 4000.00 |
| 10. | कर्नाटक | 3079.24 | 427.50 | 575.00 | 3046.50 | 984.00 | 443.00 | 0.00 | 8.00 | 209.76 | 3260.25 | 261.75 | 12300.00 |
| 11. | केरल | 1352.50 | 303.97 | 2.50 | 1238.00 | 810.00 | 433.00 | 0.00 | 21.93 | 98.05 | 1077.18 | 122.87 | 5460.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3232.59 | 523.49 | 0.00 | 3581.80 | 465.72 | 429.26 | 0.00 | 6.41 | 212.58 | 2079.01 | 569.14 | 11100.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 4177.11 | 1712.61 | 216.56 | 4582.71 | 814.46 | 1731.72 | 0.00 | 5.58 | 504.64 | 4187.13 | 587.38 | 18520.00 |
| 14. | मणिपुर | 245.49 | 14.50 | 0.00 | 187.45 | 39.80 | 160.60 | 0.00 | 4.00 | 24.00 | 255.90 | 47.26 | 979.00 |
| 15. | मेघालय | 149.26 | 37.59 | 10.67 | 172.23 | 42.70 | 207.29 | 0.00 | 1.93 | 61.91 | 274.63 | 70.79 | 1029.00 |
| 16. | मिजोरम | 83.10 | 130.25 | 0.00 | 104.00 | 44.25 | 103.10 | 0.00 | 1.95 | 31.30 | 212.45 | 52.60 | 763.00 |
| 17. | नागालैंड | 109.50 | 96.50 | 10.50 | 60.80 | 49.00 | 161.70 | 0.00 | 1.00 | 28.90 | 225.80 | 100.30 | 844.00 |
| 18. | उड़ीसा | 3723.03 | 402.35 | 0.00 | 2647.70 | 785.70 | 592.90 | 0.00 | 45.56 | 112.01 | 1543.76 | 146.99 | 10000.00 |
| 19. | पंजाब | 1151.60 | 187.29 | 50.91 | 2429.00 | 162.92 | 357.84 | 0.00 | 7.50 | 60.28 | 1887.48 | 275.18 | 6570.00 |

सारणी 3.21

घुनिंदा वस्तुओं के लिए सामग्री संतुलन

| वस्तुएं | इकाई | 1991-92 | 1996-97 |
|---|--------------------------|--|---|
| 1 खाद्यान्न उत्पादन निर्यात/स्टॉक खपत | मिलियन टन | 172.50 -6.30 178.80 | 210.00 2.00 208.00 |
| 2 तिलहन उत्पादन खपत | मिलियन टन | 17.50 17.50 | 23.00 23.00 |
| 3 गन्ना उत्पादन खपत | मिलियन टन | 235.00 235.00 | 275.00 275.00 |
| 4 कपास उत्पादन निर्यात खपत | मिलियन गंठे | 10.50 0.60 9.90 | 14.00 0.30 13.70 |
| 5 दूध उत्पादन खपत | मिलियन टन | 57.50 57.50 | 70.00 70.00 |
| 6 कोयला उत्पादन आयात निर्यात स्टॉक में बदलाव खपत | मिलियन टन | 229.21 6.17 0.11 6.36 228.91 | 308.00 3.00 1.00 - 310.00 |
| 7 अपरिष्कृत तेल उत्पादन आयात स्टॉक में बदलाव खपत | मिलियन टन | 30.34 24.00 2.92 51.42 | 50.00 13.32 - 63.32 |
| 8 लौह-अयस्क उत्पादन निर्यात खपत | मिलियन टन | 56.50 32.00 24.50 | 72.00 32.00 40.00 |
| 9 चीनी उत्पादन आयात निर्यात स्टॉक में बदलाव खपत | मिलियन टन | 12.00 0.60 11.40 | 15.50 1.00 4.00 -1.00\$ 13.50 |
| 10 कपड़ा उत्पादन निर्यात (निक्ल) खपत | बिलियन मीटर करोड़ रु. | 18.26 12000.00 16.68 | 24.70 28000.00 22.80 |
| 11 पेट्रोलियम उत्पाद उत्पादन आयात निर्यात स्टॉक में बदलाव खपत | मिलियन टन | 49.15** 9.44 2.70 0.77 56.66 | 61.57** 22.92 3.30 - 81.19 |

| वस्तुएं | इकाई | 1991-92 | 1996-97 |
|---------|---|--|--------------------------------|
| 12 | नाईट्रोजन उर्वरक उत्पादन निर्यात स्टॉक में बदलाव खपत | मिलियन टन 7.30 0.50 -0.70 8.50 | 9.80 1.70 11.50 |
| 13 | फॉस्फोट उर्वरक उत्पादन आयात स्टॉक में बदलाव खपत | मिलियन टन 2.50 0.90 -0.20 3.60 | 3.00 2.00 5.00 |
| 14 | पोटाश उर्वरक आयात बदलाव में परिवर्तन खपत | मिलियन टन 1.30 -0.10 1.40 | 1.80 1.80 |
| 15 | सीमेंट उत्पादन आयात निर्यात खपत | मिलियन टन 53.00 1.00 52.00 | 76.00 2.00 71.00 |
| 16 | तैयार इस्पात (मिन + मिनी) उत्पादन आयात (नहरिकृत) निर्यात खपत | मिलियन टन 14.50 1.00 0.30 15.20 | 22.80 1.00 2.80 21.00 |
| 17 | एल्युमिनियम उत्पादन आयात निर्यात खपत | हजार टन 514.17 3.00 68.00 449.17 | 656.00 16.00 - 672.00 |
| 18 | तांबा (परिष्कृत) उत्पादन आयात (गैर-नहरिकृत शामिल) खपत | हजार टन 45.49 104.51 150.00 | 55.00 145.00 200.00 |
| 19 | जस्ता (प्राथमिकघात) उत्पादन आयात खपत | हजार टन 102.00 10.00 112.00* | 154.00 26.00 180.00 |
| 20 | सीसा (प्राथमिकघात) उत्पादन आयात (गैर-नहरिकृत शामिल) खपत | हजार टन 48.39 20.00 68.39 | 96.00 4.00 100.00 |
| 21 | विद्युत उत्पादन (गैर-जनोपयोगी सेवाएं शामिल) आयात खपत | बिलियन कि.वा.घ. 311.21 1.43 312.64 | 448.00 2.00 450.00 |
| 22 | रेलवे (ओरजिनेटिंगड्रैफिक) | मिलियन टन 363.00 | 443.00 |

* सामान्यतः कम खपत

** इसमें 1991-92 तथा 1996-97 के लिए क्रमशः 1.00 मिलियन टन तथा 2.05 मिलियन टन प्राकृतिक गैस से एल. पी. जी. का उत्पादन शामिल है। 31.1.92 के अनुसार चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 4.93 मिलियन टन था।

करन वाले के अलावा दूसरे संगठनों द्वारा मूल्यांकन की आवश्यकता है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, और सुप्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों को कार्यक्रमों और कार्य निष्पादनों के मूल्यांकन के कार्य में निरंतर लगाना होगा।

3.5.5 केन्द्रीय सैक्टर में परिव्यय का विभागवार आवंटन, बजटीय सहायता से उनका वित्त पोषण और आंतरिक तथा बजट बाह्य स्रोतों से उनका वित्त पोषण सारणी 3.19 में दिखाया गया है। नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं के लिए बजटीय सहायत निम्नलिखित तक सीमित रहेगी (i) नई परिसम्पत्तियां बनाने के लिए बाहरी सहायता का प्रावधान रखना और (ii) ऐसे क्षेत्रों में दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त करना जिनमें बाजार व्यवस्था नहीं कर सकती। जैसे फनबिजली, रेल परिवहन,

अविकसित दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं आदि।

3.5.6 निम्नलिखित पर विचार करने के बाद पूंजी व्यय के लिए सरकारी उद्यमों के आंतरिक उपलब्ध कराये जायेंगे (i) उनकी सेवाओं और उत्पादों के मूल्यों में संभावित वृद्धि (ii) इक्विटी पर (बाजार मूल्यों पर मूल्य निर्धारित) सरकार को उचित प्रतिफल और (iii) केन्द्र को ऋणों की वापसी। उद्यमों को सरकारी ऋणों पर ब्याज सरकार के उधार लेने की दर से कम दरों पर नहीं लगाया जायेगा।

3.5.7 विभागों को बजट बाह्य संसाधनों का आवंटन इस स्तर पर दिखाया गया है और पूंजी बाजार में कार्य निष्पादन को देखते हुए इसकी पुनरीक्षा की जायेगी।

सारणी 3.22

1996-97 के लिए लक्ष्य तथा 1991-92 के लिए उत्पादन और क्षेत्र के अनुमान

i) क्षेत्रफल : मिलियन हेक्टर

ii) उपज : किलोग्राम प्रति हेक्टर

| क्र. सं. | वस्तुएं | उत्पादन इकाई | 1991-92 | | | 1996-97 | | | उत्पादन में वार्षिक संवृद्धि |
|----------|--------------------|--------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|------------------------------|
| | | | क्षेत्र | उत्पादन | उपज | क्षेत्र | उत्पादन | उपज | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | चावल | मि.ट. | 42.50 | 72.50 | 1706 | 43.50 | 88.00 | 2023 | 3.95 |
| 2. | गेहूँ | " | 23.50 | 56.00 | 2383 | 24.25 | 66.00 | 2722 | 3.34 |
| 3. | मोटे अनाज | " | 37.50 | 30.00 | 800 | 37.75 | 39.00 | 1033 | 5.40 |
| 4. | दालें | " | 23.50 | 14.00 | 596 | 24.50 | 17.00 | 694 | 3.96 |
| 5. | सम्पूर्ण खाद्यान्न | " | 127.00 | 172.50 | 1358 | 130.00 | 210.00 | 1614 | 4.01 |
| 6. | तिलहन | " | 23.50 | 17.50 | 745 | 24.50 | 23.00 | 939 | 5.61 |
| 7. | गन्ना | " | 3.70 | 235.00 | 63514 | 3.90 | 275.00 | 70513 | 3.19 |
| 8. | कपास | एमबी (170) | 7.40 | 10.50 | 241 | 7.50 | 14.00 | 317 | 5.92 |
| 9. | जूट व मेस्टा | एमबी (180) | 1.00 | 9.00 | 1620 | 1.00 | 9.50 | 1710 | 1.09 |
| 10. | अन्य फसलें | | 19.60 | | | 23.70 | | | |
| 11. | सम्पूर्ण फसलें | | 182.20 | | | 190.60 | | | |

एम.बी. (170) = कि.ग्रा. की मिलियन गांठ

एम.बी. (180) = कि. ग्रा. की मिलियन गांठे

* चक्रवर्ती

सारणी 3.23

मांग-आपूर्ति संतुलन : कोयला (1996-97)

(मिलियन टन)

| क्र. सं. | मद | 1991-92 | 1996-97 |
|----------|--------------------------|---------|---------|
| 1. | इस्पात संयंत्र व कोक अवन | 31.66 | 42.00 |
| 2. | स्पंज लौहा | 0.40 | 2.0 |
| 3. | विद्युत (उपयोगिता) | 134.60 | 185.30 |
| 4. | रेलवे | 4.42 | 3.00 |
| 5. | सीमेंट | 9.97 | 17.50 |
| 6. | उर्वरक | 4.23 | 4.00 |
| 7. | एलटीसी, साफ्ट कोक-एसएसएफ | 0.99 | 4.00 |
| 8. | अन्य उद्योग | | |
| | (क) केपटिव पावर) | | 15.00 |
| | (ख) इटि आदि) | 38.50 | (2.10) |
| | | | (0.20) |
| 9. | कोयला खानों की खपत | 4.06 | 4.00 |
| 10. | घरेलू मांग (1 से 9) | 228.83 | 310.00 |
| | | (2.30) | (7.00) |
| 11. | निर्यात | 0.11 | 1.00 |
| 12. | कुल मांग (10+11) | 228.94 | 311.00 |
| | | (2.30) | (7.00) |
| 13. | उत्पादन | 229.26 | 308.00 |
| 14. | आयात | 6.09 | 3.00 |
| | स्टॉक में बदलाव | | |
| 15. | (13 + 14 - 12) | (+) | 6.41 |
| | | | 0.00 |

कोष्ठकों में साधारण बाहरी आंकड़े संकेतक हैं।

3.5.7.1 यहां परिकल्पित परिवर्धनों में कुछ परियोजनाओं की वास्तविक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इस्पात और दूर संचार जैसे सैक्टरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। सम्बन्धित मंत्रालय कुछ सीमा तक अपने आन्तरिक रूप से जुटाए गए संसाधनों से (इसको) आई आई एस सी ओ (इस्को) अथवा राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण जैसे परियोजनाओं की आवश्यकताओं का वित्त पोषण कर सकते हैं। सम्बन्धित सैक्टरों के समान परिवर्धन में थोड़ी-सी वृद्धि अन्य स्कीमों पर व्यय में बचत करके और उनसे प्राप्त लाभों पर विचार करने के बाद वृद्धि की जा सकती है।

3.5.7.2 रोजगार सृजन प्रारंभिक शिक्षा के विश्वव्यापीकरण, निरक्षरता उन्मूलन, पशुधन/दुधारू पशु आधारित क्रियाकलाप में और अधिक उत्पादन तथा रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन लकड़ी तथा केरोसीन के लिए प्रतिस्थापक घरेलू ईंधन प्रदान करने के योजना उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि एवं सहकारिता, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, पशुपालन तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभागों के बजटीय सहायता में विभिन्न विभागों की मौजूदा वार्षिक व्यय की तुलना में अधिक वृद्धि की गई है। वार्षिक योजनाओं में वास्तविक आवंटन निम्न के अधीन होगा :-

1996-97 प्रदेशीयम उत्पाद की क्षेत्रवार भांग

(1000 टन)

| उत्पादकों का वर्गीकरण | परिष्करण | | | उद्योग (I) | | | | | | | | | | | कृषि | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|------------|--------------|--------------|------|-------------|------|------|-------|-----------------|------------|-------|----------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | जल | मार्ग | सड़के | वायु | लौह व इस्पात | कच्चा सीमेंट | कांस | साधारण मशीन | वीनी | खान | इंजिन | उर्ध्वक निर्माण | कुल उद्योग | विशेष | ट्रेक्टर | सेत | पशुधन | उद्योगिता | | | | | | | | | |
| किरण | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| एल्यूमीनी (बी) | | | | | | | | | | | | | | | | 403 | | | | | | 3634 | 4037 | | | | |
| एल्यूमीनी (बी) | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | 7654 | | | | | |
| मोम | | | | | | | | | | | | | | | | 6264 | | | | | | 6334 | | | | | |
| नेपथ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | |
| एस्बीपी/रेक्सन) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 497 | | | | |
| उप-जोड़ | | | 7504 | | 25 | | | | 3483 | | | | | 2756 | | 6817 | | | | | 70 | 3634 | 18522 | | | | |
| मशीनरी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एस्केरी | | | 2085 | | 538 | 20092 | | 74 | 310 | 414 | 30 | 169 | 8 | 66 | 745 | 213 | 43 | 250 | 2322 | 600 | 3082 | 3244 | 254 | 11571 | 12100 | | |
| एस्पीक | | | | | | | | 2452 | | | | | | | | | | | | | | | | 32217 | 2452 | | |
| एस्बीबी | | | 9 | | 85 | 18 | | 47 | 31 | 18 | 36 | 94 | 10 | 3 | 9 | 81 | 7 | 250 | 586 | 375 | 40 | | 328 | 1441 | 624 | | |
| उप-जोड़ | | | 2094 | | 623 | 20110 | | 121 | 341 | 432 | 66 | 263 | 18 | 69 | 754 | 294 | 50 | 500 | 3437 | 975 | 3082 | 3284 | 582 | 11571 | 48834 | | |
| मशीनरी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एस्की | | | 27 | | 636 | 15 | | 235 | 376 | 77 | 112 | 395 | 159 | 15 | 35 | 175 | | 600 | 2179 | 270 | | | 140 | 1947 | 5214 | | |
| एस्पीक/एस्पीक | | | | | | 5 | | 275 | 352 | 49 | 137 | 254 | 70 | 4 | 24 | 52 | 2215 | 200 | 3632 | 20 | | | 40 | 3697 | 3697 | | |
| एस्बी व सीस | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1335 | | | | | | 1335 | | |
| विटमिन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2579 | | |
| ट्रे कोक) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2579 | | |
| उप-जोड़ | | | 27 | | 636 | 20 | | 510 | 728 | 126 | 249 | 649 | 229 | 19 | 59 | 227 | 2215 | 3379 | 8163 | 290 | | | 180 | 1947 | 13962 | | |
| | | | 2121 | | 1259 | 27634 | | 2452 | 656 | 1069 | 558 | 315 | 4395 | 247 | 88 | 813 | 521 | 5021 | 3879 | 18417 | 1265 | 3082 | 3284 | 180 | 2599 | 15205 | 81198 |

(I) शून्य विद्यमान तथा कतिपय यातायात आवागमन के लिए गणना है।

- i) कार्यालय स्टाफ, प्रशासनिक व्यय, कार्यालय भवन तथा उपस्कर आदि की बजाय उत्पादक परसंपत्तियों के सृजन के लिए योजना व्यय का उपयोग;
- ii) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या योजना आयोग द्वारा निदिष्ट अन्य संगठन जैसे कार्यान्वयन विभाग से पृथक एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा चालू कार्यक्रमों तथा नए कार्यक्रमों के लाभों का मूल्यांकन, तथा
- iii) सृजित परसंपत्तियों से राजस्व अर्जन को अधिकाधिक करना तथा उसको कार्यान्वयन एजेंसी प्रदान करना जिससे कि योजना अवधि के दौरान लागत तथा लाभ के बीच उपयुक्त समानता हो सके ।

उत्पादन संरचना

3.6.1 महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जो पूंजीनिवेश दीर्घकालीन वृद्धि या व्यापार संतुलन के विचार से संगत है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की उत्पादन रूपरेखा सारणी 3.20 में दिखाई गई है । यह लक्ष्य 60 सेक्टर संगत मॉडल पर आधारित है । अगले 5 वर्षों की संकेतात्मक उत्पादन रूपरेखा तैयार करते समय निम्नलिखित को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है ।

- (क) घरेलू उद्योगों के संरक्षण, विशेषकर संगठित सेक्टर में, को क्रमिक रूप से समाप्त करना और एधरी हुई प्रतियोगी कार्यकुशलता में इसको अंततः परिलक्षित करना थोक वस्तुओं के बड़े विदेशी व्यापार में दिखाया जाना चाहिए । थोक वस्तुओं का आयात और निर्यात करना वांछनीय होना चाहिए जिससे घरेलू उत्पादन ढांचे को उत्पादकता कार्यकुशलता के बाहरी स्तरों के बराबर लाया जा सके ।
- (ख) वस्तुओं के मामले में भी जहां घरेलू उत्पादन का मजबूत आधार है वहां भी आयात के लिए योजना बनाना उचित होगा जिससे मांग की अस्थिरता की स्थिति को दूर किया जा सके और घरेलू क्षमता का उपयोग अधिकतम किया जा सके । उर्वरक इसका एक उदाहरण है ।
- (ग) यह माना जाता है कि स्वदेशी प्रौद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के साथ तुरंत समायोजन नहीं कर सकती विशेषकर ग्रामीण

और छोटे उद्योगों के मामले में ऐसा है जहां मूल्यवृद्धि में वेतन घटक अधिक है । अतः घरेलू उद्योग के इस घटक के लिए संरक्षण उपाय कुछ वर्षों के लिए सुनिश्चित करने होंगे ।

3.6.2 कृषि विकास के लिए आठवीं योजना का उद्देश्य खाद्यान्नों में निर्यात के लिए अधिशेष उत्पन्न करना और दालों तथा तिलहनों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है । कृषि सैक्टर के मामले में यह आशा की जाती है कि उत्पादन के सकल मूल्य के संदर्भ में इसमें 4% से थोड़ा अधिक औसत वार्षिक दर पर और मूल्य वर्धित के मामले में 3% के दर पर वृद्धि होगी ।

3.6.3 कृषि में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन में अस्थायी तत्व को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जायेंगे । चूंकि खेती वाले क्षेत्र का दो तिहाई हिस्सा अभी भी सिंचाई वाला नहीं है और उसे वर्षा के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है अतः शुष्क भूमि फार्मिंग पर अधिक जोर दिया जाएगा । देश के दूसरे भागों तक हरित क्रांति के फायदे पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में जहां पर्याप्त वर्षा का पानी और मिट्टी उपजाऊ है । सुनिश्चित और विनियमित जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में अनेक ट्यूबवेलों को विकसित करने की आवश्यकता है । सामान्य रूप से सिंचाई विस्तार के लिए पूंजी निवेश किया जायेगा जिसमें चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और सभी बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के मामले में समय ओर लागत बढ़ने को कम करने पर जोर दिया जाएगा । सिंचाई की स्थिति सुधारने और पानी की बर्बादी तथा भूमि के नुकसान को कम करने की ओर ध्यान दिया जाएगा । जल का उचित मूल्य निर्धारण, भूमि को पानी देने के मामले में जल की मात्रा पर नियंत्रण और जल के कारगर और समान वितरण के लिए बेहतर सांस्थानिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनसे सिंचाई सेक्टर में कार्यकुशलता और समानता प्राप्त की जा सकेगी । खाद्यान्नों और कुछ दूसरी महत्वपूर्ण फसलों के मामले में कृषि उत्पादन के लक्ष्य सारणी 3.22 में दिखाये गये हैं ।

3.6.4 आठवीं योजना अवधि के दौरान खनन और निर्माण सैक्टर के उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 8% की दर पर वृद्धि होने का अनुमान

है। कोयले और बिजली के सम्बन्ध में सामग्री सन्तुलनों के ब्यौरे और पेट्रोलियम उत्पादों तथा रेलवे यातायात के मामले में मांग के ब्यौरे सारणी 3.23 से 3.26 में दिखाए गए हैं यह वस्तुएं या तो बुनियादी सुविधाओं या महत्वपूर्ण आदानों के रूप में होने से औद्योगिक विकास का आधार है। इन सैक्टरों में लक्ष्यों की प्राप्ति काफी महत्वपूर्ण है यद्यपि इन सैक्टरों के कार्य निष्पादन के मामले में आठवीं योजना के दौरान संसाधनों की कमी से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना है फिर भी बिजली, ऊर्जा, और इस्पात जैसे सैक्टरों में प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश करने से कुछ हद तक पूंजी निवेश की समस्या हल हो जायेगी। सुधारा जैसे क्षमता उपयोग, सामग्रियों के प्रयोग में कुशलता, विशेषकर ऊर्जा के मामले में, बाजार की प्रवृत्ति को समझने जैसे उपायों से इन सैक्टरों के कार्य निष्पादन को सुधारने में मदद मिलेगी। विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए उदार किए गए वातावरण और हाल के नीति परिवर्तनों से औद्योगिक सैक्टर में

अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में और आगे मदद मिलने की संभावना है।

3.6.5 कोयले की कुल खपत का 80% से भी अधिक हिस्सा बिजली, लोहा और इस्पात, सीमेंट, और रेलवे द्वारा होता है। (सारणी 3.22) आठवीं योजना के दौरान पावर सैक्टर में लगभग 30538 होता मे.वा. क्षमता की वृद्धि की आशा है। इसके साथ 1996-97 जनउपयोगी सेवाओं में कुल उत्पादन क्षमता 99620 मे.वा. हो जाएगी। थर्मलविद्युत उत्पादन का हिस्सा अब भी अधिक बना रहेगा यद्यपि कोयले पर आधारित उत्पादन का स्थान कुछ हद तक गैस पर आधारित उत्पादन ले लेगा। इनसेवाओं से कुल विद्युत उत्पादन 418 वी. के. डब्ल्यू. एच. होने का अनुमान है। जिसमें कोयले पर आधारित विद्युत उत्पादन लगभग 65% होगा। उष्मा दर में सुधार के बावजूद पावर संयंत्रों को दिए गए कोयले के कैलोरी मूल्य में ह्रास होने के कारण कोयले की विशिष्ट खपत बढ़ रही है। भावी विकास को

सारणी 3.25

मांग-आपूर्ति संतुलन : विद्युत

| | | (बिलियन किलो वाट) | | |
|---------|------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|
| क्र.सं. | मद | 1991-92 92 | 1996-97 | संयुक्त संवृद्धि दर (प्रतिशत) |
| क | मांग | | | |
| 1. | औद्योगिक | 112.60 | 155.00 | 6.60 |
| 2. | घरेलू | 34.12 | 65.46 | 13.92 |
| 3. | कृषि | 53.48 | 76.00 | 7.28 |
| 4. | अन्य | 26.14 | 39.38 | 8.54 |
| | जोड़ | 226.34 | 335.84 | 8.21 |
| ख | आपूर्ति | | | |
| 1. | उपयोगिता उत्पादकता (2 + 4 + 5 - 3) | 286.71 | 418.21 | 7.84 |
| 2. | सहकारी खपत | 22.51 | 29.27 | - |
| 3. | आयात | 1.43 | 2.00 | - |
| 4. | (प्रसारण तथा वितरण हानि) नुकसान | 61.09 | 82.10 | - |
| 5. | जन उपयोगिता की आपूर्ति | 204.54 | 308.84 | 8.59 |
| 6. | गैर-जनउपयोगिता उत्पादन (7 + 8) | 24.50 | 30.00 | 4.13 |
| 7. | सहकारी खपत | 2.70 | 3.00 | - |
| 8. | गैर-जनउपयोगिता आपूर्ति | 21.80 | 27.00 | 4.37 |
| 9. | कुल उपलब्धता (1 + 3 + 6) | 312.64 | 450.21 | 7.57 |
| | कुल आपूर्ति (5 + 8) | 226.34 | 335.84 | 8.21 |

ध्यान में रखते हुए पावर सेवाओं में कोयले की मांग 185 मिलियन टन की होगी जिसमें साधारण बाशरी के लिए लगभग 5 मिलियन टन मात्रा शामिल नहीं है। केपटिव पावर संयंत्रों कोयले की मांग 15 मिलियन टन होगी। इस्पात संयंत्रों में उष्ण धातु अनुपात के सम्बन्ध में कोयले में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अधिक कार्यकुशलता, इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और कोयले की क्वालिटी में सुधार से कोयला गर्म धातु अनुपात और कम होने की आशा है। कोयला बाशरी में किए गए आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अनुसार बाशरी का उत्पादन बढ़ने की संभावना है और तदनुसार इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले की कुल मांग 40.0 मिलियन टन आती है।

3.6.6 पेट्रोलियम उत्पादों की मांग स्वदेशी उत्पादन से अधिक बनी रहेगी (सारणी 3.24) सातवीं योजना के दौरान वृद्धि की दर 6.87 प्रतिशत प्रति वर्ष थी और सड़क परिवहन को अधिक अपनाए जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ईंधन के लिए ईंधन की लकड़ी का भंडार समाप्त हो जाने से आठवीं योजना के दौरान इसके उसी स्तर पर बढ़ने की संभावना है। सम्पूर्ण आर्थिक वृद्धि को प्रभावित किए बिना

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को प्रतिबंधित रखना पड़ेगा। तेल संरक्षण और मांग व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

3.6.7 वर्ष 1989-90 में तेल उत्पादन 34.10 मिलियन टन था जो वर्ष 1990-91 और 1991-92 में घटकर क्रमशः 33.02 मिलियन टन और 30.34 मिलियन टन हो गया। आठवीं योजना के प्रारंभिक वर्षों में यह कमी बनी रहेगी। तेल उत्पादन में यह कमी ऐसे समय में हुई है जब भुगतान संतुलन की स्थिति गंभीर कठिनाई में है। अधिक तेल के आयात से आठवीं योजना अवधि के बाद की वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी निवेश हेतु संसाधनों की उपलब्धता में कमी आएगी। आठवीं योजना के दौरान पश्चिमी समुद्री तेल क्षेत्रों को विकसित करने की योजना की गई है। जिससे 1996-97 तक उत्पादन का स्तर 50 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। इसमें बम्बई हाई का योगदान लगभग 60-65% होगा और बाकी हिस्सा कृष्णा, गोदावरी बेसिन, काम्बे बेसिन और ऊपरी आसाम तेल क्षेत्रों से प्राप्त किया जाएगा। उपयुक्त स्तर तक कच्चे तेल में रिजर्व-उत्पादन अनुपात को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त रिजर्व बढ़ाने के लिए तेल अन्वेषण और कुंओं के विकास पर जोर देना आवश्यक

सारणी 3.26

1996-97 में रेल यातायात मांग

(प्रारंभिक यातायात मिलियन टनों में)

| क्र.सं. | वस्तु | 1996-97 (लक्ष्य) |
|---------|--|------------------|
| 1. | एकीकृत इस्पात संयंत्र | |
| (i) | इस्पात संयंत्रों से तैयार उत्पाद (बिक्री के लिए बलवा लोहा और बिक्री योग्य इस्पात) | 17.2 |
| (ii) | कोयले के अलावा इस्पात संयंत्र के लिए कच्चा माल | 44.0 |
| | जोड़ | 61.2 |
| 2. | कोयल (रेलवे सहित) | 187 |
| 3. | निर्यात के लिए लोह अयस्क | 14.4 |
| 4. | सीमेंट | 41.8 |
| 5. | खाद्यान्न | 32.5 |
| 6. | उर्वरक (सामग्री) | 25.3 |
| 7. | पी. ओ. एल. उत्पादन | 31.2 |
| 8. | अन्य सामान | 35.0 |
| 9. | रेलवे सामग्री (कोयला छोड़कर) | 22.5 |
| | कुल योग | 443.4 |

होगा। व्यापार और उद्योग नीतियों में परिवर्तन से विदेशी पूंजी निवेशों को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है वर्ष 1989-90 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 16.99 बिलियन घन मीटर था और 1996-97 में इसके 30 बिलियन घन मीटर का होने का अनुमान है। आठवीं योजना के दौरान उर्वरक, पेट्रोरसायन, पावर और घरेलू क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के बदले प्राकृतिक गैस प्रयोग में लाई जाएगी। सड़क परिवहन में कम प्रेस्र्ड प्राकृतिक गैस के प्रयोग से डीजल के आयात में कमी आ सकती है।

3.6.8 उर्वरकों की खपत 1980-81 में 5.52 मिलियन टन से बढ़कर 1990-91 में 12.57 मिलियन टन होने का अनुमान है जो इस अवधि के दौरान 8.6% की वार्षिक वृद्धि दर है। आठवीं योजना (1996-97) के अंतिम वर्ष के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों की मांग 18.3 मिलियन टन होने का अनुमान है। उर्वरकों के उत्पादन की क्षमता इसी गति से नहीं बढ़ रही है जिससे आयात पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। नाइट्रोजनयुक्त ओर फास्फेटयुक्त उर्वरकों की संस्थापित क्षमता 1990 में क्रमशः 8.15 मिलियन टन और 2.72 मिलियन टन थी। पिछले तीन वर्षों में इस क्षमता में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु सातवीं योजना के दौरान क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। आठवीं योजना के दौरान उर्वरक के लिए उत्पादन का अनुमान

लगाते समय नाइट्रोजन युक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों के लिए क्षमता उपयोग 90% माना गया है। पोटेशियुक्त उर्वरक की सम्पूर्ण मांग की पूर्ति आयातों से की जा रही है क्योंकि इसका कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं है। कृषि विकास को बनाए रखने के लिए उद्योग का आगे विस्तार करने की आवश्यकता है। जिससे आयातित उर्वरक पर निर्भर कम रहना पड़ेगा।

3.6.9 वर्ष 1990-91 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 48.70 मिलियन टन पहुंच गया जो अब तक के उत्पादनों में सबसे अधिक है। जबकि सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान यह उत्पादन 45.80 मिलियन टन था। कुल सीमेंट उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान 84% है। पिछले वर्षों में उद्योग के क्षमता उपयोग में धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे रहा है। आठवीं योजना के दौरान सीमेंट उत्पादन के लक्ष्य का अनुमान लगाते समय क्षमता उपयोग औसत 80% माना गया है। इसके लिए आवश्यक होगा कि आठवीं योजना के दौरान 29.3 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। हाल के वर्षों में विदेशी सहायता से वित्त पोषित प्राप्त पूंजी निवेश निजी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए किया गया है। इससे उद्योग की परिचालन कुशलता में सुधार हुआ है। आठवीं योजना के दौरान सीमेंट उद्योग को निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने में योगदान आरंभ कर देना चाहिए।

सारणी 3.27

भारतीय भुगतान संतुलन के मुख्य संकेतक (सं.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

| वर्ष/ अवधि | निर्यात | आयात | व्यापार संतुलन | निकल अदृश्य | चालू लेखा घाटा |
|-----------------------------------|---------|-------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| औसत (1980-85) | 5.00 | 8.33 | (-) 3.33 | 1.90 | 1.43 |
| औसत (1985-90) | 5.21 | 8.33 | (-) 3.13 | 0.75 | 2.38 |
| आठवीं योजना (1992-97) प्रक्षेप | 9.60 | 11.62 | (-) 2.02 | 0.42 | 1.60 |

(सं. घ. उ. = सकल घरेलू उत्पाद)

3.6.10 सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई और बोकारो जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र में टिस्को जैसे संयंत्रों की कार्यकुशलता से ही नहीं बल्कि एकीकृत इस्पात संयंत्रों की भूमिका को पूरा करने के लिए द्वितीय इस्पात उत्पादकों के उचित समय पर प्रवेश करने से इस्पात सैक्टर योजना की सफलता देखी जा सकती है। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, प्रौद्योगिकी और पूंजीगत माल के आगम को नई गति दी है। स्टील सैक्टर को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और लागत तथा गुणवत्ता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने वाली यूनिट भारत में पूंजी निवेश के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस्पात उत्पादों के मूल्य पर अब नियंत्रण नहीं है। जबकि भारत में कई दशकों से ऐसा किया जाता रहा है। आठवीं योजना के अंत तक इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का एक हिस्सा वर्तमान 54% से कम होकर 50% रह जाने की आशा है। और साथ साथ इसके बदले में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र से उत्पादन का यह हिस्सा पूरा किया जाएगा। गेर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके भारत में स्पंज लोहा तैयार करने के कारण कच्चे माल के रूप में आयातित स्क्रैप पर

द्वितीयक इस्पात सैक्टर की निर्भरता कम हो जायेगी। आठवीं योजना के दौरान और उससे आगे इस्पात सैक्टर के क्रियाकलापों पर नई प्रौद्योगिकीयों का अधिपत्य रहेगा। विशेषकर संगठित सैक्टर में यह स्थिति रहेगी।

3.6.11 1996-97 तक परिष्कृत इस्पात की मांग लगभग 21 मिलियन टन होने का अनुमान है। परिष्कृत इस्पात की सम्पूर्ण मांग घरेलू उत्पादन से पूरी की जाएगी फिर भी उन वस्तुओं के लिए एक मिलियन टन आयत करने का विचार है जिनकी या तो आपूर्ति कम है या ऐसी गुणवत्ता का है जो अर्थव्यवस्था मानदंड के कारणों से भारत में तैयार नहीं किया जाता। सीमेंट उद्योग की तरह सातवीं योजना में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए भारी पूंजी निवेश किया गया है। लगभग 3 मिलियन टन का निर्यात संभव होगा।

3.6.12 जनउपयोगी तथा अन्य सेवाओं से विद्युत उत्पादन में वृद्धि छठी योजना में 8.44% वार्षिक और सातवीं योजना में 9.46% वार्षिक थी। 1989-90 में सकल विद्युत उत्पादन 266 बिलियन कि.वा. था। 1989-90 में उपभोक्ता स्तर पर विद्युत खपत लगभग 196 वि.कि.वा. था।

सारणी 3.28

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (1992-97) भुगतान संतुलन की स्थिति

| | 1991-92 | 1996-97 | आठवीं योजना का जोड़ |
|-----------------|-----------|----------|------------------------|
| निर्यात | 44292 | 83869 | 330153 |
| आयात* | 62345 | 93314 | 399650 |
| | (51700) | | |
| व्यापार संतुलन* | (-) 18053 | (-) 9445 | (-) 69497 |
| अदृश्य* | 3494 | 2332 | 14634 |
| सी. ए. डी.* | 14559 | 7113 | 54863 |
| | (7000) | | |

* आधार वर्ष के लिए यह सामान्य अनुमान है। 1991-92 के दौरान वास्तविक आंकड़े इन से कम होने की आशा है जो कौष्ठक में सूचित किया गया है तथा बाद में स्पष्ट किया गया है।

सारणी 3.29

चालू लेखा घाटे का वित्त पोषण

| 1 | 2 | सातवीं योजना चालू मूल्यों पर करोड़ रु. | आठवीं योजना 1991-92 के मूल्यों पर करोड़ रु. |
|----|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | चालू लेखा घाटा, मूल चूक सहित | 42,284 | 55,000 |
| | वित्त पोषक | | |
| 2. | बाह्य सहायता (सरकारी देयों सहित) | 10,572 | 28,700 |
| 3. | वाणिज्यिक उधार | 10,592 | 5,000 |
| 4. | अनिवासी जमा | 10,164 | 3,000 |
| 5. | दूसरी पूंजी | 5,879 | -21,300 |
| 6. | रिजर्व का उपयोग | 5,077 | (-) 3,000 |

* आई एम एफ और दूसरों को निक्कल अदायगी।

टिप्पणी : 1991-92 के यू एस डालर पर चालू लेखा घाटा आठवीं योजना में 22 बिलियन अमरीकी डालर होगा।

सारणी 3.30

आठवीं योजना के आयात प्रक्षेप

(करोड़ रु. 1991-92 मूल्यों पर)

| क्र. सं. | वस्तु/ग्रुप | 1991-92* | 1996-97 | संवृद्धि दर (%) | जोड़ |
|----------|--|-----------|-----------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (क) | चुनिदां बल्क निर्यात | 22198.2 | 32550.2 | 8.0 | 135895.0 |
| | | (21834.2) | (32550.0) | (8.3) | |
| | अपरिष्कृत तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद, जिनमें | 131.29 | 17300.1 | 5.7 | 74660.0 |
| | 1. अपरिष्कृत तेल | 7868.6 | 4407.6 | 25780.4 | |
| | 2. पेट्रोलियम उत्पादकता | 5260.9 | 12892.5 | 19.6 | 46500.0 |
| | उर्वरक और उर्वरक संबंधी सामग्री | 4500.0 | 8988.6 | 14.8 | 34474.0 |
| | 1. उर्वरक | 2025.8 | 4757.8 | 18.6 | 17403.0 |
| | 2. उर्वरक संबंधी सामग्री जिनमें | 2474.2 | 4230.8 | 11.3 | 17071.0 |
| | (i) सल्फर | 384.9 | 900.9 | 20.9 | 3194.0 |
| | (ii) रॉक-फास्फेट | 494.0 | 1110.1 | 17.6 | 4121.0 |
| | (iii) फास्फोरिक एसिड | 1360.7 | 1522.6 | 2.3 | 7283.0 |
| | (iv) एनीहाइड्रॉस अमोनिया | 270.6 | 697.2 | 20.8 | 2473.0 |
| | तैयार इस्पात, औजार अलौह तथा विशेष इस्पात जिनमें, | 1540.2 | 1760.3 | 2.7 | 8312.0 |
| | 1. तैयार इस्पात | 1255.0 | 1255.0 | 0.0 | 6275.0 |
| | 2. औजार, अलौह तथा विशेष इस्पात | 285.2 | 505.3 | 12.1 | 2037.0 |
| | कृत् अलौह धातु जिनमें | 803.0 | 1193.6 | 8.3 | 5065.0 |
| | (i) अल्युमिनियम | 9.3 | 49.6 | 39.8 | 141.0 |

| क्र. सं. | वस्तु/ग्रुप | 1991-92* | 1996-97 | संवृद्धि दर (%) | जोड़ |
|----------|---|-----------|-----------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (ii) | तांबा | 642.0 | 890.7 | 6.8 | 3923.0 |
| (iii) | जस्ता | 33.0 | 85.8 | 21.1 | 304.0 |
| (iv) | लेड | 37.9 | 7.6 | -27.5 | 79.0 |
| (v) | टिन | 26.8 | 40.2 | 8.4 | 172.0 |
| (vi) | निकल | 54.9 | 119.7 | 17.3 | 446.0 |
| | कोकिंग कोयला | 1036.3 | 516.3 | -13.0 | 3477.0 |
| | समाचार मुद्रण | 341.0 | 791.3 | 18.3 | 2907.0 |
| | सिंथेटिक व पुर्नउत्पादित रेशा | 48.2 | - | - | - |
| | आकस्मिक आयात अनाज, तैयार अनाज, दालें, खाद तेल और चिकनाई* | 800.0 | 2000.0 | 20.1 | 7000.0 |
| | अन्य, जिनमें | 31546.8 | 47892.8 | 8.7 | 208630.0 |
| | | (25965.8) | (47892.8) | (13.0) | |
| 1. | मशीनें व परिवहन उपस्कर | 16200.0 | 25098.0 | 9.2 | 106140.0 |
| | | (11435.0) | (25098.0) | (17.0) | |
| 2. | बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न | 5500.0 | 10200.0 | 13.1 | 40446.0 |
| | | (4822.0) | (10200.0) | (16.2) | |
| 3. | रसायन (उर्वरक, उर्वरक संबंधी सामग्री, कृत्रिम रेशिन व प्लास्टिक सामग्री के अतिरिक्त@ | 2519.0 | 2200.0 | -2.7 | 11620.0 |
| 4. | कृत्रिम रेशिन व प्लास्टिक सामग्री | 1403.0 | 700.0 | -13.0 | 4711.0 |
| 5. | लोह व इस्पात स्क्रैप | 800.0 | 1800.0 | 17.6 | 6680.0 |
| 6. | लकड़ी व लहड़े | 418.5 | 693.0 | 10.6 | 2861.0 |
| 7. | विविध | 4706.3 | 7201.8 | 8.9 | 36172.0 |
| | | (4568.3) | (7201.8) | (9.5) | |
| | जोड़ (क + ख) डी. जी. सी. आई. एंड एस | 53745.0 | 80443.0 | 8.4 | 344525.0 |
| | | (47800.0) | (80443.0) | (11.0) | |
| | सांख्यिकी समायोजन@@ | 8600.0 | 12871.0 | 8.4 | 55125.0 |
| | | (3900.0) | (12871.0) | (27.0) | |
| | सकल जोड़ (ग + घ)@@@ | 62345.0 | 93314.0 | 8.4 | 399650.0 |
| | | (51700.0) | (93314.0) | (12.5) | |
| | अमेरिकी डालर (मिलियन) | 24938.0 | 37325.6 | 8.4 | 159860.0 |
| | | (20680.0) | (37325.6) | (12.5) | |

अ अंतरिम अनुदान

* नोन्साल राशि

@@ ये आंकड़े डी. जी. सी. आई. एंड एस के आंकड़ों की तुलना में कम हैं क्योंकि रसायन का एक बड़ा भाग उर्वरक संबंधी सामग्री में सम्मिलित है।

@@@ कल्पित सामान्य आयात।

@@ भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान संतुलन आंकड़ों और मर्केन्डाइज व्यापार के डी जी सी आई एवं एस के बीच अंतर

3.6.13 1996-97 में उपभोक्ता स्तर पर विद्युत मांग 336 वि.कि. प्र.घ. रखी गई है जो आठवी योजना के दौरान 8.24% की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। पावर के आसानी से उपलब्ध होने पर और अपेक्षित: कम मूल्य की होने के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नॉन-यूटिलिटी से लगभग 30 वि.कि.वा.प्र.घ. उत्पादन की आशा है यदि टीएडी नुकसानों और अन्य नुकसानों को क्रमशः 21% और 7% के स्तर पर नियंत्रित कर दिया जाए तो यूटिलिटी से उत्पादन लगभग 418 वि.कि.वा.प्र.घ. (सारणी 3.25) बिजली के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आठवीं योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त आवश्यक क्षमता लगभग 30538 मे.वा. होगी। योजनावधि में इस सेक्टर के लिए परिव्यय में लगातार वृद्धि की जाती रही है। पिछले दशक से केन्द्रीय सैक्टर का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में केन्द्र का हिस्सा अब लगभग 26% है। आठवीं योजना में प्राइवेट सैक्टर को विद्युत उत्पादन की अधिक जिम्मेदारी देने का विचार किया गया

है। क्षमता में इस सैक्टर का हिस्सा इस समय केवल 2.4% है। प्राइवेट सैक्टर के लिए अलग औद्योगिक या खपत जौन बनाए जा सकते हैं जिससे उनका अपना उत्पादन और निकासी ढांचा हो सके। प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करने की आवश्यकता है।

3.6.14 परियोजनावार विश्लेषण से यह पता चलता है कि योजना अवधि के दौरान 30538 मे.वा. की क्षमता वृद्धि प्राप्त करना सम्भव है। इसमें 2810 मेगावाट शामिल है जो निजी क्षेत्रक में वृद्धि होगी। आठवीं योजना की अवधि के दौरान निजी क्षेत्रक में लगभग 2000-3000 मे.वाट की और वृद्धि से विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने में मदद मिलेगी। केन्द्र और राज्य सैक्टर में इन परियोजनाओं के पूंजी निवेश के लिए लगभग 67,000 करोड़ रु. उपलब्ध रहेंगे जिससे आठवीं योजना के अंत तक लाभ मिलने की आशा है। नई परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए और परवर्ती योजना के दौरान इसके हिस्से में सुधार

सारणी-3.31

आठवीं योजना के लिए आयात अनुमान

(1991-92 करोड़ रु. मूल्यों पर)

| क्र. सं. | वस्तु/ग्रुप | 1991-92* | 1996-97 | संवृद्धि दर (%) | जोड़ |
|----------|--|----------|---------|-----------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | कृषि व संबंध उत्पाद | 7700 | 12064 | 9.4 | 50235 |
| 1 | जिनमें चाय | 1132 | 1324 | 3.2 | 6224 |
| 2 | कॉफी | 310 | 342 | 2.0 | 1646 |
| 3 | तम्बाकू गैर-विनिर्माण व निर्माण | 377 | 450 | 3.6 | 2099 |
| 4 | खली | 871 | 1250 | 7.5 | 5437 |
| 5 | मसालें | 370 | 447 | 3.9 | 2074 |
| 6 | काजू की गिरी | 668 | 1047 | 9.4 | 4410 |
| 7 | कपास | 316 | 323 | 0.4 | 1600 |
| 8 | चावल | 755 | 1127 | 8.3 | 4831 |
| 9 | मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं | 1374 | 2077 | 8.6 | 8863 |
| 10 | मौस और मौस से बनी वस्तुएं | 231 | 354 | 8.9 | 1503 |
| 11 | विविध, संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल हैं) | 332 | 700 | 16.1 | 2654 |
| 12 | फल व सब्जियां | 349 | 573 | 10.4 | 2373 |
| 13 | चीनी और शीरा | 144 | 1100 | 50.2 | 2861 |
| 14 | अवर्गीकृत | 471 | 950 | 15.1 | 3660 |

| क्र. सं. | वस्तु/ग्रुप | 1991-92* | 1996-97 | संवृद्धि दर (%) | जोड़ |
|----------|---|----------|---------|-----------------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| II. | अयस्क और खनिज, जिनमें | 2280 | 2662 | 3.1 | 12416 |
| | 1 लौह अयस्क | 1432 | 1400 | 0.0 | 7000 |
| | 2 अभ्रक, कोयला व अन्य अयस्क तथा प्रकृति खनिज | 848 | 1262 | 8.3 | 5416 |
| III. | विनिर्मित वस्तुएं, जिनमें | 32384 | 65114 | 15.0 | 250800 |
| | 1 सूती धागे का रेशा तथा विनिर्माण | 3209 | 5896 | 12.9 | 23456 |
| | 2 सिले हुए कपड़ा | 5411 | 11552 | 16.4 | 43633 |
| | 3 प्राकृतिक रेशमी धागे का रेशा तथा विनिर्माण | 347 | 617 | 12.2 | 2483 |
| | 4 मानकृत धागे का रेशा तथा विनिर्माण | 823 | 1288 | 9.4 | 5427 |
| | 5 गर्म कपड़े के धागे का रेशा तथा विनिर्माण | 73 | 147 | 15.0 | 567 |
| | 6 पटसन निर्मित वस्तुएं | 388 | 588 | 8.7 | 2507 |
| | 7 नारियल के रेशे तथा विनिर्माण | 70 | 150 | 16.5 | 567 |
| | 8 मिल में बने कालीन | 235 | 387 | 10.5 | 1601 |
| | 9 खेलों का सामान | 108 | 177 | 10.4 | 733 |
| | 10 रबर उत्पाद | 305 | 746 | 19.6 | 2693 |
| | 11 शिक्षा, शिक्षे की बनी वस्तुएं सीमेंट और सीमेंट विनिर्माण | 153 | 600 | 31.4 | 1868 |
| | 12 चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान | 3076 | 5463 | 12.2 | 21995 |
| | 13 इंजीनियरी सामान | 5107 | 10277 | 15.0 | 39611 |
| | 14 रसायन व सम्बद्ध उत्पाद | 3897 | 7810 | 14.9 | 30144 |
| | 15 हस्तशिल्प, जिनमें | 8346 | 17455 | 15.9 | 66339 |
| | (अ) रतन व आभूषण | 6750 | 14702 | 16.8 | 55155 |
| | (ब) मानकृत कालीन | 1000 | 1546 | 9.1 | 6543 |
| | (स) कलाकृत वस्तुएं | 596 | 1207 | 15.2 | 4641 |
| | 16 अर्वाकृत | 836 | 1961 | 18.6 | 7176 |
| IV. | अपरिष्कृत तेल व उत्पाद | 1022 | 1340 | 5.6 | 6029 |
| V. | अन्य | 38* | 1075 | | 4279 |
| | | (442) | (1075) | (19.5) | |
| VI. | जोड़ - 1 से 5 डीजीसीआई एंड एस. | 43424 | 82225 | 13.6 | 323683 |
| | | (43828) | (82255) | (13.4) | |
| VII. | सांख्यिकी समायोजन | 868 | 1614 | 13.2 | 6394 |
| | जोड़ निर्यात | 44292 | 83839 | 13.6 | 330078 |
| | | (44696) | (83869) | (13.4) | |
| | अमरीकी डालर (मिलियन) | 17720 | 33548 | 13.6 | 132061 |
| | | (17878) | (33548) | (13.4) | |

(अ) अंतरिम अनुमान

* चूंकि वास्तविक निर्यात अनुमानित निर्यात से 400 करोड़ रुपये अधिक है इसलिए ये संख्या इतनी ही शेष रह जाती है, वرن यह लगभग 450 करोड़ रुपये होती।

करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में अग्रित कार्रवाई की जानी चाहिए। अलग-अलग मीटरिंग प्रणालियां अपनाकर चोरी रोकने और सम्प्रेषण तथा वितरण नुकसान (टी एंड डी) कम करने की अत्याधिक आवश्यकता है। क्षेत्रीय ग्रिडों के एकीकृत परिचालन में और आगे सुधार करने और बहेतर भार व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की आवश्यकता है। अतः पावर सैक्टर के विकास के लिए सरकारी सैक्टर की योजना में प्रावधान बढ़ाकर 79,589 करोड़

रु. कर दिया गया है। दिन के 24 घंटों में ऊर्जा अधिव्य वाले आर्थिक क्रियाकलापों पर भार उचित रूप से फैलाने के लिए मांग व्यवस्था की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। घंटा टेरिफ के समय और दूसरे उपायों का होना आवश्यक हो सकता है।

3.6.15 रेलवे परिवहन के लिए 1996-97 की अनुमानित मांग सारणी 3.26 में दी गई है। रेलवे तंत्र से 1996-97 में लगभग 443 मिलियन टन भारत ढोने की आशा है। जबकि 1991-92 में यह 363 मिलियन

टन था। इस प्रकार आठवीं योजना के दौरान मूल यातायात में वृद्धि दर 4.1% होगी जबकि सातवीं योजना अवधि के दौरान यह दर 4.77% थी। योजना में यह विचार किया गया है कि यात्री परिवहन में वृद्धि लगभग 5.0% वार्षिक होगी।

भुगतान संतुलन

3.7.1 पिछले अनेक वर्षों से भुगतान संतुलन की स्थिति लगातार खराब रही है। सातवीं योजना अवधि के दौरान चालू लेखा घाटा औसत लगभग 8457 करोड़ रु. वार्षिक था। जबकि छठी योजना अवधि के दौरान यह औसत 2616 करोड़ रु. थी। बड़े व्यापार घाटे और अदृश्य लेखे में अधिशेष कमी भुगतान संतुलन की खराब स्थिति के मुख्य कारण हैं। 1990 में तेल के मूल्यों में वृद्धि से पहले से ही खराब स्थिति और भी बदतर हो गई है।

3.7.2 भुगतान संतुलन के संकट का तत्काल उपाय यह था कि आयात में अत्याधिक कटौती की जाय और विनिमय दर समायोजन द्वारा निर्यात बढ़ाया जाए। इस कार्यनीति से चालू लेखा घाटा 1990-91 में 2.6% से घटकर 1991-92 में लगभग 1.6% हो गया। आर्थिक विकास पर आयात की गंभीर कटौती और विशेषकर औद्योगिक उत्पादन में इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव है। जैसाकि 1991-92 में पहले ही देखा गया है। पूंजीगत समान के आयात में अत्याधिक गिरावट (लगभग 4765 करोड़ रु.) विशेष रूप से चिंताजनक है। यदि आर्थिक विकास को बनाए रखना है तो भुगतान संतुलन समस्या का समाधान विदेशी व्यापार का बलिदान करने में नहीं है बल्कि संरचनात्मक समायोजन नीति अपनाने में है, जो निर्यात को अधिक आकर्षक बनाती है और आयात को अधिक संवेदनशील बनाती है। बाद के समय में पारम्परिक निर्यातों, जो इस समय निर्यात के मुख्य आधार हैं, के स्थान पर थोक वस्तुओं का निर्यात करना होगा। अतः चीनी, इस्पात, सीमेंट आदि का अनुमानित सामग्री संतुलन उनकी आपूर्तियों में विदेशी व्यापार के लिए एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है।

3.7.3 भुगतान संतुलन पर मूल्य हास के लाभकारी प्रभाव के लिए एक पूर्व शर्त यह है कि मूल्य हास से प्राप्त लाभ घरेलू मुद्रास्फिति द्वारा निष्फल नहीं होने दिया जाय। जैसा पहले बताया गया है कि सरकार का वित्तीय घाटा नियंत्रित किया जा रहा है जिससे मुद्रा

की आपूर्ति की वृद्धि में नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी खपत व्यय में कमी और खाद्य तथा दूसरे सामान की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे अतिरिक्त उपाय आवश्यक हैं।

3.7.4 सारणी 3.27 में अस्सी के वर्षों में मुख्य संतुलन संकेतकों को और आठवीं योजना (1992-97) के अनुमानों को दिखाया गया है।

3.7.5 सातवीं योजना अवधि के दौरान स.घ.उ. औसत चालू घाटे का अनुपात 2.4% था, जोकि योजना दस्तावेज में इस अवधि के लिए अनुमानित 1.6% से काफी अधिक था। योजना के पिछले तीनों वर्षों के निर्यात में अत्याधिक वृद्धि के बावजूद भुगतान संतुलन में यह अवनति हुई। इस अवधि के दौरान अदृश्य निवल प्राप्ति में काफी कमी आई है। तेल के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि और खाड़ी युद्ध के दूसरे प्रभावों से 1990-91 में भुगतान संतुलन की पहले से खराब स्थिति और भी बिगड़ गई। वाणिज्यिक ऋणों की प्राप्ति में कमी और अनिवासी जमा राशियों में कोई सुधार न होने से 1991-92 में चालू लेखा घाटे का वित्त पोषण करना कठिन हो गया। वर्ष 1991-92 के दौरान चालू लेखा घाटा 7000 करोड़ रु. के लगभग होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 13942 करोड़ रु. था। 1991-92 के दौरान लेखा घाटे में कमी का मुख्य कारण भुगतान संतुलन की नाजुक स्थिति को देखते हुए आयात के मामले में किए गए गंभीर कटौती उपाय हैं। आयात में कमी करने से स.घ.उ. की वृद्धि दर और निर्यात पर असर पड़ा।

3.7.6 वर्ष 1991-92 के दौरान उद्योग और व्यापार नीतियों और विनिमय दर समायोजन में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से आठवीं योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली और भुगतान संतुलन स्थिति पर असर पड़ेगा। यह अनिवार्य है कि आठवीं योजना के दौरान भारतीय बाह्य स्थितियों की मूल कमजोरियों को सुधारने के कदम उठाये जाएं जिससे बाहरी असंतुलन के कारण अर्थव्यवस्था पर गंभीर व्यवधान न पड़े। अतः बाहर से संसाधनों की अत्याधिक कम प्राप्ति के लिए योजना बनाना आवश्यक है। यह समझा जाता है कि आठवीं योजना में विदेशी बचत स.घ.उ. की 1.6% होगी। यह घाटे का वह स्तर है जिससे सामान्य पूंजी प्राप्ति से बनाए रखा जा सकता है। इससे निर्यात में वृद्धि की भी आशाएं हैं। इस प्रकार

विदेशी बचत आवश्यकता के लिए लगभग 55,000 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है। आठवीं योजना के दौरान भुगतान संतुलन की अनुमानित स्थिति को सारणी 3.28 में दिखाया गया है। इस प्रकार के चालू लेखा घाटे की वित्त व्यवस्था को एक मजबूत प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाने होंगे।

3.7.7 सातवीं योजना के दौरान चालू लेखा घाटे के वित्त पोषण का तरीका ऐसा था कि वित्तीय आवश्यकता के 25% की पूर्ति बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दाताओं से बाहरी सहायता प्राप्त करके और 25% की पूर्ति वाणिज्यिक उधार लेकर और 24% की पूर्ति विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा स्कीम और अनिवासी बाह्य रूपया लेखा स्कीम के अधीन अनिवासी जमा राशियों से और लगभग 14% की पूर्ति दूसरे पूंजी लेन देनों से और बकाया की पूर्ति रिजर्व से निकाल कर की गई है। (सारणी 3.29)

3.7.8 चालू लेखा घाटे के वित्त पोषण की प्रणाली को आठवीं योजना में बदलने की आशा है। वाणिज्यिक उधार कम किया जाएगा और सीधा विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाया जाएगा। सहायक नीतियों की पहले ही घोषणा कर दी गई है।

3.7.9 दीर्घकालिक प्रवृत्तियों की जांच करने और आयात की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेषकर बल्क वस्तुओं के सम्बन्ध में आठवीं योजना अवधि के लिए आयात का स. घ. उ. से 1.5 की लोच को उचित समझा गया। सामान्य आधार पर यह 8.4% वार्षिक आयात वृद्धि को दर्शाता है। परन्तु आयात पर गम्भीर अंकुश लगाने के कारण आयात के मामले में 1991-92 का आधार वर्ष एक अत्यधिक असामान्य वर्ष रहा, अतः यह उचित आधार वर्ष नहीं है जिस पर आयातों के अनुमान लगाए जाएं। वृद्धि दर को दिखाने के प्रयोजनों के लिए वर्ष 1991-92 के लिए आयात 62345 करोड़ रु. माना गया है। जबकि उस वर्ष के वास्तविक आंकड़े केवल 51700 करोड़ रु. के हैं। योजनावधि के दौरान कुल आयात बिल 1991-92 के मूल्यों पर 3,99,650 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है।

3.7.10 बड़ी निर्यातमुखी वस्तुओं की आयात आवश्यकताएं वस्तुओं की आयात की गहनता और आठवीं योजना के लिए उनके निर्यात लक्ष्यों के आधार पर निकाली गई है। लोहे और इस्पात के स्क्रैप की आयात आवश्यकताएं छोटे इस्पात संयंत्रों की उत्पादन

आवश्यकताओं और देश के अंदर स्क्रैप की उपलब्धता और समयावधि के दौरान इनकी आवश्यकता के आधार पर निकाली गई है। कुछ वस्तुओं के मामले में आयात प्रतिस्थापन की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। दूसरे समूह की आयात आवश्यकताएं स. घ. उ. के संदर्भ में आयात प्रत्यास्थता के आधार पर दिखाई गई है। सकल घरेलू पूंजी संरचना, सकल मूल्य वर्धित, औद्योगिक उत्पादन आदि के संदर्भ में आयात के विगत संबंध को भी पूंजीगत माल-आयात के अनुमान दिखाते समय ध्यान में रखा गया है। वस्तुवार आयात अनुमान सारणी 3.30 में दिखाये गये हैं।

3.7.11 योजना के प्रारंभिक वर्षों के अपरिष्कृत तेल के घरेलू उत्पादन में कमी और अपरिष्कृत तेल की शोधन क्षमता में धीमी प्रगति के कारण तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पर्याप्त आयात का प्रावधान करना आवश्यक है। योजना के दौरान आयात के लिए अनुमानित प्रावधान का 1/5 हिस्सा इन वस्तुओं के लिए होगा। इसके लिए दूसरी वस्तुओं विशेषकर पूंजीगत माल और परिवहन उपस्कर के आयात पर प्रतिबंध की आवश्यकता होगी। उर्वरक आयातों के अनुमान मांग पूर्ति संतुलन पर आधारित है। निर्यात संबंधी आयातों विशेषकर रत्नों और बहुमूल्य पत्थरों के लिए पर्याप्त प्रावधान कर दिया गया है। अनाजों और खाद्य तेलों के आकस्मिक आयातों के लिए भी प्रावधान किया गया है। पूंजी निवेश ढांचे विशेषकर पूंजीगत माल और वस्तुनिष्ठ व्यापार नीतियों वाली परियोजनाओं को योजनावधि में अनुमानित आयात ढांचे के अनुरूप करना होगा। आकस्मिक आयातों के रूप में खाद्य तेलों, खाद्यान्नों, और दालों के आयात के लिए 7,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। डी.जी.सी.आई. एवं एस. और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित व्यापार आंकड़ों के बीच अंतर के लिए मद "सांख्यिकीय समायोजन" दिखाई गई है।

3.7.12 आठवीं योजना के दौरान निर्यात में तेजी लाना विदेशी व्यापार कार्यनीति का महत्वपूर्ण अंग है। मात्रा के संदर्भ में निर्यात प्रति वर्ष 13.6% बढ़ने की आशा है। निर्यात अनुमानों के वस्तुवार ब्यौरे सारणी 3.31 में दिखाये गये हैं।

3.7.13 प्राथमिक वस्तुएं निर्यात का 19% होंगी जबकि निर्मित वस्तुएं 76% होंगी। आठवीं योजना के दौरान प्राथमिक वस्तुओं में बड़ी मात्रा में उपरिजित घत, निर्यात बढ़ाकर किया जाएगा और यह निर्यात समुद्री उत्पादों,

आयल केक, चावल, काजू, गिरी, फल, सब्जियां, विविध संसाधन खाद, चीनी और मसालों का किया जायेगा। चूंकि इन वस्तुओं के निर्यात के लिए बाजार एक बड़ी समस्या नहीं है अतः अनुमान तैयार करने में निर्यात के लिए अधिशेष उपलब्धता पर मुख्य ध्यान दिया गया है। निर्मित उत्पादों में आशाजनक वस्तुएं इस प्रकार होंगी : हस्तशिल्प, रत्न व आभूषण तैयार वस्त्र, इंजीनियरी सामान, मूल रसायन, चमड़ा तथा सूती धागा और वस्त्र। क्षमता उत्पन्न करने और चमड़े का सामान, विशेषकर चीनी, सीमेंट और इस्पात उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए काफी पूंजी निवेश किया गया है। यह एक उचित समय है कि इन वस्तुओं का निर्यात करना आरंभ कर दिया जाए।

3.7.14 मकेन्डाइज व्यापार के अंतर का एक हिस्सा अदृश्य प्राप्तियों द्वारा पूरा किया गया है। अदृश्य का संतुलन सकारात्मक रहा

है। परन्तु हाल के वर्षों में संतुलन में कमी की प्रवृत्ति चल रही है। छठी योजना के दौरान 57% व्यापार अंतर को अदृश्य द्वारा पूरा किया गया। सातवीं योजना के दौरान यह घटकर 24% हो गया। पिछले 2-3 वर्षों के दौरान यह स्थिति बदतर होती जा रही है और अदृश्य संतुलन लगभग नगण्य आंकड़े तक पहुंच गया है। इसके मुख्य कारण यह है कि ब्याज भुगतान बढ़ गया है और विदेशी यात्राओं और प्राइवेट परिवहन से आमदनी नहीं बढ़ी है। आठवीं योजना में इस प्रवृत्ति को विपरीत करने और पर्यटन तथा सेवाओं से आमदनी बढ़ाने के विशेष उपाय करने की उम्मीद है। अदृश्य प्राप्तियों से शुद्ध 14600 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है, जिससे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मकेन्डाइज व्यापार में लगभग 27% अंतराल पूरा हो जायेगा।

अध्याय-4

नीति संरचना

प्रस्तावना

4.1.1. आठवीं योजना का उद्देश्य औसत वार्षिक वृद्धि दर को 5.6% और औसत औद्योगिक वृद्धि दर को लगभग 7.5% करना है। ये वृद्धि लक्ष्य सापेक्ष मूल्य स्थायित्व और देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में पर्याप्त सुधार करके प्राप्त करने की योजना है। यह विचार किया गया है कि मूल्य स्थायित्व उचित स्तर पर लाया जायेगा और सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान लेखा घाटे का अनुपात लगभग 1.6% तक रखा जायेगा।

4.1.2. आधार वर्ष में अर्थव्यवस्था का कार्य निष्पादन उत्साहजनक नहीं रहा है। 1991-92 में औद्योगिक वृद्धि लगभग नगण्य होने का अनुमान है और सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की वृद्धि 3% से अधिक न होने का अनुमान है। वर्ष 1991-92 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर लगभग 13% रही है। भुगतान संतुलन के स्तर पर विदेशी मुद्रा रिजर्व में यद्यपि कुछ सुधार हुआ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति के ऋण लेने और कुछ हद तक अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रेषण में वृद्धि के कारण) परन्तु निर्यात असाधारण रूप से मन्दा रहा है। यदि आठवीं योजना में बड़े आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो वर्ष 1991-92 में उक्त कार्यनिष्पादन को देखते हुए अर्थव्यवस्था में तुरन्त परिवर्तन की आवश्यकता है।

4.1.3. रूपया व्यापार क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार की विफलता वर्ष 1991-92 के निर्यात निष्पादन में मंदी का एक कारण है। वर्ष 1991-92 में रूपया व्यापार क्षेत्र में हमारे निर्यात के डालर मूल्य में 40% से अधिक की कमी आ गई। पश्चिम के बड़े औद्योगिक देशों में मंदी के कारण हमारे निर्यात पर यह प्रतिकूल प्रभाव और भी अधिक खराब स्थिति में पहुँच गया। अन्य बातों के साथ-साथ असंतोषजनक निर्यात निष्पादन का औद्योगिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है। अतः कुछ हद तक आठवीं योजना अवधि के दौरान हमारा आर्थिक कार्य निष्पादन बाहरी आर्थिक वातावरण पर निर्भर करेगा। पश्चिम की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में तुरन्त सुधार से हमारे

निर्यात में वृद्धि होनी चाहिए और इससे हमारी भुगतान संतुलन की समस्याओं को हल करने में ही अत्याधिक मदद नहीं मिलेगी बल्कि हमारे औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

4.1.4. जहाँ बाहरी वातावरण अत्याधिक महत्वपूर्ण है वहाँ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए अनुकूल बाहरी दशाओं पर पूर्णतः निर्भर रहना उचित नहीं होगा। इसके बजाय बाहरी आर्थिक दशा को जैसे वह प्रकट होती है उसी रूप में लेना सुरक्षित होगा और जोर घरेलू आर्थिक वातावरण पर दिया जाए जो अर्थव्यवस्था की कारगर वृद्धि में सहायक हो। अनुभव यह प्रदर्शित करता है कि ऐसे आर्थिक वातावरण को सुनिश्चित करने में समन्वित बड़ी आर्थिक नीतियां अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं। सामान्य रूप से निम्नलिखित बड़ी आर्थिक नीतियों पर आठवीं योजना अवधि के दौरान सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

- क. व्यापार, प्रौद्योगिकी और सीमा पार की पूंजी की प्राप्ति को शासित करने वाली नीति प्रणाली।
- ख. औद्योगिक नियंत्रण हटाना और नियंत्रित मूल्य नीति।
- ग. वित्तीय क्षेत्र में सुधार और
- घ. मुद्रा और वित्तीय नीतियों में परिलक्षित मांग प्रबन्ध की अवस्थिति।

4.1.5. मोटे तौर पर इन तीनों नीतियों को एक साथ लिए जाने पर इन्हें संरचनात्मक नीतियों के रूप में जाना जाता है। अर्थात् इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष में सुधार करना है, अंतिम नीति "स्थायित्व" नीतियों के अधीन आती है। अर्थात् इन नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास के अनुरूप समग्र मांग को नियंत्रित करना है। हाल ही में सरकार ने आर्थिक नीति के इन दो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन आरंभ किये हैं। परन्तु हाल में आरंभ किये गए सुधारों की प्रक्रिया केवल एक शुभारंभ है यदि हमें इन सुधारों का पूरा प्रतिफल प्राप्त करना है तो हमें

उन्हें आगे बढ़ाना होगा। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आर्थिक सुधारों की गति को बनाये रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जहाँ आर्थिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, जो अर्थव्यवस्था के कुशल विकास के लिए लाभदायक है, वृहद् अर्थिक स्थायित्व और संरचनात्मक नीतियां दोनों महत्वपूर्ण हैं वहाँ सैक्टर के अनुरूप नीतियों का भी कुशल आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में वृहद् अर्थिक नीति संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है। सैक्टर के अनुरूप नीति संबंधी मुद्दों पर खण्ड -2 में चर्चा की गई है।

व्यापार प्रौद्योगिकी और पूंजी प्राप्ति सम्बन्धी नीतियां :

4.2.1 विगत कुछ दशकों का सार्वभौमिक विकास अनुभव यह प्रदर्शित करता है कि व्यापार पर कम प्रतिबंधों (टेरिफ और गैर टेरिफ दोनों) वाली नीति प्रणाली, जो निर्यात और घरेलू बाजार के लिए उत्पादन को समान प्रोत्साहन प्रदान करती है, से देशों को प्रभावकारी निर्यात विकास प्राप्त करने में ही नहीं बल्कि स्थायी और त्वरित आर्थिक विकास प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा हमारे ही नहीं बल्कि अनेक देशों के अनुभव ने भी अंतर्रोन्मुखी, आयात प्रतिस्थानी व्यापार प्रणाली की निहित सीमाओं को उद्घाटित किया है। ऐसी व्यापार प्रणाली से संसाधन उपयोग और परवर्ती विकास की कुशलता में ही बाधा उत्पन्न नहीं होती बल्कि सक्षम भुगतान संतुलन सुनिश्चित करने में भी यह असफल रही हैं। अतः आठवी योजना के दौरान हमारी व्यापार नीति को अधिक खुला बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्पूर्ण लाभ प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा।

4.2.2 जून, 1991 से सरकार ने, शेष देशों की तुलना में भारतीय अर्थ व्यवस्था को बेहतर रूप से सुदृढ़ करने की दृष्टि से अनेक व्यापार नीति परिवर्तन आरंभ किये हैं। जुलाई, 1991 में रु. का मूल्य लगभग 20% कम समायोजित किया गया। इसके बाद मात्रात्मक प्रतिबंधों में कुछ कटौतियां करके विदेशी व्यापार प्रणाली को उदार बनाया गया। आयात लाइसेंसिंग की परिसीमा से बाहर अनेक वस्तुओं को हटकर आयात नीति प्रणाली में सुधार किया गया। निर्यातकों को एक्जिम स्क्रिप (आयात निर्यात हुडी) के रूप में अपनी निर्यात आमदनी के 30% या 40% के बराबर की पात्रता दी गई जिसके अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तुओं को आयात करने की भी स्वीकृति दी गई

इनके साथ-साथ सरकार ने निर्यातकों को नगद प्रतिपूर्ति सहायता सहित अनेक निर्यात प्रोत्साहन भी दिये। टेरिफ में धीरे-धीरे कमी की दिशा में पहले कदम के रूप में वर्ष 1991-92 के संघीय बजट में आयात शुल्क की अधिकतम दर 300% से कम करके 150% कर दी गई है।

4.2.3 यह व्यापार नीति परिवर्तन आरंभ करने के आठ महीनों के अंदर सरकार ने 1992-93 के संघीय बजट के साथ-साथ व्यापार और सीमा पारिय पूंजी आमदनी के क्षेत्रों में दूसरी नीति परिवर्तन आरंभ किए, यह परिवर्तन जुलाई, 1991 में किए गए परिवर्तनों से अधिक लाभकारी है। एक्जिम स्क्रिप स्कीम के स्थान पर भुगतान संतुलन के चालू लेखे में रुपये की आंशिक विनिमयता की प्रणाली आरंभ की गई। नई प्रणाली के अंतर्गत भेजी गई सारी विदेशी मुद्रा, भले ही उसे माल के निर्यात और सेवाओं से प्राप्त किया हो या विदेशी मुद्रा प्रेषण से प्राप्त किया गया हो, को निम्नलिखित तरीके के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है- प्रेषित विदेशी मुद्रा का 40% सरकारी विनिमय दर पर परिवर्तित किया जायेगा। सरकारी विनिमय दर पर दी गई विदेशी मुद्रा पेट्रोल और तेल उत्पादों, उर्वरक, रक्षा और जीवन-रक्षक औषधियों जैसे अनिवार्य आयातों की विदेशी मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध की जाएगी। दूसरे सभी आयात (निषेध सूची को छोड़कर) स्वतंत्र रूप से किये जा सकते हैं बशर्ते इन आयातों के लिए विदेशी मुद्रा बाजार से प्राप्त की जाए। इसी तरह यात्रा, ऋण सेवा भुगतान, लाभान्ना, रायल्टी और दूसरे प्रेषणों सहित प्राइवेट लेखों पर दूसरे भुगतान के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा बाजार दर पर प्राप्त करनी होगी। अवैधानिक चैनलों को विदेशी मुद्रा ले जाने से रोकने के लिए सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है वह सोने के आयात को कानूनी रूप देना है। वापस आने वाले भारतीयों और अनिवासी भारतीयों को सामान्य आयात शुल्क पर प्रति यात्री पांच किलो सोने के आयात करने की अब मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ सरकार ने एक "गोल्ड बांड स्कीम" आरंभ की है, जिसका उद्देश्य सरकारी रिजर्व के अनुपूर्ति के लिए देश में काम में न लाए जा रहे सोना रिजर्व को जुटाने में मदद देना है।

4.2.4. संघीय बजट के बाद घोषित आठवीं योजना अवधि के लिए निर्यात आयात नीति के बजट में घोषित अनेक व्यापार नीति परिवर्तनों

को कार्य रूप में परिणित कर दिया है। नई एक्जिम नीति ने अब आयात की निषेध सूची विनिर्दिष्ट की है। जिनके आयात को प्रतिबंधित किया गया है या आयात लाइसेंस पर उनका आयात किया जाता है। इसी तरह एक्जिम नीति में निर्यात की निषेध सूची विनिर्दिष्ट की गई है। इनमें भी वह वस्तुएं हैं जिनका आयात या तो प्रतिबंधित सारणीबद्ध किया गया है या निर्यात लाइसेंस पर उनका निर्यात किया जाता है। आयात और निर्यात की निषेध सूचियां विनिर्दिष्ट करने के अलावा एक्जिम नीति में निर्यात और समझे गए निर्यात के लिए प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गई है।

4.2.5 वर्ष 1991-92 के संघीय बजट में आरंभ की गई सीमा शुल्क टेरिफ दर को कम करने की प्रक्रिया 1992-93 के बजट में भी चालू रखी गई। वर्ष 1991-92 के बजट में अधिकतम टेरिफ दर जो 300% से भी अधिक थी से कम करके 150% कर दी गई थी। 1992-93 के बजट में उसे और कम करके 110% कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर टेरिफ कम कर दिया गया है उनमें पूंजीगत माल, पेट्रोलसायन, अखबारी कागज़, एस्बेस्टस और कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशी शामिल हैं।

व्यापार नीति में आगे सुधार

4.2.6 आठवीं योजना अवधि के दौरान व्यापार नीति में और आगे सुधार करना आवश्यक है। जिससे अन्य देशों के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर रूप से एकीकृत किया जा सके। इन सुधारों का दोहरा उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात् (i) आयात और निर्यात की निषेध सूचियों में आगे कांट छांट करना और (ii) टेरिफ दरों के स्तर और विस्तार दोनों में धीरे-धीरे कटौती करना। इस स्तर पर उन वस्तुओं का विशिष्ट रूप से उल्लेख करना कठिन होगा जिन्हें निषेध सूचियों से अलग करने की आवश्यकता है। व्यापक मार्गदर्शन के रूप में ज्योंही विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार होता है और अर्थव्यवस्था अधिक लचीली होती है हमारा उद्देश्य आयात की निषेध सूची से अधिकांश कच्चे मालों और घटकों को घटाने का होना चाहिए। सुधार के बाद के चरणों में निर्मित वस्तुओं को भी निषेध सूची से निकाल दिया जाना चाहिए। और आठवीं योजना के अंत तक आयात की निषेध सूची में केवल वही वस्तुएं होनी चाहिए जिन पर पर्यावरण और सुरक्षा जैसे कारणों से प्रतिबंध लगाया गया हो। घरेलू उद्योग

के लिए आवश्यक समझी गई किसी सुरक्षा को विनिमय दर और टेरिफ के माध्यम से संरक्षण दिया जाना चाहिए। विनिमय दर के मामले में चालू लेखे पर आंशिक परिवर्तनीयता आरंभ करना एक अपेक्षित कार्य होगा। परंतु घरेलू अर्थव्यवस्था ज्यों-ज्यों अधिक स्थायित्व प्राप्त करती जाती है और बाहरी वातावरण में सुधार होता जाता है हमें वैद्य विनिमय बाजार प्रणाली से अलग होना चाहिये, विनिमय दरों में एकरूपता लानी चाहिये और चालू लेखे पर रूप को पूर्णतया परिवर्तनीय बनाना चाहिए। योजना अवधि की समाप्ति से पहले क्रमिक चरणों में लक्ष्य प्राप्त करना संभव होना चाहिए।

4.2.7 आयात नीति और विनिमय दर प्रणाली में सुधारों के साथ साथ हमारी टेरिफ संरचना को पर्याप्त रूप से युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि टेरिफ ढांचे में विद्यमान विकृतियों को समाप्त किया जाए और आठवीं योजना के अंत तक टेरिफ में पर्याप्त कटौती कर दी जाए। वर्तमान टेरिफ कटौतियां यद्यपि पर्याप्त हैं परन्तु उत्पादित वस्तुओं पर टेरिफ स्तर काफी अधिक है जिसे कम करने की जरूरत है। नीति का उद्देश्य उस व्यापार प्रणाली की ओर बढ़ने का होना चाहिए जिसमें तीन-चार वर्षों की अवधि के अंदर औसत टेरिफ स्तर लगभग 25% हो जाएं। इस दिशा में पहले प्रयास के रूप में हमें अत्याधिक गंभीर विकृतियों को दूर करना चाहिए। हमारे टेरिफ ढांचे की सबसे गंभीर विकृति यह ही है की मध्यवर्ती और पूंजीगत माल पर टेरिफ दरें असाधारण रूप से अत्याधिक रही हैं। वर्ष 1992-93 के संघीय बजट में इन दरों में मामूली कमी की गई है। इन्हें और अधिक कम करने की आवश्यकता है इसके बाद घरेलू उद्योग के अधिक लचीला होने पर हम कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को उदार बना सकते हैं और टेरिफ को कम कर सकते हैं।

पूंजी प्रवाह पर नीतियां

4.2.8 हाल के व्यापार नीति सुधारक के पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने विदेशी सीधे पूंजी के रूप में पूंजी आगमों को उदार बना दिया है इस दिशा में किए गए विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं (i) लगभग 31 क्षेत्रों में 51% तक विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग और विदेशी इक्विटी भागीदारी के तहत अनुमोदन (ii) प्रौद्योगिकीय आयातों में लचीलापन लाने के लिए इक्विटी पूंजी निवेश से प्रौद्योगिकीय

हस्तारण को अलग करना (iii) ऐसे मामलों में जहां विदेशी मुद्रा प्राप्ति विदेशी इक्वीटी से होती है वहां पूंजीगत माल के आयात के लिए सतह मंजूरी। हाल ही में सभी प्रचालन प्रयोजनों के लिए फ़ैरा कम्पनियों को भारतीय कंपनियों के बराबर का दर्जा देने के लिये विदेशी मुद्रा एवं विनिमय अधिनियम (फ़ैरा) में संशोधन किया गया है, अब विदेशी कंपनियों को अपने व्यापार चिन्हों का उपयोग करने एजेंट या तकनीकी या प्रबंध सलाहकारों के रूप में नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है। उन्हें पब्लिक से जमा राशि उधार लेने और स्वीकार करने और अचल सम्पत्ति खरीदने और बेचने की भी अनुमति दी गई है।

4.2.9 विदेशी पूंजी निवेश नीति में दी गई यह छूट सही दिशा में है परन्तु यदि भारत को बढ़ते हुए अन्योपार्थित विश्व में विदेशी पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण आगम को आकर्षित करना है तो सरकार को इस विषय पर हुई प्राप्ति के निरन्तर निगरानी दूसरे विकसित देशों के साथ पूंजी निवेश की हमारी नीतियों की तुलना करने और यदि आवश्यक हो तो इनमें तुरंत परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। विश्व पूंजी आगम में हमारा हिस्सा केवल हमारी नीतियों पर ही निर्भर नहीं करेगा बल्कि दूसरे विकसित देशों के साथ-साथ हमारी नीतियों पर भी निर्भर करेगा। सम्पूर्ण रूप से आठवीं योजना के दौरान हमारी कार्यनीति यह होनी चाहिए कि विदेशी वाणिज्यिक आधार पर चालू लेखा घाटे के वित्त पोषण के लिए कम निर्भर रहा जाए और विदेशी पूंजी निवेश पर अधिक निर्भर रहा जाए, योजना अवधि के अन्त तक सीधे पूंजी निवेश की प्राप्ति प्रति वर्ष लगभग एक बिलियन अमरीकी डालर बढ़ाना सम्भव होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह धनराशि फिर भी कम होगी। इसके लिए हमारी विदेशी पूंजी निवेश नीति पर निरन्तर निगरानी रखने और हमारी ओर से सुदृढ़ कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

औद्योगिक नियंत्रण हटाना और नियंत्रित मूल्य नीति

4.3.1 ऐतिहासिक रूप से हमारी व्यापार नीति प्रणाली की तरह हमारी घरेलू आर्थिक नीतियां भी, चाहे वह उत्पाद अथवा बाजारों के मामले में ही हों, अत्याधिक प्रतिबंधात्मक रही हैं। घरेलू आर्थिक क्रिया कलापों पर व्यापक और स्वेच्छिक सरकारी नियंत्रण लगाए जाते रहे हैं। औद्योगिक सेक्टर में ऐसे नियंत्रण अनेक रूपों में जैसे औद्योगिक

लाइसेंसिंग के माध्यम से प्रवेश और विस्तार पर रोक लगाना सरकारी सेक्टर और लघु सेक्टर के लिए अनेक उद्योगों को आरक्षित रखना, उद्योग के लिए फर्मों के स्वीकृति की आवश्यक प्रक्रिया का अत्यधिक समय नष्ट करने वाला होना और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों पर मूल्य और वितरण नियंत्रण हाल के वर्षों में अधिकतर यह महसूस किया जाता रहा है कि घरेलू उपक्रमों पर इस विनिमयात्मक प्रणाली से अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से और औद्योगिक सेक्टर में विशेष रूप से व्यापक और कार्यकुशलता उत्पन्न हुई है। अतः सरकार हाल के वर्षों में और विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों के दौरान इन नियंत्रणों में छूट देती आ रही है।

4.3.2 जुलाई, 1991 में घोषित नई नीति औद्योगिक नीति में नौकरशाही के नियंत्रण को हटाने पर जोर दिया गया है क्योंकि इससे औद्योगिक विकास और अवरूद्ध होता है और प्राइवेट सेक्टर में बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित करने में अड़चने आती हैं। रक्षा उपस्कर और औद्योगिक, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष, विमान, कोयला, पेट्रोलियम, एल्कोहल नुकसानदायक रसायन, भेषज और औषधियों जैसे 18 उत्पाद श्रेणियों और कुछ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे चीनी, खाद्य तेल, रेफ्रिजरेटर, मोटर-कार, और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर बाकी सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। कंपनियों के आकार की अधिकतम परिसम्पत्ति सीमा जिसे अब तक एमआरटीपी एक्ट के अधीन लागू किया जाता था समाप्त कर दी गई है। इसके फलस्वरूप फर्म इष्टतम रूप में अपना विस्तार कर सकती हैं और निर्धारित अर्थव्यवस्था के फायदे प्राप्त कर सकती हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में अभी तक एकाधिकारोपधी कानून से बाधा पहुंचती थी। उद्योगों के लिए स्थान संबंधी नीति को अत्याधिक सरल और उदार बना दिया गया है। सरकार ने चरणवार उत्पादन कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया है। जिसके अंतर्गत अभी तक घरेलू निर्माताओं को निर्धारित अवधि में अपने उत्पादों का घरेलू निवेश घटक बढ़ाने की आवश्यकता होती थी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि सरकारी सेक्टर के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या अत्यधिक कम कर दी गई है जिससे प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी संख्या में उद्योग खोलने की गुंजाइश उत्पन्न हो गई है।

4.3.3 घरेलू आर्थिक क्रियाकलापों को शासित करने वाले

विनिमयात्मक प्रणाली में इन छूटों से औद्योगिक सेक्टर में प्रवेश करने की बाधाएं अल्पकाल में दूर हो गई हैं इससे औद्योगिक सेक्टर को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप में अधिक प्रतियोगी बनने में मदद मिलेगी। आठवीं योजना अवधि के दौरान औद्योगिक नीति को इन नियंत्रण हटाने वाले उपायों की गति को बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। इस संदर्भ में इन दो क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है (i) औद्योगिक विनियमनात्मक नियंत्रण हटाना और (ii) नियंत्रित मूल्य नीति।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना

4.3.4 हाल के नीति परिवर्तनों से लाइसेंस नियंत्रण के अधीन औद्योगिक उत्पादन को लगभग 20% तक कम कर दिया गया है परन्तु नई औद्योगिक नीति में कुछ पहलू फिर भी कुछ प्रतिबंधात्मक प्रतीत होते हैं उदाहरण के लिए चीनी और खाद्य तेल जैसे उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता को बनाए रखने का कोई स्पष्ट औचित्य नहीं है। इसी तरह मोटर-कार, रेफ्रिजरेटर और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता का कोई खास कारण दिखाई नहीं देता। अतः आठवीं योजना के दौरान औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले उद्योगों की सूची को अधिक छोटा करने की आवश्यकता है। अधिकांश उपभोक्ता सामान तैयार करने वाले उद्योग जिन्हें इस समय औद्योगिक लाइसेंस लेना होता है, लाइसेंस मुक्त कर दिए जाने चाहिए। रक्षा विस्फोटक पदार्थ और नुकसानदायक रसायनों से सम्बन्धित उद्योगों को ही औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले उद्योगों को प्रतिबंधित सूची में रखा जाना चाहिए।

न चल सकने योग्य यूनिटों के सम्बन्ध में नीति

4.3.5 प्रतियोगिता उत्पन्न करने और संसाधनों का कारगर उपयोग बढ़ाने के लिए फर्मों के प्रवेश और विस्तार के लिए एक उदार नीति का होना आवश्यक शर्त है। परन्तु ऐसी नीति के फायदे अत्याधिक कम हो जाएंगे यदि हमारे पास न चल सकने योग्य फर्मों के बारे में एक उचित नीति न हो। कार्यकुशलता में अत्याधिक वृद्धि के लिए प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबंध हटाने के साथ साथ फर्मों को समाप्त करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। हमारी औद्योगिक समाप्ति स्वीकृति नीति अत्याधिक प्रतिबंधात्मक और समय नष्ट करने वाली

है। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में औद्योगिक सेक्टर में व्याप्त रुग्णता के पीछे यह एक बड़ा कारण है। उद्योगों को समाप्त करने की नीति के बारे में नियमों और प्रक्रियाओं की पूर्ण पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है। और इस पुनरीक्षा में आर्थिक रूप से न चल सकने योग्य फर्मों को अधिक आसानी से बंद करने का उद्देश्य होना चाहिए।

4.3.6 व्यावहारिक औद्योगिक समाप्ति नीति तैयार करने में मुख्य ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिये कि श्रमिकों के वैधानिक हितों को संरक्षण मिले चाहे वह सरकारी या निजी किसी भी सेक्टर में हों ऐसे यूनिटों के मामले में जिन्हें उनका पुनरुद्धार करके आर्थिक रूप से चल सकने योग्य बनाया जा सकता है श्रमिकों को बनाए रखते हुए उनकी पुनः बहाली करते हुए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। केवल ऐसे यूनिटों के मामले में जिनका पुनरुद्धार करके भी उन्हें आर्थिक रूप से चलने योग्य नहीं बनाया जा सकता वहां भी यूनिट को बंद करने के विकल्प की स्वीकृति दी जानी चाहिए। यहां भी यूनिट को बंद करने पर श्रमिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अनेक विकल्प दिए जाने चाहिए जैसे कर्मचारियों की छटनी के लाभ का भुगतान करने के लिए अनिवार्य बीमा या निधि का बनना। औद्योगिक यूनिट के पुनरुद्धार द्वारा प्रभावित श्रमिकों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनः बहाली के खर्च को पूरा करने हेतु सहायता देने की दृष्टि से सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है। यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि से लगभग 30 से 40 सरकारी सेक्टर के यूनिटों के अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर पुनरुद्धार में मदद मिलेगी और इनमें से अनेक यूनिटों का प्रभावकारी रूप से पुनरुद्धार होगा। जहां यह संभव न हो इससे श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देने या उनके पुनर्वास में मदद मिलेगी। ऐसे ही दूसरे विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता है।

लघु उद्योग

4.3.7 दूसरा क्षेत्र जिसकी पूरी जांच की जानी है वह लघु उद्योगों से सम्बन्धित है। श्रमिक रोजगार वाले औद्योगिक विकास की कार्यनीति में लघु सेक्टर का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीति संबंधी उपायों के कारण औद्योगिक रोजगार में उचित विकास करने में इस सेक्टर से मदद मिली है। विशेषकर

ऐसे समय में जब संघटित औद्योगिक सेक्टर में रोजगार के अवसरों में अल्पोष उत्पन्न हो गया था। फिर भी इस सेक्टर की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या पर्याप्त आधुनिकीकरण और औद्योगिक अन्नयन की कमी ही है। आज की दुनिया में हो रहे प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए लघु सेक्टर के यूनितों को अपनी प्रौद्योगिकी के आधुनिक बनाने की आवश्यकता होगी। बड़े औद्योगिक यूनितों के साथ प्रभावकारी रूप से प्रतियोगी बनाने में उन्हें इससे मदद मिलेगी।

नियंत्रित कीमतें

4.3.8 प्रवेश और समाप्ति की नीति के प्रस्तावित युक्तिकरण/छूट से औद्योगिक सेक्टर की प्रतियोगिता में वृद्धि होनी चाहिए। इन लाभों में कुछ हद तक कमी आ सकती है यदि सरकार मूल्यों को नियंत्रित करती है और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के वितरण में नियंत्रित रखती है। इस समय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, बिजली, उर्वरक, चीनी और विभिन्न अलोह धातु जैसे औद्योगिक उत्पादों के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। इन मूल्य नियंत्रणों की उपादेयता की पूरी पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है जहां कहीं संबंधित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय रूप से व्यापार योग्य हैं वहां सरकार को मूल्यों पर नियंत्रण हटा देना चाहिए। मूल्य नियंत्रण हटाने से विद्यमान उत्पादक मूल्य न बढ़ा दें यह सुनिश्चित करने के लिए इन उत्पादों के आयात पर टेरिफ की दरों का उचित रूप से कम समायोजन किया जाना चाहिए जैसा हाल ही में इस्पात के मामले में किया गया है। इस प्रकार का समर्थनात्मक टेरिफ समायोजन न करने से अब तक नियंत्रित मूल्यों में अनुचित वृद्धि हो सकती है जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा।

4.3.9 व्यापार योग्य वस्तुओं के मामले की तुलना में बिजली और सरकारी परिवहन जैसे गैर व्यापार योग्य मर्दों के नियंत्रित मूल्यों पर ऐसी कार्यवाही करना कठिन होगा क्योंकि इन क्षेत्रों में सरकारी सेक्टर का लगभग एकाधिकार है। ऐसे मामलों में अधिक से अधिक यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ऐसे सामान और सेवाओं को पैदा करने वाले उपक्रम उत्पादन की दीर्घकालीन सीमांत लागत(एलआरएमसी) इसमें शामिल करें मुख्य उद्देश्य यह है कि मूल्यों के अंतर्गत कारणर उत्पादन की पूंजी और चालू लागत शामिल हो जाएं। यद्यपि उत्पादन

के एलआरएमसी का निर्धारण करना कुछ कठिन काम है। परन्तु औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी) ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि अधिकांश उद्योगों के मामले में एलआरएमसी की गणना करना व्यावहारिक है। अतः गैर व्यापार योग्य वस्तुओं के नियंत्रित मूल्यों के मानदंड रखने के प्रयास के उचित कार्यान्वयन के लिए वीआईसीपी जैसे संगठनों को ऐसे उत्पादों के लागत मूल्य ढांचे का प्रत्येक तीन से पांच वर्षों में व्यापक अध्ययन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। परन्तु किसी समय पर किसी उद्योग के लिए एलआरएमसी पर आधारित मानकीय मूल्य निर्धारित करने और समय के अनुसार लागत में उचित परिवर्तन करने के बीच अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण होगा इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा अपने 1986 में नियंत्रित मूल्य नीति नामक लेख में दो स्तरीय प्रयास का सुझाव दिया है। पहला यह है कि कार्य कुशलता के मानकीय स्तर पर लागत का विस्तृत अध्ययन करने के बाद मूल्यों का आधार स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह कार्य करने के बाद निवेश लागत में वृद्धि से होने वाले परिवर्तनों को इसके उपरान्त स्वतः ही किया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार

4.4.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक पहलुओं में प्रस्तावित सुधारों के लिए एक गतिशील और प्रतियोगी वित्तीय प्रणाली आवश्यक है। इन वर्षों में भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली ने अपने भौगोलिक क्षेत्र और क्रियात्मक कार्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अर्थव्यवस्था और वित्तीय बचतों की वृद्धि में वित्तीय माध्यम्यता को बढ़ावा देने में बैंकिंग प्रणाली का विस्तार एक बड़ा कारण रहा है। साख सुविधा भी व्यापक रूप से सुलभ रही है और बैंकिंग प्रणालियां अनेक लाखों ऋण लेने वाले, विशेषकर कृषि एवं लघु उद्योगों में, की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली विकास ने वित्त संस्थानों में प्राइवेट सेक्टर में पूंजी निवेश के लिए अत्याधिक आवश्यक सांस्थानिक सहायता भी प्रदान की है। पिछले दशक के दौरान मुद्रा और पूंजी बाजार का अत्याधिक विविधीकरण हुआ है। इस प्रशासनीय प्रगति के बावजूद बैंकिंग प्रणाली की प्रचालन दक्षता में निरंतर अभ्यास इस प्रकार वित्तीय सेक्टर के कार्यनिष्पादन का तुलन-पत्र मिश्रित प्रकार का है, कुछ सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में और सामान्यतः साख सुविधा

के विस्तार में मजबूत और को अर्थक्षमता के सम्बन्ध में कमजोर रहा है ।

4.4.2 वित्तीय प्रणाली समिति, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की है, बैंकिंग सेक्टर की कार्यकुशलता और लाभकारिता में गिरावट के लिए उत्तरदायी बड़े कारणों का पता लगाया है । यह कारण इस प्रकार हैं : (क) निर्देशित पूंजी निवेश (ख) निर्देशित ऋण कार्यक्रम बैंक की शाखाओं का अत्याधिक और कुछ अनार्थिक विस्तार और (ग) पोर्ट फोलियो क्वालिटी की और अपर्याप्त ध्यान बैंकों के आन्तरिक संगठनात्मक ढांचे में भी कमियां रहीं हैं । प्राधिकार का अपर्याप्त हस्तान्तरण और अपर्याप्त अंतरिक नियंत्रण इसमें शामिल हैं । इनमें से कुछ कमियां वाणिज्यिक बैंकों और डीएफआई दोनों में हैं ।

4.4.3 संस्थानों को अत्याधिक प्रचालन स्वतंत्रता देने और वित्तीय सेक्टर के अत्याधिक प्रतियोगिता उत्पन्न करने लिए वित्तीय सेक्टर के कुछ नियंत्रणों में छूट दी गई है । पिछले दिनों तक डीएफआई के उधार देने की दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थीं । हाल के नीति परिवर्तन के हिस्से के रूप में अब डीएफआई को बाजार की दशाओं के आधार पर ब्याज लगाने की स्वीकृति दी गई है । परन्तु यह न्यूनतम दर 15% होगी । इसी तरह कारपोरेट डिबेंचर पर ब्याज की दरें पहले सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थी अब उन्हें भी इससे मुक्त रखा गया है । वाणिज्यिक बैंकों के लिए सम्पूर्ण ब्याज दर ढांचे को बढ़ाकर समायोजित किया गया है । इसके फलस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों की न्यूनतम उधार देने की दर (2 लाख रु. से अधिक के ऋणों पर) बढ़ा दी गई है और ऋण कर्ता के साख जोखिम के बारे में उनकी धारणा के आधार पर उक्त न्यूनतम दर अंतर्गत बैंकों को ब्याज लगाने की स्वतंत्रता दी गई है । इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों की सावधिक जमा दरों पर नियंत्रण आंशिक रूप से हटा दिया गया है और बैंक सीलिंग के अनुसार यह दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । दूसरे महत्वपूर्ण कदम के रूप में अनिवार्य परिवर्तनीयता अनुच्छेद, जिसके अंतर्गत डीएफआई अपना 20% सावधिक ऋण इक्विटी में परिवर्तित कर सकते थे, हटा दिया गया है जिससे उद्योग की लम्बे समय से चली आ रही अप्रसन्नता दूर हो गई है । सरकार ने देश के अग्रणी विकास वित्त संस्थान अर्थात् भारतीय आद्योगिक विकास बैंक की कर छूट स्थिति को समाप्त

कर दिया है । जिससे यह दूसरे डीएफआई के साथ अधिक प्रतियोगिता कर सके । इसी तरह वित्तीय सेक्टर में म्यूचल फण्ड बिजनेस जिसे अभी तक सरकारी सेक्टर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए आरक्षित रखा गया था, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है । हाल ही में कंपनियों के नए पूंजी निर्गमों का फार्मूले पर आधारित मूल्य नियंत्रण, जिसे अब तक पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा लागू किया जाता था । निर्धारण समाप्त कर दिया गया है । अब यह कंपनियां बाजार की दशाओं के आधार पर अपने नए पूंजी निर्गमों का मूल्य निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं । आठवी योजना के दौरान वित्तीय सेक्टर के सुधारों का सम्पूर्ण जोर इस बात को सुनिश्चित करने में किया जाना चाहिए कि वित्तीय प्रणाली परिचालन प्रत्यास्थता के आधार पर और कार्यात्मक स्वायत्तता से कार्य करें जिससे कार्यकुशलता, उत्पादकता और मुनाफे में वृद्धि हो । सामान्य सिद्धान्त के रूप में सरकार को अब तक सरकारी सेक्टर के लिए आरक्षित, जिसमें बैंकिंग प्रणाली भी शामिल है, क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश की स्वीकृति देनी चाहिए ।

सावधिक ऋण शोधन आवश्यकताएं

4.4.4 बैंकिंग प्रणाली के मामले में सर्वाधिक परिशोधन आवश्यकता (एसएलआर) जिसे प्रारंभ में एक उचित आवश्यकता के रूप में शुरू किया था अब सरकारी सेक्टर के वित्त पोषण के लिए एक बड़ा साधन बन गया है । प्रारंभ में एसएलआर बैंक की निवल देयताओं का लगभग 20% थी जिसे बढ़ाकर अब 38% से अधिक कर दिया गया है । क्योंकि एसएलआर से सम्बन्धित बैंक पूंजी के निवेश पर औसत ब्याज दर कृत्रिम रूप से काफी कम स्तर पर रखी गई है । एसएलआर में वृद्धि से बैंकों के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है केन्द्रीय सरकार ने 1990-91 में अपना वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8.5% से कम करके 1991-92 में लगभग 6.5% पहले ही कर दिया है और 1992-93 में इसे लगभग 5% और कम करने के उपाय आरंभ कर दिए हैं । सरकार ने वित्तीय घाटा 1990 के मध्य तक और कम करके लगभग 3 से 4% कम करने के दौरान एसएलआर को पर्याप्त रूप से कम करना संभव होगा इससे बैंकों के उधार देने के क्रियाकलापों में लचीलापन ही नहीं आएगा बल्कि वाणिज्यिक सेक्टर को उनके फंड का बड़ा हिस्सा उधार देने में भी मदद मिलेगी ।

निर्दिष्ट ऋण कार्यक्रम

4.4.5 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले जिन सेक्टरों की आमतौर पर उपेक्षा की गई थी उनके लिए बैंकिंग प्रणाली सुलभ कराने में बैंकों के प्राथमिकता सेक्टर संबंधी ऋण प्रदाय कार्यों के अधीन निर्दिष्ट ऋण कार्यक्रम ने लाभदायक उद्देश्य पूरा किया है। गैर-सरकारी सेक्टर के कुल बैंक ऋण का प्राथमिकता सेक्टर के ऋण का हिस्सा 70 के आरंभ में नगण्य था। परन्तु अब यह लगभग 40% है चूंकि प्राथमिकता सेक्टर के ऋण रियायती ब्याज दरों पर दिए जाते हैं अतः बैंक के मुनाफों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सफ़्ततः उन श्रेणियों के मामले में पुनरीक्षा की आवश्यकता है जो बैंकिंग प्रणाली से रियायती दरों पर उधार लेने के हकदार हैं। इसका एक तात्कालिक उपाय यह है कि प्राथमिकता सेक्टर की परिसीमा से बड़े उधार लेने वालों को हटा दिया जाए। प्राथमिकता सेक्टर के लिए ऋण देने हेतु 2 से अधिक रियायती ब्याज की दरें निर्धारित नहीं की जानी चाहिए जिससे बैंकिंग प्रणाली पर बोझ सीमा के अन्दर बना रहे।

ब्याज दर संरचना

4.4.6 प्रस्तावित एसएलआर में कटौती और निर्दिष्ट ऋण कार्यक्रम को बैंकिंग प्रणाली की प्रत्यास्थता अत्याधिक बढ़ानी चाहिए। परन्तु इन परिवर्तनों से होने वाले फायदे काफी कम हो जाएंगे यदि ब्याज दर संरचना पर सरकार का नियंत्रण जारी रखा जाता है। ब्याज की दरों पर नियंत्रण हटाने पर हाल में जोर दिए जाने के बावजूद भी ब्याज दर संरचना अत्याधिक जटिल और दुस्ह है। वित्तीय प्रणाली को ब्याज दर प्रणाली की ओर स्पष्ट रूप से जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष नियंत्रणों से मुक्त है। यह जाहिर है कि ब्याज दर एक महत्वपूर्ण नीति उपाय है और सम्पूर्ण विश्व के आर्थिक प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध विभिन्न उपायों से ब्याज दर के स्तर को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं फिर भी यह तर्क नहीं दिया जाता कि आर्थिक प्राधिकारियों को अपने महत्वपूर्ण कार्य छोड़ देने चाहिए। ब्याज दरों की एक जटिल संरचना अनिवार्यतः लगाए बिना सम्पूर्ण आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक प्राधिकारियों को ब्याज दर के सामान्य स्तर को प्रभावित करना चाहिए। ब्याज दरों की अनियंत्रित संरचना को अफसाने में यह प्रदर्शित करने के साथ ही

ऐतिहासिक प्रमाण है कि ऐसे प्रयोग तभी सफल होते हैं जब मुद्रा स्फीति दबाव नियंत्रण में होते हैं। ब्याज के सामान्य और वास्तविक दरों में अत्याधिक वृद्धि के प्रतिकूल आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। परन्तु ब्याज दरों पर सुधार कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट है। कम से कम आरंभ में हमें ब्याज दरों की नियंत्रित संरचना से अधिक सरल की गई प्रणाली की और कदम बढ़ाने चाहिए जहां आर्थिक प्राधिकारियों द्वारा कुछ ही दरें निर्धारित की गई हों।

विकास वित्तीय संस्थान

4.4.7 विगत वर्षों में डीएफआई का पोषण एवं विकास सरकार की सक्रिय सहायता, विशेषकर रियायती वित्त के रूप में, की गई परन्तु डीएफआई के कार्यों में सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप से परिचालन प्रत्यास्थता और इन संस्थानों में प्रतियोगिता की कमी का परिणाम सामने आया है। इस स्थिति को दूर रखने के लिए हमें दोहरे प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक ओर ऋण स्वीकृत करने और अंतरिक प्रशासन में डीएफआई को पर्याप्त स्वायत्ता दी जानी चाहिए। दूसरी ओर डीएफआई को अधिक प्रतियोगी वातावरण में काम करने के योग्य बनाना चाहिए। दूसरे प्रयत्न के लिए एसएलआर और दूसरे व्यवस्थाओं के माध्यम से रियायती वित्त के लिए डीएफआई की विशेष पहुंच धीरे-धीरे कम की जानी चाहिए। इसके बजाय डीएफआई को अपने संसाधन प्रतियोगी शर्तों पर बाजार से प्राप्त करने चाहिए। इसके अलावा डीएफआई (कंसोर्टियम लेंडिंग) की वर्तमान प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। अन्य बातों के अलावा यह भी आवश्यक होगा कि डीएफआई की इक्वीटी की पारस्परिक स्वामित्व की वर्तमान प्रणाली और डीएफआई के बोर्ड में पारस्परिक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए।

विवेकपूर्ण मानदंड और मार्ग निर्देशिकाएं

4.4.8 ऊपर प्रस्तावित वित्तीय उदार उपायों के साथ साथ स्पष्ट विवेक पूर्ण मानदंड और मार्गनिर्देशिकाएं भी तैयार की जानी चाहिए जो वित्तीय सेक्टर में विभिन्न संस्थानों के कार्यकलापों को शासित करेंगे। यह विशेष रूप से आवश्यक इस कारण से है कि पिछले दशक के दौरान वित्तीय क्षितिज पर अनेक नए संस्थानों का अविर्भाव हुआ है। वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने में व्यापारिक बैंक म्यूचुअल फंड लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां और फैक्टरियां कंपनियां

पहले से विद्यमान संस्थानों के साथ सम्मिलित की गई है। परन्तु इन अनेक संस्थानों के लिए विनिमयात्मक कार्यनीति अभी तक तैयार नहीं की गई है अतः सरकार को अन्य बातों के साथ साथ पूंजी पर्याप्तता, ऋण इक्विटी अनुपात, सही लेखाकरण और वित्तीय नीतियों के अनुपालन, परिसम्पत्तियों के उल्लेख, विनियमन और मूल्य निर्धारण के बारे में विवेकपूर्ण मानदंड और मार्गदर्शिकाएं तैयार करनी चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए।

4.4.9 विवेकपूर्ण विनियमन के दो विशेष रूप से महत्वपूर्ण पहलू जिन्होंने आज के समय में अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, पूंजी पर्याप्तता और पूंजी व्यवस्था से सम्बन्धित है। भारतीय प्रणाली अभी तक इन दोनों पक्षों के मामले में पीछे रही है। इस गलत धारणा के कारण पूंजी पर्याप्तता पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सका कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंक और वित्तीय संस्थान असफल नहीं हो सकते या उनके सामने समस्याएं नहीं आ सकती। बड़े भारतीय बैंकों की शाखाएं अब विश्व के महत्वपूर्ण वित्त बाजार केन्द्रों में कार्य कर रही हैं। अतः अब इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अलावा देश में काम कर रहे बैंकों के लिए भी पर्याप्त पूंजी आधार बनाने की आवश्यकता है। इस बात को महसूस करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यह निर्धारित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से कार्य कर रहे सभी बैंकों के पास प्रयाप्त पूंजी अनुपात (जोखिम वाली परिसम्पत्तियों के योग की अबाधित पूंजी निधि का अनुपात) मार्च 1994 तक 8% होना चाहिए और दूसरे बैंकों के मामले में मार्च, 1993 तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात 4% और मार्च, 1996 तक 8% होना चाहिए। यह सही दिशा में एक सही कदम है और बैंकों के लिए यह एक अत्याधिक चुनौती भरा कार्य है। सरकार के सामने वित्तीय कठिनाइयों और सम्पूर्ण संसाधनों की कठिनाइयों को देखते हुए भविष्य में सरकारी सेक्टर के बैंकों को अतिरिक्त पूंजी प्रदान करना सरकार के लिए कठिन होगा अतः यदि बैंकों को निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त है तो उन्हें ऋणों और इक्विटी पूंजी के रूप में फंड बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार का उपयोग करना होगा। इससे कुछ हद तक सरकार के स्वामित्व में कमी आएगी परंतु इससे लाभदायक प्रयोजन सिद्ध होगा। बैंकों के बारे में जो कुछ कहा गया है वह आवधिक ऋण दाता संस्थानों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के मामले में भी सही है। चाहे वह लीजिंग कंपनियां हों

या हायर परचेज कंपनियां हों या पूंजी निवेश कंपनियां हों। क्योंकि सभी के लिए उचित पूंजी आवश्यकता का निर्धारण एक अनीवार्यता है। क्योंकि सभी जमाकर्ताओं के लिए पूंजी ही आखिरी बचाव का साधन है।

4.4.10 विवेकपूर्ण विनियमन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वसूल न होने वाले और संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान से सम्बन्धित है। बाद यदि और दूसरे वित्तीय संस्थानों के क्रियाकलापों का सही प्रतिबिम्ब उनका मुनाफा है तो ऋण के नुकसानों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए। यह आशंका व्यक्त की जाती है कि अनेक बैंकों के पास वसूल न होने वाले और संदिग्ध ऋणों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मुनाफा नहीं होता। बैंकों और शर्तों पर ऋण देने वाले संस्थानों दोनों के लिए आय संबंधी और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान संबंधी एक समान लेखाकरण पद्धति निर्धारित करने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने में इसके लिए फिर से कुछ उपाय किए हैं। अपनी वास्तविक वित्तीय सहायता को बेहतर रूप से दिखाने के लिए बैंकों को एक निर्धारित फार्म में अपना तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा प्रस्तुत करना होता है। और इसके अलावा अब बैंकों को विभिन्न श्रेणियों में अपनी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। और तीन वर्षों की अवधि में क्रमिक तरीके से वसूल न होने योग्य और संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान भी रखना आवश्यक होता है। ऐसे प्रावधान व्यवस्था की आवश्यकता को धीरे धीरे दूसरे वित्तीय संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

मांग प्रबंध नीतियां

4.5.1 ऊपर प्रस्तावित व्यापार उदारीकरण औद्योगिक और वित्त नियंत्रण हटाने जैसे संरचनात्मक नीति सुधार संसाधनों के कारण उपयोग को सुनिश्चित करेंगे अतः मध्यवर्ती अवधि में इन नीतियों से समग्र आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी परन्तु यदि समग्र मांग निरन्तर समग्र आपूर्ति से आगे बढ़ जाती है तो मूल्य स्थयित्व का उचित स्तर और भुगतान संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। जिससे विकास की गति में कमी आ सकती है और चालू संरचनात्मक सुधारों की गति को बनाए रखना कठिन हो सकता है। अनेक विकासशील देशों के अनुभवों पर आधारित प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि बड़े आर्थिक असंतुलन के समय लागू संरचनात्मक नीति सुधार आमतौर

पर इच्छित लाभकारी प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ रहे हैं। समग्र आपूर्ति में वृद्धि के साथ समग्र मांग को नियंत्रित करने के उद्देश्य वाली उचित मांग व्यवस्था नीतियां सकल बड़ी अर्थिक व्यवस्था के लिए आवश्यक पूर्वपिछाएं हैं। इसके लिए आवश्यक मुख्य नीति घटक विवेकपूर्ण वित्तीय नीति और एक संरक्षणात्मक मुद्रा नीति हैं।

4.5.2 (i) समग्र मांग और आपूर्ति के बीच बेहतर संतुलन रखने (ii) कर प्रणाली के विकृतिजनक प्रभावों को कम से कम करने और (iii) लागत कम से कम करने और कार्यकुशलता अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये सरकारी उपक्रमों को बाध्य करने के उद्देश्य वाली वित्तीय और मुद्रा नीति इस वृहद आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है।

वृहद आर्थिक स्थायित्व के लिए वित्तीय आर्थिक कार्यनीति

4.5.3 हाल के वर्षों में उच्च घरेलू मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन की खराब स्थिति दोनों समस्याओं के पीछे जो सम्मिलित कारण रहा है वह सरकार का बड़ा और बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा है। सरकार का जो वित्तीय घाटा (केन्द्र, राज्य तथा संघ क्षेत्र) सातवें दशक के प्रारंभ में सकल घरेलू उत्पादन के 7% से कम था 80 के दशक के प्रारंभ में बढ़कर 9% हो गया और 1990-91 तक यह 11% से अधिक पहुंच चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान वित्तीय घाटे में वृद्धि राजस्व लेखे के बकाया में अत्याधिक कमी के कारण हुई उदाहरणार्थ 1970-71 में सरकार के पास राजस्व अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.3% था परन्तु 1985-86 में यह राजस्व घाटा स.घ.उ. का लगभग 2% हो गया और 1990-91 में यह बढ़कर 4% से अधिक हो गया है। सम्पूर्ण और राजस्व लेखे दोनों में उच्च स्तर से यह वित्तीय घाटे चल सकने योग्य नहीं हैं। अतः वित्तीय स्थिति को सही रखने के लिए समय मांग और आपूर्ति के बीच बेहतर संतुलन रखना अनिवार्य पूर्वपिछा है।

4.5.4 केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पिछले दो बजटों में वित्तीय समायोजन के लिए पहले ही प्रयत्न आरंभ किए हैं। केन्द्र का वित्तीय घाटा जो 1990-91 में स.घ.उ. का लगभग 8.5% था, 1991-92 में कम करके लगभग 6.5% कर दिया गया है। और इसे 1992-93 में फिर से कम करके लगभग 5% करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय

सरकार ने मध्यावधि के लिए अपने वित्तीय समायोजन कार्यक्रम की घोषणा भी की है जिसके अनुसार स. घ. उ. के प्रतिशत के रूप में इसका वित्तीय घाटा नौवें दशक के मध्य तक कम करके लगभग 3 से 4% तक लाने की आशा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए वित्तीय समायोजन के इन प्रयत्नों को राज्य सरकारों के ऐसे ही प्रयत्नों से समर्थन मिलना चाहिए। राज्यों के गैर योजना राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के लिए ऐसे समायोजन की प्राथमिक रूप से आवश्यकता है। यदि इनके साथ साथ कर और गैर-कर स्रोतों से अधिकतम साधन जुटाए जायें तो चालू राजस्व में राज्यों का बकाया जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऋणात्मक रहा है, आठवी योजना में परिलक्षित सम्पूर्ण अधिशेष आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर तक लाया जा सकेगा। कुछ राज्यों के पास अभी भी ऋणात्मक वीसीआर है जिसे उचित स्तर तक सीमित रखने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण रूप से वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य सरकार के वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सातवीं योजना अवधि के दौरान औसतन 10.6 प्रतिशत और 1990-91 में 11 प्रतिशत से कम करके आठवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 7 प्रतिशत पर लाने का होना चाहिए। इसमें वित्तीय घाटे को 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8.5 प्रतिशत से योजना अवधि के अंत तक लगभग 5.5 प्रतिशत तक पर्याप्त कमी करने की अपेक्षा है।

4.5.5 ऐसा वित्तीय समायोजन सरकार की उधार लेने की आवश्यकताओं (भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने सहित) की अनिवार्यतः कम करेगा। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने की ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हाल के वर्षों में धन की आपूर्ति की वार्षिक वृद्धि लगभग 17% से कम करके आठवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 11-12% तक लाई जा सके। विगत वर्षों में धन की मांग की आय प्रत्यास्थता 1.5% रही है। अतः प्रति वर्ष 5 से 6% की पर आर्थिक वृद्धि होने से सरकार मुद्रा स्फीति की दर को प्रतिवर्ष लगभग 5% पर नियंत्रित कर सकती है।

सरकारी व्यय में कमी

4.5.6 चूंकि हाल के वर्षों में वित्तीय असंतुलन ऐसे समय पर हुआ है जब स.घ.उ. अनुपात में कर की वृद्धि अत्याधिक हुई है अतः स.घ.उ. में वित्तीय घाटे में कमी लाने की आवश्यकता है जिससे

सरकारी व्यय को कम किया जा सके। सरकारी व्यय जो 1970-71 में स.घ.उ. का लगभग 19% था आठवें दशक के आरंभ में तेजी से बढ़कर 26% हो गया है और 1990-91 में लगभग 31% पहुंच गया है। चल सकने वाली वित्तीय स्थिति के लिए यह आवश्यक होगा कि स. घ. उ. अनुपात के रूप में सरकारी व्यय को आठवीं योजना अवधि के दौरान औसत लगभग 28% तक कम कर दिया जाए। यद्यपि व्यय में यह कमी अत्यन्त आवश्यक है फिर भी इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण बुनियादी और सामाजिक सेक्टर में सरकारी पूंजी व्यय पर असर न पड़े। सरकार के राजस्व व्यय को रोकने के लिए संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता होगी।

4.5.7 सरकारी व्यय में अपेक्षित कमी लाने का कार्य चुनौती पूर्ण लगता है। सरकारी व्यय के घटकों में से जिन दो में लगातार वृद्धि हुई है वह इस प्रकार हैं (i) सरकार का खपत व्यय और (ii) सब्सिडी का भुगतान। सरकार का खपत व्यय जिसके अंतर्गत मुख्यतः रक्षा व्यय और प्रशासनिक व्यय आता है। 1980-81 स. घ. उ. के लगभग 9% से बढ़कर 1990-91 में लगभग 12% हो गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सरकार के प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होना है जो 1980-81 में स.घ.उ. के लगभग 3% से बढ़कर 1987-88 में 4% हो गया है। और 1990-91 में यह लगातार घटकर लगभग 3% रह गया है। उद्योगों और व्यापार से नियंत्रण हटाने के और अर्थव्यवस्था की विस्मृत और स्वेच्छिक "सूक्ष्म योजना" से हटने के साथ सरकार के पर्यवेक्षकीय और विनियमनात्मक कार्यों में कमी आनी चाहिए। इससे भविष्य में सरकार के प्रशासनिक व्यय की वृद्धि को रोकने में काफी मदद मिलेगी। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय को कम करने के हाल के प्रयत्नों से सकारात्मक विकास होगा और इसे आठवीं योजना अवधि के दौरान रखा जाना चाहिए ताकि मूल्यवान संसाधनों को अधिक को अधिक उत्पादक सेक्टरों की ओर लगाया जा सके।

4.5.8 सब्सिडी भुगतान जो सातवें दशक के आरंभ में स.घ.उ. के 1% से भी कम था आठवें दशक के प्रारंभ में 2% से अधिक हो गया और 1990-91 में यह लगभग 4% है। केन्द्रीय सरकार ने 1991-92 से अपने सब्सिडी भुगतानों को कम करने के उपाय किए हैं। आठवीं योजना के अंत तक स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी भुगतानों को पर्याप्त रूप से कम करने के उद्देश्य से सरकारी सब्सिडी को

कम करने की एक स्पष्ट प्रतिपादित नीति तैयार करने की आवश्यकता है जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सब्सिडी भुगतान कम करने की गुंजाइश है वे उर्वरक खाद्य और ब्याज सब्सिडी है। इनमें से ब्याज सब्सिडी को पर्याप्त रूप से और तुरंत कम किया जा सकता है और कम किया भी जाना चाहिए।

उर्वरक सब्सिडी

4.5.9 मोटे तौर पर उर्वरक सब्सिडी के दो बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा किसानों को जाता है और दूसरा हिस्सा उर्वरक उद्योग एवं इसकी सामग्री की आपूर्तिकर्तों को जाता है। पूंजीगत माल की उच्च घरेलू कीमतों, उर्वरक उद्योग के लिए निवेश और उर्वरक के संयंत्र विशिष्ट धारण मूल्य के कारण दूसरे हिस्से की आवश्यकता बनी हुई है। संयंत्र विशिष्ट धारण मूल्य कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए उर्वरक संयंत्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं देता। उर्वरक सब्सिडी कम करने के लिए वर्तमान संयंत्र विशिष्ट धारण मूल्य नीति से उर्वरकों की अधिक समान मूल्य निर्धारण नीति की ओर जाने की आवश्यकता होगी जिसमें कार्यकुशलता पर उचित ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा उर्वरक उद्योग के पूंजीगत माल के मूल्य निर्धारण को सरल और कारगर बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

4.5.10 उर्वरकों के फार्म गेट मूल्य में अत्याधिक वृद्धि होने से फार्म सेक्टर को जाने वाली उर्वरक सब्सिडी में अधिक कटौती करने से कृषि उत्पादन पर थोडा सा प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। इसके अलावा उर्वरकों के फार्म गेट मूल्य में अधिक वृद्धि से अधिकांश छोटे और सीमांत कृषकों को नुकसान होगा जिनके पास थोड़ा विपणीय अधिशेष होता है। परन्तु वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि हम केवल एक ऐसी प्रणाली के साथ नहीं चल सकते जिसमें उर्वरक सब्सिडी का भारी बोझ लादा गया हो। इस बात का अनुभव करते हुए सरकार ने पहले ही 1991-92 में बड़े किसानों को दिए जाने वाले उर्वरक का फार्म गेट मूल्य 30% बढ़ा दिया है। यहां तक कि इस समायोजन के बावजूद उर्वरक सब्सिडी बोझ बहुत अधिक है। यदि योजना को गैर मुद्रास्फिति ढंग से चलाना है तो यह आवश्यक होगा कि चालू वर्ष में सब्सिडी बोझको बजट स्तर तक और योजना अवधि में नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठए जाएं। फार्म सेक्टर को उर्वरक सब्सिडी में कमी करने का दूसरा प्रभावकारी उपाय यह

सुनिश्चित करना है कि किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक कारगर उपयोग किया जाए इसके लिए किसानों द्वारा उर्वरकों के अधिक वैज्ञानिक उपयोग पर जोर देने की आवश्यकता होगी जिसे आठवीं योजना अवधि के दौरान विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करके किया जा सकता है ।

खाद्य सब्सिडी

4.5.11 वर्तमान लोक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभ अत्याधिक रूप में समाज में प्रदान किये जाते हैं । और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उतने लाभ नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए । आठवीं योजना अवधि के दौरान समाज के उपेक्षित: कमजोर वर्ग के लोगों को लोक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाने के लिए संगठित प्रयत्न करने की इस दिशा में पहले कदम के रूप में समाज के गैर निर्धन वर्ग को लो. वि. प्र. की सुविधाएं बंद कर दी जानी चाहिए । इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निर्धन लोगों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए इससे पीडीएस के समाजिक दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी । इस प्रणाली को इस रूप में प्रयोग करने से खाद्य सब्सिडी के अधिक कटौती की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मुख्यतः सब्सिडी को गैर-लक्षित वर्गों से लक्षित वर्गों की ओर ले जायेगी फिर भी भारतीय खाद्य निगम के क्रियाकलापों को अधिक कुशल बनाकर खाद्य सब्सिडी के कम करने की गुंजाइश है । कुशल उगाही और बाजार मध्यस्थता कार्यों से खाद्यान्न का अपेक्षित बफर स्टॉक कम करना संभव होगा जिससे खाद्यान्नों की दुलाई लागत में कमी आएगी भारतीय खाद्य निगम की कार्य-कुशलता बढ़ाकर और अन्य उपायों से खाद्य सब्सिडी को कुछ कम करने में मदद मिलेगी ।

सरकार पूंजीगत व्यय

4.5.12 ऊपर सुझाव दिये गए तरीकों से खर्च में कमी करने से गैर मंदी वित्तीय समायोजन को कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी और इससे सरकार के पूंजीगत व्यय पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा फिर भी स. घ. उ. के रूप में पूंजीगत व्यय में कुछ कटौती करने का एक स्पष्ट साधन योजना और गैर-योजना दोनों लेखों में सरकारी उद्यमों को सरकार की बजट सहायता देना है । सातवीं योजनावधि के दौरान सरकारी उद्यमों को केन्द्रीय सरकार के बजट में स.घ.उ. के लगभग

2.5% की सहायता दी गई थी । 1990-91 में इसे कम करके लगभग 1.7% और 1991-92 में लगभग 1.3% कर दिया गया है । और 1992-93 के लिए इसे लगभग 1% कर दिया गया है । आठवीं योजनावधि के दौरान सरकारी उद्यमों को ऐसी बजट सहायता और कम की जानी चाहिए । भविष्य में बजट सहायता केवल सामाजिक सेक्टरों के लिए प्रदान की जानी चाहिए । आठवीं योजनावधि के दौरान उद्योग, भूतलपरिवहन, इस्पात, और खान पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में वाणिज्यिक सरकारी उद्यमों को बजट सहायता क्रमिक रूप से दी जानी चाहिए । इन उद्यमों को बजट के माध्यम से उदार फण्डिंग पर निर्भर रहने के बजाय पूंजी बाजार से फण्ड जुटाने चाहिए ।

राजस्व जुटाना और करों में सुधार

4.5.13 ऊपर प्रस्तावित व्यय कटौती उपायों से आठवीं योजनावधि के दौरान वित्तीय घाटे में पर्याप्त रूप से कमी होगी । फिर भी कर और गैर-कर दोनों स्रोतों से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न आवश्यक होंगे । संक्षेप में कहा जा सकता है कि स.घ. उ. के प्रतिशत के रूप में सरकारी राजस्व को 1990-91 में लगभग 20% से बढ़ाकर आठवीं योजना के अंत तक लगभग 22% करना होगा । जिससे आठवीं योजनावधि के दौरान स. घ. उ. संदर्भ में औसत राजस्व अनुपात लगभग 21.5% हो जाए । इस बात को देखते हुए कि स. घ. उ. के संदर्भ में निर्मित राजस्व प्रत्यास्थता "यूनिटी" से अधिक नहीं है राजस्व स. घ. उ. अनुपात में यह सम्पूर्ण वृद्धि अतिरिक्त राजस्व जुबने के प्रयत्नों से पूरी करनी होगी । कर आधार बढ़ाने, कर दरों को युक्तिपूर्ण बनाने और गैर कर स्रोतों से अपेक्षित अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा । कर प्रणाली के सम्पूर्ण सरलीकरण और उसे युक्तिपूर्ण बनाने से कर आधार का विस्तार बढ़ाने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे एक सरल और उचित प्रोत्साहन ढांचा भी प्राप्त होगा जो औद्योगिक सेक्टर के कुशल विकास के लिए सहायक सिद्ध होगा ।

4.5.14 उत्पाद शुल्क के मामले में निम्नलिखित के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए (i) कर दरों की संख्या और विस्तार को कम करना (ii) वस्तुनिष्ठ और उपभोक्ता निष्ठ छूटों को समाप्त करना और प्रणाली को मूल्यवधित कर की दिशा में ले जाना । इस समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व पंजीकृत निर्माता सेक्टर के उत्पादन के लगभग

10% है। परन्तु पंजीकृत निर्माण उत्पादन के केवल लगभग 40% पर ही उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। सरल और औचित्यपूर्ण कर संरचना के साथ साथ उत्पाद शुल्क में मामूली वृद्धि से ही काफी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस दिशा में पहला प्रयत्न यह होगा कि करों की विविधता काफी कम कर दी जाए और हमें वस्तुओं के मोटे तौर पर समान समूह पर केवल तीन या चार उत्पाद शुल्क दरें लगाने की प्रणाली को अपनाया होगा जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती और कम दरें उपभोक्ता वस्तुओं पर कुछ अधिक लगाई जाएंगी इसके साथ-साथ सभी वस्तुनिष्ठ और उपभोक्ता निष्ठ छूटें समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा "माड वेट" प्रणाली आरंभ करके मूल्यवर्धित कर की दिशा में उत्पाद कर प्रणाली को ले जाने के हल के प्रयत्नों को भी जारी रखा जाना चाहिए।

4.5.15 हमारे घरेलू अप्रत्यक्ष कर सुधार का अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक समान मूल्यवर्धित कर प्रणाली को अपनाकर विद्यमान विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्वरूप को बदला जाए। इस बात को महसूस करते हुए कि मूल्यवर्धित कर संभवतः सबसे अधिक शक्तिशाली कर है जिसे कम विकृतियों के साथ अत्याधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए तैयार किया जा सकता है, हाल के वर्षों में विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के अनेक देशों ने ऐसे कर सुधार उपाय आरंभ किए हैं। भारत में पूर्ण मूल्यवर्धित कर को लागू करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि करों के मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक साझेदारी है। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं जबकि बिक्री कर प्रणाली आरंभ करने के लिए कराधान शक्तियों के क्षेत्राधिकार में आता है। एक सम्पूर्ण मूल्यवर्धित कर राज्य सरकारों के बीच तालमेल और आमदनी की हिस्सेदारी के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच एक उचित आधार आवश्यक होगा इसके लिए केन्द्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों को शासित करने वाली वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता होगी।

4.5.16 सीमाशुल्क के बारे में कुछ भ्रम प्रतीत होता है। एक और वित्तीय घाटे में कमी का कार्य जिसकी आगे कुछ वर्षों में आवश्यकता होगी के लिए हमें विद्यमान टेरिफ दरें अपनाए रखने या इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ताकि वित्तीय अंतराल को दूर किया जा सके दूसरी ओर यह आम सहमति है कि हमारी टेरिफ दरें विश्व में सबसे अधिक

हैं अतः विकासात्मक वित्तीय और भूगतान समायोजनों दोनों के लिए टेरिफ स्तरों को कम करने और इसके विस्तार में कटौती की आवश्यकता होगी। इन वर्षों में अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए हम टेरिफ का वित्तीय साधन के रूप में अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। आठवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रवृत्ति को विपरीत करने की आवश्यकता है इसके बजाय व्यापार नीति स्तर पर जिसके बारे में पहले ही चर्चा की जा चुकी है हमारा उद्देश्य टेरिफ संरचना में परिवर्तन करने का होना चाहिए।

4.5.17 प्रत्यक्ष करों के मामले में पिछले कुछ वर्षों में हमने पहले ही यूक्ति पूर्ण उपाय आरंभ कर दिये हैं। व्यक्तिगत आयकर और कारपोरेशन कर दोनों की दरें कम कर दी गई हैं और कुछ छुटों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है। दूसरे देशों के सफल अनुभवों को देखते हुए यह एक वांछनीय सुधार है। इस समय व्यक्तिगत आयकर लगभग 0.5% और शहरी आबादी का लगभग 2% है। व्यक्तिगत आयकराधान के लिए आकी गई आय इस समय हमारी राष्ट्रीय आय (निवल राष्ट्रीय उत्पादन) का लगभग 10% और गैर-कृषि आय का लगभग 15% है अतः आयकर तंत्र के विस्तार और इसके आधार को व्यापक बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है। कर आधार को थोड़ा व्यापक बनाने से ही राजस्व में अत्याधिक वृद्धि होगी। इस उद्देश्य के लिए सरकार की एक सरकारी समिति ने पहले ही कर प्रणाली की विस्तृत पुनरीक्षा कर ली है। सरकार ने 1992-93 के संघ के बजट में इस समिति की अनेक सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर लिया गया है। अन्य बातों के साथ साथ पहले ही संभावित करदाताओं की कुछ श्रेणियों पर काफी कम दर पर अनुमानित कर के क्षेत्र में और विस्तार किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष कर आधार को व्यापक बनाने का दुसरा सम्भावित स्रोत प्रत्यक्ष कर तंत्र के अंतर्गत अधिक धनी किसानों को लाना है कृषि स.घ.उ. में कृषि सेक्टर (जिसमें भूमि राजस्व और कृषि आयकर शामिल है) से सम्बन्धित प्रत्यक्ष करों का अनुपात 1950-51 में लगभग 1.2% से घटकर 1989-90 में 0.7% से भी कम रह गया। कम से कम इस प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है अतः यह उचित समय है जब सरकार को कृषि कराधान आरंभ करना चाहिए था जिसके लिए पिछले दशकों से विभिन्न सरकारी समितियों द्वारा सिफारिश की गई है।

4.5.18 व्यापार कराधान के बारे में अपेक्षित: उच्च सांविधिक कर दरों के साथ उदार वित्तीय रियायतों को सम्मिलित करने की हमारी प्रथा रही है और अब भी जारी है इससे कर आधार का हरहास नहीं ही नहीं होता बल्कि विभिन्न व्यापारियों के लिए कारगर कर की दरों में अत्याधिक अंतर भी उत्पन्न होता है विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए अधिक समान सांविधिक दरों के साथ इन वित्तीय रियायतों को व्यस्थित करना कार्यकुशलता और प्रशासनिक दृष्टियों से उचित होगा। सम्पूर्ण रूप से सरकार का उद्देश्य उचित दरों के साथ सरल और स्थाई कर प्रणाली तैयार करना और उसे सख्ती से लागू करना।

जन सुविधाओं पर उपभोक्ता कर

4.5.19 अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए एक संभावित महत्वपूर्ण क्षेत्र जन सुविधाओं के लिए उपयोगिताओं पर कर लगाना है। सिंचाई, बिजली, पानी और उच्च शिक्षा जैसी सुविधाओं पर लगाए गए प्रभार उनकी व्यवस्था लागत से काफी कम हैं। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि विगत वर्षों से ऐसी सेवाओं से वसूल न की गई लंगात सम्पूर्ण सरकारी सेक्टर के मामले में स. घ. उ. के 14% से अधिक है और केवल केन्द्रीय सरकार के मामले में स. घ. उ. की लगभग 5% है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं पर सम्पूर्ण वसूली की दरें (सार्वजनिक रूप प्रदान की गई सुविधाओं पर उपयोग कर्ताओं से वसूल की गई लागत) लगभग 35% है और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए यह और कम अर्थात् लगभग 14% है। सम्पूर्ण रूप से सरकारी सेक्टर के मामले में सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई आर्थिक सेवाओं पर वसूली की दरें 40% से थोड़ा अधिक है। सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सेवाओं में बिजली और पावर के मामले में वसूली दर 35% और सिंचाई के मामले में 20% से थोड़ा अधिक है।

4.5.20 सरकारी सुविधाएं प्रदान करने वाले सरकारी विभागों की कार्यकुशलता की कमी के कारण इनमें से अनेक सेवाओं की व्यवस्था की वास्तविक लागत उससे कहीं अधिक है जितनी होनी चाहिए इन सार्वजनिक सुविधाओं के खर्च के लिए वसूल न की गई सम्पूर्ण धनराशि उपभोगताओं के समबन्ध में सब्सिडी की नदी है फिर भी यह मानना उचित प्रतीत होता है कि सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए वसूल न की गई धनराशि का एक हिस्सा

उपभोगताओं की सब्सिडी का है इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सार्वजनिक सुविधाओं विशेषकर बिजली, सिंचाई, पानी और परिवहन जैसी सुविधाओं के लिए प्रयोगकर्ता शुल्क में वृद्धि करना आठवीं योजना अवधि के दौरान आवश्यक होगा इसके साथ साथ यह सेवायें प्रदान करने वाले सरकारी विभागों को इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, कि उन पर सख्त बजट प्रतिबन्ध लगा कर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जाए। चूंकि इनमें से अनेक सार्वजनिक सुविधाएं राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं अतः सार्वजनिक सुविधाओं के किसी महत्वपूर्ण अतिरिक्त स्रोत जुटाने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक होगा। भले ही प्रयोगकर्ताओं पर शुल्क बढ़ाकर किया जाए या इन सुविधाओं की व्यवस्था के खर्च में कटौती करके लिया जाए।

सारांश

4.6.1 ऊपर प्रस्तावित वृहद आर्थिक नीतियों का यदि प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन किया जाए तो उचित मूल्य स्थायित्व और स्थायी भुगतान सतुलन के साथ योजना के वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा चूंकि इन नीतियों से तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के अनुरूप राष्ट्रीय संसाधनों के आंबटन में मदद मिलेगी और तदनुसार यह श्रमिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों के अनुकूल होगा अतः वृद्धि के भावी स्वरूप से रोजगार वृद्धि प्राप्त करने भी मदद मिलेगी अतः सम्पूर्ण रूप से इन नीतियों से कुशल श्रमिक बहुल रोजगार वृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए तीव्रगति से रोजगार अवसरों के विस्तार से निम्नस्तर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा फिर भी निर्धनता की समस्या इतनी बड़ी और गंभीर है कि छप्पर ढाड कर देने वाली कहावत से भी गरीब तबके की इस सामाजिक आर्थिक समस्या पर इस समय सीमा के अन्दर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहेगा इस बात को ध्यान में देखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी हटाने वाले कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया जाता है यह एक उचित दृष्टिकोण है और आठवीं योजना में इस दृष्टिकोण को जारी रखा जाना चाहिए भले ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशिष्ट प्रकृति और उसके स्वरूप के संदर्भ के गरीबी हटाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने हेतु कुछ और संशोधनों की आवश्यकता हो।

योजना की वित्त-व्यवस्था

प्रस्तावना

5.1.1 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) और वार्षिक योजनाओं (1990-92) की वित्तव्यवस्था की पुनरीक्षा करने के बाद इस अध्याय में वार्षिक योजना 1992-93 और आठवीं योजना, 1992-97 की वित्त व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस अध्याय में सातवीं योजना 1985-90 और 1990-92 की वार्षिक योजनाओं के अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्त-व्यवस्था में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश की वित्त व्यवस्था के बारे में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मामलों की भी जांच कर ली गई है।

5.1.2 योजना की वित्त-व्यवस्था करने के तीन मुख्य पहलू होते हैं :- पहला, वित्त व्यवस्था के मुख्य स्रोतों का अनुमान लगाना; दूसरा, निवेश के लिए प्रयोक्ता क्षेत्रों (सरकारी और निजी, दोनों) को इन संसाधनों को आवंटन करना; और तीसरा, आय, खपत तथा बचत की समग्र वृद्धि के साथ स्रोतों के सामंजस्य और संसाधनों के उपयोग के बारे में जांच करना।

5.1.3 आठवीं योजना में अनुमानित वित्त-व्यवस्था के स्रोत कई मामलों में सातवीं योजना के स्रोतों से भिन्न हैं। इन अनुमानों में आन्तरिक और विदेशी ऋणों एवं घाटे की वित्त-व्यवस्था पर कम निर्भरता, और राजस्व में वृद्धि और गैर-योजना(राजस्व) खर्च (एन. पी. आर. ई.) में किफायत के जरिये संसाधन जुटाने पर और अधिक निर्भरता परिलक्षित होती है। अतः आठवीं योजना में 5.6 प्रतिशत की लक्षित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि करने के समर्थन में आन्तरिक स्तर पर संसाधनों में वृद्धि करने और उसी खर्च से और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने की मांग की गई है। योजना वित्त व्यवस्था की रूपरेखा में राजकोषीय आर्थिक और वित्तीय नीतियों को युक्तिसंगत बनाना निहित है।

5.1.4 चूंकि सातवीं योजना के अनुमान वर्ष 1984-85 के मूल्यों पर तैयार किये गये थे, अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (गुणांक लागत)

डिफ्लेटर्स का उपयोग करत हुए इन मूल्यों पर कार्य निष्पादन की समीक्षा भी की जाती है। समीक्षा के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक और राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए आंकड़ें केन्द्र सरकार के वास्तविक/संशोधित अनुमान आंकड़ों पर आधारित हैं तथा अन्य के लिए ये आंकड़ें राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित हैं।

5.1.5 सातवीं योजना की वित्त व्यवस्था काफी हद तक अतिरिक्त संसाधन जुटाने और सरकारी उद्यमों के योगदान पर निर्भर करती थी। पांच वर्ष के बाद सामने आए पैटर्न से पता चलता है कि एक ओर सरकारी उद्यमों के अंशदान और ए.आर.एम. में कमी हुई है और दूसरी ओर गैर-योजना राजस्व व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इससे यह पता चलता है कि आधार मूल्यों पर वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.) लगभग तीन गुणा घटा हुआ है और मूल अनुमानों की तुलना में घाटे की वित्त-व्यवस्था के स्तर में दो गुणा से भी अधिक घाटा हुआ है।

5.1.6 यद्यपि सातवीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि (5.8%) अनुमानित दर (5%) से बढ़ गई लेकिन घरेलू बचत दर (अनुमानित: 20.4%) अनुमानित दर (24.3%) से कम रह गई। सातवीं योजना के दौरान औसत बचत दर छठी योजना के दौरान हुई औसत बचत के लगभग बराबर थी। घरेलू बचत दर में कमी मुख्यतः सरकारी क्षेत्र और निजी निगमित बचत की कम दरों की ही वजह से हुई। घरेलू बचत दर में आधार वर्ष में हुई 13.7% वृद्धि की तुलना में वर्ष 1989-90 तक 18.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।

5.1.7 सातवीं योजना के दौरान अनुमानों की तुलना में बचतों और निवेश की पुनरीक्षा करने पर तीन बातों का पता चलता है : पहली यह है कि घरेलू बचत द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8 प्रतिशत के बराबर घरेलू निवेश की वित्त-व्यवस्था की गई जैसा कि अनुमान लगाया गया था, किन्तु कुल मिलाकर सकल घरेलू बचत दर (20.4%) पूर्वानुमानित दर (24.3%) से काफी कम रही है। कम अनुपात: मुख्यतः नई श्रृंखला में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने के आधार में परिवर्तन

के कारण है, जिसने पुरानी श्रृंखला की तुलना में 1980-81 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। सकल घरेलू उत्पाद की नई श्रृंखला के संदर्भ में अनुकूल अनुपात (24.3% से तुलनीय) लगभग 22 प्रतिशत होगी। दूसरी, सातवीं योजना के दौरान सकल निवेश की समग्र दर पूर्वानुमानित 25.3 प्रतिशत की तुलना में 22.7 प्रतिशत होने का ही अनुमान लगाया गया है। इसमें अधिकांश कमी सरकारी क्षेत्र में ही हुई थी। तीसरी, निवेश में कुछ कमी के बावजूद स्वदेशी उधार और शेष जगत से सरकारी क्षेत्र में अन्तर्वाह पूर्वानुमान से निरन्तर अधिक रहा है। निजी कार्पोरेट उधार स्वदेशी और विदेशी दोनों ही क्षेत्रों में अन्तर्वाह अनुमानों से अधिक हुए।

5.1.8 सातवीं योजना की पुनरीक्षा से यह ज्ञात होता है कि केन्द्र और राज्यों की बजटीय बचत और बी.सी.आर. में काफी कमी आई है। सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अधिक राशि की बजटीय निर्बचत हुई और सातवीं योजना अवधि के दौरान बी.सी. आर. केन्द्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का (-)0.65 प्रतिशत होने का हिसाब लगाया गया है। योजना के दौरान केन्द्र का समग्र वित्तीय(सकल) घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 8.2 प्रतिशत के बराबर बैठता है। केन्द्र सरकार का बजट घाटा अनुमानित घाटे से कहीं अधिक हुआ जिससे अदायगियों के संतुलन पर दबाव पड़ा जिससे अनुमानित से कहीं अधिक राशि विदेशों से उधार लेनी पड़ी।

5.1.9 सातवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के माध्यम के रूप में पूंजी बाजार की भूमिका में भी काफी विस्तार हुआ है। वर्ष 1989-90 में गैर सरकारी लोक और निजी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा नए पूर्ण निर्गम का स्तर कुल मिलाकर लगभग 7910 करोड़ तक पहुंच गया जबकि वर्ष 1984-85 में मात्र 1787 करोड़ रुपये ही था। योजना अवधि के दौरान इन कंपनियों ने लगभग 23,200 करोड़ रुपये जुटाए। जुटाए गए संसाधनों में डिबैंचरों का महत्व अधिक रहा। इस अवधि में कुछ बृहत् या विशाल आकार के निर्गम, जो सभी 100 करोड़ रुपये से अधिक के थे, उल्लेखनीय थे। सांस्थानिक निवेशकों ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था

5.2.1 केन्द्र (संघ शासित क्षेत्र सहित), केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों

के लिए लगाए गए अनुमानों की तुलना में सरकारी क्षेत्र की योजना की वास्तविक वित्त-व्यवस्था की रूपरेखा नवीनतम प्राक्कलन, जिन्हें वार्षिक योजना पुनरीक्षा में शामिल किया गया है, विवरण 5.1 में दिए गए हैं।

5.2.2 वर्ष 1984-85 के मूल्यों के अनुसार बी.सी.आर. अर्थात् राजस्व आय से योजना गत अनुदान निकालकर, की तुलना में गैर-योजना राजस्व व्यय की अधिकता) में केन्द्र और राज्यों का घाटा (-) 5249 करोड़ रु. पर बी.सी.आर. के प्रक्षेपित स्तर की तुलना में 7253 करोड़ रु. से अधिक हुआ, इसमें ए.आर.एम. शामिल नहीं है। लोक उद्यमों का योगदान भी काफी कम हुआ। मौजूदा कीमतों पर, केन्द्र के बी.सी.आर.(ए.आर.एम. के बावजूद) की स्थिति में तेजी से गिरावट आई जो वर्ष 1984-85 में सकारात्मक रूप से 959 करोड़ रुपये की वर्ष 1989-90 में घट कर ऋणात्मक रूप से 4214 करोड़ रुपये हो गई। राज्यों में, विशेष श्रेणी के 10 राज्यों के बी.सी.आर.(ए.आर.एम.सहित) में गिरावट आई जो वर्ष 1985-86 में 42 करोड़ रुपये से कुछ अधिक था और घटकर 1989-90 में ऋणात्मक 474 करोड़ रुपये हो गया। साधारण श्रेणी के 15 अन्य राज्यों का ए.आर.एम. सहित बी.सी.आर. वर्ष 1985-86 के 3306 करोड़ रुपये से घटकर 1989-90 में 2124 करोड़ रुपये हो गया। केन्द्र और राज्यों के ए.आर.एम. सहित बी. सी. आर. की स्थिति बिगड़ने के कारण वेतन और भत्तों, ब्याज अदा करने के दायित्वों और गैर योजना राजस्व व्यय तथा आर्थिक सहायता में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होना थे। कुछ राज्यों में तो कुल विविध पूंजीगत आय (एम. सी. आर.) अर्थात् ऋण और पेशगी की वसूलियां एवं केन्द्र और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की पुनः अदायगियों के रूप में अदा की गई राशि, गैर-योजना ऋण और अग्रिम तथा सरकारी भवनों का निर्माण, गैर-योजना पूंजीगत परिव्यय आदि की राशि घटाने के बाद शेष राशि काफी हद तक ऋणात्मक थी। इसका मुख्य कारण ऋणों को वापस करने के दायित्व की अधिकता है। कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य बिजली और परिवहन उपक्रमों की हानियों में काफी वृद्धि हो रही है।

5.2.3 हमारे संसाधनों में इस कमी को उधार और भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता में वृद्धि करके अथवा घाटे की वित्त-व्यवस्था

द्वारा पूरा किया गया था। बाजार ऋण और एम.सी.आर. अनुमान से कहीं अधिक थे और आधार वर्ष के मूल्य के अनुसार घाटा वित्त-व्यवस्था अनुमानित घाटा वित्त-व्यवस्था के दो गुणा से भी अधिक थी। लोक उद्यम ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई। यद्यपि घरेलू संसाधनों ने निवेशीय निधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथापि योजना वित्त व्यवस्था से मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई। ऋणों में वृद्धि होने से उधार शोधन का बोझ बढ़ गया और यह आठवीं योजना के दौरान केन्द्र और राज्यों की वित्त-व्यवस्था को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा।

5.2.4 समग्र रूप से देखने पर अधिकांश विकासशील देशों, जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, की तुलना में विदेशी बचत पर निर्भरता कम रही किन्तु सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्तमान लेखा घाटे का अनुपात मूलतः परिकल्पित घाटे से बहुत अधिक रहा। इसके अलावा, गैर-रियायती विदेशी मुद्रा के अन्तर्वह पर निर्भरता में वृद्धि हुई और देश के विदेशी मुद्रा विनिमय भण्डार में काफी कमी आई।

केन्द्र और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

5.3.1 केन्द्र(संघ शासित क्षेत्रों सहित) के लिए सातवीं योजना का अनुमोदित योजना परिव्यय 99,302 करोड़ रुपये था तथा अद्यतन अनुमानों के अनुसार उनका खर्च 1,31,236 करोड़ रुपये है। परन्तु 1984-85 की कीमतों पर खर्च की राशि लगभग 1,08,746 करोड़ रुपये बैठती है जो नियोजित राशि से 9.5 प्रतिशत अधिक है।

वर्तमान राजस्व से केन्द्र का शेष (बी.सी.आर.)

5.3.2 वर्ष 1984-85 से 1989-90 के दौरान केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियों में 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि रही है। अतः 1984-85 के मूल्यों पर केन्द्र का चालू राजस्व से शेष 5338 करोड़ रु. की गिरावट को दर्शाता है क्योंकि गैर-योजना राजस्व व्यय मूल अनुमानों से 9274 करोड़ रु. अधिक रहा, हालांकि राजस्व प्राप्तियों(ए.आर.एम. सहित) 3936 करोड़ रु. तक अधिक हुई। ए.आर.एम. के अलावा भी राजस्व प्राप्तियां मूल अनुमानों से 6483 करोड़ रु. अधिक रही। तथापि कुल अतिरिक्त संसाधन संघटन 2,545 करोड़ रु. कम रहा। ए.आर.एम. की पूर्ण कसूली से चालू राजस्व से शेष में पर्याप्त सुधार

आया। व्यय की ओर,सब्सिडियों तथा ब्याज भुगतानों तथा अन्य गैर-योजना राजस्व व्यय 24 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ा। वर्ष 1984-85 से 1989-90 के दौरान रक्षा व्यय औसतन 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा।

5.3.3 सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम भी लक्ष्य किया गया ए.आर.एम. प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने नवीन उपायों के माध्यम से 14,240 करोड़ रु. के लक्ष्य के मुकाबले 8506 करोड़ रु. की वृद्धि प्राप्त की। इस तरह आधार वर्ष कीमतों पर 22,490 करोड़ रुपये के योजना अनुमान की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित केन्द्र सरकार द्वारा 1985-90 के दौरान 14211 करोड़ रुपयेके ए.आर.एम. (राज्यों का निवल हिस्सा) का अनुमान लगाया था।

केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

5.3.4 सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल संसाधन, विभागीय और गैर-विभागीय दोनों,(1984-85 मूल्यों पर)ए.आर.एम. सहित मूलतः 51,694 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था परन्तु बान्डों को शामिल करने के बाद भी अद्यतन अनुमान (39,649 करोड़ रुपये)लगभग 12,045 करोड़ रुपये कम थे। इन उद्यमों का अनुमानित ए.आर.एम. काफी अधिक था परन्तु सम्भावनाओं की तुलना में 5734 करोड़ रुपये की कमी रही। सब मिलाकर, कुल आन्तरिक संसाधन(प्रति धारित लाभ,मूल्यहास आदि) लक्ष्य की तुलना में काफी कम रहे और ऋणों पर निर्भरता बढ़ गई। अतिरिक्त बजटीय संसाधन(ई.बी.आर.)अधिक थे और साथ ही अंतःनिगम अन्तरण थे। योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता (ई.क्विटी और ऋण) की राशि 38,575 करोड़ रुपये (वर्तमान कीमतों पर) थी।

5.3.5 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अतिरिक्त बजटीय सहायता (ई.बी.आर.स) जिसमें बाह्य वाणिज्यिक ऋण/सप्लाईकर्ता के ऋण, जारी किए गए बाण्ड/डिबेंचर तथा जमा (निधियों के अन्तःनिगम अन्तरण सहित) शामिल हैं। परिव्ययों के लिए संसाधनों की अनुपूर्ति करने और निजी बचत का उपयोग करने के लिए चुनिंदा आधार परकेन्द्रीय उद्यमों को बाण्ड/डिबेंचर जारी करके सार्वजनिक ऋण जुटाने की अनुमति दी गई थी। पांच वर्ष के दौरान सार्वजनिक ऋण की कुल राशि 10,796 करोड़ रुपये थी।

5.3.6 चुने हुए क्षेत्रों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्ष 1987-88 से कर-मुक्त बाण्ड जारी करने की भी अनुमति दी गई थी। 1987-90 की अवधि के दौरान जारी कुल बाण्डों में से लगभग दो तिहाई बाण्ड 9 प्रतिशत की ब्याज की दर वाले कर-मुक्त बाण्ड थे तथा शेष 13 प्रतिशत की ब्याज की दर वाले बाण्ड थे। लगभग 85% बाण्ड वित्तीय संस्थानों, बैंकों और निगम संस्थाओं ने खरीदे थे।

केन्द्र के ऋण और घाटे का वित्त पोषण

5.3.7 योजना का वित्त पोषण करने के लिए बाजार ऋणों, लघु बचतों और भविष्य निधि के रूप में देशी ऋणों की इन मदों ने केन्द्र की योजना का 67 प्रतिशत वित्त पोषण किया जबकि इसकी तुलना में मूल योजना अनुमानों में लगभग 50 प्रतिशत की परिकल्पना की गई थी। घाटे का वित्त पोषण कुल 35,626 करोड़ रुपये (वर्तमान कीमतों पर) है। आधार वर्ष कीमतों पर यह मूल योजना में अनुमानित 14,000 करोड़ रुपये के दुगने से भी अधिक है।

केन्द्रीय सहायता

5.4.1 अग्रिम (समायोजित) योजना सहायता, सामान्य के साथ-साथ राहत के लिए तथा पंजाब के लिए विशेष योजना ऋणों को जोड़कर कुल केन्द्रीय सहायता वर्तमान कीमतों पर बढ़कर 38,921 करोड़ रुपये हो गई, जोकि 1984-85 मूल्यों पर 30,941 करोड़ रुपये बनती है और योजना में दी गई 29,737 करोड़ रुपये की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक है (विवरण 5.10) योजना के दौरान राज्य की योजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता 36,554 करोड़ रुपये थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| | योजना अनुमान (1984-85 की कीमतों पर) | वर्तमान अनुमान वर्तमान कीमतों पर) |
|---|---|---|
| I. राज्यों की योजनाएं | | |
| 1. सामान्य केन्द्रीय सहायता (निकल)* | 27,278 | 33,594 |
| इसमें पंजाब को दिया गया योजना ऋण आदि शामिल हैं। | 23,478 | 30,435 |
| (i) विशेष श्रेणी के राज्य ** | 7,098 | 9,384 |
| (ii) सामान्य श्रेणी के राज्य *** | 16,380 | 21,051 |

| | | |
|---|--------|--------|
| 2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता | 3,800 | 3,159 |
| II. क्षेत्रीय कार्यक्रम | 2,459 | 2,960 |
| 1. फ़ाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्र | 870 | 1,403 |
| 2. आदिवासी उपयोजना | 756 | 861 |
| 3. उत्तर पूर्वी परिषद योजना | 575 | 7144 |
| 4. सीमा क्षेत्र कार्यक्रम | 200 | 219 |
| 5. अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम | 58 | 123 |
| III. जोड़ (I + II) | 29,737 | 36,554 |

* छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराई गई 149 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता के लिए समायोजित

** अरुणाचल प्रदेश (फरवरी, 1987 से शामिल किया गया), असम हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम (फरवरी 1987 से शामिल किया गया), नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा।

*** आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा (मई 1987 से शामिल किया गया) गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

दो दृष्टियों अर्थात् बजट संबंधी वास्तविक आंकड़ों तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त की गई राशियों के परिकलन में टाइम लैग के कारण 41,851 करोड़ रु. के बराबर बजट संबंधी रिपोर्टों से उपर्युक्त कुल दी गई राशियों में अंतर है।

5.4.2 सामान्य श्रेणी के राज्यों को राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन छठी योजना के प्रारंभ में यथा संशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया गया था।

राज्य और राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यम (एस.एल.पी.ई)

5.5.1 1985-90 की अवधि के लिए सभी राज्यों का अनुमादित योजना परिव्यय 80,698 करोड़ रुपये था। राज्यों और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लगाए गए अद्यतन अनुमानों के अनुसार इनकी योजनाओं के लिए वास्तव में उपलब्ध संसाधन 87,464 करोड़ रुपये बैठते हैं। परन्तु कीमत में परिवर्तन को समायोजित करने के बाद अनुमादित परिव्यय की तुलना में वास्तविक संसाधन 11.9 प्रतिशत और खर्च 16.9 प्रतिशत कम बैठते हैं। संसाधनों के अद्यतन अनुमानों से ए.आर.एम. सहित राज्यों के बी.सी.आर. में गिरावट का पता चलता है। बी. सी. आर. में गिरावट उनके अपने कर राजस्व के साथ-साथ

गैर-कर स्रोतों से कम आमदनी होने और ब्याज के भुगतान तथा अन्य गैर-योजना गैर-विकास खर्च में वृद्धि होने के कारण आई है। राज्य योजना के लिए बाजार ऋण वर्ष 1984-85 की कीमतों पर योजना में लगाए गए अनुमान से कम स्तर पर प्राप्त किए गए। लघु बचतों, राज्य भविष्य निधियों की निवल प्राप्ति तथा वार्ता ऋण का हिस्सा लगाए गए अनुमान से अधिक था। कुल मिलाकर ये पुंजीगत प्राप्तियां (इनमें केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के बाण्ड शामिल नहीं हैं) तुलनीय कीमतों पर योजना में लगाए गए अनुमानों से लगभग 25 प्रतिशत अधिक रही। पुनरीक्षा करने से पता चलता है कि राज्यों की योजना के वित्त पोषण में केन्द्रीय सहायता का हिस्सा 36.8% के अनुमानित हिस्से की तुलना में 48% बैठता है। तुलनीय कीमतों पर केन्द्रीय सहायता (4.0%) अधिक बैठती है जो 29,737 करोड़ रुपये के अनुमानित स्तर की तुलना में 30,941 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के कुल संसाधनों में राज्यों का हिस्सा अनुमानित 44.8 प्रतिशत की तुलना में 39.1 प्रतिशत से कम बैठता है।

5.5.2 विशेष श्रेणी के राज्यों का सभी मामलों में बी.सी.आर. के साथ-साथ अर्थ शेष भी नकारात्मक था। इसे ध्यान में रखते हुए, कर और गैर-कर उपायों के साथ-साथ विभागीय उपक्रमों के योगदान (उनके (ए.आर.एम. सहित) के जरिए बी.सी.आर. और अर्थ शेष के अन्तर्गत उनके घाटों को पूरा करना ए.आर.एम. पर छोड़ दिया गया था। केन्द्रीय सहायता उनके योजना खर्च से अधिक थी क्योंकि 1988-89 तक उनके बी.सी.आर. के अन्तर को इसी से पूरा किया गया था।

5.5.3 राज्यों के बी.सी.आर. के अद्यतन अनुमानों (1984-85 की कीमतों पर) ए. आर. एम. सहित, से 12,746 रोड़ रुपये के अधिशेष का पता चलता है जो अनुमानित 19762 करोड़ रुपये के अधिशेष से बहुत कम है। इस कमी का मुख्य कारण राजस्व की अनुमानित वृद्धि में (वास्तविक मामलों में) गिरावट आना और एन. पी. आर. ई., विशेष रूप से गैर-विकास खर्च में वृद्धि होना है।

5.5.4 वर्ष 1989-90 से पूर्व, विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में बी.सी.आर. के अन्तर को केन्द्रीय सहायता के जरिए पूरा किया जाता था। किन्तु 1989-90 से राज्यों से यह आशा की गई थी कि वे नकारात्मक बी.सी.आर. न दिखाएं क्योंकि नौवें वित्त आयोग ने उनके

मूल्यांकन के आधार पर राजस्व में अन्तर के अनुदान की व्यवस्था की थी। इसे ध्यान में रखते हुए, विशेष श्रेणी के राज्यों के बी.सी.आर. में अन्तर, यदि कोई हो, को इन राज्यों द्वारा ए. आर.एम. के जरिए और एन. पी. आर. ई. में कमी करके पूरा किया जाना था। परन्तु विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के अनुसार उनके बी. सी. आर. में अन्तर का कारण नौवें वित्त आयोग द्वारा उनके राजस्व का वास्तविकता से अधिक आकलन करना और उनके गैर-योजना खर्च को वास्तविकता से कम आंकना था।

राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यम

5.5.5 राज्य बिजली बोर्डों/उपक्रमों और राज्य सड़क परिवहन निगमों/उपक्रमों ने 2,194 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा (ऋणात्मक योगदान) दर्शाया है जबकि इसकी तुलना में सातवीं योजना में इनका योगदान 7,243 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। योजना के अन्तिम वर्ष में केवल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य बिजली बोर्डों ने संशोधित अनुमानों में योजना संसाधनों में वाणिज्यिक अधिशेष के रूप में सकारात्मक योगदान दिया है अर्थात् (मूल्यहास हेतु समायोजित) केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ हद तक गोवा के सड़क परिवहन निगमों ने संशोधित अनुमानों में सकारात्मक योगदान दिया है। हरियाणा रोड़वेज को छोड़कर संबंधित राज्यों के विभागीय परिवहन उपक्रमों ने ऋणात्मक योगदान दर्शाया है।

वर्ष 1990-91 और 1991-92 की वार्षिक योजनाओं की पुनरीक्षा

वार्षिक योजना 1990-91

5.6.1 वार्षिक योजना 1990-91 प्रारम्भ में 1990-95 की अवधि के लिए परिकल्पित आठवीं योजना के एक भाग के रूप में तैयार की गई थी। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक निवेश और परिव्यय के माध्यम से आर्थिक विकास की गति बनाए रखने का प्रस्ताव था फिर भी मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सीमाओं के अन्दर घाटे की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित रखने पर बल दिया गया था। केन्द्र और राज्य सरकारों और उनके उद्यमों द्वारा अपनी योजना के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु ए.आर.एम. की आवश्यकता को काफी महत्व दिया गया था। राज्यों की बड़ी

योजनाओं के लिए राज्यों की संसाधनों की आवश्यकताओं और राज्यों की विकासात्मक गतिविधियों में अधिक वित्तीय स्वायत्ता को पूरी तरह स्वीकार किया गया था और राज्यों की केन्द्रीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि की गई थी।

5.6.2 जैसाकि विवरण 5.2 में दर्शाया गया है, वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्र और संघ शासित क्षेत्रों के वास्ते अनुमोदित योजना परिव्यय 40,400 करोड़ रुपये था तथा 1990-91 की राज्यों की वार्षिक योजना के लिए परिव्यय 24,317 करोड़ रुपये था। इस प्रकार वार्षिक योजना 1990-91 के लिए किया गया कुल 64,717 करोड़ रुपये का परिव्यय (आरम्भ में 65002 करोड़ रुपये के अनुमानित संसाधनों की तुलना में (वर्ष 1989-90 की योजना के परिव्यय से 12 प्रतिशत अधिक था (संघ शासित क्षेत्रों सहित केन्द्र का परिव्यय 14% और राज्यों का परिव्यय 9%) अधिक था।

5.6.3 विवरण 5.2 में दिए गए अद्यतन अनुमानों के अनुसार केन्द्र और संघ शासित क्षेत्रों के मामले में 1990-91 के लिए योजना खर्च 39,066 करोड़ रुपये था तथा राज्यों के मामले में योजना खर्च 22,360 करोड़ रुपये था। योजना के वित्त पोषण के लिए संसाधनों के अद्यतन अनुमान संघ शासित क्षेत्रों सहित केन्द्र के मामले में 39,486 करोड़ रुपये और राज्यों के मामलों में 21,651 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। वार्षिक योजना अनुमानों की तुलना में यह कुल 3,865 करोड़ रुपये कम है। केन्द्र के मामले में वार्षिक योजना अनुमानों की तुलना में चालू राजस्व से शेष में कमी राजस्व प्राप्तियों में धीमी वृद्धि तथा सबसीडी और ब्याज भुगतान सहित गैर-योजना राजस्व में वृद्धि के कारण हुई है। सार्वजनिक उद्यमों के आंतरिक संसाधनों में तथा विविध(निबल)पूंजी प्राप्तियों तथा भविष्य निधि की वसूली में भी वार्षिक योजना अनुमानों की तुलना में पर्याप्त कमी आई है।

5.6.4 अद्यतन अनुमानों में विदेश से निवल अन्तर्वाह केन्द्र सरकार को अनुदानों और ऋणों के रूप में 3767 करोड़ रुपये (सार्वजनिक उद्यमों द्वारा ऋणों सहित कुल 6320 करोड़ रुपये में से) रखा गया है जबकि इसकी तुलना में वार्षिक योजना/बजट अनुमान 4,327 करोड़ रुपये के थे (कुल 5,793 करोड़ रुपये में से)। 1990-91 में घाटे की व्यवस्था 11,347 करोड़ रुपये की थी जोकि वार्षिक योजना अनुमानों की तुलना में इससे 414 करोड़ रुपये अधिक थी।

5.6.5 राज्यों के संसाधनों में गिरावट के मुख्य कारण इस प्रकार हैं; ए.आर.एम. में कमी, एन.पी. आर.ई. में वृद्धि तथा राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों के योगदान में कमी होना।

5.6.6 राज्यों के अनुमान के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के वास्ते विशेष सहायता 10,526 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधानों की तुलना में थोड़ी सी कम अर्थात् 10261 करोड़ रुपये थी। केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए गए योजना राजस्व घाटा अनुदान और प्राकृतिक आपदा सहायता निधि में योगदान की राशि क्रमशः लगभग 991.53 करोड़ रुपये और 603 करोड़ रुपये थी। ये दोनों राशियां नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में दी गई हैं।

वार्षिक योजना 1991-92

5.6.7 जैसाकि विवरण 5.3 में दर्शाया गया है केन्द्र और राज्यों दोनों की वार्षिक योजना 1991-92 में अनुमोदित परिव्यय 72,317 करोड़ रुपये था। यह 1990-91 के 64,717 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से थोड़ा सा अर्थात् 7,600 करोड़ रुपये या 11.7% अधिक था। वर्ष 1991-92 के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि की वित्त व्यवस्था केन्द्र और राज्यों के बी.सी.आर. में सुधार तथा बाजार ऋणों, लघु बचतों और भविष्य निधियों के जरिए अधिक निजी बचत के द्वारा करने की आशा की गई थी।

5.6.8 वर्ष 1991-92 के दौरान वित्तीय नीति में वित्तीय घाटे पर विशेष बल दिया गया है जिसमें मोटे तौर पर केन्द्र की कुल राजस्व आय, ऋण वसूलियां और अन्य पूंजीगत आय (ऋणों को छोड़कर) आती हैं तथा इसमें से कुल राजस्व एवं पूंजीगत खर्च (जिसमें राज्यों को ऋण और अग्रिम भी शामिल है) घटा दिया जाता है। वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों में बजट घाटा 10,722 करोड़ रुपये था जिसे 1991-92 में कम करे 7,719 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव था। एन.पी.आर.ई., जिसमें सबसीडी तथा रक्षा और स्थापना खर्च भी शामिल है, में किरफायत करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए थे। ए.आर.एम. के संबंध में किए गए उपायों से 2,005 करोड़ रुपये का कर राजस्व (निवल राज्यों का हिस्सा) प्राप्त होने की आशा है। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की निर्देशित कीमतों में वृद्धि की गई थी ताकि योजना के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त संसाधन

जुटाने में सहायता मिल सके। केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अपने योजना परिव्यय के एक भाग की वित्त व्यवस्था करने के लिए सार्वजनिक बाण्ड/डिबेंचर जारी करके बाजार ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

5.6.9 वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता के वास्ते किया गया कुल प्रावधान 11835 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त नौवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को योजना राजस्व घाटा अनुदानों के रूप में 1,333 करोड़ रुपये दिए गए थे। अनुमोदित परिव्ययों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों से आशा की गई थी कि वे एन.पी.आर.ई में कमी करें, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयासों में तेजी लाएं और अपने उपक्रमों के कार्यानिष्पादन में सुधार करें।

5.6.10 वार्षिक योजना, 1991-92 की वित्त व्यवस्था के अद्यतन अनुमान भी विवरण 5.3 में भी देखे जा सकते हैं। इनसे यह पता चलता है कि योजना अनुमान की तुलना में केन्द्र के बी.सी.आर. में कमी आई है। सार्वजनिक उद्यमों के योगदान में भी कमी आई है। बी. सी.आर. का ऋणात्मक स्तर बहुत नीचे चले जाने से योजना अनुमानों की तुलना में राज्यों के संसाधनों में काफी अधिक गिरावट आई है। केन्द्रीय सहायता में राष्ट्रीय मितव्ययिता उपग्रहों की सीमा तक ही कमी की गई थी जो केन्द्रीय सहायता के चुने हुए क्षेत्रों में लगभग 10 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप, केन्द्र और राज्यों के परिव्ययों के संशोधित अनुमान अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में काफी कम हैं।

5.6.11 राष्ट्रीय विकास परिषद की अक्टूबर, 1990 में हुई बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(क) राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्राप्त समस्त विदेशी सहायता (पहले के 70% की तुलना में) उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ख) 1 अप्रैल, 1991 से असम तथा जम्मू और कश्मीर के लिए अनुदान-ऋण का स्वरूप 90:10 होगा जैसाकि अन्य विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के मामलों में किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी वाले राज्यों की वित्तीय समस्याओं

के स्थायी समाधानों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई है।

वार्षिक योजना 1992-93

5.7.1 वार्षिक योजना 1992-93 आठवीं योजना, 1992-97 के संदर्भ में तैयार की गई है। वित्तीय सुधारों और समेकन के लिए सरकार द्वारा 1991-92 में आरंभ किए गए उपाय 1992-93 में जारी रखें जाएंगे। अतः 1991-92 के दौरान संसाधन जुटाने और खर्च को नियंत्रण में रखने के लिए किए गए प्रयासों को 1992-93 के दौरान जारी रखा जाएगा। उद्देश्य यह है कि 1992-93 के दौरान वित्तीय घाटे को कम कर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत करना है।

5.7.2 वार्षिक योजना 1992-93 में सभी स्तरों पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के महत्व को स्वीकार किया गया है। मुख्य बात यह है कि योजना खर्च हमेशा बढ़ती हुई बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भविष्य में, योजना खर्च का वित्तपोषण करने की सक्षमता मुख्यता सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए आन्तरिक संसाधनों पर निर्भर करेगी। अतः योजना सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

5.7.3 1992-93 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय (केन्द्रीय, संघ शासित प्रदेश और राज्य), जैसाकि विवरण 5.4 में दिखाया गया है, 80,771 करोड़ रुपये होगा, जिसका अर्थ 1991-92 के योजना परिव्यय में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है। संघ राज्य क्षेत्रों सहित केन्द्र के लिए 49,698 करोड़ रुपये का प्रस्तावित योजना परिव्यय (वर्तमान मूल्यों पर) कुल परिव्यय का 61.5 प्रतिशत होगा। वार्षिक योजना 1992-93 में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय की वित्त व्यवस्था का ब्यौरा विवरण 5.4 में दिया गया है।

5.7.4 चौथी योजना से पहले केन्द्रीय सहायता आबंटन स्कीमवार पद्धति पर आधारित था तथा आबंटन के लिए कोई फार्मूला नहीं था। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए एक निष्पक्ष आधार के लिए सामान्य मांग की दृष्टि से गाडगिल फार्मूले के रूप में जाना जाने वाला एक फार्मूला विकसित किया गया, जिसे चौथी और पांचवीं योजनाओं के दौरान केन्द्रीय योजना सहायता के वितरण के लिए इसके मूलरूप में अपनाया गया। इस फार्मूले के अनुसार राज्यों (विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा) के लिए आबंटन जनसंख्या

(60%), प्रतिव्यक्ति आय (10%) कर प्रयास (10%) चालू सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं (10%), विशेष श्रेणी समस्याओं (10%) पर आधारित था। चूंकि चालू परियोजनाओं के संदर्भ में मानदण्ड धनी राज्यों के पक्ष में अधिभार देते थे, अतः छठी योजना के शुरु में गाडगिल फार्मूले को आशोधित किया गया तथा चालू स्कीमों के लिए अधिभार को प्रतिव्यक्ति आय के साथ जोड़ दिया गया और इसका भार 20% हो गया। यह आशोधित फार्मूला छठी तथा सातवीं योजनाओं और वार्षिक योजना 1990-91 में राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता के आबंटन का आधार बना। आशोधित गाडगिल फार्मूले में संशोधन करने के लिए कुछ राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के विचार से अक्टूबर, 1990 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया तथा फार्मूले में संशोधन किया गया और इसने जनसंख्या (55%) प्रतिव्यक्ति आय (20%) अपसरण पद्धति; (5% दूरी पद्धति), वित्तीय प्रबंध (5%) विशेष विकास समस्याएं (15%) के अधिभार शामिल किये गये। इस फार्मूले को केवल वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया। अधिकांश राज्य सरकारों ने फार्मूले के संबंध में प्रतिबंध व्यक्त किए हैं तथा उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए एक उपयुक्त फार्मूला विकसित करने के लिए श्री प्रणव मुखर्जी, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। प्रणव मुखर्जी समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर 23 तथा 24 दिसंबर, 1991 को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार-विमर्श किया गया, जिसमें सर्वसम्मति हुई तथा एक संशोधित फार्मूला विकसित हुआ जोकि न्यायसंगत और स्वीकार्य है तथा इसे आठवीं योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता के आबंटन के लिए आधार बनाया गया। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए मानदण्डों वाला मुखर्जी फार्मूला निम्न प्रकार है:

| मानदण्ड | अधिमान |
|---|--------|
| 1) जनसंख्या (1971 की गणना) | 60% |
| 2) प्रति व्यक्ति आय | |
| (क) 'अपसरण' पद्धति-जिसमें राष्ट्रीय औसत से नीचे के प्रति व्यक्ति एस.डी.पी. वाले राज्य शामिल हैं | 20% |
| (ख) 'दूरी' पद्धति-जिसमें सभी राज्य शामिल हैं | 5% |

| | |
|--|------|
| 3) कार्य-निष्पादन- | |
| (क) कर-प्रयास | |
| (ख) वित्तीय प्रबंध, और | 7.5% |
| (ग) राष्ट्रीय उद्देश्यों के संबंध में प्रगति | |
| 4) विशेष समस्याएं | 7.5% |

राष्ट्रीय उद्देश्यों के संबंध में प्रगति संबंधी मानदण्ड के अन्तर्गत, अनुमोदित फार्मूले के अधीन चार उद्देश्य आते हैं अर्थात् (क) जनसंख्या नियंत्रण और मां तथा बच्चे का स्वास्थ्य; (ख) प्रारम्भिक शिक्षा और प्रोढ़ शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना; (ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना; और (घ) भूमि सुधार। विशेष श्रेणी वाले राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का वितरण संशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार एक-मुश्त आधार पर किया जाएगा (उत्तर पूर्वी परिषद सहित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और ग्राम विद्युतीकरण निगम के लिए पूर्व निर्धारित राशि के अलावा राज्यों के बीच कुल आबंटनीय धनराशि में से लगभग 30% धनराशि निकाल ली जाती है)

5.7.5 केन्द्रीय योजना सहायता के वितरण के लिए सबसे गाडगिल फार्मूला अपनाया गया था, तभी से विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों और विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए निधियाँ प्रदान करने के बाद कुल केन्द्रीय सहायता में से एक हिस्सा (लगभग 30%) इन राज्यों के लिए अलग से निर्धारित कर दिया जाता है। इस फार्मूले को अक्टूबर 1990 में थोड़ा सा आशोधित किया गया, जब इन राज्यों को आबंटित हिस्से में पूर्वोत्तर परिषद् के लिए आबंटन भी शामिल थे। तथापि इसे मुखर्जी फार्मूले (1991) के अंतर्गत आशोधित किया गया, जिसके द्वारा विशेष श्रेणी राज्यों के लिये आबंटित हिस्से में पूर्वोत्तर परिषद् शामिल नहीं है तथा इस प्रकार वर्ष 1990 से पहले की स्थिति बना ली गई है।

आठवीं योजना, 1992-97 के दौरान योजना वित्तपोषण समग्र वित्तीय व्यवस्था की रूपरेखा

5.8.1 आठवीं योजना के दौरान 798,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण निवेश व्यापक घरेलू प्रयास की मांग करता है विशेष रूप से जबकि विदेश से निवल अन्तर्वाह को सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत के मध्यम स्तर तक रखा जाना है। निवेश के सम्भावित स्तर के संबंध में धनराशि के अन्तर्देशीय प्रवाह से विदित होता है कि सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत की दर पर सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों का वित्तपोषण, जो कुल निवेश

का 45.2 प्रतिशत, बैठता है, घरेलू बचत में से ऋणों से 71.6 प्रतिशत, शेष विश्व से 9.34 प्रतिशत, और शेष अपनी बचत से आना संभावित है। संभावित निवेश के लिए सरकारी क्षेत्र में संसाधन जुटाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास करने होंगे जिनके अन्तर्गत बजटीय बचतों में काफी अधिक सुधार लाए जाने की आवश्यकता है जो अधिक राजस्व (निवल) की वसूली और एन.पी.आर.ई. में किफायत बरतने पर निर्भर करेगी।

5.8.2 विशेष रूप से घाटे में चलने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्यों के बिजली और परिवहन निगम द्वारा होने वाली हानि से स्रोतों में कमी और लाभ कमाने वाले उद्यमों के अधिशेष में मामूली वृद्धियों के कारण केन्द्र और राज्यों, दोनों को संसाधनों की तंगी बने रहने की उम्मीद है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता (घाटे की वित्त-व्यवस्था) कम स्तर पर परियोजित की गई है ताकि उसका रुख गैर-मुद्रास्फीति वित्त व्यवस्था की ओर हो सके। अतः केन्द्र और राज्यों के परियोजित परिव्ययों का लगभग पूरी तरह से आन्तरिक स्रोतों से वित्तपोषण करने के लिए एन.पी.आर.ई. में पर्याप्त मितव्ययता बरतने और ए.आर.एम. में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। जैसा कि सरकारिया आयोग ने महसूस किया है कि कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अपने अंशदान की तुलना में संसाधन के सृजन में योगदान देने के मामले में पिछड़ गया है। कृषि से प्रत्यक्ष कर राजस्व के हिस्से का प्रतिशत 1950-51 के लगभग 1.2% की तुलना में कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7 (1989-90) रह गया जबकि कुल सकल उत्पाद में सभी प्रत्यक्ष कर राजस्वों का हिस्सा 1950-51 में 2.6 प्रतिशत की तुलना में 2.8 प्रतिशत हो गया है। यदि 1950-51 का 1.2 प्रतिशत का हिस्सा पुनः प्राप्त किया जाता है तो उस दशा में कृषि क्षेत्र से 750 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर के अलावा 600 से 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यह कृषि में कराधान के आधार को व्यापक बनाकर प्राप्त किया जा सकता है जिसमें राज्यों द्वारा कुछ कानूनी परिवर्तन करने अपेक्षित हैं जिसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में एक मतैक्य पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर, सकल घरेलू उत्पाद के भाग के रूप में प्रत्यक्ष कर राजस्वों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। बहुत सी रियायतों और छूटों को समाप्त अथवा कम करने के लिए इस संबंध में ध्यान दिए जाने की जरूरत है। केन्द्र और राज्यों के मामले में बकाया करों की राशि काफी अधिक है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों के संबंध में बकाया धनराशि बहुत ही अधिक है। कुल

बकाया धनराशि के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है जिसमें से अधिकांश राशि की वसूली की जा सकती है। राज्यों में उदाहरण के लिए मार्च, 1990 के अन्त में उत्तर प्रदेश में 1,250 करोड़ रुपये से अधिक का कर बकाया था। जिन अन्य राज्यों में अत्यधिक कर बकाया है उनमें आंध्र प्रदेश (461 करोड़ रुपये); उड़ीसा (385 करोड़ रुपये); कर्नाटक (272 करोड़ रुपये, तमिलनाडु (253 करोड़ रुपये); गुजरात (233 करोड़ रुपये); मध्य प्रदेश (147 करोड़ रुपये); राजस्थान (108 करोड़ रुपये); पंजाब (106 करोड़ रुपये); केरल (105 करोड़ रुपये) और हरियाणा (90 करोड़ रुपये) शामिल हैं। केरल के मामले में भी करों की बकाया राशि बहुत अधिक है लेकिन इस राशि में राज्य के विभागों/उपक्रमों से वसूल किये जाने वाले बिजली शुल्क की राशि काफी अधिक है। कानूनी मुकदमों के लम्बित पड़े रहने के बावजूद राज्यों द्वारा राजकोष के लिए वसूली योग्य बकाया धनराशि की लगभग तीन चौथाई धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ऋणों और अग्रिमों के मामले में काफी बकाया धनराशियां हैं। उनकी वसूली राज्यों के प्रयासों से हो सकती है। करों के संबंध में विशेष रूप से उत्पाद शुल्क के संबंध में छूट देकर बड़ी मात्रा में राजस्व माफ कर दिया जाता है। राजस्व प्रणाली में होने वाली हानियों को रोकने के लिए सुनिश्चित उपाय करने की आवश्यकता होगी।

5.8.3 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है लेकिन यह अभी भी उम्मीद से काफी कम है और आठवीं योजना के दौरान इसमें पर्याप्त सुधार लाना होगा। आन्तरिक संसाधनों के सृजन को उनके परिव्ययों के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बनाना होगा विशेष रूप से क्योंकि सरकार से बजटीय संसाधन और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों को लेने पर नियंत्रण रखना होगा। क्षमता उपयोग में सुधार करने, विद्युत टैरिफ को मुक्तियुक्त बनाने, कार्यकुशलता में सुधार लाने और स्टाफ के खर्च में किफायत करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। इससे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

5.8.4 आठवीं योजना की सम्भावित वित्तपोषण रूपरेखा को कार्यान्वित करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में राजस्व में अधिक तेजी से वृद्धि करनी होगी और एन.पी.आर.ई. को सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कम रखने के लिए इस पर रोक

लगानी होगी। आठवीं योजना में स्टाफ और उस पर होने वाले खर्च में वृद्धि को रोकने और राजसहायता जैसे अन्य गैर-विकासात्मक खर्चों में कमी करने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। राजसहायता के मानदण्ड उसकी मात्रा और राजसहायता दिए जाने के आधार की बारीकी से समीक्षा करनी होगी। विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी के जरिये न केवल विकास के लक्ष्यों और कार्यक्रमों के तदनु रूप परिव्यय की आवश्यकताएं कम की जा सकती हैं बल्कि उनकी प्रभावकारिता में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, पिछली योजनाओं के दौरान बनाई गई परिसम्पत्ति का बेहतर अनुरक्षण किया जा सकता है और अनुरक्षण व्यय भी कम किया जा सकता है जिससे केन्द्र और राज्यों के स्तर पर सरकार के राजस्व घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ राज्यों के अनुभव से यह पता चलता है कि सामाजिक सेवाओं में लोगों को शामिल करके उन पर किए जाने वाला खर्च वास्तव में कुशलता और मितव्ययतापूर्वक किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक सेवाओं को समुचित रूप से लाभदायक बनाने के लिए कड़े निर्णय लेने की भी आवश्यकता होगी। उच्च शिक्षा का कुछ हद तक स्वयं वित्तीय व्यवस्था करने के लिए प्रत्यक्ष करों को समुचित रूप से लाभदायक बनाने के लिए और परोक्ष करों को उनके मूल आधार और प्रचलित कीमतों के प्रति प्रतिक्रियात्मक बनाने के लिए तथा राज्यों के मामलों में समीपवर्ती राज्यों के बीच बिक्री कर की दर में अन्तर को कम करने के लिए, सिंचाई विद्युत टैरिफ को कम से कम प्रचालन लागत पूरा करने की सीमा तक बढ़ाने और न्यूनतम विद्युत टैरिफ वसूलने के लिए राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करने के लिए उपाय करने अपेक्षित होंगे।

निजी क्षेत्र के निवेश का वित्त पोषण

5.9.1 योजना अवधि के दौरान 149,000 करोड़ रुपये के सम्भावित निवेश का वित्तपोषण करने के लिए निजी निगमित क्षेत्र से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी बचत से 68,930 करोड़ रुपये और घरेलू क्षेत्र से अन्तरण के रूप में 58,770 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए। शेष 21,300 करोड़ रुपये की राशि शेष विश्व से निवल अन्तर्वाह के रूप में हो सकती है। 2,88,000 करोड़ रुपये के घरेलू क्षेत्र के निवेश को उसकी 605,170 करोड़ रुपये की बचत में से पूरा किया जाएगा। निवेश पर शेष बचत सरकारी और निगम क्षेत्र को अन्तरित की जानी है। अस्सी के

दशक तक, घरेलू बचत में निवल वृद्धि मुख्य रूप से बैंकों में जमा और सरकार को ऋण देने के रूप में थी। हाल के वर्षों में, कर-छुट को समाकलित करके जमा धनराशि और सरकार को ऋणों की तुलना में भी निगम क्षेत्र की आय अधिक होने के कारण इस क्षेत्र के निगम स्टाक में निवेश में वृद्धि हो रही है। बाजार पूंजी में वृद्धि और नए उपकरणों के लगाए जाने के उपाय के रूप में भविष्य में इस तथ्य के और अधिक प्रभावशाली होने की सम्भावना है। निःसन्देह छोटे निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पूंजी बाजार मुद्रास्फीति को काफी हद तक रोकने में सफल रहा है विशेष रूप से यदि निवेश ईक्विटी पूंजी के रूप में किया जाता है। सोने और भू-सम्पत्ति जैसे परम्परागत निवेश की तुलना में शेयरों के मूल्य तेजी से बढ़े हैं। धनराशि के इस्तेमाल और निवेश में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाने और उन्नत कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए पूंजी बाजार के लिए सस्थानों के दायित्व को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। सातवीं योजना अवधि के दौरान पूंजी बाजार के जरिये गैर-सरकारी पब्लिक और निजी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा जुटाए गए संसाधनों के स्तर की आठवीं योजना अवधि में कम से कम दुगुना किया जा सकता है और उसमें कुछेक संस्थागत विकासों के साथ और वृद्धि की जा सकती है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध पूंजी को लगाए जाने में मदद मिलेगी।

5.9.2 मैक्रो बैलेंस के अनुसार, निजी निगमित क्षेत्र को विदेश से अन्तर्वाह (निवल) के रूप में 21,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यद्यपि इसका एक बड़ा भाग आपूर्ति कर्ता क्रेडिट और बाजार ऋणों के रूप में आएगा, तथापि नीति में हाल में किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप अनिवासी भारतीयों और विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश में वृद्धि हुई है। यदि अधिक विदेशी निवेश की वर्तमान संभावनाएं बनी रहती हैं तो स्थिति में सुधार होगा।

आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय का वित्त पोषण

5.10.1 आठवीं योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 1991-92 के मूल्यों पर 434,100 करोड़ रुपये रखा गया है इसमें 361,100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा तथा 73,000 करोड़ रुपये वर्तमान परिव्यय रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश कुल निवेश का 45.2 प्रतिशत बैठता है जबकि सातवीं योजना में मूलतः 47.8 प्रतिशत के निवेश की परिकल्पना की गई थी और सातवीं योजना में 45.7 प्रतिशत प्राप्त किया गया था।

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय की तुलना में आठवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में इस परिव्यय में वृद्धि 141 प्रतिशत बैठती है जबकि तुलनात्मक मूल्यों पर यह वृद्धि लगभग 32 प्रतिशत बैठती है।

5.10.2 यह वृद्धि (1) अतिरिक्त 'कर' और गैर 'कर' राजस्व और विधि प्राप्ति, (2) सरकार के मौजूदा खर्च विशेष रूप से खपत खर्च में वृद्धि को रोकने और (3) रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बढ़े हुए अंशदान, सातवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7 प्रतिशत की तुलना में 4.3 प्रतिशत बैठता है, की अपेक्षाओं पर आधारित है।

5.10.3 यह मानते हुए कि बी.सी.आर. 35,005 करोड़ रुपये है और सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान 148140 करोड़ रुपये है, दोनों में ए.आर.एम. शामिल हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था ऋणों और 202,255 करोड़ रुपये के निवल एम.सी.आर. और 20,000 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था तथा 28,700 करोड़ रुपये के बाहरी संसाधनों से की जाएगी। अतः 92.2 प्रतिशत तक की वित्त व्यवस्था आंतरिक स्रोतों से की जानी है। घाटे की वित्त व्यवस्था कुल सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों के 4.6 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद के 0.58 प्रतिशत पर सीमित की जाएगी। इसमें बी.सी.आर. 35,005 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करने, जिसमें हाल की प्रवृत्तियों से, जिनमें अच्छा राजस्व संग्रह तथा चालू व्यय वृद्धि पर अत्यधिक नियंत्रण के कारण बहुत अधिक सुधार होना शामिल है, पर अत्यधिक निर्भर करता है। इसमें कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे अन्यथा योजना की वित्त व्यवस्था की व्यावहारिकता प्रभावित होगी।

5.10.4 आठवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें केन्द्र और संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकारी उद्यम और राज्य शामिल हैं, की वित्त व्यवस्था के विस्तृत अनुमान, जो विवरण 5.5 में दिए गए हैं, मेक्रो-लेवल बैलेंसों और केन्द्र तथा राज्यों की वित्त व्यवस्थाओं के अद्यतन अनुमानों पर आधारित हैं।

केन्द्र और केन्द्रीय सरकारी उद्यम (पी.एस.ई.)

5.10.5 केन्द्र (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए 254,115 करोड़ रुपये के कुल संसाधनों, जिसमें राज्य योजनाओं के लिए सहायता के रूप में 78,500 करोड़ रुपये का

अंतरण शामिल नहीं है, का अनुमान लगाया गया है जो कि संबंधित आधार स्तरीय मूल्यों पर सातवीं योजना के प्रक्षेपण की तुलना में 156 प्रतिशत अधिक है और तुलनात्मक मूल्यों पर 40 प्रतिशत अधिक है।

केन्द्र का वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)

5.10.6 केन्द्र का बी.सी.आर. 22,020 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें सरकार द्वारा प्रत्याशित ए.आर.एम. शामिल है और जोकि केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में राज्यों को अन्तरित करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आशा है कि केन्द्र का एन.पी.आर.ई. विशेषतया उपभोक्ता खर्च को सीमित रखा जाएगा। सरकार की अधिक वचनबद्धताओं का अर्थ होगा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अधिक बजटीय राजसहायता खर्च और 1990-91 में किसानों को कर्जा माफी द्वारा अधिक राजस्व खर्च। कई राहते और रियायतें 'अन्य' राजसहायताओं में परिलक्षित होती हैं। बढ़ा हुआ स्थापना खर्च मुख्य रूप से बढ़े हुए वेतन और भत्तों, जिसमें महंगाई भत्ते और यात्रा व्यय शामिल है, के कारण होगा।

केन्द्रीय सरकारी उद्यम (सी.पी.ई.)

5.10.7 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संसाधनों, दोनों विभागीय, और गैर-विभागीय, के ए.एम.आर. सहित 144,140 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, इसके लिए प्रशासन खर्चों/लागत वृद्धियों में अनुमानित बढ़ोत्तरी को सीमाओं के अन्दर रखना होगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अनुमानित संसाधन बढ़ते हुए बजटीय संसाधनों के स्थान पर पूंजी बाजार से प्राप्त किए जाएंगे।

5.10.8 कर राजस्व, जिसे छोड़ना पड़ता है, और ब्याज की दरों में विकृति, जो कर-मुक्त 9 प्रतिशत ब्याज के बांडों से उत्पन्न हुई है, को ध्यान में रखते हुए, उन पर निर्भरता को पूर्व-निर्धारित सीमा तक कम करना होगा। उसके नियोजन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। आवधिक समीक्षा से इन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए और इससे लोगों की बचतों, विशेष रूप से ग्रामीण बचतों को इकट्ठा करने के मूल उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

5.10.9 योजना अर्वाधि में अनुमानित ऋण तथा विविध (निवल) पूंजी प्राप्ति 117,755 करोड़ सहित केन्द्रीय बजट में समग्र घाटे अथवा

भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता को 20,000 करोड़ रुपये तक सीमित रखने की आशा है जोकि सातवीं योजना के अनुमानों से काफी कम है। यह योजना के गैर मुद्रास्फीतिक वित्त पोषण और भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए सरकारी ऋण के मुद्रीकरण को कम करने के संबंध में आठवीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। अतः मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से वित्तपोषित वार्षिक बजटीय घाटे को इस सीमा में रखना आवश्यक होगा। राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ओवर ड्राफ्ट विशिष्ट अल्पकालिक सीमा से अधिक न लेने की नीति का न्यूनाधिक अनुपालन कर रहे हैं।

राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5.10.10 राज्यों की योजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता (योजना राजस्व घाटा अनुदान सहित) 78,500 करोड़ रुपये परियोजित की गई है जिससे राज्यों के परियोजित योजना परिव्ययों के 43.6 प्रतिशत भाग का वित्त पोषण होगा और जो सातवीं योजना में परियोजित 37 प्रतिशत से काफी अधिक होगा। केन्द्रीय सहायता में बाजार ऋणों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों का आवंटन भी शामिल होगा। यद्यपि योजना अनुदानों का राज्यवार आवंटन नौवें/दसवें वित्त आयोग (1994-95 तक) की सिफारिशों के अनुसार होगा, लेकिन राज्य-योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिसम्बर, 1991 में हुई बैठक में सम्मत फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों को 90:10 के अनुदान: ऋण पैटर्न में सहायता दी जाएगी। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आवंटन अनुमोदित परियोजनाओं और सहायता उपयोग सम्भावनाओं पर आधारित होते हैं। इसे शत-प्रतिशत आधार पर किया जाएगा। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता विशिष्ट क्षेत्रों के मौजूदा बजटीय आवंटनों की बजाय नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य आवंटन में वृद्धि करना है। जब वृद्धि करने की बजाय प्रतिस्थापन किया जाता है तो इससे केन्द्रीय आवंटनों में विसंगति हो जाने की सम्भावना है।

5.10.11 संशोधित गाडगिल फार्मूले में संशोधन करते समय लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में, विशेष श्रेणी वाले राज्यों की वित्तीय समस्याओं

के लिए स्थायी समाधानों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जा चुकी है।

राज्य और राज्य स्तर के उद्यम

5.10.12 राज्यों का कुल परिव्यय 179,985 करोड़ रुपये रखा गया है जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय का लगभग 41.5 प्रतिशत होगा। उपर्युक्त परिव्ययों का वित्तपोषण करने के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधनों के अनुमान विवरण 5.5 में दिए गए हैं।

राज्यों का वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)

5.10.13 राज्यों द्वारा ए.आर.एम. सहित समूचे बी.सी.आर. (जिसमें गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्य कवर होते हैं) योजना के मैक्रो स्तर के आयाम के अनुसार 12,985 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्यों द्वारा संसाधन जुटाने की प्रतिबद्धता के अनुसार बी.सी.आर. का स्तर प्राप्त होने की आशा है।

5.10.14 राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों और विद्युत/परिवहन विभागों/उपक्रमों के संसाधनों/अंशदान, जिसमें ए. आर. एम. (निवल) शामिल है, से केवल 4000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। लेकिन इसके लिए भी पर्याप्त सुधार करने होंगे ताकि ए.आर.एम. (निवल) को वसूली विशुद्ध रूप से लागत वृद्धि के अनुरूप हो सके।

5.10.15 योजना आयोग द्वारा संवर्द्धित राज्य बिजली बोर्डों और सड़क परिवहन निगमों को छोड़कर राज्य-स्तर के उद्यमों की वित्त-व्यवस्था का अध्ययन कुल मिलाकर उनके परिमाणत्मक योगदान को दर्शाता है जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारों को बजटीय सहायता देना आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके और ये उपक्रम संसाधनों में सकारात्मक योगदान दे सकें।

5.10.16 राज्यों के परिव्यय उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं, जिनका वित्तपोषण राज्यों के अपने संसाधनों, और केन्द्रीय सहायता से किया जाना है, को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। केन्द्रीय सहायता में योजना सहायता, बाजारऋण, वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक, आर.ई.सी. और अन्यो से वार्ता ऋणो; और नौवे वित्त आयोग द्वारा संस्तुत योजना राजस्व घाटा अनुदान शामिल है । बी.सी.आर. प्रबंध और सरकारी उद्यमो के बढे हुए अंशदान को छोडकर, राज्यों के संसाधनो में राज्यों के निवल एम.सी.आर. नकारात्मक दिखाए जा रहे हैं और लघु बचत में राज्यों के हिस्से में सम्भावित वृद्धि के लिए धनराशि एकत्र करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास करने होंगे जबकि भविष्य निधि के लिए विवेकपूर्ण प्रबंध करने की आवश्यकता होगी। इन संबंध में राज्यों द्वारा वर्तमान प्रतिबद्धता ज्यादा आशावादी नहीं रही है तथा इन्हें विवरण 5.5 में दिए गए प्रक्षेपणों को वसूल करने के लिए बढ़ाना होगा । इससे राज्यों द्वारा परिकल्पित बजट संबंधी लेखा संबंधी ए.आर.एम. आवश्यकताएं कम होंगी ।

5.10.17 कई राज्यों ने जोर देकर कहा है कि नौवे वित्त आयोग द्वारा उनका भावी कर का राजस्व वास्तविकता से अधिक और राजस्व व्यय का वास्तविकता से कम आंकलन किया गया है । यद्यपि यह सच हो सकता है कि नौवे वित्त आयोग ने राजस्व घाटे को समाप्त करने और समय के साथ राज्यों तथा केन्द्र की वित्त-व्यवस्था को सक्षम बनाने के उद्देश्य के साथ एक मानक दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे अपनी बढ़ती हुई विकासात्मक गतिविधियों के लिए अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न कर सकें। इस उद्देश्य तथा नौवे वित्त आयोग द्वारा ए.आर.एम. के लिए की गई अन्य अपेक्षाओं को आठवीं योजना के दौरान पूरा करना होगा ।

सातवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय की वित्तीय-व्यवस्था की रूपरेखा

(1984-85 के मूल्य स्तर पर करोड़ रूप्यों में)

| मदें | वास्तविक/नवीनतम अनुमान | | | मूल अनुमान | | |
|--|---|---------|--------|---|-------|--------|
| | केन्द्र@ (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) | राज्य | कूल | केन्द्र@ (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) | राज्य | कूल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I कर, टैरिफ और किराये को मौजूदा दरों पर देशी संसाधन | | | | | | |
| 1. (क) वर्तमान राजस्व से शेष | -9099 | 127467 | 3647 | -3761 | 19762 | 16001 |
| इसमें से ए आर एम का भाग | 5705 | 10444 | 16149 | 8250 | 13000 | 21250 |
| (ख) ए आर एम रहित बी सी आर | -14804 | +2302 | -12502 | -12011 | 6762 | -5249 |
| 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का योगदान | 31519** | -2194 | 29325 | 51694 | 7243 | 58937 |
| इसमें से ए आर एम का भाग | 8506 | 6736 | 15242 | 14240 | 9212 | 23452 |
| 3. अन्य पूंजीगत आय* | 72887 | 30339 | 103226 | 49106 | 23956 | 73062 |
| इसमें से सरकारी उद्यमों के बाड का भाग | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 0 | 0 |
| 4. अर्ध अधिशेष/घाटा | 0 | -2008 | -2008 | 0 | 0 | 0 |
| कूल - I (1 + 2 + 3 + 4) | 95307 | 38883 | 134190 | 97039 | 50961 | 148000 |
| II विदेशों से निक्कल अन्तर्वाह | 16124 | 0 | 16124 | 18000 | 0 | 18000 |
| III बजटीय घाटा | 28256 | 0 | 28256 | 14000 | 0 | 14000 |
| IV कूल संसाधन (I + II + III) | 139687 | 38883 | 178570 | 129039 | 50961 | 180000 |
| V राज्यों को केन्द्रीय सहायता | -30941 | 30941@ | 0 | -29737 | 29737 | 0 |
| VI योजना के लिए उपलब्ध संसाधन (IV + V) | 108746 | 69824 | 178570 | 99302 | 80698 | 180000 |
| VII योजना परिव्यय/व्यय | 108746@@ | 69631\$ | 178377 | 99302 | 80698 | 180000 |
| | (103416) | | | | | |

* राज्यों के मामले में बाजार ऋणों को समेटते हुए, लघु बचत में हिस्सा, विविध पूंजी प्राप्तिरियाँ, भविष्य निधि, विनियम ऋण, उन्नयन अनुदान तथा अन्य केन्द्र के मामले में बाजार ऋणों को समेटते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बॉड, डिबैंचर, कम जमा, भविष्य निधि तथा विविध पूंजी प्राप्तिरियाँ।

** केन्द्रिय बजट के आर ई आंकड़ों पर आधारित।

@ दो मामलों यथा बजट का वास्तविक तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त आंकड़े, में समयभाव के कारण, उपर्युक्त आंकड़ों का कूल वास्तविक बजट रिपोर्ट जोकि 41851 करोड़ खप्त है से भिन्न है।

@@ ऊपर दर्शाए गए बजट दस्तावेजों में दिए गए विभागों द्वारा बताए गए आंकड़ों में भिन्नता समयभाव के कारण हो सकती है।

\$ राज्यों के मामले में संसाधनों का जोड़ और व्यय का जोड़ समयभाव, समेटने में भिन्नता तथा कतिपय अन्य समयोजन के कारण है।

केन्द्र (संघ शासित क्षेत्रों सहित) और राज्यों के वर्ष 1990-91 के योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्था की रूप रेखा

(करोड़ रूपयों में)

| मर्दें | 1990-91 | | | | | |
|--|---|---------|-------|---|--------|--------|
| | वार्षिक योजना | | | प्री एक्जुअल्स | | |
| | केन्द्र, संघ शासित क्षेत्रों सहित | राज्य | कुल | केन्द्र, संघ शासित क्षेत्रों सहित | राज्य | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. अनुमोदित परिव्यय/व्यय | 40400 | 24317 | 64717 | 39066 | 22360 | 61426 |
| II. देशी संसाधन | | | | | | |
| 1. वर्तमान राजस्व से शेष (ए आर एम सहित बी सी आर) | -4396 | @ | -4148 | -10401 | @ | -10997 |
| 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन/योगदान | 16577 | -264 | 16313 | 12973 | -2012 | 10961 |
| 3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जारी बांड | 3942 | 0 | 3942 | 4933 | 0 | 4933 |
| 4. बाजार ऋण | 8000 | 3300 | 11300 | 8001 | 3216 | 11217 |
| 5. लघु बचत | 500 | 5062* | 5562 | 9104 | 7016 | 16120 |
| 6. मक्खिय निधि | 1580 | 2987 | 4567 | 1221 | 3296 | 4517 |
| 7. वित्तीय संस्थानों/निगमों से सावधि ऋण | 0 | 1788 | 1788 | 0 | 2127 | 2127 |
| 8. विविध पूंजीगत आय (एम सी आर) | 12716 | -1980 | 10736 | 5822 | -1283 | 4539 |
| कुल II रु देशी संसाधन | 38919 | 11141 | 50060 | 31653 | 11653 | 43306 |
| III. विदेश से निवल अन्तर्वाह | 5793 | 0 | 5793 | 6320 | 0 | 6320 |
| IV. बजटीय घाटा | 7206 | 0 | 7206 | 11347 | 0 | 11347 |
| V. कुल संसाधन (II से IV) | 51918 | 11141# | 63059 | 49320 | 11653 | 60973 |
| VI. राज्यों को केन्द्रीय सहायता | -10526 | 10526 | 0 | -8842 | 8842\$ | 0 |
| VII अनुच्छेद 275 (i) वित्त आयोग (के अंतर्गत राज्यों को योजना अनुदान | -992 | 992 | 0 | -992 | 992 | 0 |
| VIII राज्यों/केन्द्र से अन्तरण द्वारा अन्तर्निहित और अधिक ए आर एम | 0 | 1943 | 1943 | 0 | 164 | 164 |
| IX योजना के लिए संसाधन | 40400 | 4602*** | 65002 | 39486 | 21651 | 61137 |

@ दर्जा बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला अनुदान और विशेष समस्या अनुदान सामान्य श्रेणी के राज्यों के बी. सी. आर. में शामिल होते हैं।

* केन्द्रीय बजट में बजट अनुमान 4500 करोड़ रूपये है। यह राशि, राज्यों द्वारा जुटाई जाने वाली अनुमानित अतिरिक्त बचत को ध्यान में रखते हुए अधिक रखी गई है।

विशेष श्रेणी के राज्यों में से योजना निधि में कुछ राज्यों को पूंजीगत संसाधनों की केवल सकारात्मक राशि (लघु बचत, राज्यों की मक्खिय निधि, विविध पूंजीगत आय, बाजार ऋण और बातचीत के बाद तय किए गए ऋण) शामिल की गई है तथा अन्य राज्यों के पूंजीगत संसाधनों की नकारात्मक राशि छोड़ दी गई है। राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों के नकारात्मक योगदान और सभी राज्यों के नकारात्मक बी सी आर को छोड़ दिया गया है।

** इसमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता, क्षेत्रीय कार्यक्रम और योजना ऋण शामिल हैं।

*** अनुमोदित परिव्यय 24317 करोड़ रूपये है। विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों के संसाधनों में अधिशेष केन्द्र से अन्तरण (वित्त आयोग की वजह से किए गए अन्तरण सहित) में वृद्धि होने के कारण है।

केन्द्र (संघ शासित क्षेत्रों सहित) और राज्यों के वर्ष 1991-92 के योजना परिव्यय की वित्तीय-व्यवस्था की रूप रेखा

(करोड़ रुपये)

| मदें | वार्षिक योजना | | | अद्यतन अनुमान | | |
|--|--|-------|---------|--|-----------|-------|
| | केन्द्र (संघ शासित क्षेत्रों सहित) | राज्य | जोड़ | केन्द्र (संघ शासित क्षेत्रों सहित) | राज्य | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. अनुमोदित परिव्यय/व्यय | 44254@ | 28063 | 72317@@ | 41368 | 23585\$ | 64953 |
| II. देशी संसाधन | | | | | | |
| 1. वर्तमान राजस्व में से शेष (ए. आर. एम. सहित बी. सी. आर.) | -2922 | 1510 | -1412 | -6060 | -2940* | -9000 |
| 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन/योगदान | 16084 | -1128 | 14956 | 14926 | -1699 | 13227 |
| 3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जारी बॉण्ड | 5869 | 0 | 5869 | 5722 | 0 | 5722 |
| 4. बाजार ऋण | 7500 | 4200 | 11700 | 7500 | 4191 | 11691 |
| 5. लघु बचत | 8000 | 6325 | 14325 | 6400 | 5847 | 12247 |
| 6. भविष्य निधियां | 1300 | 2397 | 3697 | 1400 | 3407 | 4807 |
| 7. वित्तीय संस्थानों/निगमों से ऋण | 0 | 1498 | 1498 | 0 | 1534 | 1534 |
| 8. विविध पूंजीगत आय (एम. सी. आर.) | 7490 | -2633 | 4857 | 10462 | -3286 | 7176 |
| 9. अर्थ शेष और अन्य संसाधन | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 |
| | | # | # | | # | # |
| जोड़ - II : देशी संसाधन | 43321 | 12399 | 55720 | 40350 | 7314 | 47664 |
| III. विदेश से निक्ल अन्तर्वह | 6379 | 0 | 6379 | 7892 | 0 | 7892 |
| IV. बजटीय घाटा | 7719 | 0 | 7719 | 7032 | 0 | 7032 |
| V. कुल संसाधन (II से IV) | 57419 | 12399 | 69818 | 55274 | 7314 | 62593 |
| VI. राज्यों को केन्द्रीय सहायता ** | -11835 | 11835 | 0 | -12573 | 12573\$\$ | 0 |
| VII अनुच्छेद 275 (1) वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्यों की योजना अनुदान | -1333 | 1333 | 0 | -1333 | 1333 | 0 |
| VIII राज्यों/केन्द्र से अन्तरण द्वारा अन्तर्निहित और अधिक एआरएम | 0 | 2620 | 2620 | 0 | 2110 | 2110 |
| IX योजना के लिए संसाधन | 44251 | 28187 | 72438 | 41368 | 23330## | 64698 |

@ 1991-92 के केन्द्रीय बजट के अनुसार केन्द्र (संघ शासित क्षेत्रों सहित) की योजना परिव्यय 44251 करोड़ रुपये है। यह भिन्नता आदर्श गांवों/संघ शासित क्षेत्रों की सहकारी समितियों के आधार के लिए परिव्यय के प्रावधान के कारण है।

@@ भिव्यथिता उपयोग के अंतर्गत आदर्श गांवों तथा सहकारी समितियों का आधार आदि योजनाओं को रद्द करने के निर्णय के फलस्वरूप बाद में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजना राशि में 151 करोड़ रुपये की कमी कर दी गई थी।

\$ अनुमोदित संशोधित परिव्यय

* इसमें केवल सामान्य श्रेणी के राज्यों के प्राक्कलन शामिल हैं।

विशेष श्रेणी के राज्यों में से योजना निधि में कुछ राज्यों के पूंजीगत संसाधनों की केवल सकारात्मक राशि (लघु बचत, राज्यों की भविष्य निधि, विविध पूंजीगत आय, बाजार ऋण और बाताचीत के बाद तय किए गए ऋण) शामिल की गई है तथा अन्य राज्यों के पूंजीगत संसाधनों की नकारात्मक राशि छोड़ दी गई है। राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों के नकारात्मक योगदान और सभी राज्यों के नकारात्मक बी. सी. आर. को छोड़ दिया गया है।

** इसमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता, क्षेत्रीय कार्यक्रम और योजना ऋण शामिल हैं

संशोधित परिव्यय में यह अन्तर अलग-अलग समय पर कार्यवाही किये जाने कारण है।

\$\$ दो मामलों, यथा वास्तविक बजट आंकड़े तथा योजना ऋणों, विशेष सहायता तथा क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए 824 करोड़ रूप सहित राज्यों द्वारा प्राप्त आंकड़ों में जोड़ में कमी के कारण उपर्युक्त आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अद्यतन अनुमानों से भिन्न हैं जिनका कि जोड़ 11387 करोड़ रूप होता है।

1992-93 के लिए योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्था की रूपरेखा

(करोड़ रुपये)

| मदें | केन्द्र (संघ शास्त्रि क्षेत्रों सहित) | वार्षिक योजना का अनुमान | |
|---|---|-------------------------|--------|
| | | राज्य | जोड़ |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I. अनुमोदित परिव्यय/व्यय | 49698 | 31073* | 80771 |
| II. देशी संसाधन | | | |
| 1. वर्तमान संसाधनों में से शेष (ए आर एम सहित बी सी आर) | -1815 | @ | -119 |
| 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन/योगदान | 17926 | -1957 | 15969 |
| 3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जारी बॉन्ड | 6058 | 0 | 6058 |
| 4. बाजार ऋण | 5000 | 4180 | 9180 |
| 5. लघु बचत | 7200 | 7083 | 14283 |
| 6. भविष्य निधि | 1500 | 2736 | 4236 |
| 7. वित्तीय संस्थानों/निगमों से सावधिक ऋण | 0 | 2077 | 2077 |
| 8. विविध पूंजीगत आय (एम सी आर) | 11704 | -3670 | 8034 |
| 9. अर्थ शेष तथा अन्य संसाधन | 0 | 470 | 470 |
| | | @@ | |
| जोड़ - II - देशी संसाधन | 47573 | 13397 | 60970 |
| III. विदेशी से निक्ल अन्तर्विह | 11296 | 0 | 11296 |
| IV. बजटीय घाटा | 5389 | 0 | 5389 |
| V. कुल संसाधन (II से IV) | 64258 | 13397 | 77655 |
| VI. राज्यों को केन्द्रीय सहायता ** | -12780 | 14055 | # |
| VII. अनुच्छेद 275 (1) (वित्त आयोग) के अन्तर्गत राज्यों को योजना अनुदान | -1780 | 1780 | 0 |
| VIII. राज्यों/केन्द्र से अन्तरण द्वारा अन्तर्निहित और अधिक ए आर एम | 0 | 1811 | 1811 |
| IX. योजना के लिए संसाधन | 49698 | 31043 | 80741# |

* इसमें उत्तर-पूर्वी परिषद को आवंटित 30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन शामिल हैं।

@ ये केवल सामान्य श्रेणी के राज्यों के बारे में हैं।

@@ सार्वजनिक उद्यमों, भविष्य निधि और विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के लिए विविध पूंजीगत आय के योगदान तथा चुने गए विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए बाजार ऋणों, लघु बचत और सावधिक ऋणों से जुटाए गए संसाधनों को हिसाब में नहीं लिया गया था।

** इसमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता, क्षेत्रीय कार्यक्रम और योजना ऋण शामिल हैं।

यह अंतर राज्यों द्वारा अनुमानित बाढ़ सहायता उपयोग के लिए सहायता के उच्च स्तरों के कारण है।

आठवीं योजना, 1992-97 में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय की सम्भावित वित्त-व्यवस्था की रूप-रेखा

(1991-92 के मूल्य स्तर पर करोड़ रु. में)

| संसाधन | केन्द्र (संघ शासित क्षेत्र सहित) | राज्य | जोड़ (2 + 3) |
|--|-------------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. देशी संसाधन | | | |
| 1. वर्तमान राजस्व में से शेष (बी सी आर)* | 22020 | 12985** | 35005 |
| 2. सार्वजनिक उद्यमों का योगदान | 144140 | 4000 | 148140 |
| 3. उधार और विविध निक्ल पूंजीगत आय (एम सी आर) @ जोड़ I (1 से 3) | 117755 | 84500 | 202255 |
| | 283915 | 101485 | 385400 |
| II. विदेश में निक्ल पूंजीगत अन्तर्वाह | 28700 | 0 | 28700 |
| III. घाटे के लिए वित्त व्यवस्था | 20000 | 0 | 20000 |
| IV. कुल संसाधन (I + II + III) | 332615 | 101485 | 434100 |
| V. राज्यों को केन्द्रीय सहायता@@ | -78500 | 78500 | 0 |
| VI. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधन (IV + V) | 254114 | 179985 | 434100 |

* जुटाए जाने वाले अतिरिक्त संसाधन शामिल हैं।

** इसमें केवल सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुमान शामिल हैं।

@ इसमें बाजार ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण शामिल हैं।

@@ इसमें अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत योजना राजस्व घाटा शामिल है।

अध्याय-6

रोजगार परिप्रेक्ष्य

II. दृष्टिकोण

6.1.1 रोजगार के अवसर बढ़ाना भारत की विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। पिछले कुछ वर्षों से रोजगार में काफी बढ़ोतरी हुई है। परन्तु, रोजगार में हुई वृद्धि की तुलना में, जनसंख्या और श्रमिक-बल में अधिक तेजी से वृद्धि होने के कारण, बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। आठवीं योजना में रोजगार पर दस वर्षीय अवधि के परिप्रेक्ष्य में ध्यान केन्द्रित किया गया है और इसका लक्ष्य अगले दस साल में बेरोजगारी को कम करके नगण्य स्तर पर ला देना है। इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाना अब आवश्यक भी समझा जाता है क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि उपलब्ध मानव संसाधनों का और अधिक दक्ष उपयोग ही, गरीबी हटाने, विषमताओं को दूर करने और आर्थिक वृद्धि की गति को आगे बढ़ाने में एक अति प्रभावशाली साधन है।

6.1.2 रोजगार सृजन को योजना का एक उद्देश्य मानते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक वृद्धि को एक-दूसरे के विरोधी न मानकर एक-दूसरे का पूरक मानना होगा। अतः रोजगार के अवसर इस तरह पैदा करने होंगे, जिससे कि आर्थिक वृद्धि की गति में भी तेजी आए। रोजगार लाभकारी और संपोषणी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसका स्वरूप उत्पादी हो, और इससे कामगार को एक सामान्य स्तर तक आय हो सकें और साथ ही इतना अधिशेष पैदा कर सकें जिससे कि और अधिक आर्थिक विकास हो सके तथा रोजगार के और अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

6.1.3 श्रमबल की उत्पादकता में सुधार का हमारी अर्थ-व्यवस्था में विशेष महत्व है। जहां रोजगार में लगे अधिकांश व्यक्तियों की निम्न उत्पादकता और कम आय की समस्या अनैच्छिक निष्क्रियता के रूप में आंकी गयी बेरोजगारी की समस्या से भी अधिक गंभीर है, बेरोजगारी की तुलना में गरीबी की समस्या कहीं अधिक है। इस तरह ऊपर से देखने में अधिकांश गरीब व्यक्ति बेरोजगार नहीं होते पर अधिकांश समय वे कुछ ऐसे कामों को करने में जुटे रहते

हैं जिनसे उत्पादकता कम होती है और आमदनी भी काफी कम होती है। अतः योजना की कार्यनीति न केवल नए "रोजगार" पैदा करना है, बल्कि उपयुक्त टेक्नोलॉजी, विपणन और संस्थागत सहायता उपलब्ध करा कर, उत्पादकता और आमदनी में वृद्धि लाने की दृष्टि से, वर्तमान रोजगार का संवर्धन करना है।

6.1.4 यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रमिक पूर्ति की विशेषताओं के अनुसार मांग संवर्धन हमेशा नहीं किया जा सकता है। रोजगार के नए अवसरों के कौशल और अन्य आवश्यकताओं तथा उपलब्ध श्रमिक गुणों के बीच ठीक तालमेल न होने के कारण श्रम बाजार में कमी-वैशी होती ही रहती है। आज तेजी से बदल रही टेक्नोलॉजी और कार्य संगठन में यह परिघटना और भी अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। अतः यह भी आवश्यक हो जाता है कि व्यापक रूप से श्रमिकों की रोजगार-स्थिति में सुधार लाने और विशेष रूप से, उत्पादी कार्यकलापों की तेजी से बदल रही आवश्यकताओं की अनुकूलता में, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए, संस्थागत संरचनाओं और व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, श्रम बाजार के आपूर्ति पक्ष की ओर ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षण और कौशल निर्माण का, श्रमिक मांग की प्रवृत्ति के साथ निकट का संबंध बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक होगा कि उपयोक्ता अर्थात् नियोक्ता, योजना बनाने और उन्हें चलाने में सहयोग दें और बड़ी भूमिका निभाएं।

6.1.5 आठवीं योजना में जिस महत्वपूर्ण पहलू पर विशेष रूप से, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में, अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वह है रोजगार पर बृहद् आर्थिक, क्षेत्रीय और श्रम-नीतियों का प्रभाव। यह देखा गया है कि ऋण और श्रम से सम्बन्धित कुछ नीतियां सदा रोजगार-सहयोगी नहीं होती। अनेक सेक्टरों में रियायती ऋण नीति का प्रावधान कारक मूल्यों की सापेक्षा में विकृतियां उत्पन्न करता है, जो श्रम के उपयोग के विरुद्ध पड़ती हैं और यह भी माना गया है कि कुछ श्रम कानूनों में निहित श्रम-नीति श्रम के उपयोग को

बेलोच बना देती है और मजदूरी प्रणाली अप्रभावी हो जाती है, और इस प्रकार उद्योगों में रोजगार प्रसार हतोत्साहित होता है, इसके विपरीत, असंगठित सेक्टर में, जहां कि अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध है रोजगार न केवल असुरक्षित है, बल्कि किसी भी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से भी वंचित है। श्रम बाजार में तेजी से हो रहे इस द्विभाजन, जिसमें श्रम बल के थोड़े भाग को काफी रक्षण मिल जाता है और अधिकांश श्रमिक असुरक्षित रहते हैं, यह श्रम के दक्ष प्रयोग में बाधक होता है। अतः इस अंतर को दूर करने के लिए कुछ विधियों का पता लगाना होगा। इसी प्रकार अन्य नीतियों - ऋण, वित्तीय और क्षेत्रीय, नीतियों को भी अधिक रोजगार-सहयोगी बनाने के लिए उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है :

II. रोजगार : वृद्धि और संरचना

6.2.1 रोजगार में वृद्धि और संरचनात्मक परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) पंचवर्षीय सर्वेक्षण से, अति-व्यापक स्रोत उपलब्ध कराता है। इस स्रोत का प्रयोग करके रोजगार की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों को 1987-88 में समाप्त होने वाली 10 वर्ष की अवधि के लिए जिसमें रोजगारी और बेरोजगारी पर अंतिम सर्वेक्षण किया गया था, बताया गया है। 1977-78 से 1987-88 तक के दशक में रोजगार वृद्धि के संक्षेप में मुख्य लक्षण ये रहे हैं :

- (i) दस वर्षों में रोजगार में प्रतिवर्ष लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (सारणी 6.1) (यह वृद्धि श्रम-बल की वृद्धि दर के लगभग बराबर है, परन्तु 1977-78 में लगभग 1.08 करोड़ पहले से ही बेरोजगार लोगों को शामिल करते हुए सभी को रोजगार देने में सफल नहीं रही है।)
- (ii) रोजगार की वृद्धि दर शहरों में अपेक्षाकृत अधिक रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम।
- (iii) पुरुषों और महिलाओं में रोजगार वृद्धि दर लगभग समान ही रही है, जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की रोजगार वृद्धि दर थोड़ा अधिक रही है।
- (iv) 1978-88 की अवधि में कृषि को छोड़कर सभी सेक्टरों में वार्षिक रोजगार-वृद्धि 3.0 प्रतिशत से अधिक रही है (सारणी 6.2) कृषि में केवल 0.92 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रही

है। (और यह दर दो पंचवर्षीय अवधि में लगभग समान रही है।)

- (v) 1977-78 - 1983 की अवधि के मुकाबले 1983--1987-88 की अवधि में वृद्धि दर में कमी आयी है, कृषि व्यापार और निर्माण को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में वृद्धि दर की यही प्रवृत्ति रही है। (सारणी 6.2) विनिर्माण में वृद्धि दर 3.76 प्रतिशत से घटकर 2.18 प्रतिशत हो गयी, और सेवाओं में 4.49 प्रतिशत से घटकर 2.06 प्रतिशत हो गयी।
- (vi) संगठित सेक्टर में रोजगार के वृद्धि दर में काफी तेजी से कमी आयी है, यह 1977-78 --1983 के 2.48 प्रतिशत से घटकर 1983--1988-88 में 1.38 प्रतिशत हो गयी (सारणी 6.3) 1983--1987-88 की अवधि में संगठित विनिर्माण सेक्टर में रोजगार की स्थिति में न तो कोई सुधार आया है और न ही कोई गिरावट आई है। इस तरह हाल ही के वर्षों में असंगठित सेक्टर का ही रोजगार वृद्धि में काफी योगदान रहा है।
- (vii) संगठित सेक्टर की, रोजगार वृद्धि में मुख्य योगदान सार्वजनिक सेक्टर का रहा है।
- (viii) कुल रोजगार वृद्धि दर में कमी आने के बावजूद भी शिक्षित व्यक्तियों, विशेष रूप से शिक्षित महिलाओं रोजगार वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है (सारणी 6.4)।

6.2.2 विभिन्न सेक्टरों की विभिन्न रोजगार वृद्धि दरों के कारण समय के साथ रोजगार की संरचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, पिछले दशक में कृषि से परे कुछ क्षेत्रीय विस्थापन हुए हैं। 1977-78 में 71 प्रतिशत श्रमिक कृषि और इससे संबंधित कार्य में लगे हुए थे जबकि 1987-88 में यह अनुपात घटकर 64 प्रतिशत हो गया (सारणी 6.5)। 1991 की जनगणना से पता चलता है कि यह अनुपात 64.9 प्रतिशत रहा, जिसमें 1981 के 66.5 प्रतिशत के मुकाबले थोड़ी कमी आयी है। दूसरा रोजगार अवस्थिति द्वारा श्रम-बल की संरचना में परिवर्तन हुआ है। 1977-78 से 1987-88 के दौरान बदली मजदूरी के अनुपात में वृद्धि हुई है जबकि स्व-रोजगार में कमी आयी है (सारणी 6.6) - यह एक ऐसा परिवर्तन है, जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से गैर-कृषि कार्यों में विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तीसरा, गैर-कृषि रोजगार में असंगठित सेक्टर का अनुपात

जहां 1977-78 में 72 प्रतिशत था वह 1987-88 में बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया हालांकि कुल मिलाकर असंगठित सेक्टर में रोजगार का अनुपात लगभग 90 प्रतिशत पर स्थायी रहा है ।

III. बेरोजगार : प्रवृत्ति और संरचना

6.3.1 पारम्परिक और प्रायः प्रयुक्त संकल्पना के अनुसार बेरोजगारी अनैच्छिक निष्क्रियता को प्रदर्शित करती है । अर्थात् उस अवधि को प्रदर्शित करती है जिसमें व्यक्ति काम करने के लिए उपलब्ध है और वह काम करना भी चाहता है, पर उसे काम नहीं मिल पा रहा है । इसमें, "अदृश्य" बेरोजगारी या अल्परोजगारी शामिल नहीं है अर्थात् काम की वह स्थिति जिसमें उत्पादकता और आय का स्तर काफी कम होता है । भारत में अल्परोजगारी की समस्या काफी गंभीर है । क्योंकि कम आमदनी वाले घरों के लोग बेरोजगार नहीं रह सकते अतः ऐसी स्थिति में वे कोई भी काम करने को तैयार रहते हैं, चाहे उससे आमदनी कितनी ही कम क्यों न होती हो । यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी का दर काफी कम होता है ।

6.3.2 स्व-नियोजन और प्राथमिक सेक्टर के प्रभुत्व वाले श्रम बल की संरचना, जहां श्रम-विभाजन सामान्य होता है, की प्रवृत्ति व्यापक रूप से बेरोजगारी दर को और विशेष रूप से चिरकालिक और दीर्घकालिक बेरोजगारी दर को करने की होती है । अतः खुले बेरोजगारी के रूप में बेरोजगारी के माप की अपर्याप्तता को भारत की बेरोजगारी के मापन और विश्लेषण में अच्छी तरह से पहचान लिया गया है । राष्ट्रीय प्रतिद्वर्ष सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), जो अपने पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर बेरोजगारी दर के आकलन उपलब्ध कराता है, तीन अलग-अलग संकल्पनाओं का उपयोग करता है । प्राथमिक अवस्थिति के आधार पर एक व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है, जबकि वह संदर्भ वर्ष में काफी समय के लिए कोई काम न कर रहा हो, पर कार्य करने के लिए उपलब्ध रहा हो । संदर्भ अवधि के रूप में एक सप्ताह को आधार मानने पर वर्तमान साप्ताहिक अवस्थिति के आधार पर एक व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है जबकि वह उस हफ्ते में एक घंटा भी काम न किया हो, पर कार्य करने के लिए उपलब्ध रहा हो । तब बेरोजगारी दिनों के समुच्चय के रूप में वर्तमान दैनिक अवस्थिति (सीडीएस) बेरोजगारी का एक आकलन होता है ।

6.3.3 "सामान्य अवस्थिति" बेरोजगारी दर को संदर्भ वर्ष में चिरकालिक बेरोजगारी का माप माना जा सकता है । सी डब्ल्यू एस बेरोजगारी दर भी चिरकालिक बेरोजगारी को मापते हैं, पर इसमें संदर्भ अवधि को कम कर के सप्ताह दिया गया है । सी डी एस, बेरोजगारी का एक व्यापक उपाय है जिसमें चिरकालिक बेरोजगार और साप्ताहिक आधार अल्प-रोजगार दोनों ही शामिल हैं । ऐसा देखा गया है कि यूपीएस आधार पर बेरोजगारी दर सबसे कम होती है और सी डी एस आधार पर सबसे अधिक । उदाहरण के लिए, 1987-88 में प्रायिक, साप्ताहिक और दैनिक अवस्थिति के अनुसार श्रम-बल के प्रतिशत के रूप में बेरोजगारी क्रमशः 3.77, 4.80 और 6.09 थी । निरपेक्ष रूप में देखा जाए तो इस वर्ष में इन तीनों अवस्थितियों के अनुसार बेरोजगारों की संख्या क्रमशः 11.53 मिलियन व्यक्ति, 11.35 मिलियन व्यक्ति और 6508 मि. व्यक्ति-दिन आकलित की गई थी ।

6.3.4 भारत में बेरोजगारी की स्थिति के कुछ मुख्य लक्षणों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । पहला, ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक है । दूसरा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी दर अधिक है । तीसरा एक तरफ प्रायिक अवस्थिति और साप्ताहिक अवस्थिति के बेरोजगारी दरों में और दूसरी तरफ दैनिक अवस्थिति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी दरों में अधिक अंतर होने से इस बात का पता चलता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अल्परोजगार का अनुपात अधिक होता है । चौथा 3.77 प्रतिशत की कुल सामान्य अवस्थिति बेरोजगारी की तुलना में शिक्षित बेरोजगारों में बेरोजगारी का अनुपात जो कि 12 प्रतिशत है, काफी अधिक है । वास्तव में, उच्च स्तर की शिक्षा के साथ-साथ बेरोजगारी दर में भी वृद्धि होती जाती है ।

6.3.5 1972-73 से 1987-88 के दौरान एन एस एस ओ द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त "प्रायिक अवस्थिति", साप्ताहिक अवस्थिति" और दैनिक अवस्थिति" वाली तीन वैकल्पिक संकल्पनाओं के बेरोजगारी दर को सारण 6.7 में दिखाया गया है । पिछले 15 वर्षों में बेरोजगारी दरों की कोई स्पष्ट उफनीति नहीं रही है । हाल ही के कुछ वर्षों में अर्थात् 1983-1987-88 के वर्षों में बेरोजगारी की संरचना में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है । यू पी एस के अनुसार खुला रोजगार जहां 1983 में 2.77 प्रतिशत

या वह 1987-88 में बढ़कर 3.77 प्रतिशत हो गया और साप्ताहिक अवस्थिति के अनुसार यह 4.51 प्रतिशत से बढ़कर 4.80 प्रतिशत हो गया। पर, दैनिक अवस्थिति में इस अवधि में बेरोजगारी दर 8.28 प्रतिशत से घटकर 6.09 प्रतिशत हो गया। इन उपनीतियों से यह पता चलता है कि व्यापक अल्प रोजगार की ओर विस्थापित हुआ है।

6.3.6 खुले और चिरकालिक बेरोजगार की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति में निम्नलिखित बातों को विशेष महत्व दिया जा सकता है। पहला, यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक दिखाई पड़ती है, जहां प्रायिक अवस्थिति बेरोजगारी 1983 में 1.91 प्रतिशत श्रम बल था वहां यह 1987-88 में बढ़कर 3.07 प्रतिशत हो गया और दैनिक अवस्थिति बेरोजगारी 7.94 प्रतिशत से घटकर 5.25 प्रतिशत हो गई। शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार का परिवर्तन बहुत ही कम रहा है। दूसरा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में खुले बेरोजगारी दर में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। महिला मजदूरों में जहां 1983 में बेरोजगारी का प्रायिक अवस्थिति दर 2.14 प्रतिशत था वहां 1982-88 में 4.19 प्रतिशत था, पर मजदूरों में वृद्धि दर 3.02 प्रतिशत से बढ़कर 3.60 प्रतिशत हो गया।

6.3.7 अलग-अलग राज्यों में बेरोजगारी दर अलग-अलग है (सारणी 6.8) सामान्य अवस्थिति के संबंध में बड़े-बड़े राज्यों में जहां मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.51 प्रतिशत है वहां केरल में 17.07 प्रतिशत है। 3.77 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से भी अधिक प्रतिशत वाले अन्य बड़े राज्य हैं पश्चिम बंगाल (6.06 प्रतिशत), हरियाणा (5.86 प्रतिशत), असम (5.62 प्रतिशत), तमिलनाडु (5.25 प्रतिशत), उड़ीसा (4.66 प्रतिशत), पंजाब (4.04 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (3.90 प्रतिशत), गरीब राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों का खुले बेरोजगार का दर कम है। एक तरफ उड़ीसा और दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में साक्षरता और शिक्षा और/या आर्थिक विकास का स्तर और खुले बेरोजगार के बीच घनात्मक संबंध प्रतीत होता है।

6.3.8 बेरोजगार के श्रम-दिनों के रूप में खुले बेरोजगार और अल्प रोजगार का समुच्चय भी राज्यों में इसी प्रतिमान को प्रदर्शित करता है। इन रूपों में मापे गए बेरोजगार का प्रतिशत सबसे अधिक केरल (21 प्रतिशत) में है, उसके बाद क्रम से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,

हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आते हैं, जिनमें से प्रत्येक का दर औसत से अधिक रहा है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश का दर 2.86 प्रतिशत था उत्तर प्रदेश का 3.44 प्रतिशत था और बिहार का 4.04 प्रतिशत था जो कि निम्नतम दैनिक अवस्थिति" बेरोजगार दर था। ये निम्न बेरोजगारी दर एक कौतूहल पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। जब इन्हें गरीबी के साथ लिया जाये, जो कि इन राज्यों में काफी अधिक है। कुछ हद तक बेरोजगारी की स्थिति जानने में संकल्पनाओं और मापों की सीमाओं के कारण यह परिघटना हो सकती है। पर, पर्याप्त स्तर पर" इससे यह सुझाव प्राप्त होता है कि इन राज्यों में समस्या की प्रकृति अलग होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी की तुलना में कम आमदनी वाले काम की स्थिति से गरीब हमेशा ग्रसित होता है। अतः हमारी रणनीति मुख्यतः रोजगार संवर्धन की होनी है।

6.3.9 पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की संरचना की प्रवृत्ति की ऊपर की गई समीक्षा से यह पता चलता है कि खुली बेरोजगारी की समस्या का महत्व बढ़ता जा रहा है और अल्परोजगारी का महत्व कम होता जा रहा है। 1977-78 में एक तरफ प्रायिक अवस्थिति (4.23 प्रतिशत) और साप्ताहिक अवस्थिति (4.48 प्रतिशत) की बेरोजगारी और दूसरी ओर दैनिक अवस्थिति बेरोजगारी (8.18) के बीच के अंतर से प्रतिबिंबित अल्प बेरोजगारी, 1987-88 में काफी अधिक थी जबकि दो खुले बेरोजगारी दर 3.77 प्रतिशत (यू पी एस) और 4.80 प्रतिशत (सी डब्ल्यू एस) था और दैनिक अवस्थिति दर केवल 6.09 था। इन लक्षणों से यह पता चलता है कि रोजगार पैदा करने की रणनीति में उत्पादकता और गरीब मजदूरों के आय-स्तर में सुधार लाने और मजदूरी पर या स्वनियोजन आधार पर पूर्णकालिक रोजगार के सु-अवसर उपलब्ध कराने पर अधिक बल दिया जाए न कि अल्पकालिक रोजगार पैदा करने वाली योजना पर।

IV. पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार-पैदा करने के लिए आवश्यक बातें

6.4.1 एक अवधि में सभी के लिये रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त रोजगार का आकलन करने के उद्देश्य से आधार वर्ष में पहले से चली आ रही बेरोजगारी और संदर्भ अवधि में श्रम-बल में और अधिक वृद्धि की समीक्षा करने की आवश्यकता

है। इस संबंध में उन लोगों के लिए, जो कि अल्प रोजगार हैं और इसलिए वे पूर्णकालिक रोजगार का सुअवसर प्राप्त करना चाहते हैं कुछ समायोजन के साथ खुले व रोजगार के रूप में पहले से चली आ रही बेरोजगारी को आकलित किया गया है। दूसरे शब्दों में, "सामान्य" या "साप्ताहिक" अवस्थिति के रूप में मापी गई बेरोजगारी प्रासंगिक होगी। इसमें "साप्ताहिक अवस्थिति को उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस संकल्पना के अनुसार पूरी विचाराधीन अवधि में बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं होगा (जहां तक कि हफ्ते में एक घंटे का भी काम उनके पास नहीं होगा) इस संकल्पना की सहायता से अल्परोजगारी की समस्या की गंभीरता की समीक्षा भी की जा सकती है, उनके रूप में जिनके पास संदर्भ-सप्ताह के दौरान आधे समय या इससे भी कम समय के लिए कार्य होता है।

6.4.2 इस कार्य के लिए उपलब्ध नवीनतम सर्वेक्षण आधारित आकलन केवल 1987-88 के आकलन हैं जब एन एस एस ओ द्वारा पिछला "पंचवर्षीय सर्वेक्षण किया गया था। आठवीं योजना के प्रारंभ में अर्थात् 1 अप्रैल, 1992 को बेरोजगारी के आंकड़े प्राप्त करने के लिए श्रम-बल और रोजगार के स्वतंत्र आकलन किए गए हैं और इन दो के अंतर से बेरोजगारी की मात्रा का पता चलता है। 1992-93 के प्रारम्भ में साप्ताहिक अवस्थिति के आधार पर कुल बेरोजगारी 3017 लाख की थी। श्रम बल 3190 लाख था। इस तरह, 1 अप्रैल, 1992 को साप्ताहिक अवस्थिति के अनुसार पहले से चली आ रही बेरोजगारी की संख्या 170 लाख थी। एन एस एस के अनुसार, साप्ताहिक अवस्थिति द्वारा रोजगार में लगे लगभग 2 प्रतिशत लोगों ने आधे समय या इससे भी कम समय तक काम किया। इन्हें गंभीर रूप से अल्परोजगार मानकर इन्हें रोजगार-योजना के लिए पहले से चल रहे बेरोजगारों के आकलन में शामिल कर लिया गया है। 1 अप्रैल, 1992 को श्रमबल में लोगों की संख्या, जो कि पूर्णकालिक नए रोजगार के सुअवसरों के तलाश में, लगभग 23 मिलियन आकलित की गई थी।

6.4.3 श्रमबल में 1992-97 के दौरान लगभग 350 लाख और 1997-2002 के दौरान अतिरिक्त 360 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। इस तरह, 1992-97 के दौरान कुल 5 करोड़ 80 लाख लोगों को और 1992-2002 के दौरान कुल 9 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करनी होगी। यदि आठवीं

योजना के अंत तक सभी को रोजगार दिलाने का लक्ष्य पूरा करना है तो कुल रोजगार में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी और यदि 2000 ई. तक लक्ष्य को पूरा करना है तो कुल रोजगार में प्रतिवर्ष लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।

6.4.4 हाल ही के वर्षों में प्राप्त अनुभव से यह पता चलता है कि रोजगार में 4 प्रतिशत की वृद्धि लक्ष्य व्यावहारिक नहीं है। 2.6 से 2.8 प्रतिशत की वृद्धि लायी जा सकती है जिसे यदि प्राप्त कर लिया गया तो अगले दस वर्षों में अर्थात् 2002 ई. तक पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाएगी। यह स्वयं में इस बात पर निर्भर करेगा कि जी डी पी की औसत वृद्धि दर पहले प्राप्त किए गए दर की अपेक्षा अधिक हो जो कि मुख्यतः अधिक रोजगार क्षमता वाले सेक्टरों और क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं।

V. रोजगार रणनीति के अवयव

6.5.1 उच्च निर्गम वृद्धि दर का होना आवश्यक तो है, पर उच्च रोजगार-वृद्धि के लिए सदा ही एक पर्याप्त प्रतिबंध नहीं होता। अधिक रोजगार क्षमता वाले सेक्टरों के अधिक योगदान से हुई वृद्धि संरचना और श्रम का अधिक उपयोग करने वाले उत्पादन-तकनीकों के प्रयोग से, रोजगार पैदा करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। दक्षता और उत्पादकता स्तर में कमी लाए बिना और उत्पादों की स्पर्धा को कम किए बिना तकनीकों को बदलने का कार्य-क्षेत्र अधिकांश उत्पादन-प्रणालियों में सीमित होता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह भी मान लेना चाहिए कि अर्थ-व्यवस्था के अधिकांश भाग में, कृषि में असंगठित निर्माण और सेवा सेक्टरों में उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के लिए प्रति कामगार धन के उपयोग में वृद्धि करके टेक्नोलॉजी उन्नयन करने की आवश्यकता है। रोजगार के सु-अवसर बढ़ाने के लिए संगठित निर्माण सेक्टर सहित सभी उत्पादन प्रणालियों में उत्पादकता-स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है।

6.5.2 अतः रोजगार वृद्धि मुख्यतः अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि से और वृद्धि के निर्गम संयोजन की पुनर्संरचना के कारण होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रम का अधिक और सही उपयोग करने से वृद्धि दर बढ़ जाती है, पर वृद्धि दर, पूंजी और आंतरिक तथा बाह्य मांग जैसे अन्य स्रोतों की उपलब्धता पर काफी निर्भर करती है। उच्च रोजगार लोच वाले सेक्टरों और उप-सेक्टरों के पक्ष में

निगम के सेक्टरिय संयोजन का फिर से समायोजन करके वृद्धि की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग सेक्टरों में पिछली उपनीतियों की समीक्षा करने और अपनी वृद्धि की प्रक्रिया में रोजगार पैदा करने की गति को और अपनी वृद्धि की प्रक्रिया में रोजगार पैदा करने की गति को और तेज करने के लिए इनमें से प्रत्येक की क्षमता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। इससे हमें रणनीति और नीतियों के उन दृष्टिकोणों का पता चल जाता है जिनसे अलग-अलग सेक्टरों की मूल्यांकित क्षमता प्राप्त की जा सकती है।

क. कृषि और संबंधित सेक्टर :

6.5.3 पिछले दो दशकों के दौरान व्यावसायिक संरचना में कुछ विस्थापन होने के बावजूद भी आज रोजगार संरचना में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कुल कामगारों के लगभग दो-तिहाई कामगारों को लगाए रखता है। कृषि ही वड़ क्षेत्र है जिसने हाल ही के कुछ वर्षों में निम्नतम और तेजी से घटती हुई रोजगार क्षमता को प्रदर्शित किया है। ऐसा होने का एक मुख्य कारण उच्च निर्गम वृद्धि वाले प्रदेशों में रोजगार क्षमता में तेजी से कमी आना है। एक प्रतिशत निर्गम वृद्धि के साथ रोजगार वृद्धि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 0.00, 0.07 और 0.09 रहा है। इन क्षेत्रों में अब वृद्धि के स्रोत श्रम प्रतिस्थापना वाले होते जा रहे हैं।

6.5.4 रोजगार लोच में गिरावट की प्रवृत्ति होने के बावजूद देश के उन प्रदेशों में कृषि में रोजगार बढ़ाने की काफी गुंजाइश है जो कि अभी तक सामान्यतः कृषि विकास के क्षेत्र में पीछे ही रहे हैं। इन प्रदेशों से अधिकांश अतिरिक्त निर्गम प्राप्त करने की दृष्टि से कृषि वृद्धि की रणनीति कृषि में श्रम-उपयोग में हो रही गिरावट को बिल्कुल रोक देने या उलट देने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इन क्षेत्रों में, जहां बहुधा गरीबी भी अधिक है, रोजगार वृद्धि में तेजी लाने से गांव के मजदूरों की मजदूरी और उनकी आमदनी बढ़ाने पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि आठ राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में पूरे देश की गरीबी के नीचे रह रही जनसंख्या का 80 प्रतिशत और समस्त बेरोजगारों का 70 प्रतिशत बसता है। इन राज्यों में कृषि वृद्धि की ओर विशेष

ध्यान देने की रणनीति अपनाने से कृषि निर्गम वृद्धि में तेजी लाने और स्थिरता बनाए रखने के अतिरिक्त तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों रोजगार, गरीबी हटाना और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की पूर्ति एक साथ की जा सकती है।

6.5.5 अन्य क्षेत्रों से पीछे चल रहे क्षेत्रों में कृषि निर्गम के वृद्धि दर में तेजी लाने का काम प्राथमिक रूप से अलग अलग फसलों की उपज बढ़ाकर और फसल लगाने की क्षमता में वृद्धि करके और कुछ हद तक उच्च मूल्य वाले फसल देने वाले फसलों के प्रतिमान में परिवर्तन करके पूरा करना चाहिए। इन परिवर्तनों में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, आधुनिक निवेशों का प्रावधान और उपयुक्त मूल्य-निर्धारण नीतियां हैं। फसल लगाने की क्षमता और साथ ही अच्छी फसल देने में सिंचाई का काफी योगदान तो होता है - साथ ही इसकी वजह से उच्च मूल्य वाले फसलों का उगाना भी संभव हो सकता है, जिनमें से अधिकांश में अधिक श्रम का उपयोग होता है। फसलों के मिश्रण में इस तरह का परिवर्तन दीर्घकाल में रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि अनाज की फसलों में एक सीमा के बाद उपज उगाने के लिए कम श्रम का उपयोग करने वाली उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आवश्यक होता है।

6.5.6 कृषि से संबंधित एक अन्य कार्यकलाप, जो कि गांवों में आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है और साथ ही रोजगार पैदा करने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, वह है पशु-पालन। इस सेक्टर से होने वाली आमदनी तथा रोजगार पैदा करने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी वी) द्वारा हाल ही में किए गए कुछ अध्ययनों और राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा लगाए गए आकलनों के आधार पर यह आकलित किया गया है कि आज की स्थिति को देखते हुए पशुधन सेक्टर में दूध और दूध-उत्पादों के संसाधन और विपणन में 8 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा किया जा सकता है। इस विषय के विशेषज्ञों का यह दावा है कि उत्पादकता बढ़ाकर और इसमें लगे लोगों की आमदनी बढ़ाकर तथा नए रोजगार के सुअवसर पैदा करके वृद्धि दर और बढ़ायी जा सकती है। जैसा कि माना जाता है कि मत्स्य उद्योग में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है क्योंकि वर्तमान समुद्री और नदियों आदि के

दो-तिहाई भाग पर अभी तक हाथ नहीं लगाया गया है। वस्तुतः पशुधन, उद्योग, उद्यान-कृषि और जलकृषि जैसे आमदनी कराने वाले कृषि व्यापार में काफी बढ़ोतरी करने से निकट भविष्य में रोजगार पैदा करने का क्षेत्र और बढ़ जाता है।

6.5.7 रोजगार पैदा करने वाला एक अन्य बड़ा क्षेत्र, जिसकी ओर अभी तक थोड़ा बहुत ही ध्यान दिया गया है, भूमि और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्जनन से संबंधित है। वन रोपण, बंजर-भूमि को उपजाऊ बनाने जैसे कार्यक्रमों से न केवल अधिक संख्या में रोजगार के सुअवसर पैदा होते हैं बल्कि जनजाति लोगों और महिलाओं जैसे समाज के उपेक्षित लोगों को जिन पर पर्यावरण के अपघटन का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भी लाभ पहुंचता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 13 करोड़ हेक्टर कृषि योग्य बंजर भूमि है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक हेक्टर बंजर भूमि के विकास से 128 मानव दिन के रोजगार पैदा होंगे जिनकी मजदूरी परिव्यय 70 प्रतिशत तक होगी। रोजगार पैदा करने की दृष्टि से बंजर भूमि के विकास का महत्व न केवल जमीन को समतल करने आदि प्रक्रियाओं में सृजित रोजगार के कारण है बल्कि विकसित भूमि में वन रोपण और अन्य उत्पादक कार्यों के लिए भूमि के उपयोग से रोजगार के सुअवसर प्राप्त करने के कारण भी है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्तम आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि रोपे गए एक हेक्टर जमीन से प्रति वर्ष 600-700 मानव दिन का रोजगार उपलब्ध हो जाता है। यदि परिसम्पत्ति बनने की अवस्था से परे इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बंजर भूमि विकास करना हो, तो (क) बंजर भूमि विकास में गांव की गरीब जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने और (ख) गांव के गरीब लोगों को विकसित जमीन का पूरा कानूनी अधिकार के साथ आवंटन करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

ख. ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार

6.5.8 लंबे समय में यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि चाहे दर कितनी ही अच्छी क्यों न हो और वृद्धि में विविधता कितनी क्यों न हो, हर स्थिति में कृषि और जमीन संबंधी अन्य कार्यक्रमों से गांव के सभी श्रमिकों को आमदनी के पर्याप्त स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और कृषि वृद्धि के साथ टेक्नोलॉजी एवं

संगठनात्मक परिवर्तनों से पहले तो और वृद्धि की रोजगार क्षमता में गिरावट आती है और दूसरा, कृषि में अल्परोजगार में लगे अधिकांश व्यक्तियों को खुले बेरोजगार में डाल देना है जो कि कहीं और रोजगार की तलाश में रहते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि इनमें से कुछ को शहरी क्षेत्र में जाने से अच्छी आमदनी वाला रोजगार मिल सकता है, पर यह केवल अपेक्षित नहीं है बल्कि आवश्यक भी है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को गैर-कृषि कार्यक्रमों में बांट दिया जाए जिससे कि बढ़ रहे ग्रामीण श्रमबल को उत्पादी रोजगार दिया जा सके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के आर्थिक अंतर को दूर कर सके।

6.5.9 गांव के एक पांचवें भाग से भी अधिक मजदूर गैर-कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। हाल ही के वर्षों में इस अनुपात में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। हाल ही के वर्षों में इस अनुपात में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसा होने का कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यक्रमों में रोजगार के अधिक सुअवसर प्राप्त होना है न कि कृषि कार्य-कलाओं में अत्यधिक लोगों का होना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विविधता के प्रति इस प्रवृत्ति को और प्रबल बनाने के लिए उपयुक्त रणनीतियों और नीतियां विकसित करने की आवश्यकता है। देखा गया है कि सभी गैर-कृषि कार्यक्रमों में रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराने में वृद्धि हो रही है। 1987-88 में विनिर्माण और सेवाओं में क्रमशः 32 और 24 प्रतिशत ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार उपलब्ध हुआ है, और व्यापार में 18 प्रतिशत तथा निर्माण में 15 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध हुआ है। 1978-88 के दौरान विनिर्माण-कार्य में सबसे अधिक वृद्धि (लगभग 3 प्रतिशत वार्षिक) हुई है। लेकिन इस अवधि में, निर्माण, परिवहन और व्यापार में प्रतिवर्ष रोजगार में क्रमशः 11, 7 और 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6.5.10 यह बात अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आज ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक कार्यक्रमों में अधिकांश कार्यक्रम गैर-पारम्परिक हैं वे चाहे किसी न किसी रूप में कृषि से संबंधित हो या न हो। अनेक पारंपरिक ग्रामोद्योगों की तुलना में, जो केवल गौण या पूरक व्यवसाय होते हैं, इन कार्यक्रमों को मुख्य व्यवसाय माना जाता है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों में उच्च आमदनी-मांग लोच वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है और इस तरह इनकी मांग

संबंधी कोई विशेष रूकावट आने की संभावना नहीं है। इन कार्यकलापों के अंतर्गत कपड़ा और कृषि आधारित उद्योग और ईट, टाइल, पाइप और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री बनाने वाले उद्योग आते हैं। आर्थिक कारणों से इनमें से कुछ कार्यकलाप अब छोटे-छोटे कस्बों की भीतरी जमीन पर लगाए जा रहे हैं जिनसे गांवों के मजदूरों को रोजगार मिलता रहता है। कस्बों में स्थान निर्धारण और आंतरिक संरचनात्मक विकास संबंधी नीतियों सहित उपयुक्त संवर्धन नीतियों लागू करके इन कार्यकलापों में काफी विस्तार यिका जा सकता है जिनमें गांव के मजदूरों को रोजगार के सुअवसर प्राप्त कराने की अधिक क्षमता होती है। इन नीतियों के अंतर्गत छोटे व्यापार और विनिर्माण उद्यमों को चलाने, उत्पादकों की सहकारियों को मजबूत बनाने और विपणन तथा टेक्नोलॉजी में सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों से उधार लेने संबंधी नीतियों को भी शामिल कर लेना चाहिए।

ग. औद्योगिक सेक्टर :

6.5.11 संगठित सेक्टर की निर्गम वृद्धि की रोजगार क्षमता में कमी आने के कारण ही मुख्यतः औद्योगिक सेक्टर के रोजगार लोच में कमी आयी है। संगठित निर्माण सेक्टर के संबंध में आकलित की गई रोजगार लोच केवल 0.15 प्रतिशत है, पर असंगठित सेक्टर के लिए यह 0.5 और 0.6 प्रतिशत के बीच है। अतः लघु और अनियोजित सेक्टर का काफी योगदान निर्माण सेक्टर में रोजगार लोच और रोजगार में वृद्धि कर सकता है। आज कल लघु उद्योग सेक्टर निर्माण में आधा मूल्य देय और कुल रोजगार के चार-पांचवा भाग का योगदान देता है। यदि निर्माण के इस खंड को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जा सके जबकि संगठित सेक्टर में वृद्धि लगभग 5 प्रतिशत से हो रही हो, तो हाल ही में हुई 2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में निर्माण सेक्टर में कुल रोजगार वृद्धि लगभग 4 प्रतिशत होगी। यह बात जान लेनी चाहिए कि लघु और असंगठित सेक्टर में भिन्न-भिन्न प्रकार के खंड होते हैं। आधुनिक उत्पादों की स्पर्धा से इसके विपणन में कमी आने और नई मांगों की पूर्ति के लिए टेक्नोलॉजी उथान में कमी होने के कारण कूटीर और घरेलू उद्योग में रोजगार में थोड़ी गिरावट आयी है। गैर-घरेलू अति लघु सेक्टर में वृद्धि की क्षमता तो दिखाई पड़ती है पर इसमें वित्तीय एवं विपणन सुविधाओं की कमी नजर आती है। आधुनिक लघु सेक्टर में निर्गम, रोजगार और निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है। यह वही

सेक्टर है जिसे लघु सेक्टर के प्रति संवर्धन नीति का सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है।

6.5.12 फिर भी, यह देखा गया है कि लघु उद्योग संवर्धन नीति रोजगार उद्देश्य को पूरा करने में अधिक प्रभावशाली नहीं रही है। और, उस स्थिति में इसका रोजगार के साथ सीधा संबंध नहीं होता जबकि प्रोत्साहन और अन्य सहायता के रूप में वरीय उपयोगिता का संबंध नियत पूंजी-निवेश से हो। यह परिकल्पना की लघु पूंजी से प्रति इकाई पूंजी की रोजगार दर अधिक होती है, सदा सही नहीं उतरती। इस तरह जहां अन्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए पूंजी निवेश का निकष आवश्यक हो सकता है वहां रोजगार निकष को इस पर अध्यारोपित करना चाहिए। वस्तुतः कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है कि इस प्रकार के निकष के न होने से अनेक लघु उद्योग अनावश्यक रूप से पूंजी निवेश वाले होते जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को देखकर यह आवश्यक हो जाता है कि सापेक्ष उपादान मूल्यों और समय के साथ इनके परिवर्तनों की समीक्षा की जाए जिससे कि परिहार्य पूंजी निवेश की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा जा सके।

6.5.13 लघु उद्योग नीति के साथ एक अन्य समस्या यह है कि वास्तव में इससे किसी भी लघु इकाई को कोई लाभ नहीं हुआ है। छोटे कस्बों और गांवों में संवर्धन और सेवा के नेटवर्क की कष्टदायक प्रक्रिया और नेटवर्क के न होने के कारण बहुत लघु सेक्टरों तक छूट और सहायता की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है। यह अनुभव किया गया है कि विकेन्द्रीकृत सेक्टर जिसमें वृद्धि और रोजगार क्षमता काफी है की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान प्रशासनिक और सेवा एजेन्सियों उपयुक्त नहीं है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि संवर्धन नीतियों को विकसित एवं लागू करने के लिए अति लघु उद्यम सेक्टर को एक अलग खंड माना जाए।

घ. अन्य सेक्टर :

6.5.14 आर्थिक कार्यकलाप के बड़े-बड़े सेक्टरों में, रोजगार में सबसे अधिक वृद्धि निर्माण सेक्टर में हुई है। यहाँ 1977-78 से 1987-88 तक की अवधि में रोजगार में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। क्योंकि सड़क निर्माण और आवास दोनों ही लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता देने की जरूरत है, क्योंकि इनसे आवश्यक परिसंपत्ति प्राप्त होगी और थोड़े

ही समय में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगी। यह अनुमान लगाया गया है कि 1000-1500 की जनसंख्या वाले 31 प्रतिशत गांवों को और इससे अधिक जनसंख्या वाले 10 प्रतिशत गांवों को, जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, सड़कों से जोड़ने का अर्थ होगा 8 लाख किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना जिसमें 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति वर्षों की रोजगार क्षमता होगी। यह भी देखा गया है कि जो जो क्षेत्र सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं वहां गरीबी और बेरोजगारी काफी है, अतः इन क्षेत्रों में सड़क के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देना ठीक होगा। इसी प्रकार, इस सेक्टर में अधिक पूंजी लगाने के संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त कानूनी, संस्थागत और वित्तीय व्यवस्था के विकास और आवास को उच्च प्राथमिकता देने से रोजगार और आवास के उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ हो जाएगी।

6.5.15 हाल ही के वर्षों में सेवा-सेक्टर में वृद्धि तो काफी तेजी से हुई है, पर इस सेक्टर में रोजगार वृद्धि कुछ मंद हो रही है। 1980-81 से 1986-87 के दौरान जी डी पी वृद्धि लगभग 6 प्रतिशत रही है (जबकि 1970 के आस-पास यह वृद्धि लगभग 4 प्रतिशत थी) पर इस अवधि में रोजगार वृद्धि लगभग 2.5 प्रतिशत ही रही है। इस प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है और सेवा सेक्टर एक अग्रगण्य निम्न उत्पादकता सेक्टर के रूप में ही आगे नहीं बढ़ा है। इस सेक्टर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की काफी क्षमता है। पर्यटन, ग्रामीण परिवहन एवं मरम्मत कार्य ऐसे कार्यकलाप हैं जिनमें विकास एवं रोजगारसृजन की अपेक्षाकृत अधिक संभावनाएँ हैं। कृषि व्यापार में तेज वृद्धि, जिससे अधिक माल को संसाधन, व्यापार और परिवहन में लगाया जा सकता है, से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा-सेक्टर में रोजगार में वृद्धि की आशा की जा सकती है।

6.5.16 सामान्यतः हम सार्वजनिक सेक्टर रोजगार में किसी विशेष वृद्धि की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि सार्वजनिक उद्यमों और सरकारी विभागों में पहले से ही अधिक लोग काम में लगे हुए हैं। पर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कुछ बुनियादी उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से यह तर्कसंगत होगा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रबल बनाने के लिए अधिक जनशक्ति उपयोग में लायी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक

अमला, विशेष रूप से एक शिक्षक विद्यालयों में, को प्रबल करने और स्वास्थ्य पद्धति में, विशेष रूप से तकनीकी और पारा-मेडिकल व्यवसायों में अधिक लोगों को लगाने से शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिक सुअवसर पैदा किए जा सकते हैं।

6.5.17 शहरी असंगठित सेक्टर में रोजगार में वृद्धि दर काफी रही है जो कि प्रतिवर्ष लगभग 6 प्रतिशत रही है। शहरी असंगठित सेक्टर में व्यापार और परिवहन सहित विनिर्माण और सेवा सेक्टर कार्यकलापों में रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराने की काफी क्षमता होती है। हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अनेक सेवाओं की काफी असंतुष्ट मांग है। वर्तमान सेवाओं के स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है, और इस सेक्टर के पूर्ण विकास में पड़ने वाली मुख्य बाधाएं ऋण और असंसाधित सामग्री, कौशल विकास की सुविधाओं और इन कार्यकलापों को करने के लिए स्थान की कमी है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए नगरपालिका के वर्तमान और अन्य नियमों और विनियमों को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ कुछ नीतियों में संशोधन करने और नए कदम उठाने की आवश्यकता होगी। व्यापक रूप में मध्यम और बड़े कस्बों और शहरों में उद्यमवृत्ति और स्वनियोजना की वृद्धि को ध्यान में रखकर एक नीति वातावरण पैदा करने की आवश्यकता है। शहर के गरीब लोगों के लिए स्वनियोजन कार्यक्रम (एस ई पी यू पी), शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्व-नियोजन (एस ई ई यू वाई) और नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) सूक्ष्म उद्यमी योजना जैसी वर्तमान योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के अतिरिक्त अभी तक प्राप्त अनुभव के आधार पर हैदराबाद सिकन्दराबाद के युगल शहरों में रोजगार संवर्धन और प्रशिक्षण सोसाइटी (एस ई टी डब्ल्यू आई एन) के दृष्टिकोण को अपनाना भी उपयोगी होगा।

6.5.18 जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रोजगार के सुअवसर पैदा करने को केवल मजदूरी रोजगार के लिए नए सुअवसर पैदा करने के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि स्व-नियोजन के आधार पर अधिक से अधिक लोगों के कार्यकलापों को करने और स्व-नियोजित लोगों के लिए उत्पादकता और आय-स्तर में सुधार लाने के लिए नए प्रतिबंधों का सृजन करने पर अधिक बल देने की आवश्यकता होगी जिससे कि ये लोग इन्हें छोड़ने के लिए बाध्य न हों और खुले बेरोजगारों की कोटि में न आ जाए। कंपायमान

स्व-नियोजन सेक्टर के विकास में अतिरिक्त संरचना, ऋण और विपणन संबंधों में अभिगम को अति महत्वपूर्ण कारक माना गया है। तकनीकी कौशल और उद्यमवृत्ति के विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों के साथ इन सेवाओं की आपूर्ति के लिए संस्थागत व्यवस्था को विकसित करना आवश्यक होगा।

6.5.19 विभिन्न कामगारों, विशेष रूप से अल्प रोजगार वाले कामगारों के लिए अलग-अलग प्रकार की कार्य आवश्यकताओं के प्रकृति और विभिन्न कार्यकलापों में कार्य की अलग-अलग प्रकृति और संरचना की दृष्टि से सभी को कार्य उपलब्ध कराने का लक्ष्य विस्तृत स्थानीय स्तर योजना के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अधिकांश बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, जहां इस प्रकार के परिवर्तन विशेष रूप से प्रदेशों और क्षेत्रों में तथा कार्यकलापों में देखने को मिलते हैं, इसलिए विकेन्द्रीकृत आधार पर रोजगार की योजना का विशेष महत्व हो जाता है। हालांकि खुले रूप में बेरोजगार और शिक्षित व्यक्तियों के लिए कुछ गतिशीलता लाने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है फिर भी अधिक संख्या में अल्परोजगार और बेरोजगार व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाएं, सीमांत किसान और वर्ष में कभी कभी काम करने वालों के लिए गांव या आस-पास के कस्बों में स्थानीय रूप से काम पैदा करने की आवश्यकता है। बेरोजगार और अल्परोजगार के श्रम आपूर्ति अभिलक्षण के साथ मेल खाने वाले एक क्षेत्र में कार्य के सुअवसरों का मूल्यांकन और नियोजन करने के काम को क्षेत्र-विशेष के आधार पर ही प्रभावशाली ढंग से हाथ में लिया जा सकता है।

VI. कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार

6.6.1 बेरोजगार संबंधी एक समस्या का कारण रोजगार सुअवसर के लिए आवश्यक कौशल और नौकरी ढूंढने वालों के कौशल आधार के बीच ठीक ताल-मेल का न होना है। ताल-मेल का न बैठना अर्थ-व्यवस्था में तीव्र संरचनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया में अधिक जटिल समस्या उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि मध्यम और दीर्घकाल में आवश्यक कौशल की आपूर्ति करने और प्रशिक्षण प्रणाली में अधिक लचीलापन लाने के लिए इसकी क्षमता में सुधार लाने के संबंध में शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रणालियों को अभिविच्यस्त किया जाए जिससे कि अल्प समय में श्रम बाजार

परिवर्तनों के अनुकूल अपने को तुरंत ढाल सकें। इसके अतिरिक्त, प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि असंगठित सेक्टर में स्वनियोजित और मजदूरी पर काम करने वाले अधिकांश कामगारों को उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने के एक प्रभावशाली साधन के रूप में उनके कौशल में सुधार लाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दे सके।

6.6.2 इसमें कोई संदेह नहीं, कि आई टी आई जैसी वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाएं संगठित उद्योग की कुशल जनशक्ति की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। फिर भी, यह आवश्यक जान पड़ता है कि श्रम बाजार को ध्यान में रखकर इनके पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना और पुनर्विन्यास किया जाए। इस कार्य के लिए प्रशिक्षण प्रणाली की योजना और उसको चलाने में उद्योग का भी सहयोग प्राप्त करना होगा। असंगठित सेक्टर में कामगारों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि, समय और स्थान-निर्धारण में लचीलापन लाने की आवश्यकता होगी। विभिन्न सेक्टरों की अति लघु और लघु इकाइयों में जहाँ अधिकांश रोजगार स्व-नियोजन वाला होगा न केवल उपयुक्त व्यापारों में दृढ़ कौशल उपलब्ध कराने के लिए बल्कि उद्यमवृत्ति, प्रबंध और विपणन के (मृदु) कौशल भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक अंग के रूप में उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण प्रणाली को सक्षम बनाने की जरूरत है।

6.6.3 यह सभी जानते हैं कि शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा तेजी से हो रही उन्नति भी श्रम-बाजार में ताल-मेल न बैठने देने में सहायक होती है। एक तरफ जहां मध्य स्तर तकनीकी और पर्यवेक्षी कौशल की कमी रहती है, वहीं दूसरी तरफ कला, वाणिज्य और विज्ञान के अधिकांश स्नातक और स्नातकोत्तर नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। काफी हद तक निम्न निजी लागत पर उच्च शिक्षा पर प्रतिलाभ के उच्च निजी दर का होना एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से शिक्षित बेरोजगारी होने के बावजूद भी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। और, साथ ही विद्यालय छोड़ने वालों को व्यावसायिक धारा में लाने का प्रयास इससमस्या की गंभीरता को देखते हुए काफी कम रहा है। हालांकि इन प्रयासों को प्रबल करने की आवश्यकता है, पर इस बात से सुनिश्चित होने के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रणाली में उपयुक्त क्रियाविधि विकसित करना आवश्यक है जिससे कि व्यावसायिक और मध्य स्तर तकनीकी पाठ्यक्रमों के स्नातकों को उनके रोजगार पेशे के दौरान उच्च स्तर पाठ्यक्रमों में

प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यता और कौशल के उन्नयन के जरिए उनके लिए ऊपर चढ़ने का रास्ता खुला हुआ हो ।

VII. श्रम नीति और रोजगार :

6.7.1 श्रम नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी रोजगार-प्रसार की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है । पहला, रोजगार प्रतिबंधों का अधिक विनियमन जो श्रम-समायोजना को काफी कठिन बना देता है, के कारण भी प्रायः रोजगार प्रसार में रूकावट आती है । इस स्थिति में यह श्रमिकों के रक्षण की मात्रा को भी कम कर देता है, क्योंकि केवल थोड़े से ही लोग उच्च सुरक्षित खंडों में लगे होते हैं और अधिकांश कामकामगार असंगठित सेक्टर में पूरी तरह से असुरक्षित अवस्थाओं में काम कर रहे होते हैं । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि टेक्नोलॉजी उन्नयन को प्रभावशाली बनाने और दक्षता में सुधार लाने के लिए श्रमबल में उपयुक्त लचीलापन लाने की दृष्टि से विनियम ढांचे को सरल बनाया जाए ।

6.7.2 इसके विपरीत, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि असंगठित सेक्टर एककों में रोजगार की गुणवत्ता में आमदनी, कार्य करने की अवस्थाएं और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुधार हो । टेक्नोलॉजी उन्नयन और उत्पादों के लिए बाजार का विकास करने से इन सेक्टरों की उत्पादकता और मजदूरी भुगतान की क्षमता में वृद्धि होगी । पर, असंगठित सेक्टर में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के कुछ न्यूनतम उपाय उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । खान के मजदूरों, बीड़ी और सिगार के मजदूरों आदि के लिए भारत-सरकार द्वारा स्थापित कल्याण बोर्ड जिसकी वित्तीय सहायता संबंधित माल के उत्पादन पर लगाए गए कर से की जाती है और केरल सरकार द्वारा काजू मजदूरों, कोंयर मजदूरों के कल्याण बोर्ड इन व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं । अन्य मॉडल हैं महाराष्ट्र में मुठाडी मजदूर बोर्ड असंगठित मजदूरों के लिए केरल में इसी प्रकार के बोर्ड और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे मडा और जट्टा हमल बोर्ड । एक अन्य मॉडल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए भारत सरकार और गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राज्य सरकारों द्वारा चलायी गई बीमा योजनाएं हैं । इन सभी की समीक्षा करके एक उपयुक्त मॉडल अपनाने की आवश्यकता है । विकल्प के रूप में, त्रिपक्षी योगदान (या स्व-नियोजन के संबंध में द्विपक्षी योगदान) के साथ केन्द्रीय विधि की सुगमता की भी जांच करनी चाहिए ।

6.7.3 काफी समय से उपयुक्त एवं न्यायसंगत मजदूरी नीति का अभाव बना हुआ है । अनुसूचित रोजगारों में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का कानूनी प्रावधान तो है, पर जिन जिन लोगों पर इन्हें लागू किया जाता है और जिस ढंग से इसे लागू किया जाता है वह पर्याप्त नहीं है, जिससे कि आज भी अधिकांश श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ पाए हैं और जो मजदूरी उन्हें दी जा रही है वह उपयुक्त सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नियत की गई न्यूनतम मजदूरी से भी कम है । हांलांकि न्यूनतम मजदूरी को बहुत अधिक रखना व्यावहारिक नहीं है पर जो कुछ भी न्यूनतम मजदूरी नियत की जाए उसका पालन कठोरता से होना चाहिए । इसे लागू करने वाली व्यवस्था जिसमें राज्यों की श्रमिक प्रशासन व्यवस्था है, अधिक प्रभावशाली नहीं रही है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है या नहीं, इसके लिए काफी संख्या में निरीक्षकों को रखने के सथान पर मजदूर संगठन, गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन और संगठित ट्रेड यूनियन बड़ी भूमिका निभाएं।

6.7.4 एक ऐसी मजदूरी नीति विकसित करने की आवश्यकता है जो मजदूरी और वेतन स्तरों तथा मजदूरी संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का मार्गदर्शन करे । अलग-अलग प्रदेशों में एक ही प्रकार के कार्यकलाप और व्यवसाय करने वाले लोगों की संगठित और असंगठित सेक्टरों में अलग-अलग मजदूरी दी जा रही है । यहां तक कि मानूनी तौर पर नियत की गई निम्नतम मजदूरी में अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग प्रदेशों में काफी अंतर है । और समय के अनुसार मजदूरी दर और मजदूरी स्तर में भी काफी परिवर्तन हो रहा है जिसके वजह से मजदूरी विषमता बढ़ती जा रही है । मजदूरी और वेतन के स्तर और उनके परिवर्तन का प्रायः उत्पादकता और मजदूरी के साथ कोई संबंध नहीं होता और इस तरह वे इस तरह कार्य नहीं करते जिससे कि दक्षता बढ़ायी जा सके । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि मजदूरी और वेतन-स्तरों में अनुपयुक्त और गैर-न्यायसंगत विषमता दूर करने और दक्षता बढ़ाने की दिशा में मार्गदर्शन करने, और मजदूरी नियत करने की संस्थागत व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति विकसित की जाए । इसके पहले के वर्षों में न्यूनतम मजदूरी नियतन व्यवस्था, त्रिपक्षी मजदूरी बोर्ड और उद्योग तथा इकाई स्तर पर

सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी नियतन और समीक्षा की मुख्य व्यवस्थाएं रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय श्रमिक सम्मेलन से प्रारंभ करके प्रदेश एवं उद्योग स्तर तक सभी स्तरों पर त्रिपक्षी निकाय का गठन किया जाए और श्रमिक नीति की मजदूरी तथा अन्य मामलों पर विचार-विमर्श करने के उपयोग में लाया जाए। इसके पहले राष्ट्रीय, प्रादेशिक या उद्योग स्तर पर इस प्रकार के निकाय केवल संगठित सेक्टर तक ही सीमित रहे हैं। अर्थ-व्यवस्था के उच्च मजदूरी सेक्टरों में दक्षता के कुछ माप के साथ मजदूरी स्तरों और मजदूरी वृद्धियों का संबंध स्थापित करने की विधि विकसित करने के अलावा असंगठित सेक्टर को त्रिपक्षी व्यवस्था के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत लाने के प्रयास भी करने चाहिए।

VIII. विशेष रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)

6.8.1 यह मानना चाहिए कि रोजगार अभिविन्यस्त रणनीति को अपनाने से लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त तो हो जायेगा पर इसमें कुछ समय लगेगा। वर्तमान आकलनों के अनुसार, व्यवहारिक दृष्टि से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2002 ई.रखी गई है। इस अंतरिम अवधि के लिए विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए जो बेरोजगार है और अल्परोजगार है अल्पकालिक रोजगार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अतः पहले की तरह विशेष रोजगार कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा। वस्तुतः विशेष रूप से गरीब व्यक्तियों को एक सुरक्षा जाल के रूप में निश्चितता से काम का साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन कार्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल बेरोजगारों के अस्थायी काम उपलब्ध कराने के अल्पकालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए, बल्कि लगातार रोजगार के सुअवसर पैदा करने के योगदान के लिए भी कार्यक्रमों में संशोधन किया जाए।

6.8.2 यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विशेष रोजगार कार्यक्रम केवल एक अंतरिम उपाय हो सकता है जो कि विशेष रूप से गरीब लोगों में अल्परोजगार और बेरोजगार के लिए सतत रोजगार की क्षमता निर्माण में पूरक रोजगार और सहायता तब तक उपलब्ध कराये जब तक कि विकास प्रक्रिया में वे स्थायी रोजगार न पा जायें। अतः

मुख्य बल एक अवधि के दौरान रोजगार वृद्धि-दर में तेजी लाने पर दिया जाना चाहिए जिससे कि उत्तरोत्तर वर्षों में विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता कम होती जाए और दशक के अंत तक लगभग समाप्त हो जाए। वस्तुतः ऐसे कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर जारी रखने का अर्थ होगा रोजगार अभिविन्यस्त विकास रणनीति की विफलता जिसे आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य माना गया है।

IX. सारांश

6.9.1 आठवीं योजना के दौरान रोजगार के सुअवसर बढ़ाने के प्रति रणनीति, नीतियों के मुख्य अक्षरों, जिनका उल्लेख इस अध्याय के पिछले अनुभागों में किया गया है, संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है :

- i. कृषि की तीर्प एवं भौगोलिक रूप से विविध वृद्धि जिससे कि पहले से पिछड़े चले आ रहे प्रदेशों का कृषि वृद्धि में अधिक भाग हो, और विशेष रूप से कृषि की दृष्टि से उत्तम विकसित प्रदेशों में सब्जी और फल की तरह अधिक आमदनी और अधिक मेहनत वाली फसलों में कृषि की विविधता ;
- ii. डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग और रेशम उद्योग जैसे कृषि आधारित और संबंधित कार्यकलापों के लिए आंतरिक संरचना और विपणन व्यवस्थाओं का विकास जिससे कि इन सेक्टरों की वृद्धि में तेजी लायी जा सके ;
- iii. खेती और वानिकी के लिए बंजर भूमि के विकास और उपयोग का एक विस्तृत कार्यक्रम ;
- iv. ग्रामीण कस्बों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से विनिर्माण कार्यकलापों जैसे गैर-कृषि कार्यकलापों की वृद्धि के लिए एक उपयुक्त सहायता और नीति ढांचे का विकास ;
- v. औद्योगिक वृद्धि-विशेष रूप से उपयोग मालों और निर्मित निर्यात की वस्तुओं के उत्पादन में-के एक मुख्य स्रोत के रूप में लघु और विकेन्द्रीकृत विनिर्माण सेक्टर की आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान देना ;
- vi. उपयुक्त भूमि, वित्तीय और राजकोषीय नीतियों के जरिए आंतरिक संरचना और आवास के निर्माण का बड़े पैमाने पर कार्यक्रम, जिसमें आवास के कार्यक्रम के लिए निजी सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए ;

- vii. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रबलन ;
- viii. उपयुक्त सहायता तंत्र के जरिए सेवा और असंगठित सेक्टर के कार्यकलापों की वृद्धि में तेजी लाने से संबंधित सुविधाएं ;
- ix. रोजगार की वृद्धि में रुकावट पैदा करने वाले कानूनी और नीति संबंधी उपायों की पहचान और उनमें छूट ;
- x. विशेष रोजगार कार्यक्रमों में अधिक लचीलापन सेक्टरों विकास के साथ इनका समेकन जिससे कि वृद्धि और सतत रोजगार में उनके योगदान को सुनिश्चित किया जा सके ;
- xi. श्रमिक बाजार उपनीतियों के प्रति अधिक लचीलापन और अनुक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाने, तंत्र के निर्गम में उपयोक्ता का अधिक सहयोग और रोजगार में लगे व्यक्तियों के कौशल के उन्नयन और वास्तविक तथा सक्षम स्व-नियोजित व्यक्तियों की उद्यम वृत्ति के विकास के संबंध में सुअवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तन ।

6.9.2 यह आशा की जाती है कि इन उपायों को लागू करने से अर्थ-व्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी। यह निर्धारित किया गया है कि ऊपर पहचाने गए सेक्टरों की तेजी से वृद्धि होने से रोजगार लोच 0.5 तक बढ़ सकता है और साथ ही साथ श्रमिक उत्पादकता में भी सुधार आ जाएगा । इस तरह आठवीं योजना के लिए आकलित 5.6 प्रतिशत की जी.डी.पी. वृद्धि दर से प्रतिवर्ष औसतन लगभग 80

से 90 लाख अतिरिक्त रोजगार के सुअवसर उपलब्ध हो जायेंगे । रोजगार वृद्धि के कार्यक्रम को आठवीं योजना से नवीं योजना तक जारी रहने का अर्थ होगा प्रतिवर्ष औसतन 9.5 लाख रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराना, 2002 ई. तक बेरोजगारी को उपेक्षणीय स्तर तक लाना और पहले से चले आ रहे बेरोजगार लोगों और 1997-2002 में हुई 3 करोड़ 60 लाख की श्रमबल में वृद्धि को रोजगार में लगाना।

6.9.3 फिर भी यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि चल रहे संरचनात्मक सुधारों से जी.डी.पी. की वृद्धि दर मंद पड़ सकती है और इस तरह, आठवीं योजना के एक या दो वर्षों के दौरान रोजगार की वृद्धि दर कम हो सकती है । रोजगार में छटनी होने और असूचित आय वालों की वास्तविक आय में कमी होने से प्रभावित मजदूरों के पुनः प्रशिक्षण और फिर से रोजगार में लगाने की संस्यागत व्यवस्थाओं पर विचार किया जा रहा है । पर इस समस्या के प्रभावपूर्ण निदान के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अर्थव्यवस्था में, तथा विशेषकर असंगठित क्षेत्र में विनिर्माण, मरम्मत, परिवहन तथा अन्य सेवा सेक्टरों में लोगों के लिए अपना व्यवसाय प्रारम्भ करना अपेक्षाकृत सरल बनाया जाय तथा उन्हें ऋण, उत्पादन हेतु स्थान तथा अन्य उत्पादक सुविधाएँ अधिक व्यापक तौर पर उपलब्ध हों ताकि वे स्वयं अपने लिए तथा दूसरों के लिए अधिक उत्पादक रोजगार अवसर सर्जित कर सकें । इस तरह की रणनीति अपनाने से न केवल अस्थायी सुरक्षा जाल उपलब्ध हो जाएगा बल्कि सतत आधार पर रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा।

सारणी 6.1

रोजगार वृद्धि 1977-78 से 1987-88

| | ग्रामीण | | | शहरी | | | जोड़ | | |
|----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग |
| रोजगार (मिलियन) | | | | | | | | | |
| 1977-78 | 136.2 | 59.8 | 196.0 | 36.1 | 7.7 | 43.8 | 172.3 | 67.5 | 239.8 |
| 1983 | 147.9 | 65.9 | 213.8 | 45.4 | 9.6 | 55.0 | 193.3 | 75.5 | 268.8 |
| 1987-88 | 157.7 | 70.5 | 228.2 | 51.7 | 11.0 | 62.7 | 209.4 | 81.5 | 290.9 |
| संवृद्धि की वार्षिक दर (-) | | | | | | | | | |
| 1977-78 से 1983 | 1.51 | 1.77 | 1.59 | 4.23 | 4.18 | 4.22 | 2.11 | 2.06 | 2.10 |
| 1983 से 1987-88 | 1.43 | 1.52 | 1.46 | 2.97 | 2.95 | 2.96 | 1.80 | 1.71 | 1.77 |
| 1977-78 से 1987-88 | 1.48 | 1.66 | 1.53 | 3.66 | 3.62 | 3.66 | 1.97 | 1.90 | 1.95 |

* सामान्य प्रधान अवस्थिति

स्रोत : एन एस एस ओ (32वें, 39वें, और 43वें दौर) तथा जनसंख्या अनुमान, 1971 एवं 1981 की जनसंख्या गणना तथा 1991 जनगणना के अंतिम जनसंख्या जोड़ पर आधारित है ।

सारणी 6.2

प्रमुख क्षेत्रों में रोजगारद्व की वृद्धि दर

| क्र. सं. | क्षेत्रक (सेक्टर) | 1977-78 | 1983 | 1977-78 |
|---------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | 1983 | 1987-88 | 1987-88 |
| (प्रतिशत प्रतिवर्ष) | | | | |
| 1 | कृषि | 0.91 | 0.94 | 0.92 |
| 2 | खनन एवं फत्थर निकालना | 6.32 | 5.68 | 6.03 |
| 3 | विनिर्माण | 3.76 | 2.18 | 3.05 |
| 4 | निर्माण कार्य | 7.93 | 13.03 | 10.19 |
| 5 | बिजली, गैस व जल आपूर्ति | 6.01 | 3.15 | 4.71 |
| 6 | व्यापार | 3.52 | 3.83 | 3.66 |
| 7 | परिवहन, मंडारण व संचार | 6.66 | 2.35 | 4.70 |
| 8 | सेवारं | 4.49 | 2.06 | 3.39 |
| योग : | | 2.10 | 1.77 | 1.95 |

* यू पी एस

स्रोत : वही

सारणी 6.3

संगठित क्षेत्रक रोजगारद्व में वृद्धि : 1978-88

| क्र. सं. | क्षेत्रक (सेक्टर) | 1978-83 | 1983-88 | 1978-88 |
|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|
| | | (प्रतिशत प्रतिवर्ष) | | |
| 1 | कृषि | 1.30 | 1.11 | 1.21 |
| 2 | खनन एवं फत्थर निकालना | 2.56 | 0.88 | 1.71 |
| 3 | विनिर्माण | 2.07 | (-) 0.09 | 0.99 |
| 4 | बिजली, गैस व जल आपूर्ति | 3.67 | 3.26 | 3.47 |
| 5 | निर्माण कार्य | 1.92 | 1.25 | 1.59 |
| 6 | व्यापार | 1.94 | 1.43 | 1.69 |
| 7 | परिवहन, मंडारण व संचार | 2.25 | 1.20 | 1.72 |
| 8 | सेवारं | 2.96 | 2.25 | 2.60 |
| योग : 2.48 | | 1.38 | 1.93 | |
| सार्वजनिक क्षेत्र | | 2.99 | 2.17 | 2.58 |
| निजी क्षेत्र | | 1.41 | (-) 0.43 | 0.48 |

* श्रम मंत्रालय के, रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के आंकड़ों पर आधारित

सारणी 6.4

शिक्षित वर्ग में, रोजगारद्व की वृद्धि की औसत वार्षिक दरें :1977-78-1987-88

| लिंग/आवास | 1977-78 से 1983 | 1983 से 1987-88 | 1977-78 से 1987-88 |
|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ग्रामीण | 6.61 | 8.35 | 7.39 |
| शहरी | 4.88 | 6.21 | 5.48 |
| पुरुष | 5.51 | 6.76 | 6.07 |
| महिला | 6.58 | 11.08 | 8.58 |
| योग | 5.59 | 7.14 | 6.29 |

*सामान्य प्रधान अवस्थिति(यू.पी.एस.) (आयु वर्ग 15+) एन.एस.ओ.के 32 वें, 38 वें तथा 43 वें क्रमों पर आधारित

सारणी 6.5

9 मुख्य क्षेत्रको (सेक्टरों) में कामगारों का प्रतिशत वंटन*

| क्षेत्रक | 1977-78 | 1983 | 1987-88 |
|---|---------|-------|---------|
| 1. कृषि | 70.70 | 66.31 | 63.90 |
| 2. खनन एवं फत्तर निकालना | 0.52 | 0.65 | 0.77 |
| 3. विनिर्माण | 10.00 | 10.93 | 11.13 |
| 4. बिजली, गैस व जल आपूर्ति | 0.26 | 0.32 | 0.34 |
| 5. निर्माण कार्य | 1.82 | 2.47 | 3.96 |
| 6. व्यापार | 6.18 | 6.67 | 7.30 |
| 7. परिवहन | 2.13 | 2.71 | 2.78 |
| 8. कृषि, जमीन-जायदाद, बीमा तथा व्यावसायिक सेवाएं | 0.55 | 0.73 | 0.83 |
| 9. सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं | 7.82 | 8.78 | 8.80 |
| योग | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

* सामान्य प्रधान अवस्थिति (यू.पी.एस.)

टिप्पणी: 1. योग में, 'रिकार्ड रहित उद्योग' का नगण्य समूह शामिल है।

2. एन.एस. एस.ओ.के 32 वें, 38 वें तथा 43 वें क्रमों पर आधारित

सारणी 6.6

रोजगार की श्रेणी के हिसाब से, कामगारों का प्रतिशत वंटन *

| | ग्रामीण | | | शहरी | | | योग | | |
|---------------------------------|---------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग |
| सब रोजगार | | | | | | | | | |
| 1977-78 | 62.2 | 56.3 | 60.4 | 39.9 | 42.2 | 40.3 | 57.9 | 54.8 | 57.0 |
| 1983 | 59.5 | 54.1 | 57.8 | 40.2 | 37.3 | 39.7 | 55.0 | 55.2 | 54.1 |
| 1987-88 | 57.5 | 55.1 | 56.7 | 41.0 | 38.6 | 40.5 | 53.8 | 53.1 | 53.6 |
| नियमित क्षेत्र पर रोजगार | | | | | | | | | |
| 1977-78 | 10.5 | 3.7 | 8.6 | 47.2 | 30.8 | 44.2 | 17.9 | 6.6 | 14.6 |
| 1983 | 10.6 | 3.7 | 8.5 | 44.5 | 31.8 | 42.2 | 18.5 | 7.3 | 15.3 |
| 1987-88 | 10.4 | 4.7 | 8.6 | 44.4 | 34.7 | 42.7 | 18.0 | 8.3 | 15.2 |
| अवस्थित मजदूरी पर रोजगार | | | | | | | | | |
| 1977-78 | 26.9 | 40.0 | 31.0 | 12.9 | 27.0 | 15.5 | 24.2 | 38.6 | 28.4 |
| 1983 | 29.9 | 42.2 | 33.7 | 15.3 | 30.9 | 18.1 | 26.5 | 40.7 | 30.6 |
| 1987-88 | 32.1 | 40.2 | 34.7 | 14.6 | 26.7 | 16.8 | 28.2 | 38.6 | 31.2 |

* यू.पी.एस.

स्रोत : कही

सारणी 6.7

लिंग, आवास और अवस्थिति के हिसाब से बेरोजगारी की दरें

| क्षेत्र/अवस्थिति | 1972-73 | | | 1977-78 | | | 1983 | | | 1987-88 | | |
|------------------|---------|-------|------|---------|-------|-------|------|-------|------|---------|-------|------|
| | पु. | म. | यो. | पु. | म. | यो. | पु. | म. | यो. | पु. | म. | यो. |
| ग्रामीण | | | | | | | | | | | | |
| क. | - | - | - | 2.22 | 5.52 | 3.26 | 2.12 | 1.41 | 1.91 | 2.87 | 3.52 | 3.07 |
| ख. | 1.16 | 0.48 | 0.92 | 1.28 | 2.01 | 1.54 | 1.41 | 0.66 | 1.13 | 1.81 | 2.27 | 1.98 |
| ग. | 3.02 | 5.51 | 3.86 | 3.57 | 4.13 | 3.74 | 3.72 | 4.26 | 3.88 | 4.16 | 4.27 | 4.19 |
| घ. | 6.83 | 11.22 | 8.21 | 7.12 | 9.18 | 7.70 | 7.52 | 8.98 | 7.94 | 4.58 | 6.91 | 5.25 |
| शहरी | | | | | | | | | | | | |
| क. | - | - | - | 6.48 | 17.76 | 8.77 | 5.86 | 6.90 | 6.04 | 6.07 | 8.77 | 6.56 |
| ख. | 4.79 | 6.05 | 5.03 | 5.40 | 12.40 | 7.01 | 5.08 | 4.85 | 5.02 | 5.16 | 5.93 | 5.32 |
| ग. | 5.96 | 9.09 | 6.53 | 7.12 | 10.93 | 7.86 | 6.69 | 7.46 | 6.81 | 6.71 | 8.93 | 7.12 |
| घ. | 8.02 | 13.67 | 8.99 | 9.40 | 14.55 | 10.34 | 9.23 | 10.99 | 9.52 | 8.79 | 12.00 | 9.36 |
| योग | | | | | | | | | | | | |
| क. | - | - | - | 3.07 | 7.01 | 4.23 | 3.02 | 2.14 | 2.77 | 3.60 | 4.19 | 3.77 |
| ख. | 1.90 | 1.02 | 1.61 | 2.09 | 3.19 | 2.47 | 2.28 | 1.16 | 1.90 | 2.56 | 2.72 | 2.62 |
| ग. | 3.61 | 5.87 | 4.32 | 4.29 | 4.97 | 4.48 | 4.44 | 4.70 | 4.51 | 4.75 | 4.92 | 4.80 |
| घ. | 7.07 | 11.46 | 8.35 | 7.59 | 9.86 | 8.18 | 7.93 | 9.26 | 8.28 | 5.54 | 7.61 | 6.09 |

* श्रम शक्ति में बेरोजगारी की प्रतिशतता

टिप्पणी क : सामान्य प्रथम अवस्थिति (यू.पी.एस.)

ख : सामान्य प्रथम एवं गौण अवस्थिति (यू.पी.एस.एस.)

ग : वर्तमान साप्ताहिक अवस्थिति (सी.डब्ल्यू.एस.)

घ : वर्तमान दैनिक अवस्थिति (सी.डी.एस.)

स्रोत : एन.एस.एस.ओ: 27, 32, 38, व 43 क्रम

सारणी 6.8

राज्यवार बेरोजगारी दरें * 1987-88

| | सामान्य प्रथान अवस्थिति (यू.पी.एस.) | वर्तमान साप्ताहिक अवस्थिति (सी.डब्ल्यू.एस.) | वर्तमान दैनिक अवस्थिति (सी.डी.एस.) (सी डी एस) |
|----------------------------------|---|--|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 3.90 | 5.10 | 7.35 |
| 2. असम | 5.62 | 5.02 | 5.09 |
| 3. बिहार | 2.84 | 3.77 | 4.04 |
| 4. गुजरात | 2.57 | 4.03 | 5.79 |
| 5. हरियाणा | 5.86 | 6.57 | 7.59 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 3.19 | 3.05 | 3.12 |
| 7. जम्मू व कश्मीर | 2.67 | 5.36 | 5.57 |
| 8. कर्नाटक | 2.44 | 3.28 | 5.06 |
| 9. केरल | 17.07 | 17.62 | 21.19 |
| 10. मध्य प्रदेश | 1.51 | 2.51 | 2.86 |
| 11. महाराष्ट्र | 2.86 | 3.63 | 4.67 |
| 12. मणिपुर | 2.20 | 2.03 | 2.10 |
| 13. मेघालय | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| 14. नागालैण्ड | 4.45 | 4.41 | 4.41 |
| 15. उड़ीसा | 4.66 | 5.16 | 6.44 |
| 16. पंजाब | 4.04 | 4.28 | 5.07 |
| 17. राजस्थान | 2.68 | 4.21 | 5.74 |
| 18. सिक्किम | 3.83 | 2.77 | 2.88 |
| 19. तमिलनाडु | 5.25 | 7.61 | 10.36 |
| 20. त्रिपुरा | 4.41 | 4.31 | 4.66 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 1.83 | 2.78 | 3.44 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 6.06 | 6.69 | 8.13 |
| 23. अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 4.01 | 4.52 | 5.77 |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | 0.20 | 0.28 | 0.28 |
| 25. चण्डीगढ़ | 8.55 | 8.91 | 8.80 |
| 26. दादर व नगर हवेली | 0.42 | 0.68 | 0.95 |
| 27. दिल्ली | 5.01 | 4.68 | 4.77 |
| 28. गोआ, दमण व दीप | 8.99 | 9.72 | 11.30 |
| 29. लक्षद्वीप | 21.36 | 21.78 | 22.14 |
| 30. मिजोरम | 0.11 | 0.11 | 0.23 |
| 31. पाण्डिचेरी | 6.73 | 10.70 | 21.14 |
| अखिल भारतीय | 3.77 | 4.80 | 6.09 |

* श्रम शक्ति में बेरोजगारी की प्रतिशतता

स्रोत : एन.एस.एस.ओ. - 43 वां क्रम सर्वेक्षण

टिप्पणी : इस सर्वेक्षण में, नागालैण्ड के ग्रामीण क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर के लद्दाख व कारगिल जिले शामिल नहीं हैं।

शुद्धि पत्र

| <u>क्र. सं.</u> | <u>पृष्ठ सं.</u> | <u>सारणी सं.</u> | <u>पढ़ा जाए</u> |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. | 56 | 3.11 | (करोड़ रुपए 1991-92 की कीमतों पर) |
| 2. | 61 | 3.17 | - तदैव - |
| 3. | 103 | - | (करोड़ रुपए) |

